राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] बारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का दूसरा दिवस [संख्या : 2

मंगलवार;

15 जुलाई, 2008

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पहले नम्बर का क्वेश्चन है माननीय भरत सिंहजी का उसको स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है। यह सवाल कोई ऐसा है कि जिसमें कोई कानूनी अडचन नहीं है तो यह सदन जानना चाहता है कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा, जहां 39-39 लोगों की मौत हो गई हो और उस महत्वपूर्ण मुद्दे के सवाल को पोस्टपोन कर दिया जाए, यह उचित नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर उत्तर दे। अध्यक्ष महोदय, आप इसके ऊपर व्यवस्था दीजिये।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): यह पहली बार नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): पिछली बार प्रश्न स्थगित कर दिया गया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी, आप कारण बता दें जरा। आप बता दीजिये कि यह कारण है।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): यह पहली बार नहीं है, अध्यक्ष महोदय, यह दुबारा हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कारण बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण करें, वो कारण बता रहे हैं। स्थगित क्यों हुआ उसका कारण बता रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपने प्रश्न तो काल ही नहीं किया तो जवाब क्या देंगे? पहले प्रश्न तो काल करिये। आपने प्रश्न ही काल नहीं किया तो जवाब क्या देंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने आब्जैक्शन क्यों किया विदाउट माई कालिंग? मैंने जब काल नहीं किया तो वो खड़े क्यों हुए? मैंने जब काल नहीं किया तो वो खड़े क्यों हो गये?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम तो कुछ भी बोलें, आप काल करिये।

श्री अध्यक्ष: उनको खड़े नहीं होना चाहिए था, मुझे काल तो करने देते। (व्यवधान) प्रश्न संख्या एक श्री भरत सिंह।

गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के दौरान दर्ज मुकदमे

01. श्री भरत सिंह (दीगोद): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार को गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के तहत रेल रोको कार्यक्रम की पूर्व में ही जानकारी थी? यदि हां, तो आन्दोलन के मुखिया कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की चेतावनी को गम्भीरता से नहीं लिये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस आन्दोलन को देखते हुए कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और अन्य नेताओं के रेल रोको आन्दोलन के विरुद्ध चार दिन पूर्व ही करोली अदालत की ओर से गिरफ्तारी वारण्ट जारी कर दिये गये थे? यदि हां, तो इस पर अमल नहीं किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस आन्दोलन के कारण प्रदेश में व्यापक जानमाल की क्षति हुई है? यदि हां, तो कुल कितनी आर्थिक हानि का आंकलन किया गया?

(4) क्या यह सही है कि इस हिंसक आन्दोलन के तहत अनेक मुकदमे व गिरफ्तारियां प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज किये गये थे? यदि हां, तो दर्ज मुकदमों की कुल संख्या कितनी है तथा कितने मुकदमे किस-किस थाने से वापस लिये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

प्रश्न संख्या-1

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थगित करने के कारण बता दीजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात निश्चित है कि प्रश्न छप गया, प्रिंट हो गया और हमने आपके सचिवालय को उसके बाद इस बात के लिए आग्रह किया कि चूंकि यह एक कमीशन के पास में सारी की सारी जांच है और इसके कारण से यह जो आपका है Conditions of admissibility of questions इसका जो (xx) है वह इस बात में बहुत ही

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

स्पष्ट है कि " ... it shall not ordinarily ask about matters pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of enquiry appointed to enquire into or investigate any matter but may refer to matters concerned with procedure or subject or stage of enquiry, if it is not likely to prejudice the consideration of the matters by the tribunal or commission or court of inquiry; .." इस सब में चूंकि बंसल आयोग का गठन 28 मई को ही हो चुका था और वह इस सारी विषय-वस्तु की जांच कर रहा है तो यह उस जांच को प्रभावित करेगा। यह सच है... (व्यवधान) एक मिनट में मैं बात समाप्त कर दूं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह तो हम जानते हैं। यह तो हम जानते हैं गृह मंत्रीजी, आप दर्जनों व्यक्तियों की हत्या करें और कोर्ट में, जुडिशियली इन्क्वायरी, एक मजिस्ट्रेट को रख दें। आप कृपा करके सदन की कार्यवाही देख लीजिये, आपने दर्जनों दफे ऐसे जवाब दिये हैं... (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): आप जवाब सुनने का माद्दा रखें। जवाब सुनने का माद्दा रखो। आप जिस पर मर्जी आये जब खड़े हो जाते हो। जवाब सुनिये आप।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ...दर्जनों व्यक्तियों की राजस्थान में कभी हत्या नहीं हुई और यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि... (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): सारा रूल बता दिया, रेगुलेशन बता दिया, यह सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है और रूल कोट कर दिया माननीय गृह मंत्रीजी ने तो फिर इसका औचित्य ही नहीं रहता है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ... आप एफ.आई.आर. की नकल तक नहीं देते। आप तो एफ.आई.आर. की नकल तक नहीं देते, यह सरकार पारदर्शिता को खतम कर रही है।

श्री अध्यक्ष: आर्डर-आर्डर।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह सरकार ईमानदारी से राजस्थान में जातिवाद का जहर घोल रही है। यह सरकार जितनी निकृष्टता का काम कर रही है, आज तक नहीं किया। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): सत्ता पक्ष जवाब देने से बच नहीं सकता। चार महीने बाद जनता को जवाब देना होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। (व्यवधान) नियम 37 में प्रश्नों की ग्राह्यता के सम्बन्ध में स्पष्ट लिखा हुआ है जो कि पढ़कर के मंत्रीजी ने सुना दिया। आपने सुना नहीं हो तो वो दुबारा सुना दें। यह जो नियम 37 है इसमें प्रश्नों की ग्राह्यता की शर्तें हैं, उन शर्तों के मुताबिक जहां कहीं भी जुडिशियल इन्क्वायरी हो रही हो या कोर्ट को मामला सौंपा गया हो, ऐसे मामलों के अन्दर प्रश्न यहां पर, चूंकि प्रिजुडिश हो जाएगा यहां के डिसकशन से, इसलिए ग्राह्य नहीं होगा। यह स्पष्ट है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बाइण्डिंग नहीं है, आर्डिनरिली शब्द काम में लिया गया है। आर्डिनरिली लिखा है। आर्डिनरिली शब्द जब लिखा गया है तो आप उसका उत्तर दिलवा सकते हैं। उसमें आर्डिनरिली शब्द को काम में लिया गया है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ये आप आसन को आदेश दें यह सदन की अवमानना है। जब सदन के सर्वोच्च आसन ने प्रश्न स्वीकार कर लिया... (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): सदन के नियम आप तय करोगे क्या? सदन के नियम आप तय करोगे क्या? सदन के नियम आप तय नहीं कर सकते।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ... यह राजस्थान के संसदीय इतिहास में काला धब्बा है। (व्यवधान) मैं आसन से, यह सदन आसन से मांग करता है कि सरकार को आदेश दें कि आज नहीं तो कल इस प्रश्न का जवाब दें जो माननीय सदस्य ने पूछा है। यह सदन की प्रोपर्टी है, प्रिंट हुआ है। अब जब माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका प्रश्न प्रिंट हो गया उसके बाद में सरकार कहां आ जाती है? इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आसन की गरिमा को बनाये रखने में सरकारी पक्ष सहयोग करे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन की गरिमा को आप भी बनाये रखें। आप भी बनाये रखिये आसन की गरिमा। यह आपकी भी जिम्मेदारी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह आसन पर किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, यह आसन पर किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं? (व्यवधान) यह आसन पर टिप्पणी कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): इनको आसन पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। ये माननीय सदस्य, आसन पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): हिन्दुस्तान के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ये टिप्पणी नहीं कर सकते।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आसन के आदेश को नहीं मानने वाले आसन की गरिमा की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) आसन ने आपको बोलने के लिए अलाऊ ही नहीं किया। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ... समाज के लोगों को मरवाकर के आप यह कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपने मरवाया है अपने भाइयों को। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको आसन से निर्देश दीजिये। (व्यवधान) ये आपके आदेश की पालना करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन श्री रामरतन बैरवा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय रामनारायणजी, आप मीणों से पिटोगे। मीणा पीटेंगे आपको रामनारायणजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्षजी के निर्णय पर कोई प्रश्न नहीं हो सकता। आप अध्यक्षजी के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्षजी ने तो लिस्टेड कर लिया, अब अध्यक्षजी के आदेशों की आप अवहेलना कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने तो एडमिट कर लिया सवाल। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ... प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर दे तब तक नहीं पूछा जा सकता। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ... कितने मुकदमे दर्ज किये गये, कितने मुकदमे वापस लिये गये इसमें कमीशन को प्रभावित करने वाली कोई बात ही नहीं है। केवल यह है कि कौन-कौन से मुकदमे दर्ज किये, कौन कौन

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

से मुकदमे वापस लिये गये। (व्यवधान) इसमें कमीशन पर कोई प्रभाव नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन श्री रामरतन बैरवा।

तहसील शाहपुरा (भीलवाड़ा) के सिंचाई स्रोतों के विकास पर व्यय

02. **श्री रामरतन बैरवा** (शाहपुरा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कितने बड़े एवं कितने छोटे बांध एवं तालाब हैं? कितने छोटे-छोटे तालाब पंचायत समिति के अधीन हैं? इनकी मरम्मत हेतु पंचायत समिति द्वारा गत चार वर्षों में कितना व्यय किया गया? तालाबवार जे.बी.आई.सी. द्वारा कौन-कौन से तालाबों के विकास की योजना है व इन पर कितनी राशि व्यय की जायेगी एवं इससे कितनी एकड़ भूमि की पिलाई हो सकेगी?

सिंचाई मंत्री (श्री सांवर लाल): तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में जल संसाधन विभाग के अधीन कुल 3 बड़े एवं एक छोटा बांध है। शाहपुरा पंचायत समिति के अधीन कुल 157 छोटे तालाब हैं। तालाबों पर गत चार वर्षों में पंचायत विभाग द्वारा कुल राशि रुपये 27.41 लाख व्यय की गई है। जे.बी.आई.सी. के अन्तर्गत चौतिसिया, देवीसागर (कनेच्छन), लुलास, सागरिया एवं छोटा नाहरसागर तालाबों के पुनरुद्धार की योजना है। इन कार्यों पर 23.00 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है तथा इनसे 865.00 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिलेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ऐसा है जिसमें कमीशन को प्रभावित करने वाली कोई चीज नहीं है। इसमें केवल कौन कौन से मुकदमे, कौन-कौनसी धाराओं में दर्ज किये गये, कौन से मुकदमे वापस लिये गये। इसमें केवल मात्र सूचना मांगी गई है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): हम आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन करते हैं कि आसन...

श्री अध्यक्ष: मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है। मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को जवाब देना चाहिए। बहुत गम्भीर सवाल है और सरकार बच नहीं सकती।

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): मेरा एक निवेदन है कि चितोला के पास तालाब है उनको गहरा कराने का विचार रखती है और जेबीआईसी में जिन-जिन तालाबों के पुनरुद्धार की योजना है उनको कब तक कर दिया जायेगा? (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): यह सरकार सदन में जवाब देने से भागे... (व्यवधान)

श्री रामरतन बैरवा (शाहपुरा): ... क्या सरकार उनकी गहराई कराने का विचार रखती है? कब तक?

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ... सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ... मैं आरोप लगाता हूं कि आप जांच करवा लें, हम साबित कर देंगे कि सरकार ने पैसा दिया है आंदोलन के लिए। (व्यवधान) आप इन्क्वायरी बिठाइये। आप इस बात की इन्क्वायरी बिठाइये। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता के बीच में जवाब देना होगा। नियमों का हवाला देकर के इस सदन से बच सकती है, भाग सकती है? इतना गम्भीर सवाल है, सरकार जिम्मेदार है। इस राजस्थान के 40 लोगों की हत्या की। यह सदन मूकदर्शक बनकर नहीं बैठ सकता। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ...सरकार इन्क्वायरी की बात कर रही है, आप सी.बी.आई. की इन्क्वायरी करवाइये, हम साबित करेंगे। हम साबित करेंगे कि सरकार ने पैसा देकर के आंदोलन चलवाया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, ये इस प्रकार के मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, इनके पास में इसका कोई आधार नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): सी.बी.आई. इन्क्वायरी करवाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री अध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट प्रश्न पुकार लिया है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री अध्यक्ष: मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

अनेक माननीय सदस्य:×××

श्री अध्यक्ष: (व्यवधान) बैठो-बैठो, बैठो-बैठो। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण। आसन पांवों पर, आसन पांवों पर, आसन पांवों पर, आसन पांवों पर है। (व्यवधान) अब कोई अध्यक्ष महोदय नहीं। मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया और अंकित भी नहीं हो रहा था, इसलिए आपका कहना और सुनना भी सब मेरी समझ में उचित नहीं है, बेकार है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री अध्यक्ष: मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री हीरालाल (निवाई):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव):×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

सदन में नारेबाजी

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम):×××

श्री हीरालाल (निवाई):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा):×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

अनेक माननीय सदस्य: ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करिये। (व्यवधान) नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पांवों पर है, आसन पांवों पर है। (व्यवधान) माननीय, प्लीज, एक बार मुझे कहने देंगे, उसके बाद बोलियेगा, आपको मौका दूंगी मैं। मैंने वैसे दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया, इसलिए वैसे भी आपको अब अधिक इस मामले में क्योंकि सब के ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, फिर भी मैं आपको बताती हूं कि जहां कहीं भी क्वासी

(श्री अध्यक्ष)

ज्युडिशियल मैटर हो उसको उठाने का एक तरीका है और वह तरीका है– "123. Motion for raising discussion on matters before tribunals, commissions, etc. – No motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or court of inquiry appointed to enquire into, or investigate, any matter shall ordinarily be permitted to be moved:

Provided that the Speaker may, in his discretion, allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or subject or stage of enquiry if the Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the statutory tribunal, statutory authority, commission or court of enquiry." इसलिए मेहरबानी करके अब आप इस मामले को यहीं रहने दीजिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री अध्यक्ष: क्या?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, अलाउ मैंने केवल....

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री अध्यक्ष: नो, नो, नो...

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चूंकि मुझे मालूम नहीं था, मैं भी...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने क्वेश्चन अलाउ किया जब...

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री अध्यक्ष: अब आप मुझे सुनिये।

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री अध्यक्ष: धोद से आने वाले माननीय सदस्य, इस तरह से आपको बहस करने का कोई अधिकार नहीं है, पहले स्थान ग्रहण करें।

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री अध्यक्ष: नो, कुछ नहीं। स्थान ग्रहण करें। मैं कहती हूं पहले स्थान ग्रहण करिये आप। आप स्थान ग्रहण करिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री अध्यक्ष: पहले स्थान ग्रहण करें आप। प्लीज, प्लीज, resume your seats.

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप स्थान ग्रहण करें, आप स्थान ग्रहण करें। मैंने केवल क्वेश्चन पूछने की इजाजत दी। जब उन्होंने कहा कि क्वासी ज्युडिशियल है उसके बाद तरीका यही होता है कि आप आकर दोबारा इसे कहते और उसके बाद यदि कोई मेरी परमिशन हो तो आप इस पर डिसकशन कर सकते हैं। (व्यवधान) अब क्या रह गया बाकी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: क्या बाकी रह गया? अब क्या बाकी रह गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: I have called another question. मैंने दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने दूसरा क्वेश्चन पुकार लिया है। हां, नेता प्रतिपक्ष, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप तो विराजिये, आपके नेता खड़े हैं। (व्यवधान) आपके नेता खड़े हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, आप विराजो। आप विराजो तो मैं कहूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके नेता खड़े हैं। नेता खड़े हैं आपके। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह सरकार के कहने से क्वासी ज्युडिशियल मैटर नहीं होगा। क्वासी ज्युडिशियल मैटर का तो निर्णय आप करेंगी और अध्यक्ष महोदय करेंगी और आपने प्रश्न एडमिट किया

(श्री हेमाराम चौधरी)

है तो यह मानकर के कि क्वासी ज्युडिशियल नहीं है, एडमिट किया है और सरकार को, आपने सरकार को भेजा। इस तरह से जिसको भी जो भी जैसा आपका व्यवहार है, आप करिये, हमें उसमें कोई तकलीफ नहीं है लेकिन आपने एडमिट किया है, सरकार को जवाब के लिए भेजा है और लिस्टेड हो गया है, लाटरी में निकला, आज पहला ही क्वेश्चन है, अब सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं है इसलिए इसको क्वासी ज्युडिशियल बता करके वह अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। वह किसी भी सूरत में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। इस सदन के अन्दर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इतनी बड़ी घटना प्रदेश के अन्दर घटी, चालीस लोग पुलिस की गोली से मारे गये, पुलिस का इतना भारी अत्याचार हुआ और उसका सरकार...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह जो जानें गईं, यह जो घटना घटी...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):××× (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह सरकार प्रतिपक्ष की भावनाओं को दबाना चाहती है...(व्यवधान) प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था चौपट हो चुकी है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है, इससे ज्यादा लापरवाही इस सरकार की क्या हो सकती है। यह सिर्फ तीन दिन का सत्र है, बहुत ही मुश्किल से हमें अपनी बात कहने का यह मौका मिला है, इस मौके पर भी यदि सरकार...(व्यवधान) प्लीज, बात कहने दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ××× (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अपनी बात कह नहीं सकते तो हम अपनी बात कहने के लिए, तो यह विधान सभा किसलिए बुलाई है (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): × × ×

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): × × ×

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): × × ×

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): × × ×

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): × × ×

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): × × ×

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): × × ×

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): × × ×

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): × × ×

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): × × ×

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): × × ×

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): × × ×

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): × × ×

श्री जुबेर खान (रामगढ़): × × ×

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): × × ×

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): × × ×

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): × × ×

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): × × ×

श्री जुबेर खान (रामगढ़): × × ×

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर ....(व्यवधान) ऑर्डर ऑर्डर।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप-मुख्य सचतेक):×××

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर):×××

डा. सुरेश चौधरी (भादरा):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण स्थान ग्रहण कर लें। स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, एक प्रश्न पर हमने 33 मिनट लगा दिए हैं, अब आप कृपया बैठें ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

डा. सुरेश चौधरी (भादरा):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप-मुख्य सचतेक):×××

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) कोई एक ही प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, सबके ही प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं और सबकों अधिकार है उनका जवाब पाने का ...(व्यवधान) फिर चिल्ला रहे हैं ख्वाहम-ख्वाह ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्ष: आप सदन को नहीं चलने देना चाहते, आप प्रश्नकाल को भी नहीं चलने देना चाहते, आप सदन भी नहीं चलने देना चाहते, यही समझा जाए, यही समझूं मैं कि आप न तो प्रश्नकाल चलने देना चाहते हैं, न आप आगे सदन को चलने देना चाहते हैं, यही समझा जाए। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजें ...(व्यवधान) क्या बात कर रहे हो आप? ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री अध्यक्ष: मिस्टर अशोक बैरवा मैं आपको नाम से पुकार रही हूं। आप ऊटपटांग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप ऊटपटांग भाषा का प्रयोग कर रहे हो, सदन के नियम नहीं जानते आप, सदन की गरिमा का ध्यान नहीं आपको ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री अध्यक्ष: (व्यवधान) बेजा फायदा उठाते हैं आप, क्या हाथ उठा-उठा कर, सदन में बोलने का तरीका सीख लो। क्या हाथ उठा कर कहना चाहते हैं आप? आप सदन में बोलने का ...(व्यवधान) यह सदन आपका नहीं है, सबका है, सबको अधिकार है बोलने का, मैं आपको नाम से पुकारूंगी ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री अध्यक्ष: गो आउट, मैंने कहा आप सदन से बाहर चले जाएं। आप चले जाएं ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण मंत्री):×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप-मुख्य सचतेक):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री अमराराम (धोद):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (खण्डार):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा):×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने उट-पटांग बोल रहे थे खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य उनको नाम से पुकारा, नाम से पुकारने का मतलब होता है, आप जानते हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा आप बैठ जाइये। आप स्थान ग्रहण कर लीजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करिये। आप स्थान ग्रहण करिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अध्यक्ष: क्या आप नियम नहीं जानते सदन के?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर होता है तब सदस्य को खड़ा नहीं होना चाहिए। आप यह नियम नहीं जानते? जब मैंने उन्हें नाम से पुकारा तो एक बार उन्हें सदन से बाहर जाना चाहिए फिर वो अपनी बात कुछ भी कहें आकर के लेकिन एक बार सदन से बाहर जाना चाहिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अध्यक्ष: यह आसन का ...(व्यवधान) यह अधिकार है जब वो किसी को नाम से पुकार दे तो उसे एक बार सदन छोड़ कर चले जाना चाहिए। आपसे मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने माननीय सदस्य से कहें कि वो एक बार बाहर चले जाएं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण। माननीय सदस्यगण। खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बार नहीं तीन-चार बार, पांच बार कहा कि क्या (व्यवधान) क्या कहना चाहते हैं आप?

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री अध्यक्ष: देखिये ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री अध्यक्ष: आप तो आसन को कह रहे हैं। आप तो आसन को कह रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष):×××

सदन में नारेबाजी

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष):×××

डा. सुरेश चौधरी (भादरा):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्ष: (व्यवधान) यह आखरी सत्र है, बडे गरिमापूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से हम एक दूसरे से विदाई लेगे, एक दूसरे को शुभकामना देंगे वापिस पुनः यहां लौटकर आने की। अब आप चलने ही नहीं दे रहे... (व्यवधान) आप चलने तो दीजिए कम से कम हाउस को। (व्यवधान) हाउस तो चलने दीजिए ...(व्यवधान) कुछ चर्चा तो कीजिए। आपके महत्वपूर्ण सुझाव आये उस पर ...(व्यवधान) मैं समझती हूं ज्यादा अच्छा होगा, बजाय शोर-शराबे के, एक दूसरे को भ्रष्ट कहने के, मैं समझती हूं सार्थक चर्चा कीजिए ना, सार्थक चर्चा कीजिए आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अध्यक्ष: आप कह रहे हैं ...(व्यवधान) बार-बार ...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अमराराम (धोद):×××(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: (व्यवधान) अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? आपके माननीय सदस्य तो खड़े हैं वह तो आपका लिहाज रखते नहीं है, आप कहते हैं...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): लिहाज कर रहे हैं। आप परमिशन...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इस सत्र का...

श्री अध्यक्ष: हां...(व्यवधान) अब आप कोई न कोई हैवान जैसी बात कहेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इस सत्र का यह पहला ही प्रश्न है, आज ही प्रश्न काल शुरू हुआ है और प्रश्न-काल का पहला ही प्रश्न, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न, आज की अभी हाल ही घटित घटना के बारे में यह प्रश्न है और सरकार से कुछ जानकारी चाही है, जानकारी यह चाही है कि किरोड़ीलालजी बैंसला के खिलाफ करौली अदालत से गिरफ्तारी वारण्ट जारी हुआ और उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जबकि इस सदन के माननीय तीन सदस्यों को बिना कोई गिरफ्तारी वारण्ट के केवल 107, 151 में गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल दिया (व्यवधान) कई दिन तक।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जबकि किरोड़ीसिंह बैंसला... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस प्रश्न के साथ ही इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह सरकार की लापरवाही नहीं है, नेग्लीजेंसी नहीं है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जो कह रहे हैं इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): उसकी वजह से बेगुनाह लोग (व्यवधान) 39 पुलिस की गोली से मारे गये। यह पुलिस लोगों को मारने का काम कर रही है कि लोगों की जान बचाने का काम कर रही है, यह बताइये कि पुलिस का काम क्या रह गया है, लोगों को गोलियों से भूनने का रहा है या लोगों की जान-माल की हिफाजत करने का रहा है, इसमें सरकार की क्या चूक हुई है उसका हमने प्रश्न पूछा उसका जवाब दे दें मामला साफ हो जाएग (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने आपका...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह अपनी गलती छिपाने के लिए ...(व्यवधान) सिर्फ सरकार अपनी तरफ से कह रही है, ज्यूडिशियरी का

(श्री हेमाराम चौधरी)

मामला होता तो आप प्रश्न के शुरूआत में ही डिसअलाऊ कर देतीं। बहुत सी बार हमारे पास आता है कि यह प्रश्न ग्राह्य नहीं हो सकता इन-इन कारणों से, आप उस समय भी यह लिख देतीं कि इन-इन कारणों से प्रश्न ग्राह्य नहीं हो सकता, यह मामला ही सदन में नहीं आता, यह समय ही बरबाद नहीं होता। (व्यवधान) आपने तो मान लिया लेकिन अब सरकार को आप नाराज नहीं कर सकतीं, राज़ी रखना जरूरी है, अगर यह बात है तो मुझे कुछ नहीं कहना, नहीं तो आप आसन पर, आसन से हम प्रोटेक्शन की उम्मीद करते हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप हमें प्रोटेक्शन दें, हमें हमारी बात का विधान सभा में...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री **हेमाराम चौधरी** (नेता, प्रतिपक्ष): बात कहने का ...(व्यवधान) तभी हम अपनी बात कह पायेंगे अन्यथा हम कोई भी बात नहीं कह पायेंगे । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): सरकार की विफलताओं को उजागर नहीं कर सकेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण। माननीय नेता, प्रतिपक्ष। (व्यवधान) ग्राह्यता के बारे में मैं पढ़कर सदन को सुना चुकी हूं उसके बाद भी आप वही क्वेश्चन उठा रहे हैं, मैं पढ़कर सुना चुकी हूं ग्राह्यता के बारे में सुना चुकी हूं आपको (व्यवधान) यदि इस तरह का मैटर हो ...(व्यवधान) तो उसके लिये प्राय: परमिशन लेनी पड़ती है स्पीकर की।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री अध्यक्ष: जवाब देने की...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री अध्यक्ष: यह भ्रष्टाचार का मामला जो आपने उठाया है जो प्रश्न संख्या-14 आपका है उसके बारे में एक महीने का समय और चाहा है, लिखित उत्तर..(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री अध्यक्ष: आपके पास...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री अध्यक्ष: भ्रष्टाचार में....(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री अध्यक्ष: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जवाब नहीं देना चाहे, यह प्रश्न ज्यूडिशियल नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुनना नहीं चाहते।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री अध्यक्ष: उत्तर मिलेगा इसका, एक महीने का समय मिला है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री अध्यक्ष: बूंदी से आने वाले, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य दस दिन के नोटिस पर आपका क्वेश्चन आया था दस दिन में इसका जवाब नहीं मिल सकता।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री हीरालाल (निवाई):×××

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री अध्यक्ष: (व्यवधान) आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाह रहा था, मैं कुछ निवेदन करना चाह रहा था आपकी अनुमति हो तो?

श्री अध्यक्ष: हां, बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। सरकार प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम से चलती है और आसन ने बडी विस्तृत रूप से.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये, बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नियम 36 के उप नियम ...(व्यवधान) 20 का हवाला देते हुये यह आपने स्पष्ट कर दिया, हम हर सवाल का जवाब देने के लिए, सरकार तैयार है पर आसन से जो व्यवस्था हुई है प्रश्न की ग्राह्यता की शर्तो में 20 के अन्दर जो आपने खुद ने पढ़कर सुनाया है (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय यह जो नियमों के नियम की बात की (व्यवधान) न्यायाधिकरण आयोग के विचाराधीन विषय पर चर्चा नहीं हो सकती और फिर एक बार व्यवस्था हो गई आपने दूसरा सवाल पुकार लिया, दूसरे सवाल का मंत्रीजी ने उत्तर दे दिया।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): परम्पराओं के विपरीत बात है...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि ...(व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाहूंगा यह आखिरी सत्र है, सरकार जवाब देना चाहती है ...(व्यवधान) सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है। जिस तरह का आचरण कर रहे हैं मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

बहिर्गमन

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

प्रतिपक्ष का यह गैर मर्यादित व्यवहार और आज प्रतिपक्ष जो सवाल खड़ा करना चाहता है, सरकार जवाब देना चाहती है, तथ्यों के आधार पर जवाब देना चाहती है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पर यह सदन नियमों से चलेगा। (व्यवधान) 30-30 करोड़ के अन्दर सांसद खरीदकर वे अपनी सरकार बचाना चाहते हैं। बड़ा खेदजनक व्यवहार रहा है इनका।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री अध्यक्ष: प्रश्न-काल समाप्त हुआ। (व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा):×××

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें, प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अनुपस्थिति अनुमति

नरपत सिंह राजवी श्री, को सम्पूर्ण सत्र के लिए अनुपस्थित रहने के लिए अनुमति

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री नरपत सिंह राजवी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने पारिवारिक कारणों से टोरण्टो एवं न्यूयार्क की निजी यात्रा पर रहने के कारण दिनांक 15 जुलाई, 2008 से सत्र समाप्ति तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 12वीं विधान सभा का आखिरी सदन चल रहा है। इस वक्त नरपतसिंहजी राजवी को क्या पारिवारिक काम हो गया कि विधान सभा की कार्यवाही का इनको ख्याल नहीं था, इस सदन की मर्यादाओं का ख्याल नहीं था और टोरण्टो रवाना हो गये।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): हाउस चल रहा है और नरपतसिंहजी टोरण्टो भाग गये। (व्यवधान) यह कहां से नया ...(व्यवधान) हमारे झुंझुनूं जिले की ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन जब सदन को कोई बात सूचित करता है तो उस हालत के अन्दर माननीय सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए कि आसन सदन को सूचनाएं दे रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): सारे मेडिकल स्टाफ को पेरेलाइज्ड कर दिया। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): राजस्थान में झुंझुनूं एक बहादुर जिला है और राजस्थान के हर कोने-कोने में महिलाएं सेवाएं दे रही हैं, उनका ट्रांसफर कर दिया। उनको जोइन नहीं करा रहे हैं और नरपत सिंहजी भाग गये बाहर।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): और अशोक गहलोत कहां हैं, यह तो पता करो। अशोक गहलोत कहां गये। वे कहां गये, अफजल से मिलने गये, अफजल से।

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा, कोई सदस्य नहीं बोलेंगे। सदन को सूचना दे रही हूं मैं। (व्यवधान) नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य, जब अध्यक्ष कोई सदन को सूचना देता है तो माननीय सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए कि वह अपना स्थान नहीं छोड़ें, स्थान पर ही बैठे रहें। अब कोई नहीं बोलेंगे।

(श्री अध्यक्ष)

संदेश

महामहिम राज्यपाल का संदेश

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके परन्तुक के अनुसरण में विधान सभा द्वारा पारित राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद विधेयक, 2008 (संख्या-14) पर महामहिम राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है:

"April 16, 2008

MESSAGE

WHEREAS, I have gone thorough the provisions of the Rajasthan Para-medical Council Bill, 2008 (Bill No. 14 of 2008) as passed by the Rajasthan Vidhan Sabha on March 18, 2008 and submitted to me for my Assent.

WHEREAS, I have noted that the Schedule of the Bill has included Physiotherapy/Occupational therapy as a paramedical subject.

WHEREAS, I have also studied and considered a number of representations from physiotherapy students, Association of Physiotherapists, Colleges of Physiotherapy and others. The representations point out that Delhi and Maharashtra have Councils separate from the one for the para-medicals, to cover Physiotherapy and Occupational therapy; and that the Physiotherapy course in Universities is of four years duration after 10+2 Biology group in school, and the four year course is followed by six months internship.

WHEREAS, we must here recall that until a few years ago, in most States of India Physiotherapists were recruited after they had successfully completed a Diploma course only. Since then, due to march of medical and surgical research and new systems of rehabilitation, for cardiology, neurological, spinal and other patients, Physiotherapists now go on to acquire not only the Bachelors degrees but also Masters degrees in Physiotherapy. As in the USA and UK, many of our medical colleges and institutions too are now encouraging higher research and hence Ph.D. degrees are also being awarded in this particular discipline. In the State, which gave birth to the 'Jaipur Foot', it would be a travesty to keep Physiotherapists in the category of Para-medical staff, thus discouraging the march of curative treatment and research in this field.

AND WHEREAS, the representation which we have received, protest against the inclusion, as per the Bill, of Physiotherapy/Occupational therapy as merely a Para-medical subject. In this regard, I have consulted Physiotherapists and eminent persons in the medical profession on the subject. Accordingly I do grant that the arguments set forth in the representations do have more than considerable merit.

NOW, THEREFORE, I, Shilenda Kumar Singh, Governor of Rajasthan, in pursuance of Article 200 and proviso thereof, of the Constitution of India, return the Bill of the Rajasthan Vidhan Sabha with the request to consider removing the subject …" सुन लीजिये प्लीज। सुन लीजिये प्लीज। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, have patience.

(श्री अध्यक्ष)

" ….. Physiotherapy/Occupational therapy from the Schedule to the Bill by making suitable amendments, and to further consider constituting a separate Council for the State of Rajasthan for the subject of Physiotherapy/Occupational Therapy.

GOVERNOR OF RAJASTHAN"

दिनांक 15 जुलाई, 2008 को राज्यपाल महोदय से प्राप्त सन्देश से सदन को अवगत कराया गया।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): शेम, सरकार पर आक्षेप है। इस तरह से बिल बनाया है, यह गवर्नर ने कमेण्ट लिखकर भेजे हैं। अब सरकार को सोचना चाहिए कि यह बिल बनाने में जो आपकी क्षमता है, उस पर क्वश्चन मार्क है।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में...

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): फेल्योर है कि नहीं है?

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अच्छा बोलिये आप। (व्यवधान) आप सरकार के प्रतिनिधि हो, सरकार का फेल्योर है कि नहीं है?

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): आप लोगों ने तो बोल-बोलकर इस बिल का सत्यानाश किया। जिस दिन पैरा-मेडिकल...

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अधिकारियों का मिस्यूज हो रहा है। इस तरह अधिकारियों का मिस्यूज हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आपको मैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष …(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सत्यानाश हमने किया? बिल तो पास आपने कराया, पेश आपने किया और सत्यानाश हमने किय? बड़ी जोरदार बात कह दी।

श्री अध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष, जब सदन के अन्दर आसन द्वारा व्यवस्था दी जा रही हो तो सबको ही ध्यान रखना चाहिये, चाहे मंत्री हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे कोई और हो। जब आसन व्यवस्था दे रहा है तो उसके बाद आपको मौका है, कोई बात कहनी है तो आप निश्चित तौर पर कहिये। मुझे माननीय सदस्यों को…(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): एक ही लाठी से हांक रखा है सबको।

श्री अध्यक्ष: क्या फरमाया आपने? बैठे-बैठे फरमाना बहुत गलत है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): आपने तो सबको बराबर कर रखा है। चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हों, चाहे प्रतिपक्ष के नेता हों या कोई सीनियर लेजिस्लेटर हों। एक लाठी से सबको हांक रही हैं।

श्री अध्यक्षः हांकूंगी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): और यह मर्यादा जो आपने भंग की, इस विधान सभा की...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन पर इस तरह की टिप्पणी ऐसे वरिष्ठ विधायक करें, बड़ा अफसोस है, अध्यक्ष महोदय, यह आसन सर्वोपरि है। हम सबके लिये सम्मानजनक है। यह कहकर यह सीधे टिप्पणी कर रहे हैं कि आसन ने मर्यादा भंग कर दी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह टिप्पणी नहीं है, संसदीय कार्य मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मुझे बड़ा अफसोस है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वे माननीय सदस्य करें जिन्होंने इस आसन को उपाध्यक्ष के रूप में सुशोभित किया है।

श्री अध्यक्ष: हांकना वर्ड तो गलत था आपका। हांकना वर्ड तो गलत है। ट्रीट करना तो आप कह सकते थे। हांकने का मतलब तो गलत है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): क्या गलत है? कौनसा, क्या गलत है?

श्री अध्यक्ष: हांकना। आपने कहा सबको आप एक लाठी से हांक रही हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): झुंझुनूं से झुंझुनूं बात कर रहे हैं और हम सबको झुन्झुना पकड़ा रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): आसन एक लकड़ी से हांकेगा तो मैं क्या कहूंगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और फिर इसके बाद यह भी कह दिया कि आपने मर्यादा भंग की है। सीधे आप पर टिप्पणी कर दी। सीधे आप पर टिप्पणी कर दी कि मर्यादा भंग कर दी आपने।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): अगर आसन एक लकड़ी से सबको हांक रहा है तो मैं क्यों कहूंगा, बता दो। कोई दूसरा शब्द है क्या इसके लिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह झुंझुनूं से चूरू प्रिजूड्स हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें। अब विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस लाठी की बात करके ...(व्यवधान) एक मिनट, इन्होंने कहा कि लाठी से हांक रही हैं। इसका मतलब सारे लोग जानवर हैं हम? इन्होंने जानवर की संज्ञा दे दी हमें, यह कहकर कि लाठी से आप हांक रही हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): और सत्ता-पक्ष के सारे मंत्री लाठी चलाते हैं सदन के अन्दर।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): और सत्ता-पक्ष ने अध्यक्ष की मर्यादाओं का क्या किया? आज आपने, आपकी सरकार ने, गृह मंत्री ने अध्यक्ष की मर्यादाओं को, विधान सभा की परम्पराओं को सबको मिट्टी में मिला दिया। इस प्रकार की कार्यवाही इस विधान सभा के इतिहास में सन 1952 से लेकर इस दिन तक नहीं हुआ।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): और यह लाठी तो सब पर चला दी, कोई छोड़ ही नहीं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): आप स्थगित नहीं करते। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सौ बार स्थगित करवाया आपने। एक हजार बार प्रश्न स्थगित हुए हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): न बनिये छोड़े, न ब्राह्मण छोड़े, सारों पर चला दी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): प्रश्न नम्बर-1 को अपने स्थगित करवा दिया और यह गुलाब चन्दजी कटारिया ने ... (व्यवधान) गुलाब चन्दजी कटारिया ने ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपका इतना अनुभव है, आप इतने सम्मानित हैं। क्या इस प्रकार की बात करना उचित है? (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): यह तो लाठी गोली की सरकार रही है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने स्वयं ने मंत्री रहते हुए ... (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): भट्ठा बैठा दिया। पता लगेगा अब की बार। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): गुलाब चन्दजी कटारिया ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): इतने अनुभव के बाद बात कर रहे हो। क्या इस प्रकार की जांच होने के बाद हाउस में डिसकस हो सकता है क्या? आप इतने वर्षों के अनुभव के बाद बात कर रहे हो या किसके आधार पर बात कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह खुद ने कहा था। (व्यवधान) स्थगित करवाया था इन्होंने। (व्यवधान) रामनारायणजी चौधरी ने स्वयं ने प्रश्न स्थगित करवाया है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपने कहा कि 52 साल के इतिहास में यह क्या हो गया। यह क्या पहली बार स्थगित हुआ है? इस प्रकार की स्थिति ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): हां, सुनिये आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): क्या सुनें? आपने कैसे इस बात को कही? 50 साल का अनुभव बता रहे हो, यह कोई ... (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): गृह मंत्रीजी, आपने तो सब पर लाठियां चलायी हैं। किसी को छोड़ा ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह किताब आपने और हमने बनायी है। यह किताब मैंने बनायी या आपने बनायी? किसने बनायी? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): दे रखा है इस किताब में। हमने पढ़ा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने बनायी?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): पढ़ा है हमने। हमने आपसे पहले पढ़ना शुरू किया था। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): इस किताब में जो लिखा है,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैंने लिखा है? इसके आधार पर अगर स्थगित होगा तो कानून के तहत होगा न। मैंने कोई जबरदस्ती करवाया है क्या? अगर कानून के तहत स्थगित हो सकता है तो उसके लिए रिक्वेस्ट किया था। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): गृह मंत्रीजी, शांत हों। राजस्थान के गृह मंत्रीजी, शांत हों। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने कोई अपने मन से नहीं किया है। जो मुझे प्रावधान इसमें दिये हुए हैं, उसके आधार पर मैंने हाउस में और स्पीकर से अपनी रिक्वेस्ट भेजी है, एक दिन पहले कि यह प्रश्न इस तरह का है ... (व्यवधान) आप सुनो तो मैं जवाब देने को भी तैयार हूं। मैं सारी ... (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): आपका तो चार साल जंगल राज रहा है। कहां कानून का राज है? आपने तो मार-मार गोलियां खून की नदियां बहायी हैं यहां पर। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहते तो मैं जवाब दे देता। मैं सारे पेपर्स साथ लेकर आया हूं। यह नहीं है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है लेकिन कोई नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। केवल आप यह धमकाने वाली बात कि पचास साल का अनुभव, हम पैदा नहीं हुए तो हमारा क्या दोष है? हम जब पैदा हुए तभी तो आये हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अब आपको गृह मंत्री नहीं माने आपकी पार्टी तो हमारा क्या दोष? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): शर्म करो। शर्म करो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपको अपनी पार्टी के लोग गृह मंत्री नहीं मानते हैं (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह सारी परम्पराएं आपने डाली हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): भ्रष्टाचार के प्रश्न का जवाब किस कानून के तहत रोका आपने, माननीय गृह मंत्रीजी? (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): यह गोलीचन्द सरकार है। गोलीचन्द ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): भ्रष्टाचार के प्रश्न का जवाब किस कानून के तहत रोका? वह कानून बताओ न आप। जो भ्रष्टाचार का प्रश्न आपने रोका, किस कानून के तहत रोका? (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपकी स्वयं की पार्टी गृह मंत्रीजी को गृह मंत्री नहीं मानती है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): रामनारायणजी, आपको सैकिण्ड ग्रेड दी है इन्होंने। (व्यवधान) 50 साल में आपने क्या निहाल कर दिया? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय गृह मंत्रीजी, ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आपको सैकिण्ड ग्रेड का मंत्री बनाकर रख दिया। ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय गृह मंत्रीजी, आपका नाम बदल दिया है। श्री गुलाबचन्द कटारिया के स्थान पर गोलीचन्द कटारिया रख दिया। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय रामनारायणजी, आपने पहले पैदा होकर क्या निहाल कर दिया? 50 साल में क्या निहाल कर दिया आपने? आपने अपने नाम से खुद ने स्थगित करवाया है। मैं प्रमाणित कर दूं, नहीं करूं तो, बोलो आप। ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कोई ए.सी.डी. के सवाल के लिए भी, कटारिया साहब ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर, आसन पांवों पर। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): मैं कहता हूं गुलाब चन्दजी कटारिया के ऊपर विशेषाधिकार, इस विधान सभा का है। अध्यक्ष का जो विशेषाधिकार है, उसके तहत इन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): क्या बात कर रहे हैं आप? किस तरह की बात कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुकदमा चलाएंगे गृह मंत्रीजी के ऊपर, भ्रष्टाचार के बारे में, इस तरह की बात कर रहे हैं यह ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): आपने जवाब मंगाया नहीं। (व्यवधान) आपने नहीं मंगाया, इन्होंने रोक दिया। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इनकी बातों को गम्भीरता से नहीं लें। यह सठिया गये हैं इसीलिए तो प्रतिपक्ष के नेता पद से हटाये गये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह पहली बार हो रहा है कि स्थगन प्रस्तावों पर आसन द्वारा कोई व्यवस्था दी जा रही हो, यह पहली बार हो रहा है ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसीलिए तो प्रतिपक्ष के नेता के पद से हटाया है इनको ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह पहली बार हो रहा है कि स्थगन प्रस्तावों पर आसन द्वारा कोई व्यवस्था दी जा रही हो और बीच में कोई भी खड़ा होकर बोलने लग जाए, यह सचमुच में बहुत गलत है। सत्ता पक्ष से आने वाले माननीय सदस्यों की भी गलत बात है और आपकी भी गलत बात है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): गुलाब चन्दजी कटारिया ने वह तलवारजी.. (व्यवधान) तो बंदूक वाली..(व्यवधान) हो रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां (1) आप इनका जवाब देने खड़े हुए लेकिन उनकी बात भी गलत है कि जब आसन द्वारा कोई व्यवस्था दी जा रही हो तब बीच में खड़े होकर कोई भी अपनी बात कहने लग जाए। मैं समझती हूं कि ठीक नहीं है। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है, अब आप बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री मांगीलाल गरासिया एवं 9 अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत समिति गोगुन्दा कोटड़ा के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में कार्य करने वाले व्यक्तियों को कार्य-स्थल पर सुविधाओं का अभाव एवं पूर्ण भुगतान न होने के संबंध में।

(3) श्री खुशवीर सिंह, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में राज्य सरकार की कथित उदासीनता के कारण लोगों में व्याप्त रोष के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से राज्य विधान सभा के दो माननीय सदस्यों को 34 दिन तक जेल में रखने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री बाबूलाल नागर, सदस्य की ओर से जयपुर जिले में उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये गये 9 विद्यालयों को बंद कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाना उचित हो इसलिए अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(6) श्री मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य की ओर से कामां नगरपालिका अध्यक्ष को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े जाने की घटना के संबंध में।

(7) श्री अमराराम धोद एवं अन्य सदस्य की ओर से राज्य में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में काम में लगे मजदूरों को दो-दो माह से भुगतान नहीं होने तथा कार्यस्थलों पर सुविधाओं का अभाव होने के संबंध में।

और लोगों के भी इस प्रकार के आये हैं जो कि मैंने पढ़कर सुनाये लेकिन चूंकि सबसे पहले अमरारामजी धोद का आया था इसलिए मैं उनको दो मिनट का समय दूंगी ताकि वह अपनी बात कह सकें। बाकी वैसे यदि कोई बात नहीं आयी हो तो मैं फिर किसी और को भी दे सकती हूं, एक-दो मिनट का समय । (व्यवधान)

(8) श्री बृजकिशोर शर्मा एवं 21 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य सरकार द्वारा पैट्रोल, डीजल व गैस पर टैक्स कम नहीं करने एवं पैट्रोल, टैक्स से मतलब सेल्स टैक्स से मतलब है आपका? कम नहीं करने एवं पैट्रोल व डीजल पर 50 पैसे प्रति लीटर सेस वसूलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री रणवीर सिंह गुढा, सदस्य की ओर से तहसील खेतड़ी के ग्राम पंचायत पपुरना के णी बडावंध में स्थित श्मशान भूमि, देवताओं के मंदिर एवं ऐतिहासिक काला भुजा बांध एवं छतरियों के ऊपर आबंटित खनन पट्टों को निरस्त करने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे तो नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने

(श्री अध्यक्ष)

में तो असमर्थ हूं फिर भी माननीय सदस्य श्री मोहम्मद माहिर आजाद, श्री अमराराम धोद, श्री बृजकिशोर शर्मा एवं श्री रणवीर सिंह गुढा को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295, वह कहां गयीं पर्चियां? (व्यवधान)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) डाक्टर चन्द्रशेखर बैद, सदस्य की ओर से राज्य में मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना में व्याप्त अव्यवस्था के संबंध में।

(2) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करने के संबंध में।

(3) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य की ओर से पुष्कर राज से ग्राम कड़ेल बस्सी होते हुए परबतसर-बिदियाद-मकराना सड़क को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में क्रमोन्नत करने के सबंध में।

(4) श्रीमती प्रतिभा सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में स्थगन आदेश के बावजूद खनन विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्रीमती राजकुमारी शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सीकर में सड़कों की मरम्मत की स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

(6) श्री केसर देव बाबर, सदस्य की ओर से सीकर जिला मुख्यालय पर राजकीय कृषि महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में।

(7) डाक्टर सुरेश चौधरी, सदस्य की ओर से राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों के सेवा नियमों में संशोधन कर राज्य कर्मचारियों के समान सुविधाएं एवं परिलाभ प्रदान करने के संबंध में।

(8) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने के संबंध में।

(9) श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सदस्य की ओर से जिला नागौर के मारवाड़-मूंडवा, खेण, इनाणा, रूपासर आदि गांवों के किसानों की आवश्यकता से अधिक भूमि अवाप्त कर अम्बूजा सीमेंट लिमिटेड को दिये जाने के संबंध में।

(10) डाक्टर जालम सिंह रावलोत, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय मरू उद्यान (डी.एन.पी.) का क्षेत्र नहीं बढ़ाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। पर्ची कहां है? पर्ची कहां है?

मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): झुन्झुनूं के ऊपर अध्यक्ष महोदय, पूरी मेहरबान हैं आप। ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यों को 34 दिन जेल में बंद रखा। एस.डी.एम. के हम वहां मुचलका पेश करें तो मुचलका एक्सेप्ट करे नहीं, कलक्टर के वहां जाएं तो कलक्टर एक्सेप्ट करे नहीं, फिर वापस एस.डी.एम. के यहां जाएं तो करे नहीं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पूरी कार्यवाही को अपास्त कर दे और उसके बाद भी माननीय अध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कमाल कर रहे हो। आपका स्थगन प्रस्ताव है ... (व्यवधान) नगर से आने वाले माननीय सदस्य, आपका स्थगन प्रस्ताव तो कुछ और है और बोल कुछ और रहे हो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं कहां बोल रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं बोल रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मोहम्मद माहिर आजाद का है। कामां नगरपालिका अध्यक्ष को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े जाने के संबंध में। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें भी दो मिनट बोलने की आपने व्यवस्था दी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह क्या मतलब हुआ? यह कोई बात ... (व्यवधान) जबरदस्ती हुई है क्या? (व्यवधान) नो-नो ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में ... (व्यवधान)

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

हमें भी आपने दो मिनट बोलने की व्यवस्था दी है अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह कोई जबरदस्ती हुई क्या? (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसने पूरे विश्व की सोच को बदलकर रख दिया है और उसमें राज्य सरकार की उदासीनता... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने मोहम्मद माहिर आजाद का नाम पुकारा है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने राजनीतिक विरोधियों से किस तरीके से निर्ममता से सत्ता का दुरुपयोग करके 34 दिन जेल में बंद रखने का अपराध इस सरकार ने किया है और माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों में आने के बाद भी राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्यों के हितों पर इस तरह का जुल्म, अन्याय ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह कोई पर बोल रहे हैं, यह किस पर बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, नियम और प्रक्रिया से आयें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने नाम पुकारा है मोहम्मद माहिर आजाद का, आप इस तरह से खड़े हो जाते हैं। मर्जी आयेंगे जब खड़े हो जायेंगे आप? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं खड़ा नहीं हुआ, मैं नियमों में आया हूं अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) आप अगर सदन में चर्चा अलाऊ नहीं करती हैं तो यह प्रजातंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है।

एक माननीय सदस्य: आप यह सदन चलाना नहीं चाहते हो क्या? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कैसे बंद कर दिया आपने 34 दिन तक .. (व्यवधान)... कैसे बंद कर दिया उनको? (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): बाहर दो हजार मीणें आपका इन्तजार कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: 34 दिन तक गिरफ्तार कर लिया लोगों को। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय ने, आसन ने नगर से आने वाले माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया और यह बीच में बोलने के लिये खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने नाम पुकार लिया, बीच में बोलने खड़े हो गये। यह कोई बात थोड़ी हुई अध्यक्ष महोदय।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अगर सरकार का दामन साफ है तो जवाब क्यों नहीं देती? (व्यवधान) क्यों बंद किया आपने 34 दिन तक?

(आसन की तरफ से हाथ के इशारे से केवल मोहम्मद माहिर आजाद का ही अंकित करने के आदेश दिये)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री कालूलाल गुर्जर :×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा):×××

श्री राकेश मेघवाल:×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री अध्यक्ष: मैंने नाम पुकारा मोहम्मद माहिर आजाद का। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य कहेंगे अपनी बात। यह कौनसा तरीका हुआ? (व्यवधान) यह कौनसा तरीका है? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ×××

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री अध्यक्षः मैंने मोहम्मद माहिर आजाद का नाम पुकारा है। आप मोहम्मद माहिर आजाद को बोलने दें। (व्यवधान) बोलने दीजिये। आप बिठाओ इनको। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक)×××

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा):×××

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा):×××

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अध्यक्षः सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को बिठा दें तो अच्छा रहेगा ताकि सदन की कार्यवाही चल सके। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष):×××

श्री अध्यक्ष: यह तो कोई कंडीशन नहीं है नेता प्रतिपक्ष, कि मैं आपसे कहूं कि आप अपने माननीय सदस्यों को कंट्रोल करिये। आप मुझे कहने लग जायें कि मुझे बोलने का मौका दीजिये। बैठ जाइये, यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): × × ×

श्री अध्यक्ष: प्लीज, यह क्या बात हुई? (व्यवधान) आपको क्या तकलीफ है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): × × ×

श्री अध्यक्ष: अब आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपको क्या तकलीफ है? ...(व्यवधान)...

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): × × ×

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): × × ×

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): × × ×

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): × × ×

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): × × ×

श्री जुबेर खान (रामगढ़): × × ×

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मेरी विनती यह है कि जो कुछ भी घटना हुई, अगर माननीय सदस्य अपनी कोई बात रखते, बहुत अच्छा पर वो पार्टी रख रही है जिसने हमको 19 महीने तक बिना कारण से जेल में डाला। मैं पूछूं आपको? वो पार्टी वकालत कर रही है। हमारा गुनाह क्या था?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): × × ×

श्री अमराराम (धोद): × × ×

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय सदस्य, अगर कोई पीड़ा कहता, समझ में आ सकती है। वो माननीय सदस्य अगर अपनी कोई बात कहता, उस बात को समझ सकते थे लेकिन आप उसकी पैरवी कर रहे हो ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): × × ×

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) आपको यह अधिकार किसने दिया? आपने इमरजेंसी में हमें 19 महीने तक जेल में डाले रखा, हमारा गुनाह क्या था? हमको घर से उठा कर ले गये, 19 महीने तक, हमने कौनसा गुनाह किया था? हमने कौनसा अपराध किया था?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) यह किस कानून के तहत किया था आपने? किस कानून के अधिकारों में आपने किया था इमरजेंसी में? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): इमरजेंसी में एक-दो नहीं, कई लोगों को आपने 19-19 महीने तक जेल में डाले रखा। तब तो आपको शर्म नहीं आती थी ...(व्यवधान) माननीय सदस्य अपनी बात कहता, अपनी पीड़ा कहता ...(व्यवधान) इसकी पैरवी आपकी पार्टी करती है जिस पार्टी ने हमेशा जुल्म किया है वह पार्टी पैरवी करती है। (व्यवधान) माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, बोलें, उसे जवाब देंगे, कोई बात नहीं लेकिन आपकी पैरवी वो कर रहा है जिसने सारे हिन्दुस्तान को उस समय जेलखाना बना दिया था इमरजेंसी में, हजारों लोगों को बेगुनाह को डाला था, आप लोगों को बोलने का हक है क्या? (व्यवधान) बात करते हो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): केवल ऐसे ही ठोके जा रहे हो ...(व्यवधान) आप जब अपने पुराने दिनों को याद करते हुए चलो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): पुराना इतिहास भी साथ-साथ याद रखो ताकि बोलने के पहले आपके अन्दर की आत्मा आपको झकजोर सके कि आप क्या बोलना चाहते हो, किस पर आप आरोप लगाना चाहते हो। यह आरोप लगा रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): वो आरोप लगा रहा है जो स्वयं दोषी है ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सब खड़े हो जाओ ...(व्यवधान) क्या कहना चाहते हो? कानून के तहत किया। (व्यवधान) कानून के अनुसार किया। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

अनेक माननीय सदस्य:×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपको वकालत करने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं माननीय सदस्य बता सकते हैं क्या हुआ, आप काहे की वकालत कर रहे हो? अपने पुराने जमाने की वकालत करो ...(व्यवधान) किस बात की वकालत कर रहे हो?

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

अनेक माननीय सदस्य:×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): पहले पालन किया करो फिर बोलो। कांग्रेस ने पालन किया क्या? 40 साल तक इस प्रकार के जुल्मों को ...(व्यवधान)

(समय : 12.35 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

(भारी व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): केवल सरकार की कुर्सी बचाने के लिए ...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर):×××

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

अनेक माननीय सदस्य:×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपना स्थान तो ग्रहण कीजिए। नम्बर से लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। पहले जिनको बोलने का मौका दिया था, बोलने दीजिए आप। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य:×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। बोलने का मौका ...(व्यवधान)

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना): ×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। आप सब को बोलने का मौका दिया जायेगा, माननीय सदस्य। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

अनेक माननीय सदस्य:×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय आजाद साहब, बोलें। (व्यवधान)

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना):×××

अनेक माननीय सदस्य:×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय माहिर आजाद बोल रहे हैं। माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं। (व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर):×××

श्री मदन मोहन सिंघल (कामां):×××

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): नियमों में आप आओ, एक-एक सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन आप दूसरों की वकालत करके अपने पापों को नहीं छिपा सकते। आपको किसने अधिकार दिया है ...(व्यवधान) वो पार्टी कह रही है कि गिरफ्तार कैसे कर लिया, उनको कानून का पता इमरजैंसी में नहीं था क्या?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, ऐसे कुछ नहीं हो सकता।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है आपका।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है आपका। आप सदन का समय बर्बाद करना चाहते हैं। आप बैठ जाइये, माननीय माहिर आजाद स्थगन प्रस्ताव पर ...

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिये, माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी):×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य आप किस विषय पर बोल रहे हैं?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठिये आप। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने मोहम्मद माहिर आजाद का नाम पुकार लिया स्थगन प्रस्तावों के ऊपर। आप कृपया सुनिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर):×××

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री):×××

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ अंकित नहीं हो रहा। माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री):×××

डा. सुरेश चौधरी (भादरा):×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी):×××

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर):×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको बोलने का समय दिया जाएगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपको मौका मिले तब बोलें।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये, मोहम्मद माहिर आजाद। माननीय सदस्यगण, आप हाउस नहीं चलने देंगे कायदे से तो फिर यह अच्छी बात नहीं है, बिजनस तो किया जाएगा। मैं सबको मौका दे रहा हूं बोलने का। माननीय माहिर आजाद ...(व्यवधान) आपको किसने परमिशन दी बोलने की? नहीं, आप बार-बार खड़े हो जाते हैं यह अच्छी बात नहीं है। आप अपना स्थान ग्रहण करें । मैंने नाम पुकार लिया है आपके सदस्य का। आप बीच में कैसे ....

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा, समय बर्बाद कर रहे हैं।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। मैंने पुकार लिया, माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में खड़े हो जाते हो। नहीं, बीच में क्यों खड़े होते हो?

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में खड़े हो जाते हो, बोलने दो सदस्य को। जब मौका आएगा जब बोलना आप। नहीं, यह गलत बात है।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.50 बजे 13.20 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय : 13.20 बजे)

(पुन. समवेत होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सूचना

दूदू के साखण गांव में गायों की मृत्यु

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): पाइंट आफ आर्डर है उपाध्यक्ष महोदय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूदू तहसील के साखण गांव में कल रात को 36 गायें वहां के गऊचर में रात में किसी ने छोड़ दी जिसमें 26 गायें वर्तमान में मर चुकी हैं, 10 गाय जिन्दा हैं। उनमें कुछ गायें मरने की पोजीशन में हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाह रहा हूं कि हजारों लोग, जब लोगों ने यह सुना कि एक साथ 36 गायें और 26 मौके पर मरी हुई हैं। आस-पास के हजारों लोग वहां इकट्ठा हो गये हैं, मैं चाहूंगा इमीजिएट ऐसी व्यवस्था की जाए। लोगों को सांत्वना भी दी जाए और इसमें इमीजिएट कार्यवाही भी की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं ... (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

कामां नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पहले मेरा स्थगन हो जाए फिर आप पढ़ देना ... (व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आसन का बहुत-बहुत आभारी हूं कि इस बारहवीं विधान सभा के अंतिम सत्र में प्रथम अधिकृत वक्ता के रूप में मेरा नाम पुकारा गया।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): यह आपके लोग ही नहीं बोलने दे रहे थे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बैठे-बैठे मत बोलिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आपके लोग बोलने नहीं दे रहे थे उनकी निन्दा भी करो आप।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): किसकी?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अब तक सरकार को सद्‌बुद्धि नहीं आयी थी। अब सरकार को सद्‌बुद्धि आ गयी है इसलिये काम शुरू हो गया है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आप चले गये इसलिये शांति हो गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी और सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

मेरे जिले भरतपुर की कामां नगरपालिका की अध्यक्ष श्रीमती प्रवीण जिन पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लग रहे थे। कई बार सरकार को शिकायतें प्रेषित की गयीं। लेकिन इस भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार के कान में जूं ही नहीं रेंगी और कोई कार्यवाही नहीं की। आखिर मजबूरन लोगों ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दरख्वास्त दी और 6 जनवरी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कामां नगरपालिका की अध्यक्ष श्रीमती प्रवीण को श्री विक्की उर्फ कारे, पुत्र किशनलाल, निवासी सब्जी मंडी, कामां से अपने भाई की मार्फत पांच हजार रुपये की रिश्वत ली और रिश्वत को लेते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसके हाथ में से पांच हजार रुपये की राशि बरामद की। उसके हाथ धुलाये। उससे वह लाल पाउडर निकला और भ्रष्टाचार प्रमाणित होने के बाद 6 जनवरी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उसके खिलाफ एक मुकदमा संख्या 13/07 दर्ज कर लिया। इसके दो दिन बाद पुलिस अधीक्षक द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को उप महानिरीक्षक तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की रिपोर्ट पर इसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिये। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सरकार से कहा कि रंगे हाथों पकड़ी गयी है और मुकदमा दर्ज हो गया है। आपके कार्मिक विभाग का 10 अगस्त, 2000 का एक परिपत्र है जिसमें साफ लिखा गया है कि यदि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा किसी भी लोक सेवक को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया जाता है तो तुरन्त उसको उसके पद से हटा दिया जायेगा और सस्पैंड किया जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट राजस्थान सरकार को, स्वायत्त शासन विभाग को, निदेशक, लेखन एवं मुद्रण केन्द्रीय मुद्रणालय को राजपत्र के भाग 6 k में माननीय मुख्य मंत्रीजी के निजी सचिव को, माननीय स्वायत्त शासन मंत्री के निजी सचिव को, कलक्टर भरतपुर को, डी.आई.जी., एंटी करप्शन, एस.पी. एंटी करप्शन, एडिशनल एस.पी. एंटी करप्शन, डिप्टी डायरेक्टर लोकल बॉडी को और अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, कामां को यह सारी प्रतियां भेज दी गयीं। उसके बाद दो महीने तक राजस्थान सरकार उसको दबाये बैठी रही और इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। कई प्रतिनिधि मंडल मिले और खूब उन्होंने अपना निवेदन किया लेकिन सरकार तो यह

(मोहम्मद माहिर आजाद)

सोचती है पांच-पांच हजार करोड़ के जहां भ्रष्टाचार हो गये तो पांच हजार रुपये ही लिये इस अध्यक्ष ने तो कोई कार्यवाही नहीं की। जब ज्यादा जोर पड़ा तो 1 मार्च, 2007 को एक आदेश स्वायत्त शासन विभाग के उप सचिव ने निकाला, यह आदेश मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

आदेश, राजस्थान सरकार, स्वायत्त शासन विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर, राजस्थान द्वारा श्रीमती प्रवीण, अध्यक्ष नगरपालिका, कामां को परिवादी श्री विक्की उर्फ कारे, पुत्र किशनलाल, निवासी सब्जी मंडी, कामां से अपने भाई महेश के मार्फत पांच हजार रुपये की रिश्वत की राशि मांग कर और लेते हुए दिनांक 6 जनवरी, 2007 को रंगे हाथों पकड़कर गिरफ्तार किया जाकर अपराध संख्या 13/07 दर्ज किया गया है1 चूंकि श्रीमती प्रवीण के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण में जांच विचाराधीन है एवं श्रीमती प्रवीण के अध्यक्ष पद पर बने रहने से जांच प्रभावित किये जाने की सम्भावना है। अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 63(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्रीमती प्रवीण, अध्यक्ष नगरपालिका, कामां को अध्यक्ष एवं सदस्य पद से एतद् द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करती है। यह निलम्बित करती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज 1 मार्च, 2007 को बीते हुए कितना समय हो गया? सवा साल। सवा साल के बावजूद भी यह अध्यक्ष आज भी काम कर रही हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त इस अध्यक्ष को हटाकर किसी दूसरे को, उपाध्यक्ष को चार्ज नहीं दिया जाए। राजस्थान सरकार का इस भ्रष्ट और निलम्बित अध्यक्ष को पूरा सहयोग, आज भी पूरा संरक्षण मिल रहा है। कामां के लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। आज भी वहां लूट मच रही है। पैसे लेकर के सारे काम हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि फिर बंद कर दो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को, बंद कर दो सरकार के इन महकमों को, कानून बना दो भ्रष्टाचार का, रिश्वत लेने का। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, यह बात मैं पूरे मन से इसलिये कह रहा हूं कि इस सरकार से क्या गुहार करूं इसलिये मैं आपसे गुहार कर रहा हूं। यह पार्टी जो यहां शासन कर रही है इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय कैलाश मेघवालजी ने ... (व्यवधान) यह बात कही कि हमारी सरकार ने पांच हजार करोड़ रुपये खर्च किये ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, दो मिनट का समय दिया था यह काहे पर बोल रहे हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक लिमिटेड मामले के अन्दर इन्होंने अपना स्थगन दिया है, उनके स्थगन का जवाब देने के लिये तैयार हैं ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अगर आपकी पार्टी की नहीं है तो काहे को ... (व्यवधान) रिश्तेदार हैं ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ भी कह देते हैं ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपकी पार्टी के लोगों ने ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह तो कुछ भी कह देंगे ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): दो मिनट का समय मिला है, यह विषयांतर हो रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपने दो मिनट का समय दिया था, स्पेसिफिक एक विषय पर दिया था ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कनक्लूड कर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): काहे पर आरोप लगा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैं अलाऊ नहीं करूंगा दूसरी बात ...(व्यवधान) अब कनक्लूड करें ...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): विधान सभा में भाषण देने के लिए समय नहीं दिया है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप दूसरी फालतू बात नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): विधान सभा में भाषण देने का समय नहीं दिया है आपको ...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश के किसानों के गेहूं खा गये। शक्कर, तेल सब खा गये। 25-25 करोड़ रुपये दे रहे हो ...(व्यवधान) सौ चूहे खाकर के बिल्ली हज करने का चली। शर्म आनी चाहिये इनको। यह किसकी बात कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उलटा चोर कोतवाल का डांटे। उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र की सरकार पूरे देश को तबाह कर रही है। आज महंगाई के अन्दर पूरे देश की जनता मर रही है। वहां आज यह बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक मिनट, एक मिनट ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आधा मिनट में रख दूंगा, आधा मिनट में ...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, किसानों के गेहूं खा गये। (व्यवधान) खरीदकर के खराब गेहूं खिला रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, नगरपालिका चेयरमैन पर भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया है सरासर पार्टीबाजी के कारण नगरपालिका अध्यक्षा के ऊपर जो आरोप लगा है वह सरासर गलत है। राजनीति के कारण से, पार्टीबाजी के कारण से ...(व्यवधान) बिलकुल, सरासर गलत है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुनें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): आपने भ्रष्टाचार को सदाचार कर रखा है ...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): आप उससे गलत काम करवा रहे थे और उसने जब कहना नहीं माना तब जाकर उसको फंसाया गया है। तब जाकर के उसको फंसाया गया है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आपके सामने हुआ है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया है ...(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): आपका कहना नहीं मानने के कारण,

(श्री सांगसिंह भाटी)

अध्यक्षा ने जब कहना नहीं माना, गलत काम नहीं किया इसलिए इसमें फंसाया गया है ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): किसी कांग्रेस कार्यकर्ता को नहीं पकड़ा है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी विधान सभा का, कांग्रेस के चेयरमैन का मुद्दा उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं फलौदी चेयरमैन का एक मामला सदन के पटल पर रखना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने यह बात उठायी तो मैं इनके कांग्रेस के चरित्र को भी उजागर करना चाहता हूं ...(व्यवधान) फलौदी का वह चेयरमैन, कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन है जोशी जो यह देखिये समाचार-पत्रों में भी छपा है ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): उपाध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस पार्टी राजस्थान में भ्रष्टाचार का ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): फलोदी में, आपके विधान सभा क्षेत्र की नगरपालिका फलौदी का ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): उपाध्यक्ष महोदय, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता का घिनौना चरित्र ...(व्यवधान) घटिया चरित्र मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ऐसा व्यक्ति आज भी वहां का चेयरमैन है, फलौदी नगरपालिका का चेयरमैन है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विराजें माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास में एक सी.डी. भी है और उसका कच्चा चिट्ठा भी है ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): पार्टी से निकाल दिया फलौदी वाले को ...(व्यवधान) कांग्रेस तो ईमानदारों की पार्टी है ...(व्यवधान) पार्टी से निकाल दिया उसको ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपकी पार्टी का कार्यकर्ता इतना घटिया है, इतना घिनौना है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का घिनौना चरित्र मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं ...(व्यवधान) यह बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): इन्होंने पूरे देश को तबाह कर दिया है ...(व्यवधान) आज महंगाई के मारे पूरा देश त्राहि-त्राहि कर रहा है ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कितना घटिया चरित्र है ...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): 25-25 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कांग्रेस पार्टी के चरित्र पर काला धब्बा है ...(व्यवधान) कांग्रेस पार्टी में ऐसा व्यक्तित्व आज तक नहीं मिला ...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश को तबाह कर दिया ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कोई भी घटिया व्यक्ति नगरपालिका का अध्यक्ष रह सकता है क्या? (व्यवधान)

(समय 13.25 बजे)

(श्री शांतिलाल चपलोत, सभापति, पदासीन)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, इस देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रख रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह भरतपुर के सदस्य और पुष्कर के सदस्य किस मुंह से बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप, विराज जायें, ...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): पूरे देश के किसानों के गेहूं खा गये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं यह सदन को दिखाना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, आज इस देश के किसान लुट गये हैं ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैं आपकी पार्टी का चरित्र, यह चरित्र मेरे पास में सी.डी. में है ...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): देश के किसानों के गेहूं खरीद लिये, किसानों को लूट लिया, आज 25-25 करोड़ रुपये देकर के यह ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह कांग्रेस का चरित्र है ...(व्यवधान) इसलिए यदि आप इजाजत दें तो मैं आपके सामने यह सदन के पटल पर रखना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): पूरे देश के किसानों का गेहूं खा गये हैं यह ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें आप, विराजें आप माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): आज जनता त्रस्त है ...(व्यवधान) सभापति महोदय, आज जनता त्रस्त है महंगाई के मारे, 25-25 करोड़ रुपये सांसदों को दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें, माहिर साहब कनक्लूड करें ...(व्यवधान) माहिर साहब बात कह रहे हैं ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): इसी विषय में, एक मिनट, सभापति महोदय, मैं इसी विषय में बात कहना चाहता हूं, नगर से आने वाले माननीय सदस्य भ्रष्टाचार की बात बता रहे थे, उस भ्रष्टाचार के बारे में ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह ऊंचे मुंह से बोल नहीं सकते, इतना घटिया चरित्र है इनका और आप मुझे इजाजत दें तो मैं यह सदन के पटल पर रख दूं।

श्री सभापति: आप विराजें माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): सभापति महोदय, उस भ्रष्टाचार के बारे में मेरा कहना यह है कि ऐसी स्थिति पूरे राजस्थान में है ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, आप पुष्कर जैसे नगर से आते हो। पुष्कर जिसको पवित्र स्थान कहते हो और आपने उसको अपवित्र किया है ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): भ्रष्टाचार की सी.डी. को लेकर के जिस चेयरमैन को बर्खास्त किया है उसका पैसा कहां पहुंचा, यह पता नहीं है और पुष्कर नगरपालिका ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह पुष्कर का नाम इन्होंने घिनौना किया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आधा घंटा भाषण हो गया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय माहिर साहब कनक्लूड करें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उत्तर दिलावें, उत्तर दिलावें मंत्रीजी का, आधा घंटा भाषण दिया है इन्होंने ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आधे घंटे में कनक्लूड करें। (व्यवधान) आपके 12-14 मिनट तो चले गये ...(व्यवधान) 14 मिनट से ज्यादा बोला है आपने, प्लीज, कनक्लूड इट ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): सभापति महोदय, मेरा कहना यह है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, जो कहना था वह कह दिया ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह इनसे होने वाला नहीं है ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): इस सरकार की पहचान भ्रष्टाचार बन गयी है ...(व्यवधान) उस सरकार से न्याय की उम्मीद करना एकदम गलत है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें आप। बाहेती साहब, विराजें आप। (व्यवधान) बिराजें आप, लैट हिम कनक्लूड ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): पुष्कर नगरपालिका का चेयरमैन जिसके खिलाफ ए.सी.डी. में भ्रष्टाचार करने का ...(व्यवधान) कमीशन मांगा है, वह आज तक ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन का ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आधा घंटा बोल चुके हैं ...(व्यवधान) मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, इसका जवाब देने दो, इनको बैठायें, इनका विषय पूरा हो गया है ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस के समस्त सदस्यों को कि हिम्मत है तो फलौदी के बारे में एक शब्द भी बोलकर के दिखायें। यह कच्चा चिट्ठा है फलौदी का ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जरा बोलें ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मैं बोलता हूं ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): क्या बोलोगे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ...(व्यवधान) बोलना तो दूर की बात है, देखने की हिम्मत है क्या ...(व्यवधान) देखने की भी हिम्मत नहीं है आपके पास में ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): फलौदी के चेयरमैन को ...(व्यवधान) हां, बोल रहा हूं ना मैं ...(व्यवधान) पूरा सुनें आप ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं तो यह कह रहा हूं ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): फलौदी के चेयरमैन को कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: Now you are not allowed. Please sit down. बैठिये आप ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): उन्हें बाहर निकाल दिया है, यह इनको पता नहीं है इस बात का, वह चेयरमैन ही नहीं हैं ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपने क्या बाहर निकाला ...(व्यवधान) घड़ियाली आंसू दिखाते हो, कोई बाहर नहीं निकाला है ...(व्यवधान) उसके साथ में रहते हो ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): बाहर निकाल दिया है ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): साथ पीते हो, साथ खाते हो, साथ बैठते हो ...(व्यवधान) बाहर निकाल दिया, नाटक करते हो ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, विराजें आप ...(व्यवधान) आप भी बिराजें ...(व्यवधान) माहिर साहब, आधा मिनट में कनक्लूड करिये आप ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः Please make silence. साइलेंस, प्लीज, बिराजें आप ...(व्यवधान) Let him complete.

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि उस चेयरमैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों पकड़ने के बाद यह लिखा गया कि इनको तत्काल सस्पैंड कर दिया जाये जिससे जांच प्रभावित नहीं हो।

श्री सभापतिः वह आपने तीन-चार बार रिपीट कर दिया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप एक बार सुन तो लें, रिपीटिशन नहीं कर रहा हूं मैं ...(व्यवधान) सुन तो लें ...(व्यवधान) उसको यह रिपोर्ट देने के बाद दो महीने तक इसलिए सस्पैंड नहीं किया गया कि वह कोर्ट में चली जाये। वह कोर्ट में गयी और कोर्ट ने आदेश यह दिया कि "In my view a compliance of the provisions of section 63 of Article of 1959 is mandatory before..."

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पाइण्ट आफ आर्डर है मेरा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप सुन तो लें। माननीय सभापतिजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि जो मामला हाई कोर्ट ने निर्देशित किया है, जिस मामले में हाई कोर्ट ने यह निर्देशित किया है कि आप 63 के तहत पहले उस पर जाइए, उसके बाद उस सस्पेंशन की कार्यवाही करें। यह इनका व्यक्तिगत इण्टरेस्ट हो सकता है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरा कोई द्वेष नहीं है। भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हो। आप भ्रष्टाचार नहीं मिटाना चाहते हैं तो फिर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को बंद कर दो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, यहां कई बार सदन का इस प्रकार का दबाव और जो इस प्रकार का अन्याय करवा देता है जिसके कारण कोर्ट में, जिस कोर्ट ने यह कहा है ...(व्यवधान)।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लेट मी कम्प्लीट। माननीय सभापति महोदय, हाउस का फ्लोर मेरे कब्जे में है, मुझे पहले कम्प्लीट करने दीजिए आधा मिनट में मेरा, उसके बाद इनको बोलने दीजिए। यह क्या तरीका हुआ? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): चिड़ावा नगरपालिका का चेयरमैन सस्पैण्ड नहीं किया है? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, हाई कोर्ट ने डाइरेक्शन दे दिए, उसको यह प्रभावित कर रहे हैं, यह नहीं बोल सकते उसके बारे में।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय मुख्य सचेतक महोदय, आपको मालूम नहीं होगा, चिड़ावा नगरपालिका का चेयरमैन ...(व्यवधान) पकड़ा गया, जेल गया, आपने उसको सस्पैण्ड नहीं किया। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। कामां की बात है, आप कहां चिड़ावा पर आ गए? लेट हिम कनक्लूड।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं केवल वहां की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप कम्प्लीट कर लें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय मंत्रीजी, एक मिनट, एक प्रश्न कर लूं फिर आप जवाब देना। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप कम्प्लीट कर चुके।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने अभी डिमाण्ड ही नहीं की।

श्री सभापति: आप कृपया कम्प्लीट करें। (व्यवधान) आप इनको कम्प्लीट करने दें।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आपकी पत्नी प्रधान है वहां पर। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप कृपया कम्प्लीट करने दें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप इनको बैठाओ तो सही।

श्री सभापति: इन्होंने बात कह दी, नई बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आसन ने नगर से आने वाले माननीय सदस्य को दो मिनट में विषय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वस्तु रखने के लिए समय दिया। दो मिनट की जगह 40 मिनट से ये लगातार बोल रहे हैं और विषयान्तर हो रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 40 मिनट, ओ हो। इतना तो हाउस को शुरू हुए नहीं हुआ, एडजोर्नमेंट के बाद।

श्री सभापति: प्लीज कनक्लूड इट, आप कोई भी एक्सपर्सन दे रहे हैं तो आप क्यों बोल रहे हैं? आप इनको कम्प्लीट कर दें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि कोर्ट ने यह निर्देश दिए कि "In my view compliance of the provisions of section 63 of the Act of 1959 is mandatory before passing the suspension order. After completion of preliminary enquiry, show cause notice is mandatory and unless the same is given, there can not be…" (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह पक्ष में कर रहे हैं या विपक्ष में? माननीय सभापति महोदय, इतनी देर में पैंतरा बदल दिया, पहले खिलाफ बोल रहे थे, अब पक्ष में बोलने लग गए। (व्यवधान)

श्री सभापति: हां, आप बोलिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं यह निवेदन कर रहा हूं राजस्थान सरकार से और मंत्रीजी से, मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर आप भष्टाचार को समाप्त करना चाहते हो और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हो तो डेढ़ साल में आपकी प्रारम्भिक जांच क्यों नहीं हुई? प्रारम्भिक जांच करके आप इस चेयरमैन के खिलाफ कब कार्यवाही कर देंगे यह सदन को आप अवगत कराएं, यह मेरा सवाल है।

श्री सभापति: विराजिए। (व्यवधान) आपको कुछ कहना है?

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी जो कामां नगरपालिका की अध्यक्षा के खिलाफ क्वेश्चन उठाया है, मेरा निवेदन माननीय सदस्य से इतना ही है कि आपकी यह बात सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह भी बात सही है कि 1 मार्च, 2007 को राज्य सरकार ने उसको निलम्बित किया है। परन्तु उस आदेश के खिलाफ जो अध्यक्षा हैं कामां नगरपालिका की वह हाई कोर्ट में गईं और हाई

(डा. सुरेन्द्र गोयल)

कोर्ट से उस आदेश को निरस्त करवा दिया। जब हाई कोर्ट से वह आदेश निरस्त हो गया उसके बाद राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। मेरा निवेदन अब आपसे इतना ही है कि इसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अपनी कार्यवाही कर रहा है, चाहे एफ.आर. लगेगी या चालान करेंगे, एक तो यह बात है और दूसरी, नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 63 के तहत न्यायिक जांच करने के आदेश राज्य सरकार ने दे दिए हैं और चूंकि, दोनों जांचे साथ-साथ चलाकर कोई फैसला नहीं किया जा सकता इसलिए ज्यों ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच का फैसला आ जाएगा उसके बाद उसको वापस जो स्थिति होगी उसके हिसाब से व्यवस्था की जाएगी।

श्री सभापति: माननीय अमरारामजी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक मिनट, एक मिनट।

श्री सभापति: नो, नो। अमरारामजी, अमरारामजी। (व्यवधान) नो, नो, नो, माहिर साहब विराजिए। (व्यवधान) अमरारामजी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हाई कोर्ट का आदेश निरस्त नहीं किया, मैं इसको टेबल कर सकता हूं, निरस्त नहीं किया।

श्री सभापति: नो, नहीं। मंत्रीजी ने जवाब दे दिया। (व्यवधान) नो, नो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उन्होंने यह कहा है कि प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करके कार्यवाही करें। आपने विभागीय जांच के आदेश ही नहीं दिए। आज तक जांच के आदेश नहीं दिए। आप विभागीय जांच क्यों नहीं करा रहे हो? (व्यवधान)

श्री सभापति: नो, नो। This is not allowed. This is not the ground of the discussion now. The matter ends. अमरारामजी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): और आज तक वह काम कर रही हैं वहां पर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो क्या कर रहा है इसमें? माननीय सभापति महोदय, आज जांच के आदेश ही नहीं दिए, सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री सभापति: नो, नो, कानून में अधिकार हैं, वह करें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): ... (व्यवधान) न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कौन हैं जांच अधिकारी बताइए?

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): जी.डी. आर., जयपुर को।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जांच अधिकारी कौन हैं?

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): जी डी आर, जयपुर हैं।

श्री सभापति: आप बाद में बात करते रहना, दूसरों का समय जाया मत करो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कितने दिन में हो जाएगी जांच?

श्री सभापति: विराजिए, मिनिस्टर साहब। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, यह बहस का विषय नहीं है। इस पर वाद विवाद नहीं हो सकता। (व्यवधान) इस पर किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं हो सकता, इस पर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराज जाएं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): दोनों जांच एक साथ नहीं चल सकतीं।

श्री सभापति: मंत्रीजी, आपने अपना खतम कर दिया, दैट्स आल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): इसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का फैसला आने के बाद उस पर खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नई सरकार हमारी बनेगी तो हम करेंगे।

श्री सभापति: अमरारामजी।

राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना में कार्यरत मजदूरों को समय पर भुगतान व कार्यस्थल पर सुविधाओं का अभाव

श्री अमराराम (धोद): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना ...

श्री सभापति: तीन-तीन मिनट समाप्त करें प्लीज। कोई बीच में नहीं बोलें, नो टोकाटाकी।

श्री अमराराम (धोद): राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी कानून, 2005 जो लम्बे समय से देश और प्रदेश की जनता के मांग के आधार पर 2005 रोजगार गारण्टी कानून बना। इसमें 100 दिन का रोजगार देने के लिए सरकार बाध्य है और राजस्थान के तमाम जिलों में 1 अप्रैल, 2005 से गारण्टी कानून लागू है और इसमें अधिकतर 90 प्रतिशत वे महिलाएं हैं, जहां महिलाओं की बहुत बड़ी बातें की जा रही हैं लेकिन जहां तक बार-बार यहां से निर्देश भी राज्य सरकार की ओर से निकाले गए हैं लेकिन जिस प्रकार से नीचे के स्तर पर टास्क को लेकर जिस तरह की बेइमानी की जा रही है, मुख्य मंत्री महोदया के निर्देश निकले हैं, यह हर टास्क पर हर मजदूर तक पहुंच जाए। पंचायत समिति बाकायदा पर्चे छाप कर हर कार्य स्थल पर बोर्ड लगाकर यह सब निर्देश देने के बाद में भी आज भी जिस तरह से जितना टास्क सरकार के द्वारा तय किया गया है उससे ज्यादा टास्क प्राप्त करने का मकसद एक ही है कि वह फर्जी लोग उसमें शामिल किए जा रहे हैं, उन लोगों से जितना टास्क दिया गया है उससे अधिक टास्क पूरा करवाया जा रहा है और उन फर्जी लोगों को जो काम पर नहीं आते हैं और केवल मस्टरोल में है, क्योंकि अगर बोर्ड लगाते, पर्चे जाते तो मैं समझता हूं कि उस टास्क को जो सरकार ने नियम किया था उससे ज्यादा कोई नहीं करा सकता था। आज भी बहुत सी जगह और सबसे ज्यादा भयंकर टास्क अधिक लिया जा रहा है, दो-दो महीनों से सभापति महोदय, एक गरीब परिवार की महिला सुबह से लेकर दो बजे तक मिट्टी निकालती है और उसको दो महीने तक चार-चार मस्टरोल पूरे होने के बाद भी केवल बहाना यह बनाया जाए कि पोस्ट आफिस जा रहा है, बैंक में जा रहा है, जबकि पैसा, मैं समझता हूं कि एक भी जिला कलक्टर नहीं होगा जिसमें रोजगार गारण्टी का पैसा कलेक्ट्रेट में नहीं पहुंचा हो, पैसा पहुंचने के बाद उन मजदूरों को, इस गर्मी में, भयंकर मेहनत और पसीने की मेहनत करने के बाद दो-दो महीने तक मजदूरी नहीं मिले, जहां राजस्थान के 7 लाख कर्मचारियों को मिल जाए, आप और हमको महीने के दिन मिल जाए और उन गरीबों को जो इस रोजगार गारण्टी योजना में सुबह से लेकर दो बजे तक अपना पसीना बहाता है और उसको दो महीने तक पेमेंट नहीं हो, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा विफलता राजस्थान सरकार की नहीं हो सकती।

(श्री अमराराम)

जहां तक वहां की सुविधाओं का सवाल है, आज तक भी पांच साल से छोटे बच्चे लेकर महिलाएं जाती हैं, बहुत से दैनिक अखबारों में आपने देखा होगा कि किस तरह से कपड़े में बांधकर वह महिलाएं, जबकि शुरू होते ही जो पांच साल से छोटे बच्चे लेकर कोई महिला जाती है उसके लिए पानी की व्यवस्था हो, ठण्डे, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, छाया की व्यवस्था हो, जिस तरह के सामान की खरीद की गई है, मैं समझता हूं कि एक भी सुविधा अधिकतर जगह आज भी वह सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं और जहां सबसे पहले से 2006 से लागू हैं, वहां भी आज तक जो औजार सरकार को खरीद कर देने चाहिए थे, गैंती, फावड़ा और तगारी आज तक भी तीन साल से जहां लागू है वहां भी डूंगरपुर, उदयपुर में आज तक भी सामान खरीद कर नहीं दिया गया है।

मैं समझता हूं उनके साथ यह ज्यादती हो रही है, सुविधाएं नहीं देकर हो रही है और मैं समझता हूं उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। कोई भी काम करते हुए श्रमिक की कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाती है तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। उस मजदूर के परिवारजनों को मात्र 25 हजार सहायता के रूप में दिया जाएगा, जबकि आज राजस्थान में जो भैंस बिकती है उसकी कीमत भी 25 हजार से ज्यादा है। राजस्थान सरकार को केन्द्र सरकार के पास यह प्रस्ताव भेजना चाहिए, आज दो-दो महीने से नहीं है। साफ प्रोविजन है कि 15 दिन का काम पूरा होने के बाद 7 दिन के अन्दर भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन नीचे के स्तर पर जो हो रहा है मैं समझता हूं सरकार इसको निश्चित रूप से दिखाए।

श्री सभापति: विराजें आप।

श्री अमराराम (धोद): सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने टास्क दे दिया, आपने समय दे दिया, जितनी नपती आपने दी अगर वह ग्रुप है या इंडिविजुअल है, अगर उसने 12 बजे काम पूरा कर लिया तो फिर क्यों उसको 2 बजे तक 2 घंटे तक उसकी जेल की जा रही है। जब आपने टास्क दे दिया कि इतनी मिट्टी खोदकर दी जा रही है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो आपने जो निर्देश निकाले हर कार्यस्थल पर बोर्ड लगाने का, पर्चे छापकर हर मजदूर को उसकी जानकारी देने का और समय पर पेमेंट हो और काम पूरा होने के बाद उसको जेल के रूप में 2 बजे तक गर्मी में नहीं बिठाया जाए ..(व्यवधान)

श्री सभापतिः विराजिए आप।

श्री अमराराम (धोद): इन बातों पर सरकार विचार करेगी?

श्री सभापतिः विराजें आप।

श्री अमराराम (धोद): यह लाखों लोगों का मामला है। (व्यवधान) सुविधाओं के नाम पर नीचे के स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उसको रोका जाना चाहिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय सभापति महोदय, रोजगार गारंटी योजना में 200-250 ..(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय सभापति महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था, मुझे भी बोलने पर व्यवस्था दी गई थी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि कोई बात रह जाए तो आप ..(व्यवधान)

श्री सभापतिः एक सेकण्ड। बोलो आप।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय सभापति महोदय, आपसे मेरा आग्रह है कि पिछले दो साल से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में 6 जिलों को चयनित किया गया था। इसमें बांसवाड़ा जिला सम्पूर्ण रूप से ट्राइबल सब प्लान में आता है और पिछले 3-4 महीने से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी का काम चल रहा है वहां पर बार-बार जिला कलक्टर के ये निर्देश मिल रहे हैं जब तक मजदूर अपने बैंक में खाता नहीं खोलेगा तब तक उनका भुगतान नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या अप्रैल, मई, जून तीन महीने निकल गये आज दिन तक बांसवाड़ा जिले के किसी भी मजदूर का भुगतान नहीं किया जा रहा है और कलक्टर यह कह रहे हैं कि हमें भारत सरकार से जब तक निर्देश नहीं मिलेगा तब तक हम भुगतान नहीं करा सकते। आज हालत यह है कि वहां पर वर्षा हो गई है, लोग खाद-बीज के लिए मोहताज हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी, आप बहुत ही जल्दी व्यवस्था करें वरना वहां पर काश्तकारों की हालत खराब हो रही है। ऐसे समय में भारत सरकार अपना निर्देश देगी, लेकिन राजस्थान सरकार के माध्यम से राहत मिलनी चाहिए और अविलम्ब भुगतान की व्यवस्था कराएं।

श्री सभापतिः विराजिए आप। विराजें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि मेरा भी स्थगन था ..(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर भी व्यवस्था दी हुई है।

श्री सभापति: इस पर क्या कहना चाहते हैं? डिबेट की बात नहीं है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जो धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा और माननीय सदस्य ने कह दिया मैं वह बात नहीं कहूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रावधानों के मुताबिक जहां पर मौके पर काम हो रहा है वहां बोर्ड लगाने, पानी की टंकियों की व्यवस्था करने, पालनों की व्यवस्था करने, औजार सप्लाई करने, औजार खरीदे गये हैं फावड़ा, पराती, गेंती वगैरह। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा लक्ष्मणगढ़ (अलवर) पंचायत समिति का, उसमें दो करोड़ रुपया शुरू में आबंटित हुआ, उसमें से एक करोड़ रुपये का सामान खरीदना था। उसमें सामान का नाम दिया हुआ है डिस्प्ले बोर्ड।

श्री सभापति: यह इतना नहीं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आज तक भी मौके पर न एक भी टेंट है .. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह बहस ही चालू हो गई।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कोई सामान वहां नहीं है, मेडिकल किट नहीं है।

श्री सभापति: आप विराजें। विराजें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): छाया के लिए इंतजाम नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: कह दिया ना इन्होंने। बात कह दी उन्होंने। (व्यवधान) अमरारामजी ने सारी बात कह दी। विराजें आप।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जो व्यवस्था अधिकारियों को करनी थी .. (व्यवधान) आपने जिला स्तर पर जो परचेज किया उमसें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: नेक्स्ट, बृजकिशोरजी। Please sit down. विराजें आप। बृजकिशोरजी शर्मा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मजदूरों के लिए मौके पर कोई सामान नहीं पहुंचता। सभापति महोदय, यह व्यवस्था कराएं।

श्री सभापति: विराजिए आप। क्या डिस्कशन कर रहे हैं आप?

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सामान की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री सभापति: आपकी बात पहुंच गई। विराजिए आप।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर टंकियों की व्यवस्था नहीं है।

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): सभापति महोदय, नरेगा योजना में भारी भ्रष्टाचार यह सरकार कर रही है। गरीबों को मजदूरी नहीं मिल रही है।

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): यह सरकार भ्रष्टाचार में नरेगा योजना का भी पैसा खा रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, मजदूरों को जो भुगतान मिलना चाहिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, इस योजना में भी भारी भ्रष्टाचार सरकार करवा रही है। सभापति महोदय, इस योजना में भारी भ्रष्टाचार है।

श्री सभापति: विराजिए आप। हो क्या रहा है यह? आपने फावड़ा, फावड़ा, 10 बार कह दिया। विराजिए आप। (व्यवधान) आप विराजिए।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): जान-बूझकर काम करने के बाद .. (व्यवधान) केन्द्र सरकार की योजना है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराज जाओ।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): यह राहुल गांधी की देन है। इस योजना को सरकार फेल करने में लगी हुई है।

श्री सभापति: अभी दो बजने को आ गये हैं। (व्यवधान) बृजकिशोर जी शर्मा, आप कुछ कहना चाहते हैं? मंत्रीजी, आपको कुछ कहना है? इसीलिए इनको तूल मिल रहा है। विराजिए आप।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, ये सुनें तो मैं कहूं। अगर ये सुनें तब तो मैं कुछ कहूं।

श्री सभापति: मंत्रीजी कह रहे हैं, आप सुन लें।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ये सुनना नहीं चाहते।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): शामिल कर लिया आपने गरीबों को भी।

श्री सभापति: आप एफ.आई.आर. दर्ज करा देना। ये सब सुन रहे हैं। मंत्रीजी, विराजिए आप। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): पूरे टास्क करने के बाद 6 रुपये आ रहा है, कहीं-कहीं तीन रुपये आ रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापतिः प्लीज। आपने अपना कथन कह दिया। बैठिए आप।

श्री अमराराम (धोद): मैं समझता हूं यह जो भ्रष्टाचार की स्थिति है ..(व्यवधान)

श्री सभापतिः विराजिए अमरारामजी, आपने अपनी बात कही दी। मंत्रीजी कोई जवाब दे रहे हैं। प्लीज। प्लीज सिट डाउन।

श्री अमराराम (धोद): मैं यह कह रहा हूं कि टास्क पूरा करने के बाद भी उन लोगों को ..(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वह बात तो कह दी। अब आप सुन रहे हैं तो मैं कहूं ..(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): क्या मंत्री महोदय, वहां दुबारा चैक कराकर ऐसे दो-तीन उदाहरण पेश करेंगे।

श्री सभापतिः आप उनकी बात तो पहले सुनें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): सभापतिजी, आप यह भी बता दें कि जिन मजदूरों को मजदूरी लेट मिल रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): वह सारी बता रहा हूं। आप विराजें, सब बता रहा हूं। आप विराजें, सब बता दूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: ऐसे तो सब जगह का डिस्कशन थोड़े ही होगा।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): एक ग्रुप में 5 आदमी हैं ..(व्यवधान)

श्री सभापति: रोजगार गारंटी योजना सभी जगह चल रही है, सभी बोलना चाहेंगे क्या? उन्होंने अपनी बात कह दी है। अमरारामजी ने बोल दिया, आपकी भावनाएं बता दीं। माननीय मंत्रीजी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): इनके समय में परिवर्तन कर दिया है उसके बारे में भी आप जवाब दें।

श्री सभापतिः आप विराजें।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापतिजी, इनको बिठाएं। यह कोई वाद-विवाद का विषय है? अमरारामजी ने विषय रख दिया, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री सभापतिः विराजें आप।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): अब इस पर वाद-विवाद होगा क्या?

श्री सभापतिः विराजें आप।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, यह तो कोई तरीका नहीं है। सुनना ही नहीं चाहते।

श्री सभापतिः मंत्रीजी की तो बात सुनें आप। मंत्रीजी।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): एक बात बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री सभापतिः मंत्रीजी, आप कुछ नहीं कहना चाहते? आप बोल रहे हैं तो बोलो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, सदन के अन्दर एक सवाल खड़ा हुआ, मंत्री महोदय अपनी बात कहना चाहते हैं, यह एकतरफा थोड़े ही चलेगा। मंत्री महोदय की बात सुन लें, फिर कोई सवाल होगा तो कर लें। मंत्री महोदय के कहने के बाद बता दीजिए।

श्री सभापतिः मैं यही कह रहा हूं पहले मंत्रीजी की बात सुन लें। यदि हो तो फिर बात करेंगे। माननीय मंत्रीजी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह परम्परा ठीक नहीं है। जब भी प्रतिपक्ष के नेता खड़े होते हैं ये संसदीय मंत्रीजी खड़े हो जाते हैं बीच में और डाइवर्ट करते हैं। यह परम्परा ठीक नहीं है।

श्री सभापतिः विराजें आप। (व्यवधान) आप विराजें। मंत्रीजी।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता को बिठाया जाए ताकि मैं कुछ बोल सकूं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): मेरी बात का मंत्रीजी जवाब दे दें।

श्री सभापतिः बोलो ना आप जल्दी। बोलते तो हो नहीं आप। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय राठौड़ साहब ने नियमों की बात कही है, सही बात कही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोला ना, क्या कहना है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है स्थगन प्रस्ताव पर सदन में अगर इस तरह की चर्चा प्रारम्भ हो जाए, वाद-विवाद प्रारम्भ हो जाए और स्थगन प्रस्ताव पर आपने अनुमति दी, आपने धोद से आने वाले माननीय सदस्य को अनुमति दी, उन्होंने अपनी बात कह दी, मंत्रीजी उसका उत्तर देते। यह थोड़े ही है रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य खड़े हो गये, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, सारे बोलना चालू कर देंगे।

श्री अमराराम (धोद): पूरे दिन मजदूरी करने के बाद 6 रुपया .. (व्यवधान)

श्री सभापति: हो गई ना आपकी बात। विराजिए आप। आप कोई बात कह रहे हैं, आपकी बात सुन लें।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहता हूं बाड़मेर जिले में ग्राम पंचायत मंगली की बेरी है जो मेरे विधान सभा क्षेत्र का गांव है ..(व्यवधान)

श्री सभापति: आप सारे राजस्थान के नेता हैं और एक मंगली की बेरी का ले आये आप। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जो मुझे जानकारी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: फरमाओ आप। बोलने दो।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जो मेरे क्षेत्र में हुआ वही सब जगह हो रहा है उसमें ...(व्यवधान)

श्री सभापति: फरमाएं आप, फरमाएं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उसमें सारे राजस्थान की बात आ जाएगी।

श्री सभापति: हां, फरमाएं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मंगले की बेरी पंचायत में 3 हफ़्ता काम चला, 3 पखवाड़े और 3 पखवाड़े की मजदूरी 12 रुपये आई, तीनों पखवाड़ों की, पहले 73 रुपये थी लास्ट में, तीसरा पखवाड़ा है उसमें मजदूरी की दर सौ रुपये हो गई, सौ रुपये की मजदूरी की दर। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हफ़्ता या पखवाड़ा ?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पखवाड़ा 15 दिन का ही मस्टर-रोल है इसमें।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): पखवाड़ा 15 दिन का होता है और हफ़्ता सात दिन का ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, यह सब ज्यादा स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। Please don't waste House's time. It is very precious. बैठिए आप।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पहले दो पखवाड़ों में 73 रुपये मजदूरी की दर थी तब भी 12-12 रुपये और तीसरे पखवाड़े में सौ रुपये मजदूरी की दर हो गई तब भी 12 रुपये, अब मतलब बताइए आप, उन्होंने कोई फिक्स कर दिया 3 का पहाड़ा, कभी 11 आते हैं, कभी 12 आते हैं, कभी 13 आते हैं तो समझ लो सौ रुपये है तो भी 12 और 73 रुपये की दर है तो भी 12, इसका मतलब इन्होंने यह तय कर लिया कि इनको 12 रुपये देने हैं, चाहे सौ रुपये मजदूरी हो, चाहे 73 रुपये हो और मैंने उसके बाद में लिखित में कलक्टर को यह मेरी तरफ से पत्र लिखा लेकिन आज दिन तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई, कोई उसकी दुबारा नाप नहीं हुई।

श्री सभापति: विराजिए आप, हो गई बात आपकी।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): और कोई उनकी मजदूरी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया।

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): तो बताइए, सभापति महोदय, आज प्रतिपक्ष का नेता लिख कर के दे और जो स्थिति मैंने आपके सामने वर्णन की तो फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की योजना है, इसका हाल क्या है, यह किसके भरोसे है, इसको कौन ठीक ढंग से चलाएगा? (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी ...(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): माननीय प्रतिपक्ष के नेता, जमीन का कौन नाप करता था आपको तो पता ही है न ? (व्यवधान)

श्री सभापति: पहले मंत्रीजी की बात सुन लें आप, ...(व्यवधान) कोई टोका टोकी नहीं होगी बीच में । (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): आपके यहां जे.ईएन. कौन था, कौन अधिकारी था, सब को पता ही है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (पर्यटन एवं आबकारी मंत्री): आप देखिए, आरोप लगा रहे हैं यह सब, सत्यानाश किया इस व्यवस्था का जब अशोक गहलोत की सरकार थी फेमिन के अन्दर मौके पर लोग जाते ही नहीं थे ...(व्यवधान) कि साहब, हमारा तो मस्टर-रोल में नाम लिख रहा है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पूरे राजस्थान को बरबाद कर दिया है ...(व्यवधान)...

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप तो नरेगा में काम मत करिए, सौ रुपये ले जाइए ...(व्यवधान) यह कांग्रेस वाले अमरारामजी से ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): सभापति महोदय, यह कांग्रेस की देन है ...(व्यवधान) यह काम करने नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको सौ रुपये दिलवाए जाएं ...(व्यवधान) जगह-जगह धरने और प्रदर्शन ये कांग्रेस वाले कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): सारे राजस्थान में भ्रष्टाचार का, इन्होंने भट्ठा बैठा दिया राजस्थान का ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): इन्होंने कौन सी तारीख तक का भुगतान कर दिया, पूछो इनसे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बैठो आप। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): पूरे राजस्थान का गरीब मर रहा है।

श्री सभापति: विराजो आप, ...(व्यवधान) आप बैठिए प्लीज।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, गहलोत सरकार ने गरीब को पाला।

श्री सभापति: आये दिन आप बार-बार खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): गहलोत सरकार ने गरीब को पाला, उसका यहां भट्ठा बैठा दिया। (व्यवधान) आप लोग लूट रहे हो उस गरीब को...(व्यवधान)... आप खा रहे हो लूट कर के (व्यवधान)

श्री सभापतिः मंत्रीजी को बोलने दो ...(व्यवधान) सरकार को जवाब दे देने दो ...(व्यवधान) मंत्रीजी, आप बोलिए न ...(व्यवधान) मंत्रीजी, आप बोल नहीं रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ये बोलने दें तब बोलूं न ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः हां, बोलें। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, राजस्थान में रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई ...(व्यवधान) और पहले 6 जिले लिये गये थे ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप विराजिए।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, फर्जी बिल बना रहे हैं, फर्जी बिल ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः बैठिए आप ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): पैसा केन्द्र सरकार का है, केन्द्र सरकार के पैसे से भी टाइम पर भुगतान नहीं कर पा रहे हैं ...(व्यवधान) केन्द्र सरकार के पैसे से भी ये लोग भुगतान नहीं कर पा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः माननीय मंत्रीजी ...(व्यवधान) विराजिए, विराजिए।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): यह बात कर रहे हैं राजस्थान की ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह सरकार पूर्णतया असफल है रोजगार गारंटी योजना के काम में ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः आपकी रोज आती है बात ...(व्यवधान) बैठ जाएं आप।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): राजस्थान की जनता के साथ सरकार मस्टर-रोल का पहले आदिवासी क्षेत्र में प्रतापगढ़ जिले में भी हुआ है ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः प्लीज आप बैठिए ...(व्यवधान)... पहले आप बैठ जाएं। (व्यवधान) प्रकाश चन्द्रजी, बैठिए आप ...(व्यवधान) बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य, आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी): सभापति महोदय, मैं तो खाली मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): इस सरकार को नरेगा के मामले में केन्द्र सरकार ने प्रमाण पत्र दिया है कि सबसे अच्छा काम नरेगा का राजस्थान में हो रहा है, इस बात का प्रमाण-पत्र केन्द्र सरकार ने दिया है। (व्यवधान)

श्री सभापतिः this is not a torture chamber. ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह बात भाटी साहब को समझाओ, हमको मत समझाओ, यह बात भाटी साहब को समझाओ, हमें मत समझाओ। अच्छा काम कर रहे हैं तभी पार्टी ने दिया है इनाम आपको भाटी साहब। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (राज्य मंत्री, गृह): जब सौ रुपये थे 55 रुपये आए लेकिन माननीय प्रतिपक्ष के नेता के यहां अधिकारी जो लगे हुए थे उन्होंने नाप सही नहीं किया ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः विराजो आप।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पहले अधिकारी आपके लगाए हुए थे, आपने जान-बूझकर ऐसे अधिकारी लगाए हैं, उन लोगों को कम मजदूरी देने के निर्देश आप लोगों ने दिये ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः अमरारामजी, विराजिए।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): गहलोत सरकार के समय में 60 रुपये मजदूरी मिलती थी ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः आपको काम चाहिए, लोगों को काम चाहिए। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): और मजदूरी की दर भी 60 रुपये थी, गरीबों को पाला है ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः आप विराजिए ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अकाल के समय लोगों के घरों में अनाज दो-दो साल में खाया है लोगों ने ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः आप विराजें ...(व्यवधान) माननीय अपोजीशन के नेताजी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विराजिए आप। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पता लग जाएगा। अभी भाटी साहब को तकलीफ हो रही है कि 12 रुपये ही देंगे, सौ रुपये केन्द्र सरकार दे रही है, यह चुनाव में पता लग जाएगा। (व्यवधान)

श्री सभापतिः विराजिए आप, हो जाएगा। (व्यवधान) पहले बोलने दें आप मंत्रीजी को। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): राजस्थान के खून-पसीने की, किसानों की कमाई है ...(व्यवधान) राजस्थान को प्रथम बताया भारत सरकार ने ... (व्यवधान) अभी कहा है कि राजस्थान प्रथम है नरेगा में ।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): सभापति महोदय, दो मिनट का समय दें मुझे।

श्री सभापति: विराजिए, प्लीज बैठिए ।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, राजस्थान में जब से रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई ... (व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज, बैठिए। आप पहले मंत्रीजी को सुन लें।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम को लेकर कुछ सदन में बातें रखी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं ... (व्यवधान) कृपया, एक बार शांति रखें। (व्यवधान) सभापति महोदय, जब से राजस्थान में यह योजना शुरू हुई और इतनी अच्छी योजना, इसको प्रभावी ढंग से राजस्थान सरकार ने लागू किया है कि जिसके कारण से राजस्थान की रैंक इस योजना में प्रथम स्थान पर है पूरे हिन्दुस्तान में और मैं यह नहीं कह रहा हूं, राजस्थान की इस योजना की सफलता के लिए केन्द्र सरकार स्वयं प्रधानमंत्रीजी तक ने भी यह कहा कि राजस्थान इस योजना में रोल मॉडल बन चुका है और अन्य राज्यों को भी इससे, राजस्थान पैटर्न अपनाना चाहिए...(व्यवधान) आप बैठ जाएं, आप बैठिए, सुनिए ...(व्यवधान) आप बैठिए। (व्यवधान) मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (धोद):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक):×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री सभापति: पहले आप सुन लीजिए मंत्रीजी को ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मुझे समझ में नहीं आता, केन्द्र में सरकार कांग्रेस पार्टी की है, केन्द्र की सरकार में प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के हैं, रूरल डवलपमैंट मिनिस्टर भी कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं, या नहीं तो जनता दल, वह लालू प्रसाद यादव की पार्टी से हैं और कम्युनिस्ट पार्टी भी उस सरकार का सहयोग कर रही थी अब तक, अब मुझे समझ में नहीं आया कि वह कहते हैं कि वह काम बहुत अच्छा है, राजस्थान का हिन्दुस्तान में सर्वश्रेष्ठ कार्य है और बार बार वहां के मंत्री महोदय यहां पधारे, योजना आयोग के मेम्बर यहां आए, उन्होंने जांच की, सोशल आडिट करवाए, गांव-गांव में जाकर के सोशल आडिट हुई, सब कुछ होने के बाद भी राजस्थान को अव्वल नम्बर पर माना व अच्छा कार्य माना।

इसके अलावा, सभापति महोदय, राजस्थान में अभी जहां कह रहे हैं कि टास्क कम बैठ रही है, पैसा कम मिल रहा है, मेरा निवेदन है कि राजस्थान में आज भी जितना पैसा औसत जो है वह प्रति मजदूर लगभग 85 रुपये दे रहे हैं, हिन्दुस्तान 88, अभी लेटेस्ट आंकड़ों में 88 रुपये है आज हिन्दुस्तान में, और कोई राज्य नहीं जहां इतना ज्यादा पैसा मिल रहा हो। ताज्जुब की बात यह है कि हम इसको सब जगह भेजते हैं जहां पर काम चल रहा है, वहां बोर्ड भी लगाया उसमें यह लिखा कि कितना काम करने पर कितना पैसा मिलेगा, फुल सौ रुपये में कितना टास्क होगा ...(व्यवधान) सुन लो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिए आप। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री सभापति: नो, नो। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक):×××

श्री सभापति: बैठिए आप। (व्यवधान) बैठिए आप ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री सभापतिः बैठिये आप। (व्यवधान) श्री बृजकिशोरजी शर्मा। बैठिये आप।

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): ×××

श्री सभापतिः आप अपना सम-अप करें। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, इस सदन में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने कई बार उठाया कि टास्क ज्यादा है और टास्क कम किया जाए। हमने भारत सरकार से भी निवेदन किया तो 30 प्रतिशत टास्क वहां से कम किया, 18 प्रतिशत और कम किया। इस तरह से आज की तारीख में बहुत कम टास्क हमने कर दिया है और इस टास्क के कारण से यह बात सही है कि जो मजदूर ईमानदारी से काम करता है वह थोड़ी देर में ही पूरा टास्क कर लेता है और 100 रुपये पूरे कमा लेता है। लेकिन उसके बाद भी अब दिन-रात यह कहना कि पैसा कम आ रहा है तो मेरे यह समझ में नहीं आया कि क्या उनको बिलकुल धर्मादे में पैसा दिलाना चाहते हैं? रोजगार गांरटी योजना और अकाल राहत कार्यों में बड़ा अन्तर है। अकाल राहत कार्यों में तो राहत देना होता है और कोई लूला-लंगड़ा भी होता है उसकी फर्जी वहां बैठा रहता है तो भी हाजिरी भरी जा सकती है। यह रोजगार गारंटी योजना है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार):×××

श्री सभापतिः प्लीज सिट डाउन। बैठिये आप। (व्यवधान) बैठ जाओ आप। बैठो आप। बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सरकार ने इस बात की गारंटी दी है कि हम रोजगार मुहैया करायेंगे, उसी पंचायत में करायेंगे, नजदीक से नजदीक उनको रोजगार मुहैया करायेंगे। आज हम रोजगार मुहैया करा रहे हैं। 73 रुपये आपके टाइम पर थे, हमने उनको बढ़ाकर के 100 रुपये कर दिये और आज की तारीख में 88 रुपये औसत टास्क बैठ रहा है। अब आप पता नहीं कहां से यह लाते हो 12 रुपये। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि प्रतिपक्ष के नेता इतने जिम्मेदार हैं और 12 रुपये बता रहे हैं 100

(श्री कालूलाल गुर्जर)

रुपये की जगह। इसका मतलब तो कोई काम ही नहीं कर रहा है वहां पर। इसका मतलब तो यह है कि कोई बिना काम के पैसा लेना चाह रहा है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक समस्या बताई है। (व्यवधान) सुन लो पहले।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी):×××

श्री सभापति: फिर खड़े हो गये आप।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, समय पर पेमेंट नहीं होता इसके पीछे भी राजस्थान सरकार का दोष नहीं है।

श्री सभापति: कैलाशजी बैठिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इस कारण से 15 दिन के अन्दर रोजगार करने वालों को पेमेंट नहीं हो तो...... (व्यवधान) वास्तव में मजदूरों के प्रति लगाव है और मन में है कि मजदूरों को समय पर पेमेंट मिले तो मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से और नेता से आह्वान करता हूं कि केन्द्र सरकार से कहें कि समय पर पैसा दे ताकि हम समय पर पैसा चुकायें। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अगर देरी होती है तो राजस्थान सरकार की वजह से नहीं होती। देरी होती है...... (व्यवधान) हरिमोहनजी, आपकी केन्द्र में सरकार है और उसके द्वारा पैसा समय पर नहीं भेजने के कारण से देरी होती है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री सभापति: अब यह चर्चा समाप्त हुई। यह चर्चा समाप्त हुई। माननीय बृजकिशोरजी शर्मा। क्या कहना है अब आपको? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं होगा। अब कोई अंकित नहीं होगा। यह चर्चा यहीं समाप्त। माननीय बृजकिशोरजी शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

श्री सभापति: बृजकिशोरजी शर्मा। बैठिये अब आप। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

श्री सभापति: हो गया चलो। आपने कह दी अपनी बात। श्री बृजकिशोरजी बोलेंगे अब। (व्यवधान) आप अलग से लिखकर के दे देना। बाद में कह देना, मंत्रीजी यहीं हैं तीन दिन तक। आपको जो भी सजेशन देना हो तो उनको बाद में दे देना। प्लीज सिट डाउन। आप आपस में बात करके हाउस में समय जाया नहीं करें। बृजकिशोरजी।

श्री प्रकाश चौधरी (बड़ी सादड़ी):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री सभापति: और भी मैटर हैं, और भी बात है। माननीय बृजकिशोर जी को बोलने दीजिये। प्लीज विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

श्री सभापति: एक-एक मिनट में तो ढाई घंटे हो जायेंगे। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं हो।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

श्री सभापति: मंत्रीजी, आपका भी अंकित नहीं हो रहा है। किसी का भी अंकित नहीं हो रहा है। किसी का भी अंकित नहीं हो रहा है। कोई अंकित नहीं हो रहा है। बैठ जाइये आप।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बाद में बात कर लेना। और कोई

(श्री सभापति)

बात हो तो आप उनसे बात कर लेना। आपको कोई बात कहनी है तो मंत्रीजी से बात कर लेना आप। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री सभापतिः विराजिये आप। (व्यवधान) मैं आपको अलाऊ नहीं करूंगा। बृजकिशोरजी बोलेंगे। (व्यवधान) आपको कोई भी बात कहनी हो तो मंत्रीजी से कह देना।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना):×××

श्री सभापतिः आप लिखकर के दे देना मंत्रीजी को जो भी कहना है। बृजकिशोर जी। विराजिये आप। आप बोलने दो न आपके पड़ौस में हैं। बाहेती जी, बोलने दो आप। आधा घंटे से बात मैं बार-बार कह रहा हूं और आप बार-बार बीच में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री सभापतिः विराजिये आप। यह कोई विषय नहीं है। तीन मिनट का काम था उसमें दो घंटे लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा):×××

श्री सभापतिः विराजिये। कोई अंकित नहीं होगा। सिर्फ बृजकिशोरजी बोलें वो होगा।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा):×××

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री सभापतिः विराजिये। आप सदन का समय जाया कर रहे हैं।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री सभापतिः दो मिनट का काम था और आप इतना समय लगा रहे हो। विराजिये आप। (व्यवधान) माननीय कैलाशजी, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, विराजिये आप।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री सभापतिः विराजिये। चार बार कह दिया, सब सुन लिया हमने। (व्यवधान) विराजिये आप। आप बात कर लेना। जो कहना था वो कह दिया। कोई अंकित नहीं करेंगे। माननीय बृजकिशोरजी शर्मा।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आप हाउस को आर्डर में लायें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री सभापति: अमरारामजी, विराजिये प्लीज। आप विराज जाएं।

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री सभापति: आप विराजिये। सात बार कह चुके और वो की वो ही बात रिपीटेशन कर रहे हैं आप। विराजिये आप। आपने 20-25 बार कह दिया।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री सभापति: प्लीज विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री सभापति: आप मेरे को तो बक्शो। आप विराजो। माननीय बृजकिशोरजी। आप बिराजो प्लीज।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना):×××

श्री सभापति: आप बैठ जाइये। आप विराजिये। आप बृजकिशोरजी को बोलने दें। (व्यवधान) आप एक मिनट, एक मिनट कर रहे हैं। आप इतनी बार बोल चुके।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री सभापतिः आप बैठिये। आप विराजिये प्लीज। आप विराजिये।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

श्री सभापतिः विराजें आप। विराजें प्लीज। (व्यवधान) बीच-बीच में कोई नहीं बोलें।

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री सभापतिः माननीय बृजकिशोरजी।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा):×××

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री सभापतिः प्लीज, अब आप कृपा करके विराज जाइये। (व्यवधान) आप विराजने का कष्ट करें कृपा करके। हो गई ना बात, आपकी बात आ गई। (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर):×××

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): ×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा):×××

श्री सभापतिः विराजिये विराजिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री सभापतिः अब क्या कहना है बाहेती साहब? अब तो उनको बोलने दो। (व्यवधान) विराजें-विराजें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री सभापति: आपकी हो गई ना बात। तब आपकी बात सुन ली ना। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री सभापति: विराजें आप। आप बिराजने का कष्ट करें कृपा करके। (व्यवधान) बहुत हो गया। क्या कहना चाहते हैं आप बाहेती साहब? आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं अमरारामजी? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री सभापति: विराजें आप। यह सदन चलाना है कि नहीं? एक छोटी सी बात पर... (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री सभापति: ...यह इतना समय जाया कर दिया आप लोगों ने। (व्यवधान) नो नो। विराजें।

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री सभापति: अब आपको कोई कहनी हो तो आप मंत्रीजी से अलग से मिल लें। अब आप विराज जाइये। आप बार-बार खड़े मत हों। आप खड़े मत हों। आप खड़े हो जाते हैं तो सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है, हम दूसरों को फिर कुछ नहीं कह सकते। प्लीज, विराजें आप। विराजें आप। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री सभापति: He mercy on me. आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री सभापति: आप विराजें। विराजें आप। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री सभापति: विराजें। मैंने सुन ली बात। विराजिये आप प्लीज। प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन।

श्री अमराराम (धोद):×××

बहिर्गमन

(श्री अमराराम (धोद), सदस्य का सदन से बहिर्गमन)

श्री सभापति: माननीय प्रकाशजी, बिराजिये। आप बाद में बोल लेना, आप बाद में बोल लेना प्लीज। माननीय बृजकिशोरजी, बोलिये। प्लीज। नो, नो, नो, नो। (व्यवधान) आप बीस बार बोल चुके हैं। बीच-बीच में नहीं बोलें।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष):×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। हो गई ना आपकी बात। माननीय अपोजिशन आफ द लीडर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप बैठ जाइये, बैठिये आप। माननीय बृजकिशोरजी।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष):×××

बहिर्गमन

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों का सदन से बहिर्गमन)

श्री सभापति: बृजकिशोरजी, बोलिये। माननीय रणवीर सिंह गुढा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जिस केन्द्र सरकार ने राजस्थान सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में इम्प्लीमेंटेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना है, माडल स्टेट माना और केन्द्र सरकार के कहने पर....

श्री सभापति: इनका लिख लीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ...दूसरे राज्यों के प्रतिनिधि यहां पर आये और उन्होंने यहां पर आकर इस माडल की स्टडी की। आज उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि कार्य ठीक नहीं हो रहा है। यह केन्द्र सरकार के कारण कई जगह मजदूरी में डिले हुआ है। चूंकि उन्होंने पैसा समय पर नहीं भेजा, केन्द्र सरकार की कमी के कारण से यह छोटी-मोटी बातें हो सकती हैं।

श्री सभापति: बोलिये आप। माननीय बृजकिशोरजी, आप कुछ कह रहे हैं या नहीं। बोलिये आप।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री):×××

अनेक माननीय सदस्य:×××

श्री सभापति: माननीय बृजकिशोरजी।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ×××

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): × × ×

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): × × ×

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): × × ×

श्री सभापति: विराजिये, हो गई आपकी बात। आप बैठिये प्लीज। माननीय बृजकिशोरजी। मंत्रीजी बैठिये आप। मंत्रीजी, विराजें। माननीय बृजकिशोरजी। (व्यवधान) मैं सभी मंत्री महोदय से और सभी नेताओं से और सभी माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बार-बार खड़े नहीं हों ...(व्यवधान) स्प्रिंग नहीं लगी हुई है जो आप बार-बार खड़े हो रहे हैं। प्लीज, बोलें आप। यह कौनसा तरीका है? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): × × ×

श्री सभापति: मैं सभी से कह रहा हूं। प्लीज विराजें आप। माननीय बृजकिशोरजी।

राज्य सरकार द्वारा पैट्रोल, डीजल पर टैक्स कम करने विषयक

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, सन 2004 में जब यू.पी.ए. की सरकार ने सत्ता संभाली, उस समय क्रूड आयल की कीमत करीब 40 डालर प्रति बैरल थी।

श्री सभापति: बैठिये आप, कोई बीच में टोकाटोकी नहीं। Let him complete his version.

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ...उसके बाद 40 डालर प्रति बैरल की कीमत अन्तरराष्ट्रीय बाजार में 143 डालर प्रति बैरल हो गई। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोलें नहीं, बोलें नहीं प्लीज।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): इस महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंहजी ने एक्साइज ड्यूटी कम की, इम्पोर्ट ड्यूटी कम की, उत्पादन शुल्क कम किया और केरोसिन की कोई रेट नहीं बढ़ाई। (व्यवधान) आपकी अपर स्टोरी टू-लेट है। इसलिए इन सब परिस्थितियों पर जब सरकार को मजबूर होकर पैट्रोल और डीजल पर रेट बढ़ानी पड़ी और केरोसिन पर कोई रेट नहीं बढ़ाई तो...(व्यवधान)

श्री सभापति: बैठे-बैठे नहीं, प्लीज।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): सभापति महोदय, एक साल में कितनी बढ़ी है?

श्री सभापति: विराजिये। नो। कोई इंट्रप्शन नहीं होगा। बाद में टर्न आफ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): प्रधानमंत्री ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकारों से अपील की कि वह पैट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करें और उसी के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों में टैक्स कम किया गया। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अन्दर पैट्रोल पर टैक्स...

श्री सभापति: बैठिये मंत्रीजी, नो टोकाटाकी, लेट हिम कम्प्लीट। (व्यवधान) आप लोग जाया करते हैं समय फालतू में।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): एक मिनट, सर। एक मिनट, मैं निवेदन करना चाहता हूं..

श्री सभापति: विराजिये आप।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): महंगाई कितनी बढ़ गई?

श्री सभापति: क्यों बोल रहे हैं बीच-बीच में आप?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): पैट्रोल पर दिल्ली में बीस परसेंट और डीजल पर बारह परसेंट और इसी तरीके से हरियाणा में पैट्रोल पर बीस परसेंट और डीजल पर बारह परसेंट टैक्स है लेकिन राजस्थान की सरकार, राजस्थान की सरकार जहां...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): एक एम.पी. कितने में बिकता है?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): पैट्रोल पर 28 प्रतिशत टैक्स वसूल कर रही है और डीजल पर बीस प्रतिशत टैक्स वसूल कर रही है और इसी के साथ-साथ, इतना ही नहीं, एक रुपया प्रति लीटर प्रवेश कर वसूल कर रही है और उसके साथ-साथ पचास पैसा प्रति लीटर सेस का वसूल कर रही है। यह अफसोस की बात है...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपके पैट्रोल पम्प तो नहीं है?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आप विराज जाएं।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आप विराज जाएं, आपको दिलायेंगे पैट्रोल पम्प। आपको दिलायेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हमारे नियमों में व्यवस्था है..

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आपको दिलायेंगे पैट्रोल पम्प, आप विराज जाएं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कितना प्रतिशत बढ़ाया?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): कितने प्रतिशत महंगाई बढ़ी, कितना टैक्स बढ़ा, कितनी बार, कितनी बार टैक्स बढ़ाया...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें। विराजिये।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह कौन सा तरीका है, हाउस चलाना ही नहीं चाहते।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): कितनी बार?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं-नहीं, प्वाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, यह इस तरह से हाउस चल जाने की बात है क्या। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): पैट्रोल और डीजल के भाव कितनी बार बढ़ाये?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर। नियम 289 । (व्यवधान)

श्री सभापति: क्यों लम्बा-लम्बा कर रहे हो? प्राण पी रहे हो यों ही। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, चीफ व्हिप का प्वाइंट आफ आर्डर भी सुन लीजिये, नियमों में है प्वाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, जीरो आवर में प्वाइंट आफ आर्डर नहीं होता। (व्यवधान) जीरो आवर में प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हद कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोलो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): किसी सदस्य के, 289 पढ़िये, सभापति महोदय, 289 पढ़िये। किसी सदस्य के मत पर...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इस आसन के द्वारा, माननीय महावीरजी, यह व्यवस्था दी गई है कि जीरो आवर में कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं होता।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, जीरो आवर में कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): जीरो आवर में कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं आ रहा है...(व्यवधान)

डा. **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): जीरो आवर में कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठ सकता। (व्यवधान) यह आसन से बार-बार व्यवस्था दी हुई है कि जीरो आवर में प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठ सकता। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह नियम आपके बनाये हुए हैं। आप उसके सदस्य रहे हैं। कोई भी सदस्य...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): नियमों में है, नियमों में है, देखो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जिसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो, यहां पर, आर्थिक हित है...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इनके नाम, कोई पैट्रोल पम्प नहीं है इनके नाम का।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इनके नाम से, इनके परिवार के नाम से, इनके लड़के...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, इनके खुद के नाम का नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): किसी के भी नाम से हो, इसमें यह...

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): चाहे परिवार, मैं चुनौती देना चाहता हूं, न मेरे परिवार के नाम का है.. (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, यह बिलकुल, प्वाइंट आफ आर्डर रेज नहीं हो सकता, नम्बर एक।

श्री सभापति: विराजिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ..पैट्रोल पम्प है कि नहीं, बताओ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): और इन्होंने जनरल बात कही है, यह अपने व्यक्तिगत हित की बात नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह व्यक्तिगत हित की बात कर रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पैट्रोल के ऊपर सर्वाधिक वेट है 28 प्रतिशत और सरचार्ज लिया जा रहा है, इसका यह विरोध कर रहे हैं।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): पैट्रोल के रेट किसने बढ़ाये? पिछले चार सालों में छह बार पैट्रोल के रेट किसने बढ़ाये? महंगाई किसने बढ़ाई? इस मसले पर बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है। कितने बार आपने पैट्रोल के रेट बढ़ाये, कितनी बार डीजल के रेट बढ़ाये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा है, आपने जितने बढ़ाये, उतने तो हमने बढ़ाये ही नहीं। आप राजस्थान में 28 प्रतिशत, हाइएस्ट टैक्स वसूल कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यहां पर नियमों में व्यवस्था है...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): और आपकी पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंहजी ने बार-बार हिदायत दी है इसके बावजूद आप यहां पर वेट कम नहीं कर रहे हैं।

श्री सभापति: आप कम्प्लीट करें, प्लीज, विराजिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसलिए राजस्थान में पैट्रोलियम प्रोडक्ट पर, डीजल पर और पैट्रोल पर सर्वाधिक चार्ज आप कर रहे हो और सरचार्ज और लगा रखा है आपने।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह किसने बढ़ाया है, यह किसने बढ़ाया है?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह इसका अपराधी कौन है? यह जो पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, इसका अपराधी कौन है?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसके अपराधी आप हैं। आप हैं। (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी है इसकी अपराधी। (व्यवधान) इसकी महंगाई के जिम्मेदार आप हैं। आपने यह टैक्स बढ़ाया है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): भारतीय जनता पार्टी के लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): टैक्स के ऊपर राजस्थान... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): यह जो महंगाई है, यह आपको ठीक कर देगी। (व्यवधान) 11.8 प्रतिशत हो गई महंगाई। (व्यवधान) और इससे कम होने वाली नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पैट्रोल पम्प निवाई में इनका है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कांग्रेस शासित प्रदेशों में जहां-जहां वेट था वह वेट कम किया गया है। राजस्थान सरकार ने...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): निवाई में है।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): यह महंगाई का जनता चुनाव में बतायेगी रास्ता। (व्यवधान) और यह हर क्षेत्र में आज जो महंगाई रिकार्ड तोड़ रही है आपके राज में..(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये प्लीज।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इससे ज्यादा आप इनको...(व्यवधान) क्या करोगे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप चीफ व्हिप होकर आपको यह भी पता नहीं है कि प्वाइंट आफ आर्डर जीरो आवर में रेज नहीं कर सकते? (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह तो ऊंट गाड़ी पर और बैल गाड़ी पर चले गये।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): किसानों का खून पी गये आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ..कि यह सदन के नियम और परम्पराओं से चले। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इन्होंने अपने हित की कोई बात नहीं कही है। यह जनता के हित की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आगे आपको जनता..(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आप सोनिया गांधीजी से कहो कि पैट्रोल और डीजल के भाव घटाये। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह बेचारे दिलावर साहब तो ऊंट गाड़ी और बैल गाड़ी चलाते हैं..(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): देशवासियों का क्यों खून पी रहे हो..

श्री सभापति: अब आप विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): पैट्रोल और डीजल का भाव बढ़ाया और महंगाई को कम करने की बात कह रहे हैं तो कितने प्रतिशत कम कर दी इन्होंने। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि पैट्रोल की और डीजल की छूट है...

श्री सभापति: प्लीज।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): महंगाई आप बढ़ा रहे हैं, डीजल और पैट्रोल के ऊपर टैक्स नहीं कम करोगे तो महंगाई कैसे कम होगी?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जब यूपीए का शासन था देश में, तब 21 रुपये 85 पैसे डीजल के भाव थे...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): लोहा और सीमेंट का क्या करोगे, दाल का क्या करोगे, तेल का क्या करोगे, वह बता दें। यह तो कम कर देंगे, इनका क्या करोगे, वह भी बता दो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): देश को खा गये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा है, तेल वगैरह जो है न.. (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव) 11.8 प्रतिशत महंगाई हो गई.. (व्यवधान) सरसों का खाने का तेल क्या भाव हो गया है, इसका कहां से कम करोगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराज जाइये, विराजिये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): डीजल और पैट्रोल के ऊपर तो टैक्स कम करो। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): यह देश की कमर तोड़ी किसने? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने डीजल और पैट्रोल के ऊपर जो 28-28 प्रतिशत टैक्स ले रहे हैं उसको नहीं घटाया इसलिए कहा है। (व्यवधान) आपकी पार्टी है..(व्यवधान) आपने महंगाई की है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माल भाड़ा महंगा होने से सारी चीजें महंगी हुई हैं।

श्री सभापति: बृजकिशोरजी, बोलो आप।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): नहीं, क्या करोगे आप। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माल भाड़ा बढ़ाया है..(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें, धरमजी।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): क्या किया आपने लोहे का, क्या किया आपने..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने 28 प्रतिशत टैक्स लगाकर जो मालभाड़ा बढ़ाया है उससे महंगाई बढ़ी है और उसके जिम्मेदार आप हो, आप हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): महंगाई का आज जनता के ऊपर जो आपने बोझ डाला है, लेकिन चुनाव में जाओगे तो उस दिन आपकी आंख खुल जायेगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): चुनाव में डीजल और पैट्रोल खा जायेंगे आपको। आपने जो कीमत बढ़ाई है न इनकी..(व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजिये आप। माननीय सदस्य, विराजिये। कल्ला साहब।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): माननीय, यह सारी आपकी मेहरबानी है।

श्री सभापति: कल्ला साहब।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह मुद्दा बनेगा।

श्री सभापति: बृजकिशोरजी को बात करने दें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): और इसी से सारी महंगाई राज्य में बढ़ी है।

श्री सभापति: माननीय कल्ला साहब। माननीय बृजकिशोरजी।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): कल्ला साहब।

श्री सभापति: हां। कल्ला साहब।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): अम्बानी से क्या सौदा किया? अम्बानीजी ने मनमोहन से, अम्बानीजी ने सोनिया गांधी से दो हजार करोड़ रुपया...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने सौदा किया है। आपने सौदा किया है, हमने कोई सौदा नहीं किया, आपने सौदा किया है।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): क्या देश का भला कर रहे हो?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने गैस पर, केरोसिन पर, सब के ऊपर टैक्स लगाकर राजस्थान की गरीब जनता के ऊपर भार बढ़ाया है।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): यह टैक्स आपके समय में भी था, आपने अपने समय में क्यों नहीं घटाया वह टैक्स।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमारे वक्त में इतना टैक्स नहीं था। (व्यवधान) गैस के ऊपर कोई वेट नहीं था। केरोसिन के ऊपर कोई वेट नहीं था। आपको पता नहीं है महेन्द्राजी। उप मुख्य सचेतक महोदय, आपको पता नहीं है। यह केरोसिन के ऊपर और गैस के ऊपर राजस्थान में कोई टैक्स नहीं था, आपकी सरकार ने टैक्स लगाया है। डीजल और पैट्रोल के ऊपर टैक्स लगाने के कारण राज्य में माल भाड़ा बढ़ा है और माल भाड़ा बढ़ने के कारण आज राजस्थान में सारी चीजें महंगी हुई हैं। इसकी जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है, और कोई नहीं है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): आप छूट देना चाहते हो, देश को बरबाद करना चाहते हो और बोलने लग रहे हो यहां पर। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह उस बारे में नहीं बोल सकते माननीय सदस्य..(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): इस कांग्रेस ने तो बोफोर्स घोटाला, कौन-कौन से घोटाले किये..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने यहां पर एक्साइज घोटाला किया है, वह जनता आपको माफ नहीं करेगी।

श्री सभापति: विराजिये। आप विराजिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): राज करने में जितने घोटाले कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हैं, किसी पार्टी के राज में नहीं हुए। गैस मिलती थी बीजेपी के राज में, अटल बिहारीजी के राज में गैस के दफ्तर में जाकर... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): गैस के ऊपर आपने टैक्स लगाया, केरोसिन के ऊपर आपने टैक्स लगाया...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): केन्द्र में जब से कांग्रेसनीत यूपीए सरकार आई है तब से इन्होंने चौदह बार पैट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाये।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): हमने कोई पैसे नहीं बढ़ाये। (व्यवधान)

श्री सभापति: खतम करने दें आप ....व्यवधान हो गई आपकी बात पूरी ....व्यवधान

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ....व्यवधान केन्द्र सरकार पैट्रोल और डीज़ल की क़ीमतों में लगातार वृद्धि करती जा रही है। सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि जब देश में एनडीए का शासन था तब डीज़ल के भाव 21 रुपए 85 पैसे थे और पेट्रोल 34 रुपए 60 पैसे था और जो आज बढ़कर के डीज़ल के भाव 39 रुपए हो गया और पैट्रोल 54 रुपए 60 पैसे हो गया है।

श्री सभापति: विराजें आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इन्होंने पैट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाई हैं। जब से इन्होंने शासन प्राप्त किया देखिए ....(व्यवधान) 1 जनवरी, 2004 को जो 21 रुपए 85 पैसे डीज़ल था, 16 जून को इन्होंने 24 रुपए 1 पैसा किया, 1.8.04 को 25 रुपए 51 पैसे किया, 7.9.04 को 26 रुपए 2 पैसे किया, 5 नवम्बर, 04 को 28 रुपए 29 पैसे किया।

श्री सभापति: विराजें आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यही नहीं 7.9.05 को 23 रुपए 9 पैसे किया, सभापति महोदय, 15 फरवरी, 08 को 34 रुपए 13 पैसे किया और अभी इन्होंने 45 रुपए डीज़ल किया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, यह क्या बोल रहे हैं? (व्यवधान) यह फालतू की बात बोल रहे हैं।

श्री सभापति: विराज जाएं आप। सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य विराजें आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैं यही नहीं बताना चाहूंगा जब देश में एन.डी.ए. का शासन था तब पैट्रोल के भाव 34 रुपए 60 पैसे ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य विराजें आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उसके बाद में लगातार बढ़ाते-बढ़ाते अभी पैट्रोल 53 रुपए 8 पैसा हो गया है ...(व्यवधान)... यह लगातार बढ़ाये जा रहे हैं और इनका इस पर कोई अंकुश नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजे। बोलने दे। आप विराजे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, इनको बोलने का कोई हक नहीं है। यदि इनकी हिम्मत हो तो केन्द्र में कांग्रेस सरकार को जाकर के कहें, वहां जाकर के धरना दें, वहां जाकर के अंकुश लगाएं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, हो गई बात आपकी। विराजें आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): गरीब मज़दूरों पर इस प्रकार का बोझ नहीं डालें, यहीं नहीं मूंग दाल के भाव क्या हो गये? सभापति महोदय, जो मूंग दाल का भाव 16 रुपए था आज 34 रुपए हो गया ....(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जो 43 रुपए हो गई है, जो चने की दाल (व्यवधान) आज 38 रुपए हो गई है, मसूर की दाल 25 रुपए थी, आज 52 रुपए हो गई है। यही नहीं चावल साढ़े 6 रुपए था आज 32 रुपए हो गया है।

श्री सभापतिः मदन जी, आप विराजें प्लीज।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हम भी बोलेंगे। अगर आप इनको अलाऊ कर रहे हो तो मैं भी बोलूंगा।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): लोहे का भाव 58 से 56 रुपए कर दिया। 28 रुपए से ...(व्यवधान) सीमेंट के भाव ...(व्यवधान) 110 रुपए में सीमेंट का कट्टा मिलता था, सवा दो सौ रुपए में सीमेंट का कट्टा मिलता है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ...(व्यवधान) 650 रुपए था आज 1240 रुपए हो गया ...(व्यवधान) जो 11 रुपए थी आज 29 रुपए हो गया है, साबुन जो 14 रुपए था सभापति महोदय आज 36 रुपए हो गया है, यहीं नहीं मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः विराजें आप मदन जी।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): सुनने का माद्दा रखो, भाव तो सुन लो।

श्री सभापतिः विराजें आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इस्पात इण्डस्ट्री से समझौता कर लिया है और इस्पात इण्डस्ट्री से समझौता करके, सभापति महोदय इन्होंने अभी भाव घटाने के लिए मीटिंग की थी और मैं आपको बताना चाहूंगा कि डबल भाव, लोहे के सरिए के डबल कर दिए।

श्री सभापतिः विराजिए, हो गई बात आपकी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इस्पात के थोक व्यापारी ने मुझे बताया ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंहजी ने कहा है कि जहां-जहां भी हमारी सरकारें होंगी ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ...(व्यवधान) पैसे लिए हैं, इन्होंने लोहे के व्यापारियों से ...(व्यवधान) किस मुंह से बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): कांग्रेस आई महंगाई लाई।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): महंगाई की बात ...(व्यवधान) डीज़ल और पैट्रोल की बात करना चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक-एक करके जिस तरह के आंकड़े सदन में पेश किए हैं इससे यह सिद्ध हो गया कि जब से यह कांग्रेस आई है महंगाई साथ लेकर आई है। व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ...(व्यवधान) मैं भी बोलूंगा ...(व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने निर्देश दिया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए।

सदन में नारेबाजी

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यगणों द्वारा खड़े होकर नारेबाजी)

श्री सभापति: विराजिए प्लीज, अब उनको बोलने दें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह विषय आप लोगों ने उठाया है ...(व्यवधान)... राजस्थान की जनता के साथ धोखा दे रहे हैं ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप-मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) पूरे देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पूरे देश की जनता को आपने धोखा दिया है ...(व्यवधान) पूरे देश के युवाओं के साथ आपने धोखा किया है (व्यवधान) 22 तारीख को आपको पता लग जाएगा। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में यह तय हुआ कि इस्पात के भाव घटाये जाएं लेकिन इन्होंने इस्पात के व्यापारियों के साथ भ्रष्टाचार किया और इस्पात के व्यापारियों से चंदा लेकर के इस्पात के भाव, लोहे के भाव डेढ़ गुणा करवा दिया (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप यह बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से राजस्थान में आई है 90 बी की कितनी महंगाई बढ़ाई है? जरा ईमानदारी से बता दें। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, लोहे का भाव 48 रुपए था आज 62 रुपए लोहे का भाव हो गया।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): ...(व्यवधान) मुकेश अंबानी ने

(श्री धर्मपाल चौधरी)

क्या किया रात को, मुकेश अंबानी क्या कर रहे हैं, 25-25 करोड़ रुपए देने के लिए एक-एक सांसद की कीमत लगाई है। (व्यवधान) अख़बार में छप रहा है 25 करोड़ रुपए ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः विराजें आप। उनकी कोई बात है तो उनको कहने दें आप। क्या कहना चाहते हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इस्पात का भाव 62 रुपए बढ़ा दिया।

श्री सभापतिः पहले आप सुनें तो सही वह क्या कहना चाहते हैं? हो गई आपकी बात, बहुत हो गया ...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): एक एम.पी. की कीमत 25 करोड़ रुपए, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? पूरे अख़बार में लिखा है एक-एक सांसद 25-25 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा है।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): मुकेश अंबानी मिले, मनमोहन सिंहजी से मिले, सोनियाजी से मिले, सरकार बचाने के लिए एक एम.पी. को 25 करोड़ रुपए दे रहे हो और यहां बैठकर के भ्रष्टाचार की बात करते हो?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह किस मुंह से? इनको शर्म आनी चाहिए। इनके पास में कहने को कुछ नहीं है।

श्री सभापति: विराजें प्लीज।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): जो हुआ, तुमने तो पूरे देश को ही बर्बाद कर दिया है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): भारतीय जनता पार्टी के सांसद बिक रहे होंगे। (व्यवधान) बंगारू लक्ष्मणन के ...(व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के बिक रहे हैं ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप असत्य बयानबाजी कर रहे हैं।

श्री सभापति: बैठिए। इनका किसी का भी अंकित नहीं होगा, बृजकिशोरजी को बोलने दें।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री सभापति: विराजें आप। बंशीलालजी विराजें आप। राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य विराजें आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री हीरालाल (निवाई):×××

श्री सभापति: विराजें। आप बैठिए अब प्लीज मदनजी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री हीरालाल (निवाई):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री सभापति: विराजिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री सभापति: विराजिये। प्लीज, विराजिये आप।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री सभापति: विराजिये आप। आप विराज जाएं। विराजिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री सभापति: आपको बोलने दें। बोलिये साहब। (व्यवधान) आप बैठिये न प्लीज।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक):×××

श्री सभापति: बोलें आप। क्या कहना चाहते हैं आप?

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री सभापति: फिर आप?

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री सभापति: आप बैठिये प्लीज। आप बोलिये साहब।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये न आप। आप बोलिये ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णय, इसमें पेज नम्बर 209 पर है, जिस मामले में सदस्य का किसी भी रूप में स्थायी स्वार्थ निहित हो उसके संबंध में उस सदस्य का प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री सभापति: एक मिनट। प्लीज आप बैठ जाइये। विराजिये आप ...(व्यवधान) हां बोलें आप।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य सचेतक को चुनौती देना चाहता हूं कि मेरे या मेरे परिवार के नाम से एक भी पेट्रोल पम्प हो तो या तो साबित करें या यह सदन में माफी मांगें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): इन्होंने आरोप लगाया है मेरे ऊपर।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):××× ...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर):××× ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री):×××

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री सभापति: विराजिये। दिलावर साहब, विराजिये।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री):×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

श्री सभापति: विराजिये आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री सभापति: प्लीज विराजिये।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री सभापति: विराजिये।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री सभापति: बैठिये। (व्यवधान) बृजमोहनजी।

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक):×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर):××× ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर):××× ...(व्यवधान)

श्री सभापति: जोशी साहब।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री सभापति: अब बैठ जाएं आप। बहुत हो गया अब।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री सभापति: बैठिये न आप।

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री सभापति: प्लीज राठौड़जी, बैठिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री सभापति: विराजिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री सभापति: विराजिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर):××× ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। बैठिये न आप।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ××× ...(व्यवधान)

श्री सभापति: दिलावर साहब, विराजिये आप।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री सभापति: भाटी साहब।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव):×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):×××

श्री सभापति: विराजिए प्लीज।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

(समय : 15.02 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आदरणीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा कृपा करके विराज जाएं आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपा करके आप विराज जाएं। तीन बज चुके हैं और अभी स्थगन प्रस्तावों पर ही बहस हो रही है, there are four members to speak on '*parchi*s' and then we have a few Bills to pass.

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): × × ×

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, आप भी विराज जाएं अब. I am giving an opportunity to the hon'ble member to complete and conclude his speech. Please.

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जिस तरीके से पडौसी राज्यों ने....

श्री सभापति: एक मिनिट, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, kindly don't disturb the hon'ble member. Please let him conclude his statement.

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): जिस तरीके से पड़ौसी राज्यों ने टैक्स कम करके जनता के ऊपर, जो इन्टरनेशनल प्राइस बढ़ी है उसके भार को कम किया है, अगर राजस्थान सरकार भी अपने टैक्स को कम कर दे तो, जैसे दिल्ली और हरियाणा का 20 प्रतिशत है अगर उसी तरीके से राजस्थान में भी 20 प्रतिशत टैक्स हो जाए तो करीब-करीब चार प्रतिशत प्रति लीटर पेट्रोल पर रेट कम हो जाएगी और इसी तरीके से अगर डीजल पर 12.5, 12 प्रतिशत है अगर उसको भी कम कर दिया जाए तो राजस्थान के आम आदमी को करीब-करीब ढाई रुपये पर लीटर की कम रेट से पैसा देना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल के अन्दर राजस्थान सरकार करीब-करीब 2200 करोड़ रुपये सेल टैक्स में पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स के रूप में कलेक्ट कर चुकी है जो कि टोटल रेवेन्यू का 33 प्रतिशत है और जो टोटल ग्रोथ आई है वह 25.64 प्रतिशत है। में इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार को आम-आदमी को राहत देने के लिए अपना टैक्स कम करना चाहिए।

मैं साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं, प्रधान मंत्रीजी की अपील को राजनीतिक कारणों से अस्वीकार करने की बात तो मेरे समझ में आती है लेकिन मेरे यह समझ में नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंहजी की अपील का भी असर राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हो नहीं रहा, जबकि इन्हीं शासित प्रदेशों में और जगह पर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है टैक्स कम किया है मैं इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमत कम करके प्रवेश टैक्स जो एक रुपये लीटर लगा रखा है उसको कम किया जाए और सेस 50 पैसा प्रति लीटर लगा रखा है उसको खतम किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री रणवीर सिंह गु�ा।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): दूसरे मैटर पर, इसी पर?

श्री सभापतिः Just a moment.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आसन से व्यवस्था हुई थी एक माननीय सदस्य दो मिनट के लिए अपने विचार व्यक्त करेंगे, इन्होंने आधा घंटे का भाषण दे दिया।

श्री सभापतिः Exactly. I will go by the directions of the Hon'ble Speaker. I am not authorised to amend ….

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अगर यह परम्परा औरों में चल जाएगी …(व्यवधान) यह अध्यक्षीय व्यवस्था है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): लीडर ऑफ अपोजीशन इस पर कुछ कहना चाहते हैं। वाक आउट करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तो फिर हम भी बोलेंगे सभापति महोदय।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वाक आउट करने के लिए बोल सकते हैं।

श्री सभापतिः मंत्री महोदय एक मिनिट। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि मैंने आदरणीय रणवीर सिंहजी का नाम पुकार लिया है, so I am also bound by the rules of this House. I will have to ask him …

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हम इस इश्यू पर वाक आउट कर रहे हैं इसलिए यह बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह वाक आउट करें। (व्यवधान) भाषण दें, यह सदन इसलिए.....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हमें भी जवाब देना है, सरकार की तरफ से हमें भी जवाब देना है।

श्री सभापतिः On an issue, unless it is specified and expressed; if the hon'ble member would have expressed his … in that case …. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): (व्यवधान) आइये, आओ, आओ …(व्यवधान)

एक माननीय सदस्यः वाकआउट करना है इसलिए बोलना है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति: एक मिनिट ...(व्यवधान) I will give you a chance.

सदन में नारेबाजी

(सदन में भारी शोर-शराबा)

(सदन में सत्ता पक्ष की ओर से नारेबाजी)

(सदन में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति: आधे घंटे के लिए स्थगित किया जाता है। For half an hour. आधा घंटे के लिए।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.09 बजे आधा घंटे के लिए स्थगित हुई)

(समय : 15.39 बजे)

(पुन: समवेत होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: राम-राम।

अनेक माननीय सदस्य: राम-राम।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आदाब अर्ज है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि हमारे जिले में डाक्टरों का और नर्सों का ...(व्यवधान) ट्रांसफर कर दिया। और न तो कोई उनको ज्वाइन कराते हैं और न ही कोई रिलीव कराते हैं। यह क्या तरीका है।

श्री उपाध्यक्ष: बैठो-बैठो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): रिलीव कर दिया उनको, ज्वाइन नहीं कराते हैं, ज्वाइन कराते हैं उनको रिलीव नहीं करते। इनका एक रास्ता तो निकालो, कुछ करो। (व्यवधान) डे महीने से महिलाएं परेशान हो रही हैं। और नरपतसिंहजी राजवी स्टे करके चले गये विदेश में और हमारी महिलाएं करीब डेढ़ सौ... (व्यवधान) राजेन्द्रजी, आप झुंझुनूं जिले के प्रभारी हो। आपको थोड़ा बहुत तो महसूस करना चाहिए।

हमारी महिला जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता वहां पर जाकर सूई लगाती है। हमारी महिलाएं जहां कच्चे पान भी नहीं उगते वहां पर फसलें उगाती हैं। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, झुंझुनूं जिले की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। (व्यवधान)

श्री जयराम जाटव (खैरथल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक

(श्री जयराम जाटव)

निवेदन है। आप इन माननीय विधायक महोदय से, माननीय सदस्यों से कहें कि वह हाउस को चलने दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री रणवीर सिंह गुढा। अब माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): झुंझुनूं जिले के साथ अन्याय हो रहा है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप ध्यान नहीं देते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत विलम्ब हो गया। जीरो ऑवर चलते हुए साढ़े चार-पांच घंटे हो गये। मैं इसीलिए निवेदन कर रहा हूं कि आप लेजिस्लेटिव वर्क ले लीजिए। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ... (व्यवधान) बर्फ में लगाया गया। आपको अपने जिले के प्रति सहानुभूति नहीं है क्या? (व्यवधान) झुंझुनूं जिले की महिलाओं के साथ और चित्तौड़ जिले की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। उनको रिलीव कर दिया। कोई नहीं कर रहे हो आप उनको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री रणवीर सिंह गुढा। बोलने दें माननीय सदस्य को आप। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। झुंझुनूं जिले की नर्सों का और महिलाओं का ट्रांसफर कर दिया। उनको ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं। जिनको रिलीव कर दिया उनको रिलीव नहीं करें, यह क्या तरीका है या तो रिलीव करो या उनको ज्वाइन करवाओ। स्टे करके छोड दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका कोई अंकित नहीं होगा। अब अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री जयराम जाटव (खैरथल):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य । माननीय सदस्य श्री रणवीर सिंहजी गु□ा। नहीं, आपका प्रश्न किस में है, श्रवण कुमारजी? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: आप होंगे पीड़ित। परमिशन किसने दी है आपको बोलने की? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप मेरे पास आ जाना। मेरे पास आकर ××× आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बोलने दीजिए उनको।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: आपकी कोई ग्रीवेंस है तो मंत्रीजी से कह देना, नीतियों के अनुसार काम होगा। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: आ जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उनकी जगह कोई दूसरे भी काम कर रहे हैं। आ गयी बात। कह दिया आपने।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

खेतड़ी तहसील की ग्राम पंचायत पपुरना में खनन लीज में अनियमितता

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे जिले झुंझुनूं में तहसील खेतड़ी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पपुरना में संजय नगर जो ग्राम है, उसके अन्तर्गत जो खसरा नम्बर भूमि 618, 620 और 623 में नियम विरुद्ध खान विभाग, सीकर के तत्कालीन लिपिक रामलाल ने विभागीय अधिकारियों को गुमराह कर अपने रिश्तेदार सास पतासी देवी पत्नी श्री जगनाराम, एम.एल. नम्बर जिसका है 370/06, दूसरा है, साला उसका, बनवारी लाल पुत्र श्री जगनाराम, तीसरा विद्याधर पुत्र श्री जगनाराम, निवासी नवलगढ़ रोड, सीकर को आबंटित करवा दी है तथा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा विनोद कुमार पुत्र श्री नागरमल स्वामी, एम.एल. नम्बर 371/06, दूसरा है सुभाष चन्द्र पुत्र श्री नागरमल स्वामी,

(श्री रणवीर सिंह गु)

एम.एल. नम्बर 373/06, सुनीता पत्नी श्री सुभाष स्वामी, पेट्रोल पम्प के पास चिड़ावा को आबंटित कर दी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उक्त भूमि जिसके ऊपर आस-पास के ाणियों के श्मशान क्षेत्र है और वहां पर खेतड़ी के पूर्व महाराजा अजीत सिंहजी के समय का एक कालागुंजा बांध है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर तीन-चार पावूजी का और बालाजी का 100 साल पुराना मंदिर भी है और उसके साथ में देवनारायणजी का और भैरूंजी का मंदिर भी वहां पर स्थित है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके पास में आबादी है। स्कूल भी है और वहां किसी भी प्रकार से 45 गज की दूरी तो दूर की बात है वहां पर कोई किसी प्रकार की कोई दूरी नहीं है जिसके ऊपर वहां पर जो पहले झुंझुनूं में तैनात थे ए.सी.डी. के डीवाई.एस.पी. छतरपाल सिंह, उनका लड़का भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन लीज में पार्टनर है। उन्होंने अपने प्रभाव से और तत्कालीन लिपिक ने, जो सीकर में तैनात थे, उन्होंने मिलकर गलत तथ्य पेश करके और तहसीलदार को और पटवारी को गुमराह करके माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो लीज आबंटित करवायी गयी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि छतरपाल सिंह जो ए.सी.डी. में फिलहाल सीकर में तैनात है, उनके प्रभाव से वहां पर न तो कोई खेतड़ी का अधिकारी बोलता है और जनता के ऊपर भी उनके लड़के रघुवीर सिंह ने मुकदमे दर्ज करवाये हैं, जिसके कारण वह भी नहीं बोल पा रहे हैं। पूरी जनता आक्रोशित है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि छतरपाल सिंह जो कि ए.सी.डी. में डीवाई.एस.पी. है और उन्होंने वहां खेतड़ी के अन्दर उनका एक आतंक है और जो खजिन आबंटित करवाया है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय आ गयी बात आपकी। बात आ गयी है, आपकी सारी। आप यह जो कायदे से ... (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो मिनट में निवेदन करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः खान विभाग के मंत्रीजी को आप कायदे से सारी बात रखना, कार्यवाही होगी। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): पहली बार तो अलाऊ किया है। पहली बार तो बोलने दे रहे हो पांच साल में इनको पहली बार मौका दिया गया है। आप कम से कम इनको तो बोलने दो साहब। पांच साल में बड़ी मुश्किल से मौका दिया गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप उनका समय मत बरबाद कीजिए।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही की जानी चाहिए। जांच प्रभावित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है बीच में। आपका अंकित नहीं होगा। ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, उनको कहने दो । (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सैकड़ों लीज आबंटित करवायी हैं, डीवाई.एस.पी. छतरपाल सिंह ने जो ए.सी.डी. में तैनात है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने उनको खेतड़ी में, सीकर में, झुंझुनूं में लीज माफिया के नाम से कुख्यात हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से भी जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार अन्वेषण ब्यूरो में तैनात जो डीवाई.एस.पी. है वह पूरे भ्रष्टाचार ब्यूरो को तो बदनाम कर ही रहे हैं, उसके साथ-साथ में खनन डिपार्टमैंट में उनका खौफ है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खनन विभाग को उन्होंने गुमराह करके सैकड़ों खनन लीज आबंटित उन्होंने अपने चहेतों के नाम, रिश्तेदारों के नाम आबंटित करवायी हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी बात आपकी। आ गयी।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना गम्भीर विषय है जो पूरे आस-पास के मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसी के पास में यह जो ाणी है मीनावाली में 100 घर हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुयाली में 100 घर हैं, बड़ावंध में 30 घर हैं, नौकरी की ाणी में 20 घर हैं, चाचावाली में 500 घर हैं। इन तमाम घरों की श्मशान भूमि भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस लीज के स्थान के ऊपर ही है। आस-पास में जितने भी छोटे बच्चे खतम यानी एक्सपायर हो जाते हैं उन बच्चों को भी इसी पहाड़ी में दफनाया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अति संवेदनशील मामला है और उसके ऊपर मद्देनजर रखते हुए माननीय मंत्रीजी से मैं चाहूंगा कि तुरन्त इसकी जांच करवायें और इस लीज को खरीज करवायें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: कन्क्लूड कर रहे हैं, बस अब। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): जवाब दीजिए। मंत्री महोदय, हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इस पर अपना जवाब दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं। मंत्रीजी को जवाब देना होगा तो दे देंगे। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय दे रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: दे रहे हैं, दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): हमें पूरी उम्मीद है मंत्री महोदय आपसे कि आप निष्पक्ष जांच करवाकर ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: रणवीरसिंहजी ने कह दी, वही बात है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो आपने केचमैंट एरिया में इन खानों के बारे में जानकारी दी। दूसरा, आपने बताया कि श्मशान है। अगर स्टेटस श्मशान है और वहां पर अगर गलत तरीके से लीज का अलाटमैंट किया है, मैं इसकी जांच करवा दूंगा। पत्रावली मेरे पास भी मैं मंगवा दूंगा और माननीय सदस्य ने जो भी आब्जेक्शन किया है, माननीय सदस्य, ग्राम वालों को भी ले आएं, मैं मेरे अधिकारियों को भी बुलाकर एक बार स्थिति क्या है, इसकी पूरी जांच देखकर मैं आवश्यक निर्देश सम्बन्धित हमारे विभाग के अधिकारियों को दे दूंगा और निश्चित मानें कि कोई ए.सी.डी. का डीवाई.एस.पी. हो या कोई एस.पी. हो, यह जांच किसी से प्रभावित नहीं होगी और अगर इसमें निश्चित रूप से कुछ इर्रेगुलरटीज हुई हैं, गलत तरीके से लीज का अलाटमैंट किया है तो निश्चित कार्यवाही की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम ... (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक निवेदन कर दूं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आ गया। माननीय सदस्य अब इसमें नहीं ... (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा, एक मिनट का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो लिपिक ... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो लिपिक, जिसके रिश्तेदार ने लीज आबंटित करवायी है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कह दिया मंत्रीजी ने कि जो भी गलत हुए हैं उनका अलाटमैंट कैंसिल किया जाएगा। कह दिया, आप विश्वास रखिये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट का टाइम ले रहा हूं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ऐसा कोई अधिकारी है। सभी एंटी करप्शन के नाम से डरते हैं, खौफ है उनके अन्दर इसलिए मैं चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जांच प्रभावित नहीं हो तुरन्त प्रभाव से उस व्यक्ति को वहां से हटाया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी बात आपकी बिलकुल ... (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): इसलिए मैं चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, जांच प्रभावित नहीं हो, तुरन्त प्रभाव से उस व्यक्ति को वहां से हटाया जाये।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): मंत्रीजी से मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: कह दिया न मंत्रीजी ने।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विभाग के संबंधित किसी कर्मचारी के बारे में आपने कहा। उसके परिवार की अगर लीज है और उसने राज्य सरकार से किसी तरह की परमिशन नहीं ली है तो निश्चित रूप से उसके विरूद्ध भी कार्यवाही करूंगा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री उपाध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जायेंगी, क्योंकि समय की कमी है आज। पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय आज के कल लिये जायेंगे।

(पढ़े हुए माने गये प्रस्तावों के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

सदन पटल पर रखे गये पत्रादि

(अ) अधिसूचना

राजस्व विभाग

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री रामनारायण डूडी, राजस्व मंत्री राजस्व विभाग की 9 अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की निम्न 9 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1- अधिसूचना संख्या : एफ.6(30)राज-6/2000/5 दिनांक 16.2.2008 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (गौशालाओं को भूमि आबंटन) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.14(1)राज-6/05-पार्ट/6 दिनांक 16.2.2008 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आबंटन) नियम, 1963 में संशोधन किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.6(6)राज-6/92-पार्ट/8 दिनांक 20.3.2008 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.3(2)राज-6/2003/पार्ट/9 दिनांक 2.4.2008 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.4(1)राज-6/06/12 दिनांक 15.5.2008 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.6(6)राज-6/92/पार्ट-IV/13 दिनांक 15.5.2008 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;

(श्री रामनारायण डूडी)

7- अधिसूचना संख्या : एफ.9(77)राज-6/2008/15 दिनांक 31.5.2008 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि आबंटन) नियम, 1970 में संशोधन किया गया है ;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.9(77)राज-6/2007/16 दिनांक 17.6.2008 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (डेयरी, पोल्ट्री एवं सूअर फार्म हेतु भूमि का आबंटन) नियम, 1958 में संशोधन किया गया है ; एवं

9- अधिसूचना संख्या : एफ.9(31)राज-6/2006/17 दिनांक 21.6.2008 जिसके द्वारा राजस्थान गैलेन्ट्री अवार्डस (कैश रिवार्डस एण्ड लेण्ड ग्रान्ट्स) नियम, 1966 में संशोधन किया गया है ।

परिवहन विभाग

श्री उपाध्यक्ष : श्री युनूस खान, परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग की पांच अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री) (श्री युनूस खान के स्थान पर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की निम्न पांच अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.6(260)परि/कर/मु./05 दिनांक 23.4.2008 जिसके द्वारा मोटर वाहन कर, विशेष पथ कर एवं शास्ती में छूट प्रदान की गई है ;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.6(134)परि/कर/मु./08 दिनांक 1.5.2008 जिसके द्वारा श्रीगोपाल गोवर्धन गौशाला पथमेडा, तहसील सांचौर, जिला-जालौर के वाहन के कर का परिहार किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.6(76)परि/कर/मु./08 दिनांक 27.5.2008 जिसके द्वारा मुस्कान संस्था के वाहन को सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है ;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.6(62)परि/कर/मु./08 दिनांक 12.6.2008 जिसके द्वारा डबल डेकर वाहन के कर का सशर्त परिहार किया गया है ;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.6(98)परि/कर/मु.-उर्स/97/पार्ट-II दिनांक 19.6.2008 जिसके द्वारा अनुज्ञा पत्रों पर दिनांक 1.7.2008 से

(श्री प्रभुलाल सैनी)

15.7.2008 की अवधि में अन्य राज्यों से अजमेर शहर को आने-जाने वाले वाहनों पर कर का परिहार किया गया है ।

ऊर्जा विभाग

श्री उपाध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, ऊर्जा राज्यमंत्री ऊर्जा विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की निम्न एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं:-

अधिसूचना संख्या : आरईआरसी/सैकी/रजि.-62, दिनांक 17 फरवरी, 2007 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (टेरिफ फोर कैप्टिव पावर प्लान्ट्स) विनियम, 2007 विरचित किये गये हैं।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री उपाध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री दो वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :-

हाइटेक प्रेसिजन ग्लास लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-07

I. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत हाईटेक प्रेसिजन ग्लास लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 ; एवं

राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-07

II. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007.

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी, पर्यटन मंत्री एक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06

श्री देवीसिंह भाटी (पर्यटन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान ट्यूरिज्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, ऊर्जा राज्य मंत्री दो वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित दो वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :-

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का प्रतिवेदन वर्ष 2006-07

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 ; एवं

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का प्रतिवेदन वर्ष 2006-07

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2006-2007.

समिति का प्रतिवेदन

नियम उप समिति (क्र. सं. 2)

श्री उपाध्यक्ष: श्री बंशीलाल, सदस्य, नियम उप समिति, 2008-2009 नियम समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम समिति, 2008-09 के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: ड. सी. पी. जोशी, सभापति जन लेखा समिति, 2008-09 समिति के ग्यारह प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे ।

जन लेखा समिति (क्र. सं. 261 से 271)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2008-09 के निम्नांकित ग्यारह प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. जन लेखा समिति वर्ष 2002-03 के 171वें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2008-09 का 261वां प्रतिवेदन ।
2. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2001-02 के अनुच्छेद संख्या : 6.1 ग्रामीण विकास विभाग से संबधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2008-09 का 262वां प्रतिवेदन ।
3. जन लेखा समिति वर्ष 2007-08 के 241वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की क्रियान्विति हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2008-09 का 263वां प्रतिवेदन ।
4. जन लेखा समिति वर्ष 2006-07 के 174वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों का परिपालनात्मक हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2008-09 का 264वां प्रतिवेदन ।
5. भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) अंकेक्षण वर्ष 2003-04 का अनुच्छेद संख्या : 4.2.8 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2008-09 का 265वां प्रतिवेदन ।
6. जनलेखा समिति वर्ष 2007-08 के 235वें तथा 239वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2008-09 का 266वां प्रतिवेदन ।
7. जन लेखा समिति वर्ष 2005-06 (बारहवीं विधान सभा) के 132वें प्रतिवेदन में समाविष्ट परिवहन विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति, 2008-09 का 267वां प्रतिवेदन ।

(डा. सी. पी. जोशी)

8. वर्ष 2002-03 के लिये भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट सामान्य प्रशासन विभाग से संबधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2008-09 का 268वां प्रतिवेदन

9. वर्ष 2003-04 के लिये भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क विभाग से संबधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2008-09 का 269वां प्रतिवेदन ।

10. वर्ष 2004-05 के लिये भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन(राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क विभाग से संबधित मामलों पर जन लेखा समिति, 2008-09 का 270वां प्रतिवेदन ।

11. विनियोग एवं वित्त लेखे वर्ष 2005-06 में बताये गये दत्तमत अनुदानों तथा प्रभृत्त विनियोगों में अतिरेकों के मामलों पर जन लेखा समिति, 2008-09 का 271वां प्रतिवेदन।

महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति (क्र सं. 12 व 13)

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सभापति महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2008-09 समिति के बारहवें एवं तेरहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार महिला एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, 2008-09 के दो प्रतिवेदनों का उपस्थापन करती हूं।

कार्य सलाहकार समिति (संख्या 24)

श्री उपाध्यक्ष: श्री महावीर प्रसाद जैन, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 24वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 24वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सरकारी मुख्य सचेतक यह भी प्रस्ताव करेंगे "कि यह

(श्री उपाध्यक्ष)

सदन कार्य सलाहकार समिति के 24वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।"

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 14 जुलाई, 2008 को म.प. 12.30 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 15 जुलाई, 2008 से 17 जुलाई, 2008 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाये :-

मंगलवार, दिनांक 15 जुलाई, 2008 :

1. राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार एवं पारण।
2. राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) विधेयक, 2008 का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

बुधवार, दिनांक 16 जुलाई, 2008 :

1. अनुपूरक अनुदान की मांगें 2008-09 का उपस्थापन मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।
2. राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग राज्य की शैक्षिक संस्थाओं और सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति और पदों का आरक्षण विधेयक, 2008 पर विचार एवं पारण।

गुरूवार, दिनांक 17 जुलाई, 2008 :

1. राजस्थान विधान सभा अधिकारी तथा सदस्यों की परिलब्धियां, पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008
2. राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापक (अस्थाई अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008
3. राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार एवं पारण।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 24वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 24वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गयी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008, श्री कालीचरण सर्राफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63 के अन्तर्गत अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63-ए के अन्तर्गत अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहना तो नहीं

(डा. सी.पी. जोशी)

चाहिये, क्योंकि मंत्रीजी ने उस दिन कह दिया है लेकिन कम से कम असेम्बली सैक्रेटेरियट यह एश्योर कर ले कि भविष्य में यदि गवर्नर साहब किसी बात को पाइंट आउट करते हैं तो उसका निश्चित तौर पर बिना असेम्बली सैक्रेटेरियट के गवर्नमेंट के जो प्रस्ताव हैं, वह नहीं होना चाहिये।

दूसरा, सरकार को, मंत्रीजी को मेरा यह निवेदन है, क्योंकि आपके पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी आई.ए.एस. लेवल के अधिकारी हैं, आपके पास लॉ सेक्रेट्री आई.ए.एस. आफिसर लेवल के आदमी हैं, यह उनकी भी ड्यूटी बनती थी कि इस बारे में मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते। निश्चित तौर पर ऐसे सैक्रेटरीज को भी आपको प्रताड़ना करनी चाहिये जो सैक्रेटरीज सरकार के नोटिस में नहीं लाये कि बिना असेम्बली सैक्रेटेरियट के रूट किये हुए सरकार को कोई अधिकार नहीं था कि हम इस तरह का ओर्डिनेंस लायें। मैं समझता हूं कि भविष्य में इस संबंध में हमें, जो हमारी हैल्दी ट्रेडीशन है, उसका पालन करना चाहिये।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): पारित कराओ साहब।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पारित नहीं, पुर:स्थापित होगा।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008, श्री कालीचरण सर्राफ प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करता हूं।

राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) विधेयक, 2008

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) विधेयक, 2008.

श्री दिगम्बर सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) विधेयक, 2008. को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मुझे पता नहीं है, चैक कर लें इसमें, जो बुलेटिन भेजा है उसमें प्रभारी मंत्री और जो बिल दिया है उसमें प्रभारी मंत्री के साइन नरपत सिंहजी राजवी के हैं। मैं समझता हूं कि मुझे यह जानकारी नहीं है पर मुझे अपडेट कर लें कि यदि आप यदि यह प्रभारी मंत्री के रूप में कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो बिल आप हमारे यहां ले कर रहे हैं उसमें भी प्रभारी मंत्रीजी के बीच में डाइकोटोमी नहीं होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें, जोशीजी, स्पीकर से अनुमति भी ले ली। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उसमें आप अलाऊ कर सकते हैं I am aware about this. You can allow it but you cannot give wrong informations to us the we people. That would have been very very categorically cleared. आपको यह अधिकार है कि आप किस मंत्री से सदन में रखवाएं। यह अधिकार

(डा. सी.पी. जोशी)

है, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान) लेकिन यहां आप हमें लिख रहे हैं कि प्रभारी मंत्री ...

श्री उपाध्यक्ष: परमिशन पहले ले ली गयी थी स्पीकर महोदय से।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): Permission for laying the documents in the House but you can not distort the facts. आपने जो बिल रखा है उसमें नाम लिख रखा है मिस्टर नरपत सिंहजी राजवी, प्रभारी मंत्री, वो हमको दिया है आपने, यहां आप लिख रहे हो दिगम्बर सिंहजी, प्रभारी मंत्री। सो, दो चीजें आप नहीं कर सकते। आप यह नाम, आप नरपत सिंहजी राजवी का नाम लेकर के यह कह सकते हैं कि मंत्री रखेंगे, उसमें मुझे आब्जैक्शन नहीं लेकिन आप बुलेटिन में हमें सूचना सही नहीं दें, यह अधिकार असेम्बली सैक्रेटेरिएट को नहीं है।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह ही ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं, मंत्रीजी, मना नहीं कर रहा हूं। मंत्रीजी, मेरी बात सुनिये, मैं आपकी बात को मना नहीं कर रहा हूं I am going only for this. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, असेम्बली सैक्रेटेरिएट से जो सूचना मुझे मिली है, जो मुझे बिल मिला है उस पर नरपत सिंहजी राजवी, प्रभारी मंत्री के साइन हैं। आप मुझे यहां पर जो ले करवा रहे हैं वो दिगम्बर सिंह, प्रभारी मंत्री के नाम से करवा रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): दिखवा लेंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): भाटी साहब दिखाते दिखते हैं, साढ़े चार साल तो हो गये अब वो दो महीने में क्या दिखवाओगे आप? वसुन्धराजी को आपको देखना है, न आपको उनको देखना है बाकी राजस्थान को किसी को देखना नहीं है। इसलिए आप यह जो टैक्निकल चीजें हैं, कल हम जो विधान सभा में प्रक्रिया है उसको ठीक करें बाकी मुझे आब्जैक्शन नहीं है। आप करें लेकिन यह तो हमारी ड्यूटी बनती है कि वो जो भी कागज में करैक्ट चीजें नहीं हैं उनको करैक्ट तो करें कम से कम।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) विधेयक, 2008. को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008.

श्री दिगम्बर सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक पर विचार

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा, विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): किस पर? खादी पर या चिकित्सा पर?

श्री उपाध्यक्ष: खादी पर।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पहले आप खादी पर चर्चा करा रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष: हां, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हां?

श्री उपाध्यक्ष: खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का ही है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): खादी पर।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): खादी और ग्रामोद्योग? ठीक है।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): आप तो आल राउण्डर हो।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): पहले खादी पहन कर आओ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खादी और ग्रामोद्योग हमारे भारतीय समाज के लिए मात्र एक एक्टिविटी नहीं बल्कि एक आन्दोलन का प्रतिबिंब रहे हैं। पूज्य महात्मा गांधी ने खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की कल्पना की थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े चार साल नहीं बल्कि पौने पांच साल का वक्त गुजरने के बाद में राजस्थान की इस सरकार को यह संशोधन लाने की सूजी है। बहुत अच्छा होता कि इस सरकार ने अपने रवानगी से पहले राजस्थान में खादी और ग्रामोद्योग को लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बनाने के लिए चेष्टा की होती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन साढ़े चार सालों में राजस्थान में खादी और ग्रामोद्योग मात्र फैशन शो और उस बांग्लादेशी तारीका बी.बी. रशेल के प्रशस्ति गान तक सीमित रह गये। कोटा डोरिया और जयपुर के अन्दर दूसरे खादी के फैशन शो के आयोजन हुए। राजस्थान की गरीब जनता का धन लुटाने का काम हुआ और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खुशामदगी का आलम यह रहा कि कोटा डोरिया के अन्दर महिलाओं के उत्थान का एक निमित्त बना कर के राजस्थान की मुख्य मंत्री को भी विमन टुगेदर अवार्ड से नवाजने और राजस्थान की जनता का लाखों रुपया खर्च करके अमेरिका जाकर के चालीस लोगों की उपस्थिति में वो अवार्ड लेने का भी काम हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि न-केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बल्कि जयपुर के मेयर और राजस्थान सरकार के अनेकानेक मंत्री जयपुर की सड़कों के ऊपर इस तरीके के होर्डिंग और प्रचार करते दिखायी दिये कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विमन टुगेदर अवार्ड प्राप्त करने पर राजस्थान की मुख्यमंत्री को हार्दिक बधाई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस खादी और ग्रामोद्योग ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राजस्थान की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम इस सरकार ने, किया और राजस्थान के लोगों को गुमराह किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इस बिल के अन्दर विमन टुगेदर अवार्ड की कहां बात लिखी हुई है? यह बिल पर बोलें न। । यह संशोधन लेकर आये हैं, अपने संशोधन पर बोलें यह। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक एन.जी.ओ. के अवार्ड को ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह राजस्थान की विधान सभा में भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान) जयपुर की चौपड़ पर भाषण दे रहे हैं? (व्यवधान)

यह क्या है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विषयान्तर हो रहे हैं बिलकुल ही। ...(व्यवधान)...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूमिका बना रहे हैं और खादी के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं जो आपको जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह खादी ग्रामोद्योग की बात करके आप कहां से कहां भाषण दे रहे हो? आपने शुरूआत तो ऐसी करी जैसे गांधीजी के पेट से आप ही पैदा हुए हो। कहां से कहां पहुंच गये? आप विधान सभा में बात कर रहे हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कोटा डोरिया किस में आता है? हस्तशिल्प किस में आता है? कोटा डोरिया किस में आता है? यह बताओ आप तो, कोटा डोरिया किस में आता है?

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): अवार्ड का क्या लेना-देना इससे?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्यों नहीं बोलेंगे?

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): इस अवार्ड का क्या लेना-देना इससे?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पूरे राजस्थान के अन्दर खादी और ग्रामोद्योग की क्या स्थिति है? हर विषय, हर बिंदु पर बोलने का हम को अधिकार है।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): गांधीजी का और वहां से शुरूआत करके और बात कर रहे हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप माफी मांगिये। (व्यवधान) क्यों आपने यू.एन.ओ. का अवार्ड बताया उसको? (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): आप कभी भी विषय पर, आप किस विषय पर, आपको भाषण करने की ...(व्यवधान)... अनर्गल बातें करने की आदत हो गयी आपको।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्यों यू.एन.ओ. का अवार्ड बताया आपने उसको?

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): अनर्गल बातें करने की आदत हो गयी।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आपको तो खुशी होनी चाहिए कि राजस्थान की यशस्वी माननीय मुख्य मंत्रीजी श्रीमती वसुन्धरा राजे पहली बार अवार्ड लेकर आयी हैं। खुशी होनी चाहिए। राजस्थान की जनता को खुशी होनी चाहिए, आपको भी खुशी होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): आप तो खिल्ली उड़ा रहे हो खिल्ली, राजस्थान की खिल्ली उड़ा रहे हो आप। अवार्ड लाये जो आपको दर्द हो रहा है क्या पेट में? आप तो अवार्ड लाये नहीं ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ठेका तो आपका ही लिया हुआ है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मुख्य मंत्री की किन-किन बातों के लिए खुशी होनी चाहिए, यह बता दो। कोई ऐसी बात है क्या जिसके लिए दुःखी होना चाहिए? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, यह स्वागत के लिए बोर्ड नहीं लगाये क्या आपने, इसमें क्या अनर्गल बात है?

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): बात तो सुनिये आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बल्कि आपको स्वीकार करना चाहिए कि हां, हमने तो लगाये थे। इसमें काहे को इन्कार कर रहे हो आप?

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): आप खादी की बात कर रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैंने कोई गाली दे दी क्या?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इसमें इन्कार क्यों करना चाहते हो आप?

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): आप गाली हमसे बढ़िया नहीं दे सकते ...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): आप पहले महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष को खादी की साड़ी तो पहनाओ। कांग्रेस का एक मुहिम था वह कहां गया मुझे समझ में नहीं आता।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपको तो इस सत्र में वफादारी का प्रमाण-पत्र देना ही पड़ेगा भाटी साहब।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): खादी का प्रचार और प्रसार आप कर रहे हैं पहले आपके यहां तो पहनाइये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वफादारी का प्रमाण-पत्र आपको देने के लिए कुछ न कुछ बोलना ही पड़ेगा चाहे सही हो चाहे गलत हो।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कोटा डोरिया जो है ना यह हैण्डलूम में आता है, आप कह रहे हो ...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हैण्डलूम ग्रामोयोग में नहीं है क्या?

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): आपने शुरुआत की महात्मा गांधी के पोते ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हैण्डलूम ग्रामोयोग में नहीं आता क्या?

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): उसके बाद आप कहां से कहां पहुंच गये ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कोटा डोरिया की साड़ी ग्रामोद्योग में नहीं आती है क्या? (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ...

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ...(व्यवधान) राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री ने राजस्थान को नम्बर वन बनाया। आपका जैसा घिनौना कृत्य नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, संशोधन पर ...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत

(श्री संयम लो�ा)

विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार खादी और ग्रामोद्योग से जुड़ी हुई बातों के माध्यम, से अगर मैं अपनी बात कह रहा हूं तो फिर इस सरकार को किस बात का दर्द है?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस पर कोई जनरल बहस थोड़े ही करोगे आप? इसमें संशोधन के सम्बन्ध में करो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वही तो मैं आ रहा हूं उसी पर तो, यह अधिकार जो देने जा रहे हैं उसके पीछे क्या मकसद है उसी पर तो मैं आ रहा हूं। वही तो मैं कहने जा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मकसद इसमें कोई सचिव को शक्तियां देने का ही है या और कुछ है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): तो मुझे तो बताना पड़ेगा ना उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: बताइये, शोर्ट में बताइये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन): वहां गांधीजी का फोटो लगा है। आप लोगों की बातें सुन-सुन करके उनको भी शर्म आ रही है और शर्म से उनका भी मुंह नीचे हो रहा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मुझे बड़ा अफसोस है कि इस भ्रष्ट सरकार में आप बैठे हुए हो और आपका मुंह नीचे नहीं हो रहा है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पांच हजार करोड़ रुपये खा रहे थे, आपकी मुख्य मंत्री पर आरोप लगा था ...(व्यवधान) और आपका मुंह नीचे नहीं हो रहा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

श्री हीरालाल (निवाई):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य,

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर):×××

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना):×××

श्री हीरालाल (निवाई):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप संशोधन तक सीमित रहिये एक्ट के ऊपर । आप इधर उधर की बात करके ...(व्यवधान) बिल के अन्दर एक मामूली संशोधन हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन):×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य बैठिये।

श्री हीरालाल (निवाई):×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये, बैठिये माननीय गुंजलजी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, यह आप किसकी परमिशन से बोल रहे हो? अंकित नहीं हो रहा है ।

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर):×××

श्री हीरालाल (निवाई):×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगरीय विकास मंत्रीजी ने पूज्य महात्मा गांधी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पीड़ा का जिक्र किया। मुझे आज राजस्थान के हालात पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की महात्मा गांधी के बारे में जो उन्होंने पंक्तियां कही हैं वह याद आती हैं।

कि तुम तो प्राण दे चुके बापू स्वयं उन्हें साधारण जान
कृपया कभी न करना अब फिर अपने दिये हुए का दान

उन्हें न्यास सा रखना आगे उनमें हैं जिनके भाग्य और भगवान जिनके हैं जागे।

यह पीड़ा ...(व्यवधान) और जिस भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सचिवालय में मास्टर की रेट बीस हजार रुपये, कम्पाउण्डर की रेट तीस हजार रुपये, डाक्टर की रेट पचास हजार रुपये ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर):×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सैक्शन–9 के अन्तर्गत बिल पर आर्ग्यूमैंट हो रहा है और आप इधर उधर की बात कर रहे हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप टू दी पाइंट बोलिये कि सैक्शन-9 का अमेंडमैंट करने के लिए जनमत जानना आवश्यक है या नहीं । (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये, माननीय लोढ़ाजी सैक्शन-9 के अन्तर्गत मामूली संशोधन हो रहा है "where the Board is not in existence" इसके लिए आप जनरल बातें दुनिया भर की कहकर ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: संशोधन के प्रति आप ज्यादा बोलिये कि संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: पूछो सरकार से ...(व्यवधान) संशोधन हो रहा है ।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: बहस किस बात पर हो रही है? आप बैठिये माननीय सदस्य।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस 1995 के एक्ट में अमेंडमैंट लेकर आयी है कि जब बोर्ड में एग्जिस्टैंस में नहीं हो तो काम करने के लिए फलां पावर सैक्रेटरी को सरकार डेलीगेट कर सकती है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि सरकार को आये हुए साढ़े चार साल हो गये आपने अभी तक बोर्ड गठित किया? अगर खादी और ... (व्यवधान) यह फिर बीच में बोल रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं। बीच में नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अगर सरकार की नीयत साफ होती तो खाली आप एक अध्यक्ष बैठाकर नहीं रखते, 8 जो मैम्बर नोमिनेट करने चाहिये थे नोन गवर्नमेंट के गैर सरकारी, क्यों नहीं किये आपने? आप क्यों यह यथा स्थिति वादी व्यवस्था चलाये रखना चाहते हो? आपकी अगर नीयत साफ होती खादी और ग्रामोद्योग के प्रति तो आप यह अमेंडमैंट लेकर नहीं आते कि सैक्रेटरी को पावर दे देंगे। आप यह अमेंडमैंट लेकर आते कि हम हर हाल में यह सुनिश्चित करेंगे कि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का कोई पद कभी भी रिक्त नहीं रहेगा। एक टर्म तय करते कि इतने टर्म में अध्यक्ष और बोर्ड के मैम्बर्स होंगे और इस बात की बाध्यता एक्ट के माध्यम से लाते कि उनका टर्म खतम होने से पहले हर हाल में सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बोर्ड पूरा गठित हो। मैम्बर्स की पोस्ट भी खाली नहीं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है। बैठें माननीय सदस्य। मैं दूसरे सदस्य का नाम पुकार रहा हूं। आपने कह दी सारी बात। श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या कह दी बात ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कह दी आपने ... (व्यवधान) कह दी आपने बात ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): +++... (व्यवधान) मैं बोलूंगा अभी ... (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): ×××

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कैसे नहीं कही है ... (व्यवधान) जिस एक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं ... (व्यवधान) एक तो सरकार ने ... (व्यवधान) मेरा अधिकार है बोलने का कि गठित नहीं किया बोर्ड सरकार ने साढ़े चार साल तक ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं करेंगे ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक मैम्बर अपाइंट नहीं किया और अब इस बोर्ड को ... (व्यवधान) करने का काम कर रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप तो पार्टी में होंगे उनके ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विधान सभा की गरिमा यहां जिस तरह तार-तार हुई है सारा सदन देख रहा है, सारा राजस्थान देख रहा है। आज आसन पर जिस तरह की टिप्पणियां और फब्तियां कसी जा रही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन पर जिस तरह की फब्तियां कसी जा रही हैं आसन की गरिमा को तोड़ने की जिस तरह कोशिश की जा रही है मैं समझता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता को आगे बढ़कर प्रताड़ना देनी चाहिये अपने माननीय सदस्यों को। यह थोड़े ही है। आसन सर्वोपरि है। आसन के लिए कह दें कि +++ नहीं है इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती है ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): शर्म आनी चाहिये बोलने नहीं दे रहे हो आप लोग। आप बार-बार खड़े हो रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिये ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और अब यह नया अमेंडमैंट लेकर आ गये आप ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य बैठिये। यह जनमत जानने के लिए ... (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं अभी कह रहा हूं। मैं अभी बोल रहा हूं आप बीच में इंट्रप्ट कर रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, यह जब भी ... (व्यवधान) संस्था एग्जिस्टैंस में आ रही हो और ... (व्यवधान) अमेंडमैंट किया जाता है इसमें ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य मैं अलाऊ नहीं करूंगा। बैठ जाइये आप। आपने यह ... (व्यवधान) संशोधन के बारे में काफी कह दिया आपने सारी बात ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अगर मैं यह चीज रिकार्ड पर ला रहा हूं कि इस सरकार ने साढ़ेचार साल तक बोर्ड का गठन नहीं किया। 8 मैम्बर्स का अपाइंटमेंट नहीं किया तो इसमें क्या गलत बात हो गयी? क्या तकलीफ हो रही है आपको? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः कह दिया आपने तकलीफ की क्या बात है ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं तो फिर बोलने दो ना आप। खतम कर रहा हूं ना मैं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः बोर्ड के मैम्बर्स पर ... (व्यवधान) आप यह कहिये करो, बोर्ड के मैम्बर्स लगाओ ... (व्यवधान) बाकी यह तो एग्जिस्टैंस इसलिये है कि बोर्ड अगर खतम हो जाता है तो यह संशोधन आवश्यक है ... (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह

(श्री संयम लोढ़ा)

व्यवस्था हो गयी कि सेक्रेटरी को पावर डेलीगेट किये जा सकेंगे तो यह हमेशा के लिए इस तरीके की परिपाटी चलेगी और यह बोर्ड का पूरा ... (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): बाकी मैं बोल दूंगा।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कर लो जो आपको ... (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया ... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बोल चुके।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैंने खतम नहीं किया है अभी। मैं एक मिनट में खतम करूंगा। एक मिनट में खतम करूंगा मैं।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट में कर दीजिये।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन कर रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं। बीच में मत टोकिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप यह बहुत गलत अमेंडमैंट लेकर के आये हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित ... (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): ×××

श्री उपाध्यक्ष: छोड़िये। नो कमेंट्स।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित कीजिये कि बोर्ड का गठन निश्चित अवधि में निरन्तर होता रहे। इस तरीके की वेकेंसी क्रियेट नहीं हो। बोर्ड एक स्वायत्तशासी ऑटोनामस रूप से फंक्शन कर सके और इस तरीके से अगर आप यह अधिकारियों को अधिकार डेलीगेट करने का रास्ता ढूंढोगे तो हमेशा के लिए यह संस्था गर्त में चली जायेगी। इसका पूर्ण गठन बोर्ड का कभी हो नहीं पायेगा। साढ़े चार साल में आप नहीं कर पाये, अभी आपकी नीयत में नहीं है जो यह प्रदर्शित करता है कि खादी

(श्री संयम लोढ़ा)

और ग्रामोद्योग के प्रति आपकी कोई निष्ठा नहीं है, आपकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। आपकी मुख्य मंत्री खाली रैम्प पर उतर कर खादी के फैशन शो करना चाहती हैं। लोगों को गुमराह करना चाहती हैं। कोटा डोरिया की उन महिलाओं को आज मजदूरी नहीं मिल रही है जिनके नाम पर यह वीमन टुगेदर नाम का फर्जी अवार्ड लेकर आयी हैं इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसको वापस लिया जाए ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, इतनी लम्बी बात ... (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): × × ×

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): × × ×

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं। प्रतिपक्ष के माननीय नेता भी बैठे हैं। सदन के कई वरिष्ठ सदस्य और बाकी सदस्य भी बैठे हैं। मैं सोचता हूं कि जो शब्द इन्होंने प्रयोग किया उसको आप कार्यवाही से निकालो कि आपने जब दूसरा नाम पुकार लिया तो आपने तुरन्त आवेश में आकर कहा कि +++ तो अगर चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में अगर यह कमेंट करें और यह इसमें अगर लिखा जायेगा तो आने वाले बच्चे जब पढ़ेंगे तो इससे क्या लगेगा? मैं सोचता हूं ऐसे शब्दों को निकाल देना चाहिये यह घर की ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह असंसदीय तो नहीं है ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): नहीं, xxx घर की खेती

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): असंसदीय कहां है? असंसदीय नहीं है। असंसदीय कहां है यह?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): xxx

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): [000]

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): चेयर के लिए यह कहा जाए। चेयर के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाए ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): शब्द असंसदीय नहीं है। मैं यह कह रहा हूं असंसदीय नहीं है ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): समय देना या नहीं देना ... (व्यवधान) चेयर पर निर्भर है ... (व्यवधान) समय देना या नहीं देना उसके ऊपर उनका कमेंट था । यह कोई सामान्य शब्दों में नहीं कहा। जब चेयर ने इस बारे में दूसरों का नाम पुकार लिया तब उनका जो कमेंट था वह चेयर के लिए कहा और यह कहा कि ... (व्यवधान) असंसदीय ... (व्यवधान) चेयर के लिए यह शब्द प्रयोग कर दिया यह +++ (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): असंसदीय कहीं भी नहीं है ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं सोचता हूं इस शब्द को निकालना चाहिये। यह शब्द नहीं आए।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर):×××

श्री उपाध्यक्ष: निकालने का कह दिया मैंने। श्री जोगेश्वर गर्ग।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा है कि जनमत जानने के लिए परिचालित करने वाले व्यक्ति को बोलने का, अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होता है और उन्होंने ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठिये। ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने कहा ना असंसदीय शब्द नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आसन के प्रति भी, माननीय कल्ला जी, आसन के प्रति भी ऐसे रिमार्क्स नहीं देने चाहिये कि +++ क्या यह This is not proper.

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, संशोधन विधेयक पर चर्चा यह पवित्र सदन कर रहा है। राजस्थान का खादी से बहुत पुराना नाता है। जन्म-जन्म का नाता है। खादी और ग्रामोद्योग राजस्थान की ग्रामीण जनता के लिए रोजी-रोटी का एक बहुत बड़ा साधन रहा है और इसलिये इन संस्थानों को और इन संस्थाओं के माध्यम से उन उद्योगों को प्रोत्साहित करना सरकार का पवित्र उद्देश्य हमेशा रहा है और रहना चाहिये।

अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे बोर्ड का

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

गठन होना चाहिये। साढ़े चार साल से नहीं हुआ, जन प्रतिनिधि नहीं है उसमें तो मुझे वह दिन याद आ रहे थे जब 15-15 साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं हुए थे। कई-कई सालों तक नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं होते थे और 32-32 साल तक कृषि मंडियों के चुनाव नहीं हुए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रद्धापूर्वक, बहुत सम्मान के साथ याद करना चाहता हूं जब इसी पवित्र सदन के माध्यम से तत्कालीन मुख्य मंत्री श्रद्धेय भैरोंसिंहजी शेखावत ने पंचायती राज और नगर पालिकाओं के लिए दो विधेयक पास करवाये और उनके लिए चुनाव की अनिवार्यता लागू कर दी और उसके बाद से लेकर के आज 18-19 साल हो गये, एक दिन के लिए एक भी नगरपालिका या एक भी पंचायत समिति, जिला परिषद बिना प्रमुख, बिना अध्यक्ष के नहीं रही हैं। यह एक अच्छी परम्परा राजस्थान में पड़ी। कृषि उपज मंडी के हमने चुनाव करवाये उससे भी एक अच्छी परम्परा पड़ी। यह केवल खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की बात नहीं है, पचासों बोर्ड अपने राजस्थान में हैं और उनमें कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड का गठन समय पर नहीं होने के कारण से बोर्ड को जो कार्य-कलाप करने हैं, उस बोर्ड के माध्यम से राजस्थान की जनता को जो लाभ मिलने हैं वह नहीं मिल पाते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए मुझे याद आ रहा है, संगीत नाटक अकादमी, जिसका हैडक्वार्टर जोधपुर में है, बीच में उसका गठन होने में देरी हुई, अब तो साल भर हो गया, गठन हो गया। एक साल बोर्ड अस्तित्व में नहीं था, उस साल राजस्थान के संगीत, नाटक और अन्य कलाओं से जुडे हुए कलाकारों को जो प्रतिवर्ष पारितोषिक सरकार की तरफ से और अकादमी से मिलता है वह सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाया कि उस अकादमी का गठन नहीं हुआ। एक साल के लिए ऐसी स्थिति रही कि उन सारे कलाकारों को प्रोत्साहित करने से और सम्मानित करने से यह राजस्थान वंचित रह गया। इस बोर्ड और सारे निगमों की भी उतनी ही महत्ता है जितना इन चुनी हुई संस्थाओं का महत्व है इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, इस समय इस पवित्र सदन के माध्यम से कि जैसे आपने नगरपालिकाओं के चुनावों की अनिवार्यता कर दी है, एक दिन के लिए बोर्ड खाली नहीं रहेगा, जैसे आपने पंचायत समितियों और जिला परिषदों और पंचायतों में कर दी है, जैसी आपने कृषि उपज मंडी में कर दी है वैसी ही बोर्डों के बारे में भी विचार करें और हम समग्र रूप से सभी लोग एक साथ मिलकर के विचार करें, बिना पार्टी-पॉलिटिक्स के

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

अन्दर आये और हम विचार करें कि यह बोर्ड भी कभी खाली नहीं रहें। इनका गठन करना हर सरकार के लिए, कोई भी सरकार आये, कोई भी आये, हर सरकार के लिए बोर्डों का गठन करना अनिवार्य हो जाये। ऐसा कोई प्रोविजन, कानून हम इस बिल में डाल सकें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार होगा और दूसरा मेरा निवेदन है कि यह जो शक्तियां हम सैक्रेटरी को दे रहे हैं, इन सारे बोर्डों में वैसे भी ब्यूरोक्रेट्स बहुत हावी रहे हैं, हद से ज्यादा और उन बोर्डों के संसाधनों का दुरुपयोग जितना यह ब्यूरोक्रेट्स करते हैं उतना कोई नहीं करता है।

श्री उपाध्यक्ष: In the absence of the board. कभी-कभी ऐसा करना हो जाता है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): In the absence of the board.

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बहुत अच्छा सुझाव दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): फिर भी आप टोक रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उनको तो सबको सुनना चाहिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): फिर भी आप टोक रहे हैं ...(व्यवधान) यह जो दुरुपयोग होता है, संसाधनों का दुरुपयोग होता है, अधिकारों का दुरुपयोग होता है। वह आप सर्वे कराकर के देख लें, जन-प्रतिनिधियों के हाथ से जितना होता है उससे कई गुणा ज्यादा होता है। जन-प्रतिनिधि भी अछूते नहीं हैं, कई बार कर लेते होंगे मान लीजिये पर उससे कई गुणा ज्यादा दुरुपयोग ब्यूरोक्रेट्स के हाथ से होता है। उनकी गाड़ियों का दुरुपयोग, उनके स्टाफ का दुरुपयोग, सब कुछ होता है। गाड़ियां उनकी बीवी-बच्चों के लिए घूमती रहती हैं, स्टाफ उनके घर की साफ-सफाई करता रहता है और यहां तक कि मैंने मेरे हाथ से इस पवित्र सदन के माध्यम से प्रश्न लगाकर के प्रमाणित करवाया है कि घर में पढ़ने के लिए मैगजीन और अख़बार तक किसी निगम के खाते में खरीदे जाते हैं और वह सारी की सारी मैगजीन एम.डी. और अफसरों के घरों में पहुंच जाती हैं और निगम के लोगों को उनकी शक्ल देखने तक को नहीं मिलती है। ऐसे भी कार्य-कलाप अक्सर

(समय : 16.33 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

होते हैं इसलिए इनको जितने कम अधिकार हम देंगे, जन-प्रतिनिधियों को जितना अधिकार सम्पन्न हम बनायेंगे उतना जनता के हित में उचित रहेगा। उतना प्रजातंत्र के प्रति न्याय होगा और इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि अधिकार उनको दे भी रहे हैं तो एक सीमित सीमा के लिए देना चाहिए। उसमें समय सीमा डालनी चाहिए, तीन महीने, छः महीने, उससे अधिक किसी हालत में नहीं बढ़े और उसके बाद हर हाल में बोर्ड का गठन हो ही जाये ऐसी व्यवस्थाएं अभी इसमें करनी चाहिए और इस समय वर्तमान में जो परिस्थिति है। वर्तमान में इस खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की जो परिस्थिति है, चेयरमैन है, मैम्बर्स नहीं हैं तो इस परिस्थिति में जब चेयरमैन है तो फिर हम क्यों सैक्रेटरी को अधिकार दे रहे हैं, हम चेयरमैन को अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं? इसमें एक प्रतिनिधि तो है ना वहां जनता का, उनको यह अधिकार मिलने चाहिए थे। इसमें भी थोड़ा पुनर्विचार करें, यदि सरकार इस प्रकार के संशोधन को उस दिशा में यदि मोड़ेगी तो मैं समझता हूं कि जनता के प्रति, जनता की भावनाओं के प्रति न्याय होगा। यही मेरा निवेदन है।

सभापति महोदय, इसी के साथ में इस विधेयक को अपना समर्थन देते हुए अपना संशोधन वापस लेता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): सभापति महोदय, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 की जो बात कर रहे हैं, अभी जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा बताया और सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, लेकिन एक बात निश्चित रूप से खादी ग्रामोद्योग का जब नाम आता है तो हर बच्चे के मुंह पर गांधीजी का नाम आता है, बापू का नाम आता है। इसलिए इस स्थिति का विचार और इस बोर्ड का नाम आते समय जिस तरह से सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने इस विषय का रखा वह बिलकुल ठीक नहीं था। गांधीजी क्या कह रहे थे और क्या होने वाला है, आज खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से गावों के दूरदराज ग्रामोद्योग, लघु उद्योगों की जो सेवा होती है, छोटे-छोटे मजदूरों का ध्यान रखा जाता है। इस बोर्ड का गठन भी जरूरी है लेकिन यह जो संशोधन आया, कभी बोर्ड के नहीं होने पर सचिव को जो हम अधिकार देने जा रहे हैं उसमें समय सीमा जरूर बांधनी चाहिए। एक समय होना चाहिए कि इतने समय में वापिस

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

बोर्ड का गठन हो जायेगा, नहीं तो वास्तव में कहीं न कहीं प्रेक्टिकल वे पर हम उस ग्रामीण जनता की सेवा नहीं कर पाते हैं। यह संशोधन बोर्ड के गठन नहीं होने के कारण से जो भी ग्रामीण जनता की सेवा करनी चाहिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से जो लघु उद्योगों की सेवा होनी चाहिए, कांग्रेस सरकार को इतने वर्षों के बाद भी यह बात याद नहीं आयी और गांधी का राग अलापने वाले यह बंधु, जैसी यह बात कहते हैं उसके अनुरूप आज वास्तव में खादी ग्रामोद्योग और गांधीजी का जब नाम आता है और इस देश के पवित्र सदन में संसद सदस्यों को जब खरीदने की बात जब करते हैं तो हमारा चेहरा, हमारा मुंह शर्म से नीचा होता है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी गरिमा और शब्दों की गरिमा हम बनाये रखें। इसके साथ ही इसमें संशोधन जो मैंने दिया है उसको वापिस लेते हुए इतना ही कहूंगा कि सचिव को अधिकार दें लेकिन एक समय सीमा इसमें हम जरूर प्रतिबंधित करें और बोर्ड का गठन आवश्यक रूप से करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. बुलाकीदास कल्ला।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग (संशोधन) विधेयक, 2008 को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये, इस प्रस्ताव पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। खादी कपड़ा नहीं विचार है। इससे हजारों, लाखों कतीनों और बुनकरों को रोजगार मिलता है और इसके निश्चित रूप से अनेक लाभ हैं, खादी पहनने से कोई स्किन डिजीज नहीं होती है। खादी पहनने से यह महसूस होता है कि इससे अनेक लोगों को रोजगार मिला है। आज के इस कम्प्यूटर के युग में, भौतिक युग में, वैज्ञानिक युग में, आर्थिक युग में जिस तरह से मशीनें हाथ के काम को छीन रही हैं। ऐसे वक्त में खादी निश्चित रूप से लाखों लोगों को रोजगार देने का जो काम कर रही है। यह बात हम सब लोगों को अच्छी तरह से समझनी चाहिए और इसको जितनी अधिक हम प्रचारित करें, जितना अधिक इसका विकास करें, उतना ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होगा और लाखों-करोडों लोगों को रोजगार मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि वैसे तो यह एक लाइन का अमेंडमैंट है। पिछले दिनों सरकार ने बोर्ड का पूरी तौर पर गठन नहीं किया और अब यह सारे अधिकार एक सचिव

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

को, एक अधिकारी को देना चाहती है इस अमेंडमैंट के माध्यम से, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि कृषि उपज मण्डी समिति, सहकारी समिति और अन्य संस्थाएं जो चुनी हुई होती हैं, राज्य सरकार को चाहिए कि राजस्थान के पिछले 60 वर्षों से अधिक वर्षों के अपने प्रशासनिक अनुभव को ध्यान में रखते हुए खादी संस्थाओं के चुने हुए जो मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन नहीं करना चाहिए? यह हम सब लोगों के लिए एक विचारणीय प्रश्न है कि खादी और ग्रामोद्योग के क्षेत्र में जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके माध्यम से, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से बोर्ड का गठन करे और उसी में से बोर्ड का अध्यक्ष बनाए तो निश्चित रूप से खादी की संस्थाओं का उद्धार होगा, कल्याण होगा, वह आगे बढ़ेगी।

आज राजस्थान में भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना प्रारम्भ हुई है। मुझे याद है कि एक वक्त जब राजस्थान में अकाल था और कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त पहली बार खुदाई के, तालाब के इन कामों के अलावा खादी को अकाल के कामों से जोड़ा गया था। माननीय सभापति महोदय, आपको जानकर खुशी होगी, उससे हजारों लोगों को रोजगार मिला और खादी के कपड़े का उत्पादन बढ़ा। राजस्थान ने पहली बार ऊनी खादी, सूती खादी, इसमें रिकार्ड तोड़ उत्पादन किया और यह उत्पादन न केवल देश के अनेक हिस्सों में पहुंचा बल्कि निर्यात भी हुआ। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास एक-एक जिले में लगभग तीन-तीन सौ करोड़ रुपए केन्द्रीय सरकार की सहायता से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना का पैसा आ रहा है, उस पैसे का अधिक से अधिक उपयोग हम इस खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम में, ग्रामोद्योग के कामों में, हस्तकला के कामों में और जो ग्रामीण उद्योग हैं उनमें अधिक से अधिक करें तो हमें काफी लाभ मिल सकता है और काफी लोगों को रोजगार मिल सकता है। मैं समझता हूं कि खादी ग्रामोद्योग को नरेगा से जोड़कर हमें अधिक से अधिक काम कराने चाहिए ताकि राजस्थान में हमारी ग्रामीण बेरोजगारी को हम दूर कर सकें।

राजस्थान में लगभग 70 प्रतिशत से ज्यादा लोग गांवों में रहते हैं और गांवों में लोग ज्यादा से ज्यादा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो साल में एक बार ही इस सावणी फसल को करते हैं उसके बाद बहुत से इलाकों में कुछ ऐसे हैं जहां पर रबी की फसल भी होती है लेकिन छह महीने किसान हमारे

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

बिलकुल बेरोजगार रहते हैं ऐसी स्थिति में 100 दिन का रोजगार हम खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से नरेगा से जोड़कर दे देते हैं तो इस राजस्थान में बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है और राजस्थान में खुशहाली आ सकती है।

इसके अलावा मैं खास तौर से यह कहना चाहता हूं कि आजादी का आंदोलन जब चल रहा था उस समय 1942 की मुझे याद आती है उस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के साथ-साथ विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई थी और विदेशी कपड़ों की होली जलाने के साथ-साथ उन्होंने स्वदेशी का और खादी का प्रचार और उसको अपनाने का भी एक संकल्प लिया था। उसी संकल्प को आज हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन दुर्भाग्य से मैं कहना चाहता हूं कि इसका आप बुरा नहीं मानेंगे, जब से आपकी सरकार आई है आपने खादी पर छूट कम की है और जितने दिन तक कांग्रेस के राज में खादी के कपड़ों पर, खादी की वस्तुओं पर छूट प्रदान की जाती थी उस छूट को आपने कम किया है, उसको निश्चित रूप से आपको बराबर मेनटेन रखना है। यदि आप खादी को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो खादी पर जो छूट मिलती है, उसको पहले जितनी मिलती थी कांग्रेस के राज में उतनी की उतनी, उसके बराबर छूट आपको देनी चाहिए। इसके अलावा खादी ग्रामोद्योग पर जो वैट आपने लगा रखा है उस वैट को आपको कम करना चाहिए। जो आदमी हाथ से सूत कातता है, हाथ से कपड़ा बनाता है, हाथ से सिलाई करता है उस पर काहे का टैक्स? मैं समझता हूं कि इन सब चीजों को हमको कम करना चाहिए और टैक्स फ्री, टैक्स एक्जम्प्टेड खादी के कपड़े होने चाहिए, खादी की वस्तुएं होनी चाहिए और खादी ग्रामोद्योग से बनने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वह साबुन है, चाहे वह पेण्ट है, चाहे वह शहद निकालने का काम है, खादी ग्रामोद्योग से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, उन सब पर राज्य सरकार ने जो वैट लगाया है उस वैट को एक्जम्प्ट करना चाहिए, इसके अलावा राजस्थान में इस प्रकार की परम्परा डालनी चाहिए कि खादी ग्रामोद्योग की संस्थाएं अधिक से अधिक बने उनको प्रोत्साहन देने के लिए, नई संस्थाओं को, राज्य सरकार को सब्सिडाइज्ड रेट पर अधिक से अधिक ऋण देकर उन संस्थाओं का विस्तार करना चाहिए और उन संस्थाओं के माध्यम से हमको खादी का निर्यात करना चाहिए।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

माननीय सभापति महोदय, जिस दिन खादी का निर्यात होना शुरू हो जाएगा, आपके हमारे खादी हाथ नहीं आएगी। लेकिन चूंकि दुर्लभ विदेशी मुद्रा हमको कमानी है इसलिए खादी के निर्यात को भी हमको प्रोत्साहन देने का लक्ष्य हमारे सामने रखना चाहिए और इसके लिए अधिक से अधिक मात्रा में खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से कपड़ों का, गलीचों का, दरियों का उत्पादन करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं पिछले दिनों सालावास, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर के दौरे पर था। आपको जानकर खुशी होगी कि वहां कम से कम 4 लाख से अधिक लोगों को दरियां बनाने और खादी ग्रामोद्योग से जुड़े हुए कामों से रोजगार मिल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में जहां खादी ग्रामोद्योग से हजारों, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, ऐसी संस्थाओं का अध्यक्ष और बोर्ड मिलकर काम करे यह तो अच्छी बात है लेकिन उसकी जगह सारे अधिकार सचिव को देना चाह रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को पारित करने से पहले इसको तीन महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए ताकि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन चुने हुए लोगों के माध्यम से हो और वह चुने हुए लोग अपने अध्यक्ष का चुनाव करें, उनके पास सारी व्यवस्था रहे। और कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां चुनाव या इसमें कहीं कोई दिक्कत हो या कोई समय लग रहा हो तो उस समय खादी संस्थाओं का वरिष्ठतम चुना हुआ सैक्रेटरी किसी संस्था का उसको यह काम दिया जाना चाहिए ताकि खादी और ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन मिले और उसके बारे में काम कर सके।

मैं इसके साथ-साथ यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार खादी और ग्रामोद्योग पर बिलकुल ध्यान नहीं दे रही है उन पर आपको अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। पुनः इस बात पर जोर मैं दूंगा कि जितने भी टैक्स खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं पर राज्य सरकार ने लगा रखे हैं उन सारे टैक्सेज को सरकार को तत्काल विथ-ड्रा करना चाहिए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए हम सभी लोगों को खादी को अपनाना चाहिए और खादी का प्रचार और प्रसार करना चाहिए।

अंत में पुनः अपनी बात पर जोर देते हुए मैं माननीय मंत्रीजी से आग्रह करता हूं कि इसको जल्दबाजी में, सारी चीजों को ब्यूरोक्रेसी पर नहीं छोड़ें, इन संस्थाओं को चुनी हुई जनतांत्रिक संस्थाओं का स्वरूप देने के लिए

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

आप यह अमेंडमैंट वापस लें और संस्थाओं के वरिष्ठतम व्यक्ति को जब तक आप खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का पूरा गठन न हो तब तक वरिष्ठतम मंत्री को जो खादी संस्थाओं का चुनाव हुआ व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को यह अधिकार देकर, मैं समझता हूं कि आपको यह अमेंडमैंट वापस लेना चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्री महोदय तो हैं ही नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नोट कर रहे हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कौन? आप। दिगम्बर सिंहजी की चीजें आप नोट करने लग गए क्या? आपका यह स्तर आ गया क्या अब?

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्री बोर्ड (अमेंडमैंट) 2008 के ऊपर मैंने एक अमेंडमैंट दिया है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। माननीय सभापति महोदय, यह इसलिए किया है कि आज खादी और गांधीजी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं और 1952 से यहां विधान सभा है, आज गांधीजी का महत्व दुबारा से इतना हो गया है कि अपने वर्तमान अध्यक्ष महोदय ने गांधीजी की तस्वीर यहां विधान सभा में पहली बार यहां सामने अपने आसन के ऊपर लगाई है। आज गांधीजी एक अतीत ही नहीं भविष्य भी हैं यह दुनिया में बातचीत चलने लग गई है। यू एन ओ भी गांधीजी के जन्म दिन 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप से मनाने लग गया है। यह हमारे लिए एक गर्व की बात है और गांधी के ऊपर जगह-जगह संस्थाएं खुल रही हैं, यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, रिसर्च हो रही है। उन्हीं गांधीजी का सपना था और उनका कहना था कि असली स्वाधीनता हिन्दुस्तान में आना मैं तब मानूंगा जब आम आदमी भरपेट रोटी खाएगा और आम आदमी खुशहाल रहेगा।

आज गांधीजी के उस सपने को इस अमेण्डमैंट के माध्यम से खतम करने का प्रयास यह सरकार कर रही है। आज हम भी चुने हुए जन-प्रतिनिधि हैं। हमारे बगैर सरकार क्या नहीं चल सकती? क्या चल सकती है? नहीं, तुरन्त मुख्य मंत्रीजी को शपथ लेनी है और अपने मंत्रिमण्डल को शपथ दिलानी है और खादी बोर्ड के बगैर बोर्ड चल जाएगा? खादी बोर्ड में जो आदमी मनोनीत किये जाएंगे या चुने जाएंगे, जो एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं गांधीजी की विचारधारा से, ग्रामीण उद्योग की विचारधारा से, खादी ग्रामोद्योग

(श्री जुबेर खान)

के माध्यम से वे लोग क्या सही ढंग से संस्था को नहीं चला पाएंगे? आप उनको अण्डरमाइन्ड कर रहे हैं, उनकी प्रतिभा पर, उनकी कुशलता पर आप सचिव बैठाना चाहते हैं ताकि जैसा जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा चुने हुए जन-प्रतिनिधि और एक सरकारी अधिकारी में क्या फर्क है। सत्ता से जुड़े हुए एक माननीय सदस्य ने यह बात कही, मैं वह नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें करना यह चाहिए था, आज राजस्थान की सरकार जिसके लिए आप बड़ी-बड़ी बात करते हैं, माननीय सत्ता पक्ष के मंत्रीगण और सदस्यगण, यशस्वी मुख्य मंत्री और नम्बर वन मुख्य मंत्री, क्या साढ़े चार साल में ..(व्यवधान)..

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): नम्बर वन तो अशोक गहलोतजी ही थे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नम्बर वन के लिए देवनानीजी को एतराज है, नम्बर वन मत बोलो। देवनानी जी को एतराज है, युनूसखानजी को एतराज है। (व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): हम तो कहते हैं राजस्थान नम्बर वन होना चाहिए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): नम्बर वन सेवक हैं राजस्थान के। राजस्थान नम्बर वन होना चाहिए, राजस्थान की जनता नम्बर वन होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप कृपा करके विराज जाएं। जो भी सदस्य बगैर आसन की इजाजत के बोलेंगे उनका अंकित नहीं होगा। अगर माननीय सदस्य आसन की बगैर इजाजत से बोलेंगे तो अंकित नहीं होगा।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में अख़बार में आया है कि कोई सार्वजनिक जमीन पर वसुंधराजी का मंदिर बनाने की तैयारी हो रही है, विश्नोई समाज के लोग विरोध कर रहे हैं, यह अखबारों में छपा है। जिस मुख्य मंत्री को आप दुर्गा का अवतार बनाने की कोशिश कर

(श्री जुबेर खान)

रहे हैं, जिसका मंदिर बना रहे हैं, जिनका कलेण्डर छपवा रहे हैं उस मुख्य मंत्री को साढ़े चार साल में एक भी आदमी बोर्ड में नियुक्ति के लिए नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री सभापति: मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह खुद विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री सभापति: मंत्री महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं। वे क्या कहना चाह रहे हैं? मंत्रीजी कुछ बात कहना चाह रहे हैं, आप उनकी सुन तो लें। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, सदन में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक पर बहस हो रही है और आप विषयान्तर होते-होते जोधपुर में किसी जमीन में मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रही है, किस बात पर कर रहे हैं? मैं समझता हूं महत्वपूर्ण बिल है, इनके बड़े अच्छे सुझाव आ रहे थे, ये बिल पर बोलें तो समझ में भी आये। ये कौन से संशोधन पर बोल रहे हैं? इसलिए कृपया आप इनको निर्देशित करें कि ये बिल के परव्यू में ही अपनी बात कहें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैं यह बात कह रहा हूं कि साढ़े चार साल में आपकी सरकार और मुख्य मंत्री इस बोर्ड के माननीय सदस्यों को मनोनीत नहीं कर पाये, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? साढ़े चार साल के अन्दर आपको भारतीय जनता पार्टी में ऐसे व्यक्ति नहीं मिले, ऐसे कार्यकर्ता नहीं मिले जिनको आप खादी ग्रामोद्योग में नोमिनेट कर सकें यह कम शर्म की बात नहीं है आपके लिए? पहले तो आप××× (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : ×××

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा):×××

श्री सभापति: एक मिनट विराजें। जो टिप्पणी आदरणीय बापूजी, गांधीजी के लिए की गई हो उसको आप अंकित न करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव):×××

श्री सभापतिः आप विराज जाएं। Now let him conclude.

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जो विचारधारा गांधीजी की थी ..(व्यवधान)

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, आप विराज जाएं। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप विराज जाएं। आदरणीय सदस्य, आप विराज जाएं। कोई भी इस प्रकार की टिप्पणी करेगा तो वह अंकित नहीं होगी। Let it be very clear to every-one, whether it is the Treasury Benches or members sitting across.

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी,××× यह कौन लगाते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभापति महोदय भी जानते हैं और आप भी जानते हैं।

श्री सभापति: एक मिनट, आप विराजें। मुख्य सचेतक महोदय।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची पूरा होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्यसूची पूरा होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्यसूची पूरा होने तक बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अमेण्डमेंट आप ला रहे हैं, चुनी हुई संस्थाओं को जिनमें जन-प्रतिनिधि शामिल होते हैं और खासतौर से ऐसी संस्था जो गांधीजी के साथ जुड़ी हुई है उसको इस अमेण्डमेंट के माध्यम से उन संस्थाओं को आप कमजोर कर रहे हैं। यह अमेण्डमेंट लाये, माननीय मत्री महोदय, आप भी जानते हैं पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, वैर और बयाना में कितने ही गांधी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग हैं, जो अचार बनाने का काम कर रहे हैं, चंगेरी बनाने का काम कर रहे हैं, जूतियां बनाने का काम कर रहे हैं, दरियां बनाने का काम कर रहे हैं और खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से उन चीजों को बेच रहे हैं।

(श्री जुबेर खान)

सभापति महोदय, आज राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसको हम नमन करते हैं उस तिरंगे की भी आवश्यकता पड़ती है तो खादी ग्रामोद्योग से लेकर आना पड़ता है, कोई बाजार में फैंसी ड्रेस या रेडीमेड सेंटर पर नहीं मिलता है। आज उन संस्थाओं की बात हम कर रहे हैं। इसलिए एक छोटा-सा अमेण्डमैंट लाकर आप यह प्रचार करें कि जब आप सैक्रेटरी को यहां अपाइंट कर सकते हैं, उसके आदेश निकाल सकते हैं तो आप इस बोर्ड में मनोनीत करने के, चयनित करने के जो इस बोर्ड से जुड़े हुए लोग हैं, जगह-जगह जिले और ब्लॉक लेवल पर संस्थाएं हैं उनको नोमिनेट करके उनसे काम नहीं कराते। इसलिए जो आपके पतंगे लगे हैं मुख्य मंत्रीजी के ..(व्यवधान) जब आप उनको इतना बड़ा मान-सम्मान दे रहे हैं, आरती उतार रहे हैं तो भले आदमियों, यह तो कह देते कि साढ़े चार साल कोई न कोई आदमी तो भारतीय जनता पार्टी में खादी पहनकर घूमता ही होगा जिसको आप नोमिनेट कर देते। लेकिन आपकी सरकार की मंशा है किसी तरह से इन चुनी हुई संस्थाओं को खतम करके अपना एक राज, सिंगल हैंडेड, जैसा आप इस सरकार में कर रहे हैं यह चलाना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस अमेण्डमैंट की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार इस अमेण्डमैंट के माध्यम से सचिव को बोर्ड का अधिकार देना चाहती है और जब बोर्ड का दर्जा सचिव को मिल जाएगा, आप बहुत से माननीय सदस्य यहां बैठे हो, बार-बार अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग में, विधायक दल की मीटिंग में कहते हो यूआईटीज के चेयरमैन क्यों नहीं बनाये जा रहे हैं, फलां बोर्ड के चेयरमैन क्यों नहीं बनाये जा रहे हैं? जिन लोगों को चुनाव नहीं लड़ाया उनको मौका दो, जो चुनाव हार गये उनको दो, जो कार्यकर्ता हैं उनको मौका दो और कहीं-कहीं यूआईटी में दे भी दिया तो अजमेर में क्या हुआ? खुलेआम कहा कि दो करोड़ रुपये लेकर बन गया। आपके ये खोटे धंधे हैं, इसीलिए इन संस्थाओं को खतम करना चाहते हैं क्या? इसीलिए इन संस्थाओं को खतम करना चाहते हो? (व्यवधान) आप भूल जाएं 25 करोड़ की। तहलका काण्ड में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेते पकड़े गये, उनको भी आप एमपी बना रहे हैं, पदाधिकारी बना रहे हैं। आप कौनसी नैतिकता की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम):×××

श्री हीरालाल (निवाई):×××

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री हीरालाल (निवाई):×××

श्री सभापति: निवाई से आने वाले माननीय सदस्य, आप विराजें। आप विराज जाएं। (व्यवधान) आदरणीय, आप तो विराजें।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री सभापति: मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कृपा करके अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं निवेदन करना चाहता हूं .. (व्यवधान) आप अपना स्थान ग्रहण करें। जो व्यक्ति इस सदन में मौजूद नहीं है अगर उनके लिए कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है तो वह अंकित नहीं होगी।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, आपने जो समय दिया, आप विषय पर बात करें। जिस विषय पर बोलने के लिए खड़े हुए हैं उस पर बोलें। आप तो अपने आप को बिलकुल ईमानदार बहुत बढ़िया जैसे तो इनसे बढ़िया कोई राष्ट्रवादी पार्टी ही नहीं हो, इनसे बढ़िया कोई कार्यकर्ता, इनसे बड़ा कोई नेता नहीं हो ...(व्यवधान)... आज दिल्ली में जो कुछ नंगा नाच हो रहा है वह कैसे छिपाएंगे ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप कंटीन्यू करें। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): बोफोर्स को याद करो, बंधुओं। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): दिल्ली में कहां हो रहा है नंगा नाच ? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नंगा नाच कहां हो रहा है इन लोगों को पता होगा, हमें तो नहीं पता। (व्यवधान) लेकिन मैं एक निवेदन जरूर करना

(श्री जुबेर खान)

चाहूंगा, सभापति महोदय, माननीय उद्योग मंत्री महोदय जब इधर से तरह तरह के आरोप लग रहे थे तब आपको क्यों नहीं आई यह बात कि क्यों इस तरह के आरोप लग रहे हैं? (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): ऐसा है आप विषय पर बोलें न? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैं विषय पर ही बोल रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, आप कृपया इनको पाबंद करें कि विषय पर बोलें, जल्दी पूरा हो जाएगा, यह विषयांतर होते जा रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं आपसे भी निवेदन करूंगा ...(व्यवधान) let's remain limited to the contents of the Bill.

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, मैं आपके आदेशों की पालना कर रहा हूं लेकिन आपसे एक निवेदन करूंगा, इस सदन में अब जो चर्चा होगी उसमें विषय के अलावा कोई कहीं से नहीं बोलेगा कि कौन सांसद किसके साथ जा रहा है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, यह सुझाव भी ठीक है, मेरे ख्याल से आपको मानना चाहिए ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं तो इसमें सिर्फ यही निवेदन करना चाहूंगा कि यह अमेंडमैंट है, इस अमेंडमैंट के माध्यम से चुनी हुई संस्थाएं और ऐसी संस्था जो गांधीजी से जुड़ी हुई हैं। आज विचारधारा गांधीजी की क्योंकि बहुत कम बची हैं और यह संस्थाएं गांधीजी की विचारधारा की उत्तराधिकारी हैं, यह विचारधाराओं को आगे बढ़ा रही हैं। अगर इन विचारधाराओं की संस्थाओं के ऊपर भी राजस्थान की सरकार इस तरह से कुठाराघात करेगी, इस तरह से उस पर अधिकारियों को बिठा कर जो चुने हुए प्रतिनिधियों को खादी ग्रामोद्योगों से जुड़े हुए लोगों के अधिकार छीन कर इस तरह से बिठाएगी तो यह काला दिवस के रूप में आने वाले समय में माना जाएगा कि जिस गांधीजी को दुनिया नमन कर रही है, उनके आदर्शों पर रिसर्च हो रही है कि कौन सा वह गांधी था कि जिन्होंने एक धोती पहन कर जिन अंग्रेजों के सामने, जिन अंग्रेजों के शासन में दिन नहीं छिपता था उनको

(श्री जुबेर खान)

खदेड़ भगाया अहिंसा के माध्यम से, उनकी संस्थाओं को खत्म करने का काम आदरणीय घनश्यामजी तिवाड़ी और गुलाब चन्दजी कटारिया, आप मत कराइए, यह राजेन्द्रजी तो ऐसा काम करेंगे खोटा, इन्होंने तो सोच लिया लेकिन आप तो सोच लीजिए, अब तो आप भी गांधीजी की दुहाई देने लग गये इसलिए इन संस्थाओं को बचाने का काम करिए और इसको जनमत जानने हेतु भेजें ताकि गांधीजी की विचारधाराओं से ग्रामोद्योगों से जुड़े हुए जो लोग हैं वह भी अपने सुझाव दे सकें कि यह बोर्ड कैसे सुचारु रूप से चले। यही बात मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपने मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरिमोहनजी शर्मा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सारी बातें आ गईं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, मोटी मोटी बात तो आ गई, सही है। मैं एक दो मिनट में ही खतम कर दूंगा।

सम्माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं इन्हीं के दल के भाई जोगेश्वरजी गर्ग ने जिस गम्भीरता के साथ इस संशोधन प्रस्ताव पर अपने निर्भीकता के साथ में विचार रखे उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और अफसोस इस बात का करता हूं कि जिस दल के वह सदस्य हैं, वह उनकी गम्भीरता को गम्भीरता से नहीं ले पा रहे हैं और होना भी चाहिए। माननीय दिगम्बर सिंहजी जैसे खुशनुमा और 21वीं सदी की जीवन शैली में जीने वाले के हाथ में अगर खादी मंत्रालय आ जाए तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह अमेंडमैंट उन्होंने बिलकुल ठीक लाया है। विचार का प्रश्न है, विचारधारा का प्रश्न है, आपसे इससे अधिक क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आप हर जगह लोकतंत्र की भावना की उपेक्षा करके इस सरकारी तंत्र के हाथ में इन संस्थाओं को आप सौंप दें। मैं उम्मीद करता था, माननीय सभापति महोदय, कि यह वर्तमान सरकार आगे की भी सोचे, वर्तमान सरकार केवल यह सोच कर के चले कि इस लोकतंत्र में वर्षों से इन्हीं का शासन रहेगा या इन्हीं के पसंद के आदमी नोमीनेट होते रहेंगे या इन्हीं की पंसद के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वह इन संस्थाओं को चलाते रहेंगे तो बहुत बड़ी गम्भीर भूल कर रहे हैं। यह लोकतंत्र है, परिवर्तन है, चार माह बाद चुनाव आने वाले हैं। जिस हथियार को आप अपने पक्ष में लेना चाहते हैं, वह हथियार किसी दूसरे व्यक्ति के और

(श्री हरिमोहन शर्मा)

दूसरी पार्टी के हाथ में भी जाएगा इसलिए परम्पराओं को देखते हुए लोकतंत्रीय भावनाओं को देखते हुए मेरा अनुरोध है कि जो एक व्यक्ति विशेष को प्रशासक के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से जो इस संशोधन के माध्यम से जो अधिकार देना चाहते हैं वह मूल लोकतंत्र की भावनाओं के विपरीत है। अच्छा होता यह होता जैसे भाई जुबेर खान ने कहा कि पूरे साढ़े चार साल के शासनकाल में आपको इस खादी ग्रामोद्योग संस्था को चलाने के लिए आपके दल में कोई ऐसा निष्ठावान आदमी नहीं मिल पाया, ऐसा कोई निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं मिल पाया, कोई ऐसा निष्ठावान खादी प्रेमी नहीं मिल पाये जिन पर आप विश्वास कर सको कि यह लोकतंत्र की भावना के अनुरूप इस खादी बोर्ड को ठीक प्रकार से चला सकते हैं। आप साढ़े चार साल में उनके लिए व्यक्तियों की तलाश नहीं कर पाये, आप चेयरमैन भी तलाश नहीं कर पाये, आप 8 व्यक्तियों को उस भावनाओं के अनुसार तलाश नहीं कर पाये और अंत में हताश भाव से आपने उन मूल भावनाओं को जो विधान में जो थी उन भावनाओं को समाप्त करके जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक सचिव को सम्पूर्ण बोर्ड के अधिकार दिलाने का जो फैसला करने यह सरकार जा रही है, वह लोकतंत्रीय भावनाओं के अनुरूप नहीं है।

मेरा तो विनम्र अनुरोध है, सभापति महोदय, कि इनको पुनः इस पर विचार करना चाहिए, इधर के कहने वालों की बात पर भी विचार करना चाहिए, उधर के कहने वालों की बात पर भी विचार करना चाहिए और सम्मानजनक ढंग से अगर लोकतंत्र में इनका विश्वास है और लोकतंत्रीय तरीकों से इन संस्थाओं को चलाने में इनका प्रगाढ़ विश्वास है तो इस बिल को इनको स्वयं को ही वापस ले लेना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में हम यह कह सकें कि सरकार ने, यहां के मंत्रीजी ने और यहां की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उस गलती का अहसास किया जिसके माध्यम से पूरे बोर्ड का सत्यानाश करने जा रहे हैं।

मैं बहुत अधिक कुछ नहीं कह कर के इतने विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि जिस भावना के हिसाब से इन्होंने जो यह संशोधन प्रस्ताव लाये हैं और जिन महात्मा गांधीजी का उद्धरण सब दे रहे हैं, जिन महात्मा गांधीजी के चित्र को, उनके सिद्धांतों का, उनके कार्यकलापों का वर्तमान युग में जो काम्पीटिशन चला आ रहा है रोजगार मिलने का यह सरकार हो, चाहे कोई

(श्री हरिमोहन शर्मा)

दूसरी सरकार हो, कोई भी गवर्नमैंट एम्प्लायमैंट इतना नहीं दे सकता जितना रोजगार ग्रामोद्योग और खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से दिया जा सकता है। जो गांव के हालात हैं, जो गांव में आप और हम भी जाते हैं, आज हम भले ही शहर में रहने वाले इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं में रहने वाले, अच्छी-अच्छी कारों में घूमने वाले, अच्छे अच्छे संसाधनों से अपना जीवन यापन करने वाले अगर गांव में आप जाओगे तो आज इतना अर्सा गुजरने के बाद भी हर गांव में आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे अच्छी संख्या में जिनको रहने का मकान नहीं है जिनको खाने की पूरी व्यवस्था नहीं है, जिनके पास उद्योग धंधे नहीं हैं, अगर यह रोजगार गारंटी की स्कीम इस समय नहीं चलती और रोजगार गारंटी का कार्यक्रम नहीं होता तो साढ़े चार साल में आप रोजगार उपलब्ध करा पाते गांव वालों को ? एक आदमी को 50 रुपये का रोजगार आपने नहीं दिया, एक आदमी को गांव में रहने वालों की आपने व्यवस्था नहीं सुधारी, एक आदमी को साढ़े चार साल में आप मजदूरी नहीं दे पाये। अगर यह रोजगार गारंटी स्कीम नहीं होती और यह खादी ग्रामोद्योग की जो मूल भावना है, अगर रोजगार गारंटी अधिनियम नहीं होता और केन्द्र सरकार की अतुल सम्पदा और अतुल पैसा पांच-पांच हजार करोड़ रुपये आपको नहीं मिलता तो गांव का किसान, गांव का मजदूर रोजी रोटी के लिए आज भी तरस रहा होता जिसको कुछ संबल केन्द्र सरकार ने दिया है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि लोकतंत्रीय भावनाओं के अनुसार आप फिर इस पर पुनर्विचार करें अपनी पसंद के अच्छे-अच्छे आदमियों को उसमें बिठा दें जिनका खादी ग्रामोद्योग और ग्रामीण विकास जो योगदान हो सकता है चाहे वह ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं इनकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल ससांधन मंत्री): चुनाव के टाइम में पब्लिक मीटिंग में बोलना यह सब, विधान सभा में तो कोई विधेयक से संबंधित बात बताइए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पर मैं यह पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान)... मैं इंटरविन करने के लिए क्षमा चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): गांधीजी की विचारधारा आपको समझ में आएगी ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कि यह जो खादी ग्रामोद्योग है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने, सब लोगों ने युगानुकूल अपना अपना अच्छा विकास कर लिया ...(व्यवधान) इसलिए आपको यह बात अच्छी नहीं लग रही है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह खादी ग्रामोद्योग का सत्यानाश करने के लिए कौन जिम्मेदार है? (व्यवधान) पर मैं यह पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ज्यादा अच्छा होता, महावीरजी, कि आप यह मुख्य सचेतक के पद से आपको ही यह खादी ग्रामोद्योग का चेयरमैन बना देते ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वह अलग बात है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ज्यादा बढ़िया होता, यहां भी शांति रहती और वहां भी लोकतंत्रीय भावना के हिसाब से आप काम करते, ज्यादा बढ़िया होता।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं आपकी भावनाओं के साथ मिल कर यह पूछना चाहता हूं कि यह खादी ग्रामोद्योग का जो सत्यानाश हुआ और जो वहां से ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, यह कौन सा इंटरविनिंग सेशन है जिसमें वह कोई बात बोल दें फिर मैं बैठ जाऊं फिर वह बोल दें ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं तो आपके विचारों का स्वागत करते हुए, माननीय सभापति महोदय, केवल इतना ही पूछना चाहता हूं, मुझे भी इस खादी ग्रामोद्योग ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पाइंट आफ आर्डर।

श्री सभापति: विराजें, now he is on a point of order.

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, हमारी राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम में यह प्रावधान है कि कोई माननीय सदस्य बोलेगा तो उसको कोई भी माननीय सदस्य बीच में व्यवधान नहीं डालेगा ...(व्यवधान) अभी बताता हूं, मेरे पास किताब रखता हूं मैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): किताब में यह भी है कि ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सदस्यों द्वारा पालनीय नियम।

इसमें बोलते समय पालनीय नियम, पेज 109 निकालो आप। अभी बता देता हूं आपको।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप क्या डिस्टर्ब कर रहे हो अब। आप विराजो न। अपने आप सब पालना कर लेंगे। आप भी तो वो ही कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, मैं केवल यह पूछ रहा हूं कि मैं भी जब खादी ग्रामोद्योग में जाता हूं तो दो-दो रुपये, चार-चार रुपये......

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ...... साथ में यह भी है कि मंत्री जब जवाब देते हैं तो बहुत ज्यादा बोलते हैं वो भी नहीं बोला जाना चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इन संस्थाओं का सत्यानाश किसने किया?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कल्ला साहब, आप यह भी बता दीजिये कि जब मंत्री लोग अपना जवाब दे रहे हों तो दूसरे माननीय सदस्यों को नहीं बोलना चाहिए। यह भी बता दो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बोलते समय किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं करेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कहां कर रहा हूं दोषारोपण?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): और वाद-विवाद पर प्रभाव डालने के प्रयोजन के लिए.....

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कल्ला साहब, इन्होंने किया या नहीं व्यक्तिगत दोषारोपण? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे तो उसके बीच में बिना नियम के चीफ व्हिप व्यवधान डाले, चीफ व्हिप का मतलब यह नहीं होता है कि वह बीजेपी का चीफ व्हिप है, वह पूरे सदन का चीफ व्हिप है। वह यदि व्यवधान डालता है तो मैं

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

समझता हूं कि यह बहुत बुरी बात है इसलिए आपको बीच में व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैंने व्यवधान नहीं डाला है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): और यदि आपको बीच में कहना है तो आप चेयर की परमिशन लेकर के बोलें, बीच में नहीं बोलें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने जो पाइंट ऑफ आर्डर उठाया है उसी में यह है कि जो.....

श्री सभापति: मैं एक निवेदन आप सबसे करना चाहता हूं। एक मिनट, आप विराज जाएं। मैं आप सब से निवेदन करना चाहता हूं कि the point of order was pointedly correct to the extent that let us all collectively make a courageous effort to observe the sanctity of this House. So let us decide that yes, we will not intervene if somebody is speaking or is holding the floor. आप कन्क्लूड करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारी परम्पराओं में जिस सिद्धांत, जिस लोकतंत्र के आधार पर उधर आप बहुमत लेकर के बैठे हैं, कल की तारीख में अगर यह कोई फैसला कर दे कि विधान सभा के चुनाव नहीं होंगे, हम नामिनेट करेंगे तो कैसा लगेगा आपको? अगर आपको यह अच्छा लगेगा तो मूल रूप में आपका जनता से कोई लेना-देना नहीं है, आप नामिनेशन के माध्यम से कुर्सी प्राप्त करना चाहते हो इसलिए आपको अच्छा लगेगा और यही भावना मूल रूप में है। मैं यही कहता हूं कि इस सरकार की यही भावना है। इस नामिनेशन के पीछे भी यही भावना है कि लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है और इस कारण इस खादी बोर्ड को समाप्त करके अपने चहेते अधिकारी को ये समस्त अधिकार देकर के इस लोकतंत्र की भावना को समाप्त करना चाहते हैं। मेरा पुनः विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है इस सरकार से कि आप पुनर्विचार करें, इस विधेयक को वापस लें और आप जिन लोगों को भी, चाहे अपने दल के लोगों को, उन लोगों को नामिनेट करें, उनको बोर्ड का चेयरमैन बनायें, चुनाव के माध्यम से उपाध्यक्ष उसका बनायें तो ज्यादा भला होगा और अगर यह भावना आपकी नहीं है तो इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करें। यही मेरा अनुरोध है।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): सभापति महोदय, आज इस समय में आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, प्रधान मंत्री कोई है और चला कोई रहा है

(श्री तगाराम चौधरी)

और फिर वह पार्टी लोकतंत्र की दुहाई दे रही है इससे ज्यादा लोकतंत्र का गला कैसे घोटोगे?

श्री सभापति: श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): घनश्यामजी, सब अपने-अपने चश्मे से देखते हैं। किसी को अख़बार में 25 करोड़ की न्यूज याद आ गई वह चला आता है लेकिन उनको बंगारू लक्ष्मणजी नजर नहीं आते हैं, इनको जया जेटली नजर नहीं आती हैं। सब ने अपने-अपने चश्मे लगा रखे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): बंगारू लक्ष्मण का तो छोटा सा मामला है, बड़े-बड़े मामले कांग्रेस के लोगों के हैं। बहुत तकलीफ होती है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब आप देखें कि ये संसदीय सचिव अपनी जगह से भी नहीं बोल रहे हैं। नियम, कायदे-कानून सब दूसरों के लिए ही हैं क्या?

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): बोफोर्स दलाली याद आती है?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): याद है, तुम्हारे एम.पी. 10-10 हजार रुपये की.... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ....कितना भ्रष्टाचार किया बोफोर्स में? देश की रक्षा के साथ में कितना धोखा किया वह भी देख लें न। पहले खुद के गिरेबान में झांकें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपके एमपी की 10-10 हजार.... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): .....100-100 चूहे खाकर बिल्ली हज को कैसे चल रही है? पहले अपने गिरेबान में झांककर देखें कि देश के साथ में कितना कुठाराघात किया गया है और भ्रष्टाचार का नाम ही दूसरा कांग्रेस है।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): भूल गये क्वात्रोची को? क्वात्रोची को भूल गये?

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): अमरनाथ की जमीन खाने वाले अपने गिरेबान में झांककर के देखो।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): 10 हजार करोड़ की चर्चा नहीं करते। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यह 2-3 को तो चैक कराइये, लगता है कि इन कुर्सियों में कुछ गड़बड़ है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, नहीं, डाक्टर अशोक पानगड़िया जी और शिव गौतमजी के पास भेज देंगे इनको।

श्री हीरालाल (निवाई): कुछ को तो आगरा भी भेजो। आगरा भी भिजवाओ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, यह सदन राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 पर चर्चा कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व मेरे विद्वान साथी, पक्ष और विपक्ष के दोनों तरफ के इस पर अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि खादी एक वस्त्र नहीं है कि रेशमी वस्त्र हो, साड़ी हो, कुर्ता-पाजामा पहन लें। धोती पहन लें और हम नेता लग रहे हैं, रैम्प पर चल लें, उसका प्रचार कर लें बल्कि खादी एक आंदोलन है। खादी के पीछे पूज्य बापू महात्मा गांधी की जो मूल भावना थी वह स्वावलम्बन की भावना थी कि इस आंदोलन के जरिये, इस खादी के जरिये ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, गांव-गांव में लोग, महिलाओं और पुरुषों को रोजगार मिलेगा। आज खादी कपड़े तक सीमित नहीं रही, माननीय मंत्रीजी जानते हैं कि आज खादी ग्रामोद्योग विकास बोर्ड का दायरा काफी बढ़ा है। खादी कपड़ा ही नहीं बनाती, खादी तेल भी निकाल रही है, स्पिंडल लगा रही है, घाणियां लगा रही है, खादी बोर्ड का साबुन बन रहा है, भरतपुर में खादी बोर्ड ईंट भी बना रहा है, खादी बोर्ड अनेकों धंधे करके गांवों में लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा है, आय का साधन है। अभी हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि साहब विधान सभा का चुनाव नहीं होकर के आपको नामिनेट कर दें, मैं यह नहीं कहता, मैं यह कहता हूं कि यह जो आप विधेयक लाये हैं यह विधेयक ठीक उसी प्रकार का है जैसे धारा 356 होती है कि किसी सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। आपकी भावना लोकतंत्र में कतई नहीं है। आप भी यह नहीं चाहते हैं कि निर्वाचित प्रतिनिधि हो, खादी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हो जो उसका अध्यक्ष रहे। क्यों आप यह बिल लेकर के आ रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था तो आज भी विद्यमान है कि जब बोर्ड का चेयरमैन नहीं होता है तो इण्डस्ट्री सैक्रेटरी या डायरेक्टर इण्डस्ट्रीज या और किसी अधिकारी को भी राज्य सरकार उचित समझती है तो उसको वहां का सैक्रेटरी या प्रशासक बना

(मोहम्मद माहिर आजाद)

देती है। वह एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है और जब बोर्ड का गठन हो जाता है और बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं तो वो अपना कार्य ग्रहण कर लेते हैं और अपना काम करते हैं। मेरे समझ में नहीं आया कि फिर आपको यह विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? या तो आपका उद्देश्य यह है कि आप खादी बोर्ड का जैसे आपने 5 साल में गठन नहीं किया, और भी बहुत सारे बोर्ड हैं लेकिन विषय चूंकि खादी का है, आपने आज तक पांच साल में अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम का गठन नहीं किया इससे करोड़ रुपये का जो अनुदान हमको भारत सरकार से मिलता और राजस्थान के लाखों अल्पसंख्यक, पढ़े-लिखे और अनपढ़ लोग, दस्तकार लोग उससे लाभान्वित होते पर राजस्थान राज्य उससे महरूम रह गया। इसी तरह से आपने खादी बोर्ड का गठन नहीं किया। अगर आपका उद्देश्य यह है कि खादी में और गांधी में आपका विश्वास नहीं है, आप यह मानते हैं कि खादी और गांधी का नाम जुड़ा हुआ है, आपको इन दोनों चीजों से ही कोई सरोकार नहीं है। आप परमानेंट ही इसमें स्थायी प्रशासक लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी अलग है। वैसे भी आप देख लें, माननीय सभापति महोदय, अभी एक सदस्य कह रहे थे कि गांधीजी की निगाह शर्म से झुक गई है। गांधीजी ने आपसे मुंह फेर लिया है, हमारी तरफ देख रहे हैं। आपकी हरकतें उनको अच्छी नहीं लग रही हैं इसलिए उधर नहीं देखकर के हमारी तरफ देख रहे हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): आप सुनो। सभापति महोदय, यह सामने गांधीजी हैं, आप ही देख लो कि किधर मुंह कर रखा है और किधर नहीं कर रखा है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरी तरफ। आपसे तो मुंह फेर रखा है।

एक माननीय सदस्य : क्योंकि गड़बड़ उधर ही है इसलिए देख रहे हैं उधर।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपसे तो मुंह फेर रखा है उन्होंने। (व्यवधान) वो निर्दलीय को भी नहीं देख रहे हैं अगर दोनों तरफ नहीं देख रहे हैं तो।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपकी तरफ तो धागा है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): धागा है, हमें तो एक निगाह ही अच्छी है।

अजी नजर-ए-इनायत तो थोड़ी सी भी अच्छी होती है। तो माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप सार्थक बहस करना चाहते हैं और आपकी नीयत सही है तो, सत्ता पक्ष से आने वाले जोगेश्वर गर्गजी ने भी एक बात कही, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इसमें आगे अमेंडमेंट दिया है कि एक समयावधि तो होनी चाहिए। मानते हैं, कई बार लैप्स रह जाते हैं, कई बार अच्छे आदमी नहीं मिलते हैं, उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती है। आपने लोकायुक्त का ही गठन नहीं किया था, अब जाकर के किया है इतने सालों में, इसलिए सारी संस्थाओं का अगर आप गला घोंटना चाहते हैं, केवल आप तो प्रोपर्टी डीलर की तरह ही काम करना चाहते हैं तो बात दूसरी है, नहीं तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन यही है कि इस खादी को जो स्वावलम्बन का एक साधन है, खादी जो एक विचार है, खादी जो एक आन्दोलन है, अगर इसके अन्दर आपकी आस्था है तो आपको इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिए और खादी में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष बनाना चाहिए और इस बोर्ड का गठन करना चाहिए और अगर यही है कि कुछ समय चाहिए तो इसमें आपको कम से कम समय-सीमा तो मेंशन करनी चाहिए कि हम तीन महीने में या छह महीने में जब तक नहीं होगा, उस बीच में अधिकारी रखेंगे। आपकी यह इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए कि यह कोई अन-लिमिटेड टाइम आप ले लें कि आपकी मर्जी आयेगी तब गठन कर देंगे, यह ठीक नहीं है। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह सरकार से मांग करता हूं कि इस विधेयक को पारित करने से पहले इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाना चाहिए।

श्री सभापति: श्री हेमाराम चौधरी (अनुपस्थित), डाक्टर सी. पी. जोशी (अनुपस्थित), श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (अनुपस्थित), डाक्टर श्रीगोपाल बाहेती।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग संशोधन विधेयक, 2008 पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, खादी और ग्रामोद्योग इस देश की आत्मा है, भारत की आजादी के इतिहास को जब देखें तो भारत की आजादी के इतिहास में खादी का बहुत बड़ा योगदान है। खादी एक वस्त्र ही नहीं है, खादी एक चिंतन

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

है, खादी एक विचार है और खादी एक ऐसी चीज है जिसमें भारत की आत्मा रचती है और बसती है। खादी को आपने केवल वस्त्र नहीं माना है।

मैं आपको खादी के बारे में एक घटना बताना चाहता हूं वर्धा आश्रम की। वर्धा आश्रम में एक महिला जब जेल गई आन्दोलन के दौरान 1942 के अन्दर तो उसने अपने गहने उतारकर एक साथी को दिये कि भइया, यह मेरा पता है और यह मेरे घर पर जाकर गहने दे देना और कहना कि मैं बापू के साथ जेल जा रही हूं। उस नौजवान ने पूछा कि बहनजी, आप मुझे जानती नहीं हो, आप मुझे पहचानती नहीं हो और इतने गहने आपने मुझे दे दिये और ऐसी क्या बात है तो उस महिला ने कहा, जिस ओर मैं पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हम क्या थे, क्या हो गये और क्या होंगे अभी? हमारा क्या स्तर था? उस महिला ने कहा कि भइया, तूने खादी पहन रखी है, यह पहचान पर्याप्त है। यह था हमारे देश के सार्वजनिक जीवन का आदर्श। सार्वजनिक जीवन का जो आदर्श हमारा था, हमें यह सोचना चाहिए कि हम कहां थे और आज हम कहां आ गये? आज हम केवल नारेबाजी, एक-दूसरे को चोर कहने में, एक-दूसरे को लम्पट कहने में समय बहुत जाया करते हैं और खादी और ग्रामोद्योग एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम इस देश में, इस प्रांत में उस गरीब की पीड़ा का एहसास कर सकते हैं जो आज ाणी में बैठा हुआ है और रोशनी, चिकित्सा और अन्न की व्यवस्था के लिए इन्तजार कर रहा है। खादी और ग्रामोद्योग, ये दोनों ऐसे आधार थे जिसको लेकर के महात्मा गांधीजी ने ग्राम स्वराज्य का सपना देखा था, हमारे देश की आजादी के दीवानों ने सपना देखा था कि जब मुल्क आजाद होगा तो हम खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से हमारे देश के अन्दर आर्थिक आजादी गांव-गांव तक पहुंचायेंगे। मैं आज सदन के माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मनमोहन सिंहजी को और आदरणीया सोनिया गांधीजी को कि जिन्होंने आजादी के 60 साल में पहली बार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम लागू करके गांव वालों को आर्थिक आजादी दी है।

आज पंचायत अपने स्तर पर फैसला करती है कि उसे क्या काम करना है। उसका फण्ड सीधा उसके पास आता है। उसको आवश्यकता नहीं है एम.एल.ए. एम.पी. की शक्ल देखने की, उसको आवश्यकता नहीं कलक्टर का मुंह देखने की। यह चिंतन है खादी और ग्रामोद्योग का, यह विचार है खादी और ग्रामोद्योग का। आज जो हमारे दस्तकार हैं, हमारे शिल्पकार हैं, उनके

विकास का आधार यदि कोई है तो वह ग्रामोद्योग का विकास है इसलिए खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड इतना मजबूत होना चाहिए कि जिस दिन कोई सरकार शपथ ले उसके विदिन ए वीक, एक सप्ताह के अन्दर इसका गठन होना चाहिए। यह कहीं मंत्री पद से कम नहीं है लेकिन हम इतने लापरवाह रहते हैं या तो हमें योग्य व्यक्ति नहीं मिलते हैं या हम विश्वास नहीं कर पाते हैं या हमें गांव की चिंता नहीं होती है, उसको लेकर बोर्ड का गठन नहीं करते हैं और फिर दायें-बायें देखकर के और अधिकारियों के सहारे हमारा काम कराना चाहते हैं और वही इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।

अभी मेरे पूर्व वक्ता थे सत्ता पक्ष के, उन्होंने तीन बातें यहां पर की हैं कि पंचायती राज, नगर परिषद और कृषि उपज मण्डी समिति। यह वास्तव में सही कहा है उन्होंने, यह धन्यवाद दिया उन्होंने माननीय राजीव गांधीजी को कि जिनकी वजह से पंचायती राज में और नगर परिषद के चुनाव नियमित होते आये हैं लेकिन देखिये, कृषि उपज मण्डी समिति में... (व्यवधान) केन्द्र में राजीव गांधी लाये इसको जब वे प्रधान मंत्री थे, उनका लाया हुआ है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आप गलत बात कह रहे हैं। यह बात उसमें नहीं है। यह सारा राजस्थान के कानून में है, यह नाथूसिंहजी गुर्जर गवाह हैं। इन्होंने वह कानून बनाया था। सारा राजस्थान के कानून में हुआ है। यह सारा राजस्थान में कानून में है, केन्द्र के कानून में वह बात नहीं है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): नहीं, यह उनका लाया हुआ है। आप देख लेना। यह बहस का पाइंट नहीं है। यह बहस की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ...और माननीय नाथूसिंहजी गुर्जर ने पास किया था 1994 में, इन्होंने बनाया था यह कानून राजस्थान में और राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत थे और उस समय पंचायती राज मंत्री थे माननीय नाथूसिंहजी।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): यह आपकी गलतफहमी है। चलो, आप खुश हो गये। नाथूसिंहजी का मतलब था राजस्थान से। मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात सुनें।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप तो यह बता दो, आप खादी की बात करते हो, खादी का काम कौन करता है, यह बता दो।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): आप करते हो।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): हां, हम करते हैं। बुनकर करते हैं, मेघवाल करते हैं। असली खादी का काम तो बुनकर और मेघवाल ही करते हैं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): तो मैं आपकी बात ही कर रहा हूं। मैं तो आपकी ही बात कर रहा हूं और आप देखिये, इस बात को... (व्यवधान) ये कृषि उपज मण्डी की बात कर रहे हैं। यह चुनाव आपकी सरकार ने कराये हैं? कराये हैं ना चुनाव? जब आपने देखा कि मण्डी में हमारा बहुमत नहीं आया तो आपने कैसे किया नोमिनेशन? कि जो विधायक उस मण्डी क्षेत्र का ही नहीं है, वह नोमिनेट हो गया आपके यहां से ताकि आपका बहुमत लाकर के आप अपने लोगों को चेयरमैन बनाओ। मैं विवाद में नहीं पड़ता लेकिन खादी और ग्रामोद्योग के विकास को लेकर पूरे सदन को एकमत से प्रस्ताव पास करना चाहिए कि इसके अन्दर ऐसा कोई संशोधन नहीं हो कि जिससे इसमें बोर्ड के अधिकारों के ऊपर कुठाराघात हो, एक बात।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं बजाय यह जो उल्टा लाये संशोधन, हमें इस बोर्ड को एक्स्ट्रा बजट देना चाहिए ताकि गांव के अन्दर जो लोनिंग करते हैं सस्ती दरों पर, वह और ज्यादा हो सके। आपका यह बोर्ड गठन नहीं होने से आज जो लोनिंग करते हैं गांवों के अन्दर, वह नहीं हुई तो इस लोनिंग के माध्यम से तेल वालों को लोन मिलता है, बुनकरों को मिलता है, मोचियों को मिलता है, हर दस्तकारों को लोन मिलता है, वह सस्ती दरों पर मिलता है, उसको लेकर वह अपना जीवन यापन करते हैं और गांव का विकास होता है लेकिन सरकार का चिंतन इधर था ही नहीं, सरकार का चिंतन केवल और केवल अपनी सरकार को बचाने में, अपने विरोधाभासों में, अपनी 90-बी में और इन बातों में था। सरकार ने गांव पर ध्यान दिया होता तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड साढ़े चार वर्ष बिना मेम्बर नहीं रहता। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अपील करना चाहता हूं कि खादी ग्रामोद्योग को केवल संस्था नहीं मानें, यह संस्था आजादी, ग्राम विकास और गरीब उत्थान को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है। इस संस्था के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं हो, नहीं तो बहुत लम्बी गलती सिद्ध होगी और मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस ले लें और आप आज ही तत्काल प्रभाव से अपने मेम्बरों को नोमिनेट कर दीजिये। आपके पास नहीं हो तो लोन से ले लीजिये, जो खादी का काम करने वाले हों, गांव वाले हों, उनको ले लीजिये। हमारे राकेशजी बैठे हैं, ये कहते हैं कि हम काम करते हैं तो इनको

(डा; श्रीगोपाल बाहेती)

ले लीजिये, आप उनको बनाओ ताकि लगे कि वास्तव में खादी और ग्रामोद्योग के प्रति आप बहुत ईमानदार हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि खादी का जो चिंतन था, वह जो विचार था, ग्रामोद्योग के उत्थान की बात थी, जिनको नजर-अंदाज नहीं करते हुए आप अपना संशोधन वापस लेंगे, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय रघुवीर सिंहजी मीणा (अनुपस्थित) डाक्टर चन्द्रशेखर बैद।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड संशोधन विधेयक, 2008 के ऊपर यह सदन चर्चा कर रहा है। गांधीजी के बारे में बहुत सारी बातें हो गईं, खादी के इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें हो गई।

सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि साढ़े चार साल व्यतीत हो जाने के बाद में अब ऐसी कौन सी आवश्यकता आ गई कि आपको यह संशोधन विधेयक लाना पड़ा। इसके लिए सबसे पहले इस चीज पर नजर डालें कि इनके एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स क्या रखे गये हैं। तो मैं आपके सामने जो यह बिल प्रस्तुत किया गया है इसके स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स जो इसमें अंकित किये गये हैं उसकी चार लाइनें पढ़कर सुनाना चाहता हूं – "There is no provision of powers and duties in the existing Rajasthan Khadi and Village Industries Board Act, 1955 regarding how the functions of the Board would be discharged and be exercised when a legally constituted Board is not in existence." तो बोर्ड का गठन कौनकरेगा? बोर्ड का गठन करने का अधिकार सरकार का है। बोर्ड के जितने मेम्बर होते हैं उनको मनोनीत करने का अधिकार सरकार का है। तो जब सरकार इस बोर्ड के मेम्बर को क्यों नहीं गठन कर रही है, सबसे मूल प्रश्न यह है, क्यों नहीं गठन किया। इससे अगर पिछले साढ़े चार साल पर नजर डालकर देखें तो यह चीज साफ हो जाती है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी का विश्वास अपने दल और अपने लोगों पर से उठ गया है। जैसे शुरू में था, उनको अपने मंत्रिमण्डल के सदस्यों पर विश्वास नहीं था। एक बीच में चर्चा उठी थी कि उनके टेलीफोन टेप कराये जा रहे हैं। क्या आपके अपने दल के अन्दर इतने लोग नहीं मिले जिनको आप मनोनीत कर सको और इसलिए नहीं मनोनीत किया कि आपको उन लोगों पर विश्वास नहीं रहा, उन लोगों पर यह विश्वास नहीं रहा कि आपके एकाधिकार को वह स्वीकार करेंगे या नहीं

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

करेंगे। इस कारण से यह संशोधन विधेयक पारित करवाने की चेष्टा की जा रही है जिससे कि एक किसी अदने से सरकारी अधिकारी को उस बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जाय और वह अधिकारी चूंकि चार महीने आपके कहने के अन्दर रहेगा इसलिए जो आप उससे काम करवाना चाहें, वह काम कर दे। मनोनीत सदस्य तो एक नहीं, अनेक होंगे, वह अनेक आपका कहना माने या नहीं माने, इसके ऊपर प्रश्नचिन्ह है और हो सकता है, माननीय मुख्य मंत्रीजी के मन में शंका भी हो। यह शंका आप लोगों के प्रति भी है और आपके कार्यकर्ताओं के प्रति भी है और यह इस चीज की ओर इंगित करता है कि पिछले साढ़े चार साल में सारी लोकतांत्रिक परम्पराओं को नेस्तनाबूद करके शासन इस तरीके से चलाया गया कि प्रशासक के माध्यम से इसको रूल किया गया और जो वास्तव में लोकतंत्र की भावना है, जिसके अन्दर लोकतंत्र के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की भावनाओं के अनुरूप शासन चलना चाहिए, वह शासन नहीं चलाया गया। मेरा आपसे निवेदन यह है कि इस तरह के विधेयक को सरकार वापिस ले, इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है। बनिस्पत इसके सरकार को यह चाहिए कि बोर्ड के गठन के बारे में मापदण्ड निर्धारित करे कि बोर्ड का गठन एक निश्चित समय के अन्दर होना चाहिए और सरकार को और सरकार के उच्चाधिकारियों को पाबंद करें कि येन-केन-प्रकारेण बोर्ड का गठन निश्चित समय के अंदर हो जाय जिससे कि यह जो पारम्परिक, जो देश के इतिहास से, गांधीजी से, खादी से, एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से जुड़ी हुई भावना है उस भावना को सही तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह कर यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से वर्तमान पिछले साढ़े चार साल के अन्दर वर्तमान राज ने सारी लोकतांत्रिक परम्पराओं को नेस्तनाबूद कर दिया तो कम से कम अब पिछले चार महीने आपके रहे हैं, चार महीने के अंदर तो यह नहीं करते, चार महीने के अन्दर तो आप जनता को यह करके दिखाते कि हम लोकतांत्रिक परम्पराओं का आदर करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसे एक महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय और इस विधेयक को, संशोधन विधेयक को पुनः वापिस लिया जाय और स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्पराओं का पुनर्गठन किया जाय। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक 2008 के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से सदन परिचर्चा कर रहा है उसमें मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए, जिस तरह से पुराने वक्ताओं ने अपनी बात को कहा है और वाकई सही है कि आज अस्सी प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और उन लोगों का जीवनयापन का एक मुख्य आधार रहा है तो वह खादी के रूप में रहा है और उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। आज जिस तरह से राजस्थान सरकार को साढ़े चार वर्ष से ज्यादा समय हो गया पर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन नहीं किया गया और कई तरह की भ्रांतियों के रूप में, बोर्ड के रूप में यदि देखा जाय तो कई भय हैं कि आज की जिस परिचर्चा में लोकतंत्र की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जिस तरह से परिचर्चा...

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय सभापतिजी, यह क्या हो रहा है। जिस प्रकार से यह मंत्रीगण अधिकारी दीर्घा में जाकर बात करके सदन की स्वस्थ परम्पराओं को पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, इनको यह निर्देशित किया जाय कि इस तरह की कार्यवाही नहीं हो। यह चार-चार मंत्री अधिकारी दीर्घा में जाकर बात कर रहे हैं, सारे सदन का ध्यान उस ओर आकृष्ट होता है, जो माननीय सदस्य बात कह रहे हैं, दूसरे लोग उसको सुन नहीं पा रहे हैं।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय सभापति महोदय, तो जिस तरह से एक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के रूप में आज परिचर्चा करके उन लोगों के लिए जो भाई काम कर रहे हैं और आज मुझे...

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): आपके 56 में से कितने बैठे हैं? हैं क्या? कितने हैं आपके? गिनना, कितने हैं। इतने ही रहोगे बाद में भी, जितने बैठे हो उतने ही आओगे बाद में भी। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): यह कहने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, मैं मानता हूं कि आज जिस तरह से महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के रूप में जिस परिप्रेक्ष्य में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के रूप में हो, खादी के रूप में हो और जो आज ग्रामीण एरिया में जिस तरीके से मूर्ति कलाकार के रूप में जो काम कर रहे हैं, यही नहीं, कई ऐसे छोटे उद्योग हैं जिनको आज पनपाने की आवश्यकता है, परन्तु आज बोर्ड का गठन नहीं होने से कई उद्योग अपने आप में समाप्ति की ओर हैं, उनकी निगरानी नहीं रखने

(श्री मांगीलाल गरासिया)

से कई तरह की समस्या उनमें पैदा हुई है और मैं मानता हूं कि यदि इस बोर्ड के रूप में, प्रशासक के रूप में यदि गठन किया जाता है तो जनतंत्र की भावना को बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी, लोकतंत्र की आत्मा को ठेस पहुंचेगी। इसीलिए मैं कहूंगा माननीय सभापति महोदय, कि यह जो अधिकारों का और जिस तरह से कई कामों के साथ में कुठाराघात हो रहा है वह एक बहुत बड़ी भूल करेंगे हम प्रशासक नियुक्त करके, इसीलिए जरूरी है कि आज प्रशासक नियुक्त नहीं करते हुए इस अमेण्डमैंट को, जिसकी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है इस विधेयक को लाने की और फिर भी सरकार यदि विधेयक ला रही है तो उससे पहले सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि इस बिल को पास करने से पहले इसे तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय, यही मेरा कहना है। आपने मुझे समय दिया, सभापति महोदय, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री अमराराम (धोद)। श्री हेमराज मीणा। श्री रामचन्द्र सराधना। प्रभारी मंत्री उत्तर दें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं साहब, मेरा भी है। (व्यवधान)

श्री सभापतिः आप विराजें। आप विराजें, यस। आप एक मिनट विराजें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं-नहीं, मेरा इसमें संशोधन है। सभापति महोदय, मेरा संशोधन है इसमें, नीचे देखिए।

श्री सभापतिः आप, माननीय सदस्य, एक मिनट, आप विराजें। आपका विषय है इसमें। प्रभारी मंत्री, आप उत्तर दें।

श्री दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, अभी प्रतिपक्ष और पक्ष की तरफ से कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक के पक्ष में, कुछ विपक्ष में रखे। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, किसी भी बोर्ड और निगम में जब बोर्ड अस्तित्व में नहीं होता है तो विकल्प के तौर पर या तो प्रशासक या फिर किसी अन्य व्यक्ति को बोर्ड के अधिकार देने का प्रावधान होता है। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, 1955 में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इसलिए इस संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई। इसमें कई मर्तबा ऐसी स्थिति हुई है जब या तो बोर्ड का गठन ही नहीं हुआ केवल

(श्री दिगम्बर सिंह)

अध्यक्ष का नोमिनेशन हुआ और बोर्ड नहीं बने। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि दिनांक 24.12.1988 से लेकर के 14.9.1992 तक केवल अध्यक्ष नामित रहे, बोर्ड का गठन नहीं हुआ। 15.9.1994 से 20.9.1995 तक अध्यक्ष भी नहीं रहे। 21.9.1999 से 18.7.2001 इसमें अध्यक्ष केवल अध्यक्ष नामित रहे और अभी दिनांक 8.9.2005 से आज तक अध्यक्ष है परन्तु बोर्ड का गठन नहीं हो पाया था। मैं इसलिए आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो रोजमर्रा के कामकाज बोर्ड के होते हैं उनमें निश्चित रूप से इसमें परेशानी महसूस होती थी। बोर्ड के गठन नहीं होने से खादी एवं ग्रामोद्योग योजनाओं के नीतिगत निर्णय लेने में, जैसे जन-भावनाओं के अनुरूप ग्रामीण रोजगार योजनाएं बनाना, खादी सेक्टर में नई योजनाओं का निर्माण, देश के अन्य खादी बोर्डों से समन्वयन कर नवीन योजनाओं का आदान-प्रदान करना, कर्मचारियों की पदोन्नतियां या कोई अनुशासनात्मक अपीलों का निर्णय, बोर्ड की स्थाई समितियों तथा जैसे कार्यकारिणी समिति, स्थाई अर्द्ध समिति, सेवा चयन समिति के कार्यों का निष्पादन नहीं हो पा रहा था। पूर्व में भी तीन बार बोर्ड का गठन नहीं होने से कठिनाई महसूस की गई। इसलिए इस संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई कि जब तक बोर्ड का गठन नहीं हो तब तक यह इस तरह की जो पॉवर्स हैं वह बोर्ड के सैक्रेटरी को दी जाए परन्तु मैं स्वयं यह महसूस कर रहा हूं कि इसमें एक संशोधन की आवश्यकता मैं खुद भी महसूस कर रहा हूं और इसमें जो शक्तियां प्रदान करने की गवर्नमैंट को जो पॉवर्स हैं उसमें केवल सैक्रेटरी नहीं बल्कि चेयरमैन/सचिव को यह शक्तियां प्रदान की जाएं। जब इसमें खण्डशः विचार होगा तब निश्चित रूप से इसमें संशोधन प्रस्तुत करने का हम प्रयास करेंगे। इसलिए जनमत का जो प्रस्ताव था, मैं आपसे निवेदन करुंगा कि उसको खारिज किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाए।

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड-2 श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। अधिकांश सदस्यों का यह मत था कि सर्वाधिकार सचिव को नहीं दिया जाना चाहिए और अधिक समय तक नहीं रखा जाना चाहिए। सभापति महोदय, मुझे तो तरस आता है विपक्ष के माननीय सदस्यों पर जिन्हें यह जानकारी नहीं है कि श्री चुन्नीलाल धाकड़ 8.9.2005 से इस बोर्ड के चेयरमेन हैं और अब वह लगातार कहते जा रहे थे कि कोई चेयरमेन नहीं मिला, कोई व्यक्ति नहीं मिला, पता नहीं वह क्यों कहते जा रहे थे? वे चेयरमैन हैं और चेयरमैन के नाते काम कर रहे हैं। अब सब सदस्यों की भी इच्छा थी कि अधिक समय तक हम सचिव को अधिकार नहीं देना चाहते तो इसके लिए मेरा जो संशोधन इसमें था कि अधिकतम एक वर्ष के लिए अधिकार दिए जा सकते हैं और वह भी तब जब बोर्ड का गठन नहीं हो पाये किन्हीं विपरीत परिस्थितियों के कारण से, परिस्थितियां सभी प्रकार की होती हैं, कई बार गठन नहीं भी हो पाता तो तब तक के लिए इसलिए मैंने यह संशोधन दिया था लेकिन फिर भी मैं एक और इसमें निवेदन करना चाहूंगा कि सचिव/अध्यक्ष यदि इसमें कर दिया जाए, यह संशोधन इसमें कर दिया जाए तो मैं इसको तो वापिस लेने के लिए निवेदन करुंगा कि मैंने जो संशोधन दिया है वह वापिस लेने की मुझे अनुमति दी जाए और इसमें सचिव/अध्यक्ष यह इसमें संशोधन करने के लिए मेरा आग्रह है। कृपया इसको स्वीकार करायें। धन्यवाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सभापति महोदय, एक तो वापिस ले रहे हैं और एक वापिस और रख रहे हैं कि इसमें अध्यक्ष/सचिव को रखा जाए। क्लीयर तो करें क्या कहना चाहते हैं ये?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं यह बताना चाहूंगा सभापति महोदय, इसमें जो खण्ड-2 में जो नई उप धारा जोड़ी जा रही है, मैं उसको पढ़कर के सुनाऊंगा- ''इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी जहां बोर्ड अस्तित्व में न हो या रिक्तियों के कारण धारा 15 के अधीन कार्यवाही या कार्यवाही करने से प्रतिसिद्ध कर दिया गया हो, वहां

(श्री मदन राठौड़)

राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा बोर्ड की समस्त शक्तियों या उनमें से किसी का प्रयोग करने या समस्त कृत्यों या उनमें से किसी का पालन करने के लिए सचिव'' यहां मैं जोड़ना चाहता हूं सचिव के पश्चात/ अध्यक्ष को प्राधिकृत कर सकेगी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप अमेण्डमैंट पेश कर सकते हो क्या? आप अमेंडमैंट पेश कर सकते हैं क्या?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): और मैंने जो संशोधन दिया है ....व्यवधान

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इन्होंने इसमें जो अमेण्डमैंट दिए हैं उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप अमेण्डमैंट पेश कर सकते हैं क्या?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं कर सकते यह।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वैसे तो मैंने दिया था अधिकतम एक वर्ष का लेकिन सरकार की मंशा को भी मैंने समझा है...

(समय : 17.48 बजे)

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़, सभापति, पदासीन)

और इससे मेरी मंशा भी पूरी होती है। मेरा जो उद्देश्य था वह उद्देश्य अपने आप में ....व्यवधान

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, पाइंट ऑफ ऑर्डर। सभापति महोदय, जिस समय बिल पर खण्डशः विचार होता है तो केवल राज्य सरकार अमेण्डमैंट ला सकती है, राज्य सरकार कोई भी संशोधन ला सकती है, कोई भी माननीय सदस्य नहीं ला सकता। इसलिए माननीय सदस्य ने केवल जो अमेण्डमैंट दिया है विधेयक के खण्ड-2 की नवीन धारा, उप धारा 3 की छठी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द सैक्रेटरी के पश्चात एवं शब्द टू एक्सरसाइज के पूर्व शब्द फोर मैक्सिमम पीरियड ऑफ वन ईयर को अन्तःस्थापित किया जाए। अब यह अध्यक्ष कहां से, अध्यक्ष के बारे में इन्होंने कोई सूचना नहीं दी। इसलिए राज्य सरकार, एक मिनट मेरी सुन लो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह सुझाव है इनका।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): राज्य सरकार कोई भी संशोधन लाना चाहती है तो ला सकती है। माननीय सदस्य नहीं ला सकते।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय कल्ला साहब, साधारण सदस्य तो संशोधन नहीं ला सकता लेकिन विशेष बुद्धि वाला सदस्य ला सकता है। इनको यह भ्रम हो गया है कि इनसे ज्यादा अक्लमंद कोई है ही नहीं यहां।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैंने जो संशोधन दिया था एक वर्ष अधिकतम समय का, वह संशोधन वापिस लेने के लिए मैंने इसको आधार बनाया है क्योंकि राज्य सरकार की मंशा और मेरी मंशा भी पूरी हो रही है और माननीय सभापति इन्होंने जो बुद्धिजीवी पर कहा ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आप पाइंट ऑफ ऑर्डर पर व्यवस्था तो दीजिए। आप व्यवस्था दे दो।

श्री सभापति: मैं अपने आप दे दूंगा, आपको राय देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कैसे नहीं आवश्यकता है, हाउस की प्रोपर्टी है पाइंट ऑफ ऑर्डर ....व्यवधान

श्री सभापति: एक तो आप धीरे बोलें, बहुत तेज बोलते हैं आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपको जो कहना है कहिए आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, यह पाइंट ऑफ ऑर्डर बोल दिया है या तो आप कह दो मैंने गलत उठाया है....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ये धमका रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):...और यदि मैंने सही उठाया है तो आप निर्देश दें कि ऐसा नहीं ला सकते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): .... आसन को धमका रहे हैं।

श्री सभापति: जो मैं उपयुक्त समझूंगा निर्णय दे दूंगा। आपकी बात सुन ली मैंने।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कब दे देंगे? निर्णय तो अभी देना पड़ेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ....कोई जरूरी नहीं है ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, माननीय सदस्य गलत बात कह रहे हैं इन्होंने जो पाइंट आफ आर्डर उठाया है वो भी सही नहीं है मैंने केवल वापस लिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, यह सही है कि जो खण्डशः विचार होता है तो सरकार की ओर से अमेंडमैंट होता है, माननीय सदस्य तो केवल अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं वो लिखित में कोई अमेंडमैंट नहीं दे रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैंने राय पेश की है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उन्होंने संशोधन पेश किया है। संशोधन के लिए कहा है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): संशोधन पेश हो नहीं सकता। हो ही नहीं सकता।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैंने संशोधन बहुत पहले दिया था आज नहीं दिया और उस संशोधन को वापस लेने के लिए मैंने ...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): वो अपना संशोधन वापस ले चुके हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय विधि मंत्रीजी, आप सदन को गुमराह मत करो। आप प्रोसीडिंग निकलवा कर देख लें अगर वर्ड संशोधन न हो तो आप कहो जो कर सकते हैं हम । आप उसको घुमा रहे हो। इंटेलेक्चुअल डिस्ओनेस्टी मत करिये आप बौद्धिक चाल में मत फंसाइये।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, समस्या यह हो गयी कि गांधीजी के पोते सब उधर ही पैदा हो गये। मैं सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है ...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या कहा विश्वेन्द्रजी पैदा हो गये? क्या कहा?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह ईमानदारी है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इनकी वजह से भरतपुर का राजघराना धौलपुर वालों के यहां नौकरी कर रहा है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आजकल कोई राजघराना नहीं है उद्योग मंत्रीजी, सब बराबर हैं। डरो मत, जनता आपके साथ है।

डॉ. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): आप तो मेरे साथ हो न? आप मेरे साथ हो न?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): बिलकुल व्यक्तिगत मित्र हैं अपन, चिन्ता क्यों करते हो?

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): बस फिर क्या बात है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): वो तो बयाना वाले से बात कर लेंगे।

डॉ. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि जब न तो चेयरमैन का नोमीनेशन हुआ न बोर्ड का गठन हुआ उस समय इसमें जितने भी प्रोग्रेम्स हैं वो सारे के सारे एक तरह से स्टेण्डस्टिल हो जाते हैं इसलिए इसमें संशोधन के ऊपर इतना विचार-विमर्श चला परन्तु मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें धारा-2 की उप धारा-3 में सचिव व को के मध्य में अध्यक्ष शब्द को अन्तर्विष्ट किया जाए, यह मेरा प्रस्ताव है। यह संशोधन इसमें आवश्यक है, किया जाए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नामादि – कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किये गये।

विधेयक का पारण

विधेयक का पारण

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 को संशोधित रूप में पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2008 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

नैक्स्ट।

विधेयक पर विचार

राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और संपत्ति के नुकसान का निवारण) विधेयक, 2008

डा. दिगम्बर सिंह प्रस्ताव करेंगे।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और संपत्ति के नुकसान का निवारण) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ये जो विधेयक लेकर आयी है इससे यह पता चलता है कि इस सरकार में बैठे हुए लोगों के दिमाग में सत्ता का मद किस तरीके से कुलाचे भर रहा है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जिस गरीब पीड़ित और शोषित जनता ने साठ साल के राजस्थान के इस प्रजातांत्रिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार में बैठाया उसके शारीरिक कष्टों और अस्पताल में होने वाले उसके साथ व्यवहार पर ध्यान देने की बजाय इस सरकार को सिर्फ चिकित्सकों ...

श्री जयराम जाटव (खैरथल): माननीय सभापतिजी, ...(व्यवधान) किसको कहा? (व्यवधान) राजस्थान की पांच करोड़ जनता ...(व्यवधान)

श्री सभापति: ये जो अपन बार-बार बीच में बोलते हैं तो अपनी बाहर बहुत बढ़िया गुडविल जा रही है, आप लोगों को प्रमाण पत्र मिलेंगे सबको।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, हमारा समाज भारतीय समाज लगातार अभावों में जीता रहा है। शिक्षा का अभाव भी उन्होंने देखा है और अभाव में है इन सब परिस्थितियों के बीच में जब कभी शारीरिक कष्ट के लिए बीमारी के लिए उसने चिकित्सा की जरूरत महसूस की तो उसने हमेशा चिकित्सक को देवता का दर्जा दिया। मैं यह नहीं कहता कि पूरा चिकित्सक समुदाय लोगों की खिदमत नहीं कर रहा है बहुत से ऐसे चिकित्सकों ने अपनी सेवा के बूते पर लोगों में यह भावना और यह विश्वास पैदा किया कि भगवान के बाद लोगों के मानस में चिकित्सक का स्थान अंकित रहा है। लेकिन आज पिछले कुछ समय के हम अनुभव की ओर दृष्टिपात करें तो हमारा आम आदमी का यह भरोसा माननीय सभापति महोदय, टूटा है चाहे पैसे के लालच में भ्रूण हत्या का अपराध कारित करने की बात हो, किडनियों का गोरखधंधा करने की बात हो, अस्पताल में इलाज के लिए जाने वाले मरीज से पैसा लेने की बात हो, जिस इलाज के प्राइवेट चिकित्सालय में बीस हजार रुपये ले रहे हैं और उस इलाज को सरकारी अस्पताल में करने के लिए दो चार हजार रुपये लेने की बात हो, यह सारे उदाहरण हमसे छुपे हुए नहीं हैं और राजस्थान के जिन अस्पतालों के अन्दर एनेस्थेसिया के डॉक्टर नहीं हैं और वहां सर्जरी का काम जहां पर होता है सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर प्राइवेट होस्पिटल में जाकर सर्जरी का काम करते हैं क्योंकि वो कहीं न कहीं से एनेस्थेसिया का स्पेशलिस्ट अरेंज करता है तो इस तरीके के इलाज जो चिकित्सकीय मानदंड को भी पूरा नहीं करते हैं और इस तरह का जब ट्रीटमैंट होता है इस तरह की सर्जरी होती है और जब-जब पेशेंट का मौत होती है उस पेशेंट की मौत की वजह से गुस्सा भी पैदा होता है। यह सरकार उस सारे गुस्से के कारणों का निस्तारण करने की बजाय चिकित्सक समुदाय को चिकित्सकीय मर्यादाओं का पालन करने के लिए पाबंद करने की बजाय उस पीड़ित और मजलूम आदमी को दंडित करने का यह विधेयक लेकर के आयी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर का प्रतिष्ठित सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज, कितनी बार इन रेजीडेंट डाक्टर्स ने वहां पर हडताल की। सभापति महोदय, मैं उदाहरण देना चाहता हूं 1 जून,

(श्री संयम लोढ़ा)

2008 के अभी ताजा वाकिये का कि। गोखले छात्रावास के विद्यार्थियों और रेजीडेंट डाक्टर्स के बीच में कैंटीन के अंदर कोई झगड़ा हो गया और बाद में यह रेजीडेंट डाक्टर्स आये और कैंटीन पर पहले तोड़फोड़ की उन्होंने। उसके बाद में यह गोखले छात्रावास गये और उसके अन्दर इन रेजीडेंट डाक्टर्स ने मारपीट और वहां से बाहर निकले तो सड़क के ऊपर जो मिला उसके ऊपर इन्होंने हमला किया। माननीय सभापति महोदय, गोखले छात्रावास के वार्डन ने इन डाक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जो 89/2008 दर्ज है। इतना ही नहीं इसके बाद यह सवाई मानसिंह अस्पताल आये और रेजीडेंट डाक्टर्स ने आपातकालीन चिकित्सा को ठप कर दिया। जितने पेशेंट थे उनको बाहर निकाल दिया और जो पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आये हुये थे उनका ट्रीटमैंट नहीं होने दिया। आठ घंटे, जितने पेशेंट थे, जो बाहर से आये थे सीरियस थे, इलाज के लिए तरसते रहे ऐसे मुकदमे दर्ज हुये। उसके बावजूद आज तक, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आज तक एक भी गिरफ्तारी उस मामले में हुई क्या ? क्या आपका कलक्टर कर रहा था, क्या आपका एस.पी. कर रहा था और क्या जिन कानूनों को लेकर आप बैठे हुये हैं, क्या आपके कानून कर रहे थे ? आठ-आठ घंटे तक जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज की आपातकालीन चिकित्सा इकाई ठप पड़ी रहे। पर यह सब आपकी चिंता का विषय नहीं है, यह भी आपकी चिंता का विषय नहीं है कि जिन रेजीडेंट डाक्टर्स ने गुण्डागर्दी की है उनके खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही की जाए। वह गरीब और मजलूम आदमी जिसके पास कोई सहारा नही है वह सरकार के अन्दर अपना समर्थन ढूंढता है पर उसको मदद करने के बजाए यह सरकार उसके लिए दण्ड की व्यवस्था लेकर आई है।

सभापति महोदय, मैं उदाहरण सहित कहना चाहता हूं मेरे सिरोही जिले के कस्बे डंच की सौपू देवी जो बी.पी.एल. की पेशेंट थी, सिरोही के अस्पताल में, मैंने पिछली विधान सभा में भी मंत्रीजी से कहा कि एनेस्थिसिया का डाक्टर नहीं है। वह बीपीएल की पेशेंट ट्रीटमैंट के लिए आई, वहां के सर्जन ने विदाउट एनेस्थिसिया के उसका आपरेशन किया और बाद में अब वह जब जिंदगी और मौत के दरवाजे पर खड़ी है तब वह कहते हैं कि उसको कैंसर था। उसको कैंसर था तो भले आदमी उसका आपरेशन क्यों कर रहा था। दर-दर ठोकरें खाती फिरी, सुनवाई नहीं हुई, अल्टीमेटली पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ। सारे संबंधित अधिकारियों को कह दिया पर आपने एक और चीज निकाल दी,

(श्री संयम लोढ़ा)

किसी भी चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा करना है तो मेडीकल ज्युरिस्ट है वह अपनी ओपीनियन देगा। अब मेडीकल ज्युरिस्ट कहां से लाएंगे। पर यह सब चीजें आपकी चिंता का विषय नहीं है, आपकी चिंता का विषय तो यह है कि जो बदमिजाज और दुर्व्यवहार रेजीडेंट डाक्टर्स वहां पर अस्पताल के अन्दर पेशेंट से कर रहा है उसके उपचार के अन्दर असावधानी बरत रहा है उसको प्रोटेक्शन कैसे दिया जाए, यह आपकी चिंता है। क्या इसलिए आपने लोगों से वोट मांगे थे? उस पीड़ित और मजलूम आदमी को जो सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में अपना शरीर ठीक कराने आ रहा है, अपने पेशेंट को ठीक करवाने के लिए आ रहा है उसको मौत के मुंह में जाना पडे और वह गुस्से को अभिव्यक्त कर दे तो उसको क्रिमिनल बना दिया जाए, क्या हमने इसलिए पब्लिक मेंडेंट लिया था?

माननीय सभापति महोदय, मैं इस कानून के प्रावधान की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। धारा-4 में तीन साल की सज़ा और पचास हजार रुपये जुर्माना। धारा पाँच में यह कोग्जिनेबल आफेंस है और नोन डिलेवल है। धारा-6 में अगर अस्पताल के किसी उपकरण का आम आदमी के, उस पेशेंट के द्वारा नुकसान हो गया तो उसकी पूर्ति अगर वह कैश में नहीं कर पाएगा तो उसकी प्रोपर्टी बेचकर उसकी पूर्ति की जाएगी, यह किस तरह का काला कानून लेकर आये हैं आप? किसने सलाह दी है? अगर आपको यह घमण्ड है कि 120 सीटों का जो बहुमत मिला है, यह आपको जिंदगी भर के लिये मिल गया है तो इस तरह के कानून आपको बाहर निकाल फेकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ज्यादा लंबी बात नहीं कहकर सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अस्पतालों का परिप्रेक्ष्य देखिये, क्या आज अस्पताल की हालत हुई है वह देखने की चेष्टा कीजिए। मैं सिरोही डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण दूं, पिछले साल की तुलना में भी इस साल डाक्टर्स घटा दिये ट्रान्सफर कर करके। 17 ट्रान्सफर इस साल कर दिये जबकि पिछले साल के 32 डाक्टर्स की पोस्ट खाली थी। अपनी उन तमाम कमजोरियों को दूर करने की चेष्टा कीजिए। जो व्यवस्था में आप लगातार चल रहे हैं, लेकर चल रहे हो, पाँच साल शासन करने के बाद भी जिसको दूर करने के प्रभावी और बुनियादी कदम नहीं उठा सके । आप क्या समझते हैं हत्या का 302 के अपराध को हत्या में दर्ज किया जाता है क्या उससे हत्या बंद हो गई। सिस्टम की बुनियादी कमियों को दूर करने की चेष्टा कीजिए। इस तरह

(श्री संयम लोढ़ा)

के आफेंस बनाकर क्या आप समझते हैं उन डाक्टर्स की कमजोरियों पर, उनके अपराध पर, उनकी खराब नीयत पर, उनके पैसे की हवस पर इससे रोक लग जाएगी? सभापति महोदय मेरा सरकार से अनुरोध है कि जल्दबाजी में इस तरह का कानून नहीं बनाये। भारत सरकार ने भी यह गलत काम किया है कि आई.पी.सी. के अन्दर अमेंण्डमैंट कर दिया और उसमें सरकारी कार्यालय में कोई भी आदमी जाकर कुछ करें तो उसको गैर जमानती अपराधी बना दिया। धडाके से सारी चोरियां कर रहा है, कोई भी ईमानदार आदमी उसके खिलाफ संघर्ष की चेष्टा करता है तो सरकारी कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाकर उसको बंद करवा देते हैं और यही आप अस्पताल में करेंगे। अस्पताल में दादागिरी से डाक्टर पैसे वसूल करेगा, दादागिरी से लोगों को तंग करेगा। अब आपने इसमें कहा है ग्रुप ले लिया आपने सैक्शन-3 में, आपने जो दिया है ग्रुप, पेशेंट का दादा होगा वह चाहेगा तो डाक्टर उसके दादा को भी अन्दर करवा देगा, दादी को भी अंदर करवा देगा। मेहरबानी करके रहम करें जनता के ऊपर रहम करें। जनता के वोटो से जीतकर आये हो तो इन अधिकारियों के हाथ में इतनी शक्ति मत दो कि आप मजलूम और पेशेंट जिसने हमको बनाया है, जिसने आपकी सरकार को बनाया है वह दर-दर की ठोकरें खाता फिरे। पुलिस की गिरफ्त में पड़ा रहे और जान बचाने की जगह दंडित होता रहेगा, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य जोगेश्वरजी गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): माननीय सभापति महोदय, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अवसर दिया। राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में आबादी बहुत तेजी से ब रही है और उस तुलना में न तो चिकित्सालय बढ़ रहे हैं और न चिकित्सक बढ़ रहे हैं, ना चिकित्साकर्मी बढ़ रहे हैं, उसके कारण से आज की तारीख में चिकित्सा संस्थानों पर, चिकित्सा-कर्मियों पर, चिकित्सकों पर काम का दबाव बहुत ज्यादा है। सवाई मानसिंह जैसे बडे अस्पताल की दशा यदि देखें तो वहां के डाक्टर्स को कितना काम करना पड़ता है, इसकी कल्पना आम आदमी शायद नहीं कर पाता होगा। डाक्टर्स की नौकरी ऐसी है कि जिसको रात में भी जगाया जा सकता है। दो बजे आकर सोया है, तीन बजे कहा जा सकता है डाक्टर साहब उठिये पेशेंट बहुत सीरियस है, और सामान्यतया डाक्टर्स उठते हैं। उस सारी परिस्थितियों में जब वह काम कर रहे होते हैं उस समय पेशेंट

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

के सहयोगियों की, साथियों की, परिवारजनों की मानसिकता अपने अलग ढंग से चल रही होती है। इस सारे दबाव में जब डाक्टर्स काम कर रहे होते हैं उस समय एक एक व्यक्ति को जितना अटेंशन जितना पेशेंट को मिलना चाहिये उतना बड़े अस्पतालों में सम्भव नहीं होता है। इसलिए उसमें से पैदा होती है शिकायतें और लापरवाही। किसी हद तक डाक्टर्स भी सही होगा, चिकित्सा कर्मी भी सही होंगे पर बहुत हद तक वह परिजन भी सही हैं और फिर उनकी आंखों के देखते जब वह कहे ड्रिप आउट हो गई और नर्स को कह रहे हैं आइये चैक करिये और नर्स यदि आधे घंटे तक नहीं आती है, परिजन क्या करेंगे, इनाम देंगे? उसको गुस्सा आना स्वाभाविक है। नर्स की अपनी मजबूरी होगी कि उसको बहुत पेशेंट देखने हैं, उसको टाइम नहीं मिला होगा ले किन उस परिजन की व्यथा भी अपनी जगह सही है । जब नर्स बहुत व्यस्त है और नहीं आ रही तो समझ में आता है। नर्स जब गप्पे मार रही हो, आपस में, हंसी-मजाक कर रही हो, चुटकले सुना रही हो और उस समय नहीं आती है तो परिजन को और मरीज को गुस्सा आना बहुत स्वाभाविक है। तीन साल पहले जेके लोन में मेरी बच्ची भर्ती थी, वहां की नर्से जैसा व्यवहार कर रही थी वह, मैं जेल में भी रहा हूं कांग्रेस की मेहरबानी से, जेल में मेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं हुआ होगा जैसा इस जेके लोन की नर्से विहेव कर रही थीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपके राज में ...(व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): राज किसी का हो हरिमोहन जी, आप हर बात को घुमा फिराकर वहां ले आते हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: राज बदलने से नर्से बदल जाती है क्या ?

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): हरिमोहनजी को पता होगा।

श्री सभापति: अच्छा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): मैंने बहुत धैर्य रखा। मेरी बहुत कोशिश रही कि यहां पर किसी को नहीं बताऊं कि मैं विधायक हूं। मैं एक आम आदमी की तरह वहां इलाज कराना चाहता था बच्ची का। उस नर्स के व्यवहार के कारण आखिर मुझे मेरा परिचय देना पड़ा उसके सीनियर्स को और फिर उसे डांट पड़ी कि मैं एम.एल.ए. हूं। तब वह थोड़ी शांत हुई, सुधरी नहीं। बोली पर लगाम लगी, उसकी सेवाओं में सुधार नहीं हुआ। यह परिस्थितियां भी

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

मौजूद हैं और जहां बिना लापरवाही के आरोप लगाने के उदाहरण आप दे सकते हैं तो लापरवाही के भी उसके पेरेलल पचासों उदाहरण दे सकते हैं। डाक्टरों को अच्छे माहौल में, इतने दबाव के बीच में अच्छे माहौल में काम करने का अवसर मिलना चाहिए, उनको काम करने देना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अपनी जगह यह बात बिलकुल सही है। पर डाक्टरों पर हमारा कितना बस है। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि एनेस्थिसिया का डाक्टर नहीं है। मेरे जालौर में एनेस्थिसिया का डाक्टर नहीं है, मेरे जालौर में रेडियोलोजिस्ट नहीं है, मेरे जालौर में ओपथेलमोलोजिस्ट की पोस्ट खाली है और आर्थो का डाक्टर नहीं है। दिगम्बरसिंहजी चिकित्सा मंत्रीजी थे तब भी और अब माननीय राजवी साहब हैं तब भी मैंने निवेदन किया। आर्डर हुए, डाक्टर के आर्डर हुए। लेकिन डाक्टर ने ज्वाइन नहीं किया, छुट्टी लेकर बैठ गया। ज्यादा दबाव आया, नौकरी छोड़ दी। ज्यादा दबाव आया तो नौकरी छोड़ दी पर सरकार के आदेश का पालन नहीं किया। ग्रामीण क्षेत्र की जनता भुगत रही है डाक्टरों की कमी को, सिर्फ इसलिये कि डाक्टर अपनी इच्छानुसार जगह पर जाने के लिये तो बिलकुल दौड़कर तैयार हो जाएंगे, दुनिया भर के दबाव ले आएंगे लेकिन जहां जनता को जरूरत है, जहां सरकार को आवश्यकता है वहां वह जाने को तैयार नहीं हैं। नर्स-कम्पाउण्डर ऐसी जगह जाने को तैयार नहीं, डाक्टर जाने को तैयार नहीं। उनके खिलाफ कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। उनके खिलाफ कार्यवाही करने का कोई कानून नहीं है हमारे पास। लेकिन उसकी लापरवाही से परेशान होकर कोई गरीब आदमी यदि अपनी भावना व्यक्त कर दे तो कानून बन गया। मैं बहुत धर्म-संकट में हूं, सभापति महोदय। मैं सत्तापक्ष का विधायक हूं, सरकार का विरोध करना, मेरा धर्म, मुझे मेरा विधायक धर्म, मुझे मेरा पार्टी धर्म मुझे अलाऊ नहीं करता। जिस जनता ने मुझे चुनकर भेजा है उसके प्रति मेरा कर्तव्य मुझे चुप रहने नहीं देता, जो खामोश रहूं तो मुश्किल है और कह दूं तो शिकायत होती है। इस परिस्थिति में मैं कहना चाहता हूं, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह मुझे साफ-साफ लग रहा है, यह बिल डाक्टरों के दबाव में लाया गया है। डाकटरों के प्रति पूरी सद्‌भावना और सम्मान रखते हुए मैं वह उदाहरण नहीं दोहराना चाहता हूं जो सिरोही से आने वाले माननीय विधायक ने बताये लेकिन मेरे एक साथी विधायक ने मुझे अखबार की यह दो कटिंग्स दी हैं, अधेड़ की मौत पर

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

परिजनों का हंगामा। यह एस.एम.एस. में नहीं हुआ। यह पाली जिले के एक छोटे से कस्बे रानी में हुआ है। डाक्टर की लापरवाही से पेशेण्ट मर गया। वहां तो इतना दबाव नहीं था डाक्टर पर। वहां तो इतने पेशेण्ट नहीं आते होंगे। एस.एम.एस. में दबाव है, जोधपुर में दबाव होगा, महात्मा गांधी अस्पताल में दबाव होगा, मथुरादास माथुर हास्पिटल में दबाव होगा। लेकिन रानी जैसे कस्बे में तो दबाव नहीं रहा होगा। वहां भी परिजनों का आरोप है कि डाक्टर ने ठीक चिकित्सा नहीं की, लापरवाही की। इसलिये वह पेशेण्ट मर गया। उनके खिलाफ कार्यवाही करने का अब भी हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, कोई कानून नहीं है। (व्यवधान) आप भी डाक्टर हैं शायद।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): बिना अस्पताल में जाये भी मरीज मरते हैं, क्या उनके लिये भी डाक्टर दोषी हैं?

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे....(व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): आधी से ज्यादा मरीजों की, मरने वालों की संख्या इस तरह की है कि जो अस्पताल तक नहीं आते हैं तो उसके लिये भी डाक्टर दोषी हैं? उसके लिये भी चिकित्सा-कर्मी दोषी हैं? यह सही लाया गया है बिल।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): डाक्टर भी मरते हैं, डाक्टर भी अमर नहीं हैं और डाक्टरों के मां-बाप भी मरते हैं और डाक्टरों की आंखों के सामने मरते हैं। वह पूरी चिकित्सा करते हैं, फिर भी मरते हैं। जो आया है, उसको जाना है, नहीं बचा सकते हैं आप।

मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं जो चिकित्सा-कर्मी, डाक्टर या कम्पाउण्डर या नर्स ईमानदारी से, निष्ठा से सेवा दे रहा है, उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं हो, उसके साथ कोई गड़बड़ नहीं हो, उसके लिये उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, निश्चित मिलनी चाहिए। लेकिन जो लापरवाही कर रहे हैं, जो बदमाशी कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई सख्त कानून होना चाहिए। आज की तारीख में एक मात्र उपभोक्ता कानून है जिसमें साल में जाकर, पूरे राजस्थान में कोई एक-आध किसी को सज़ा होती होगी, कोई जुर्माना मामूली सा लगता होगा। बाकी कोई उसको सज़ा नहीं दे पाते हैं हम। और यह जो कानून है वह मेरी नजर में बहुत अधिक सख्त है। इसका दुरुपयोग,

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

एस.एम.एस. में सदुपयोग हो सकता है, महात्मा गांधी हास्पिटल, जोधपुर में सदुपयोग हो सकता है परन्तु गांवों के अस्पतालों में इसका दुरुपयोग होगा, भंयकर दुरुपयोग होगा। आज मेरे यदि सायला के डाक्टर कोई लापरवाही करे तो मैं उसे जाकर कुछ नहीं टोक सकता हूं, मैं नहीं बोल सकता हूं। मैं बोलूंगा तो मेरे खिलाफ भी इस एक्ट में केस दर्ज हो सकता है। यह एक खतरनाक स्थिति गांवों के अन्दर पैदा हो सकती है। जैसे एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग हुआ है, गांवों में वैसे ही इस एक्ट का भी दुरुपयोग होने की पूरी-पूरी सम्भावना है। मैं विश्वास करता हूं कि जब इस बिल को तैयार किया होगा और इस बिल को केबिनेट ने मंजूरी दी होगी तो यह सारी परिस्थितियां उनके दिमाग में निश्चित रूप से रही होंगी। फिर भी मैं निवेदन करता हूं कि इस बिल पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इस बिल को नरम बनाया जाना चाहिए। अत्यधिक कठोर हो गया है और इसमें वह भी प्रावधान होना चाहिए कि जो लापरवाही करे तो उसके खिलाफ क्या होगा। इसी के साथ मैं अपना संशोधन औपचारिक रूप से वापस लेता हूं।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य शंकरसिंहजी राजपुरोहित।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर)ः माननीय सभापति महोदय, राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) विधेयक, 2008 में जो संशोधन के लिये निवेदन किया है, डाक्टर आधा भगवान होता है। कई बार समय पर पेशेण्ट को हास्पिटल पहुंचाना और समय पर मेडिकल सर्विसेज मिलना जीवन देना होता है। उस समय व्यवहार में यह डाक्टर देवता समान और आधा भगवान होता है। लेकिन आज जैसा यह वातावरण चारों ओर बन रहा है डाक्टर ने अपने जीवन को या अपने पेशे को सिर्फ पैसों से लगा दिया है और उसकी इस आर्थिक अन्धा-धुन्ध के कारण कई बार वह भी एक ऐसी हैवानियत के अन्दर खो जाता है, वह अपने अधिकार, अपनी ड्यूटी को भूल जाता है।

माननीय सभापति महोदय, अभी पूर्व में जैसा जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि आज एक डाक्टर को एक डाक्टर बनाने के लिये सरकार के, शिक्षा जगत में जनता के लाखों-लाखों रुपये लग जाते हैं, परिवार के तो लगते ही लगते हैं लेकिन सरकार के भी पैसे लगते हैं। इतने पैसे खर्च होने के बाद वह डाक्टर बनता है और अगर वह डाक्टर, जिस निमित्त

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

बनता है वह अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाता है, अभी जैसा बताया कि डाक्टर का ट्रांसफर हुआ ग्रामीण सेवा के लिये वह गांव की जनता जो तरस रही है डाक्टर की सेवा के लिये और डाक्टर वहां नहीं जाता है, डाक्टर वहां नहीं गया, उसके बाद में मेडिकल छुट्टी लेकर बैठ गया और ज्यादा दबाव दिया तो रिजाइन करके बैठ गया। ऐसी स्थिति में एक कानून ऐसा भी होना चाहिए कि उसकी डिग्री है, उस डिग्री को जब्त करने का भी कानून होना चाहिए। जिससे इस प्रकार की हैवानियत, जिस जनता के लिये डाक्टर बने हैं, लोगों की सेवा के लिये डाक्टर बना है, यह भी एक भाग है, वह भी उसको कम से कम ध्यान रहे। माननीय सभापति महोदय, आज कई प्राइवेट नर्सिंग होम वाले अन्धा-धुन्ध लूट मचा रहे हैं।

इन पर भी कोई न कोई अंकुश रखने का, जब हम इनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाने जा रहे हैं तो यह किसी भी तरह से जनता का जीवन नहीं काटे। जीवन को बचाने का काम करें। कहीं न कहीं सेवा का भाव हो। अंधाधुंध जो लूट मची है उस पर भी कहीं न कहीं रोक लगाने के लिए ऐसा कोई कानून बनना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से ऐसे ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ डाक्टर या नर्सेज या कम्पाउंडर जिनका कि ड्यूटी करते-करते भी कुछ ऐसा अनायास हो गया और उनके ऊपर अगर उन्हें कुछ नुकसान होता है तो उनके लिए यह कानून निश्चित रूप से ठीक है लेकिन इसका दूसरा भाग भी विचार करके इन सारी बातों पर विचार किया जाना चाहिए। डाक्टरों को भी संरक्षण मिले लेकिन साथ में उन रोगियों को भी संरक्षण मिले जिन रोगियों के साथ अन्याय अगर किसी डाक्टर ने किया तो उनमें भी कोई न कोई दंड प्रक्रिया होनी चाहिए। यह मेरा निवेदन है। इसी बात के साथ मैं मेरा जो संशोधन दिया है वह वापस लेता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री हरिमोहनजी शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, कोई भी बिल पास होने से पहले और आने से पहले, विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने से पहले यह मंत्रिमण्डल में जाता है और मंत्रिमण्डल के सदस्य उस पर गम्भीरता से चर्चा करते होंगे, ऐसा आम लोगों का ख्याल है।

माननीय सभापति महोदय, दो-तीन बिलों को देख रहे हैं। इससे पहले

(श्री हरिमोहन शर्मा)

खादी ग्रामोद्योग वाला देखा। उससे पहले यह यूनिवर्सिटी वाला जो हमारे महामहिम राज्यपाल के पास से वापस आया वह देखा और इस कार्यकाल में यह तीसरा बिल आज देखा। यह समझ में नहीं आ रहा है कि या तो मंत्रिमण्डल के सदस्य इन बिलों को पढ़ते ही नहीं हैं, देखने का प्रयास ही नहीं करते कि इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा और यह बिल कैसा है, क्या है या मंत्रिमण्डल के सदस्य माननीय मुख्य मंत्रीजी से ऐसे आतंकित हैं कि केवल उनके इशारों के आधार पर नीची गर्दन करके, ऊंची गर्दन करके वहां से निकल जाते हैं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कोई गर्दन नीची रखेगा तो इशारा कैसे देखेगा? इशारा कैसे करेगा? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने और कुछ लोगों ने प्रयास किया था नजर मिलाने का, ऊंची गर्दन करने का लेकिन आपका जो मैं हश्र देख रहा हूं, वापस नीची गर्दन करने का वह काबिले-तारीफ है। कुछ मंत्रिमण्डल के सदस्य ऐसे भी हैं जो मंत्री भले ही मुख्य मंत्रीजी के हितैषी हों लेकिन अत्यधिक चापलूसी के कारण, अत्यधिक सत्ता का सुख भोगने के कारण, अत्यधिक सत्ता का लाभ अर्जित करने के कारण अगर कुछ आदमी मंत्रिमण्डल के सदस्य बोलना भी चाहते हैं तो उनके आतंक से, उनकी चुगलखोरी से वह बोल भी नहीं पाते लेकिन फिर भी मंत्रिमण्डल में बने रहने की उनकी अब भी इच्छा है तो इसका कोई विकल्प नहीं है। पूरा मंत्रिमण्डल दोषी है। इस प्रकार के अवैधानिक, गैर-कानूनी और जनता के साथ कुठाराघात करने वाले बिलों को लाने के बाद भी मंत्रिमण्डल के एक भी सदस्य ने एतराज नहीं किया मंत्रिमण्डल की मीटिंग में इससे ज्यादा शर्मनाक बात दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। आज चर्चा कर रहे हैं, आज इधर से उधर जा रहे हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आप माननीय हरिमोहनजी, भाषण तो बहुत तगड़ा दे रहे हैं पर सबसे पहले आंध्रप्रदेश की सरकार इस तरह का एक अध्यादेश लायी और उसको उदाहरण मानकर बाकी सारे प्रदेशों में डाक्टर्स ने इसकी डिमांड करी तो इसकी सूत्रपात करने वाली आपकी सरकार है और आप लोग हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): और अगर हमारी सरकार ने भी ऐसे बिल बनाये हैं तो मूर्खता की है। आप तो मूर्खता मत करो। हमारी नकल आप

(श्री हरिमोहन शर्मा)

तो मत करो। हमारी नकल करने के बाद, हम इधर आ गये थे आप तो अपना हश्र को ठीक करो। अब हमारा नाम लेकर अगर आप यह दुर्गति करना चाहो तो मुझे एतराज नहीं है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): यह तो कोई मूर्खता नहीं है। माननीय सभापति महोदय, क्या केवल डाक्टर्स को ही बाध्य कर सकते हो कि तुम केवल यही काम करोगे? समाज के और किसी व्यक्ति के ऊपर इस तरह की कोई पाबंदी है क्या कि नहीं तुम यही काम करोगे, यही बिजनिस करोगे? अभी कई सदस्यों के, कई माननीय सदस्यों के यह विचार आये हैं कि नौकरी छोड़ देते हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हम यह कहां कह रहे हैं? आप डाक्टर थे, आप एम.एल.ए. बन गये। कोई रोक रहा है क्या? आप डाक्टर थे और आप प्रोफेशन छोड़कर एम.एल.ए. बन गये तो कोई रोक रहा है क्या?

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): मैं यह नहीं कह रहा हूं। हम सब इंसान हैं। इंसानियत सबसे पहली चीज है, जो हमारे अन्दर होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): और इंसानियत की अपेक्षा डाक्टर से अधिक की जाती है साधारण नागरिक के बजाए और जब डाक्टर अपनी इंसानियत छोड़ता है तो जो मरीज को लेकर जो अस्पताल में भर्ती करवाने जाता है उनके परिजनों की जो हालत होती है, वह कभी कल्पना करना आप, एम.एल.ए., मिनिस्टर और डाक्टर का ज्ञान नहीं होने के बाद, किसी अस्पताल में जाकर भर्ती होंगे तो आपकी जो दुर्गति होगी जब जाकर आप कहोगे कि हमने हमारी जिन्दगी में वह बिल लाकर बहुत बड़ी गलती की है।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय सभापति महोदय, आपने नाम पुकारा हरिमोहनजी का, जो पुरुष है। आवाज आ रही है महिला की। यह टू इन वन तो नहीं है? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल उन निजी प्रेक्टिस करने वाले डाक्टर्स का एक षड्यंत्र है जो निजी प्रेक्टिस करते हैं। जिनके निजी अस्पताल हैं। जो मरीजों से हजारों रुपये वसूल करते हैं और नहीं देने पर उनको डिस्चार्ज नहीं करते और उनके जेवर खुलवा लेते हैं। यह उन लोगों का भी है जो गांव में जिन झोला-छाप डाक्टर्स के आप

(श्री हरिमोहन शर्मा)

रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, उनके यहां भी कई मरीज ड्रिप लगाने के लिए बैठे रहते हैं, यह कानून उनके लिए भी है। यह कानून पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी है जो अज्ञानतावश अपने आक्रोश को रोक नहीं पाते, पढ़ने के समय में, यह उनके लिए भी है। यह उनके हित में भी है। यह नर्सिंग स्टाफ के लिए भी है लेकिन यह कानून बनाते वक्त आपने यह नहीं सोचा कि जिस भावना, जिस सोच के साथ, जिस मानसिक स्थिति में एक मरीज को लेकर उसका अटेंडेंट आता है तो उसकी परिकल्पना क्या है आपसे, क्या अपेक्षा करता है, आपको भगवान के रूप में मानकर वह अपेक्षा करता है कि उसकी जो मेडिसन हो, जो भी उसकी तीमारदारी हो, उसमें आप ईमानदारी से पूरा जो कुछ भी आप कर सकते हैं वह उसके लिए करें और अगर एक मरीज को लेकर जब उसके कोई परिजन गये और कोई डाक्टर जा रहा है या कोई नर्स जा रही है, उसकी ड्रिप खतम हो रही है, उसकी परेशानी ज्यादा है, वह डाक्टर्स से कह देगा कि नहीं ठहरो, पहले इस मरीज को देखो और डाक्टर कह देगा कि नहीं ठहरूंगा तो वह भी आपके इस कानून में उस आदमी को तीन साल की सज़ा दिलवा सकता है। कैसा कानून है? यह नहीं कह सकता मरीज का परिजन कि ठहरिये डाक्टर साहब, नहीं जाने दूंगा। पहले मेरे मरीज को देखिये तो आपका कानून कहता है कि तीन साल की सज़ा और जुर्माना, यह कौनसा कानून है? नहीं कह सकता क्या लोकतंत्र में, कोई अटेंडेंट नहीं कह सकता क्या? आज आप और हम चुने हुए जन-प्रतिनिधि हैं, जब हम अपने गांवों में जाते हैं तो किस किस्म की बातें ग्रामीणजन आपसे और हमसे करते हैं, किस प्रकार का आक्रोश अभिव्यक्त करते हैं, किस प्रकार की मांग के लिए अपन को रोकते हैं तो अपन नहीं सुनते क्या उनको? अपन भी इंसान हैं। डाक्टर इंसान है तो आप और हम भी इंसान हैं। हम जब उस आक्रोश को इस उद्देश्य के साथ, जनता की सेवा करने का दायित्व हम पर है और हम जनप्रतिनिधि हैं इसलिए सुनते हैं उस भावना से तो डाक्टर के प्रति जो भावना है उस भावना से उनको सुनना पड़ेगा। आपने एक तरफा निर्णय कर दिया। जहां तक सरकारी डाक्टरों का सवाल है, सरकारी अधिकारियों का सवाल है, सरकारी कर्मचारियों का सवाल है, यह कानून इंडियन पेनल कोर्ट में बना हुआ है जो आपके जितने भी साथी आपकी तरफ जो वकालत करते हैं और जिनको कानून का ज्ञान है, उनसे आप सलाह लेते पार्टी की मीटिंग में भी तो जैसे वह अभी आपको अपनी सलाह यहां पर दे रहे थे और जिस प्रकार संसदीय कार्य मंत्रीजी और सप्लाई मिनिस्टर साहब और

(श्री हरिमोहन शर्मा)

दूसरे लोग इधर-उधर जाकर इस पर पुनर्विचार करने का मानस बना रहे थे लेकिन आपका मानस बन नहीं सकता जब तक राठौड़ साहब नहीं चाहे, हम देख चुके हैं हमारे गृह मंत्रीजी की दुर्गति जो कानून बीच में आया था, इन्होंने कह दिया नहीं होगा तो नहीं होगा। वह कह रहे थे रोक लें, इसमें तो नहीं रुका तो माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, इस समय में मैं आपसे यह एक विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आम आदमी के हित में कि आप इस कानून को वापस ले लें। इस, आपने जो विधेयक पेश किया है, इसको वापस ले लें। कोई आसमान नहीं टूट रहा है। चार महीने और पांच महीने में, लोकतंत्र में आप फिर आ जाओगे, फिर इस पर सोच लेना, गम्भीरता से चिन्तन कर लेना, अपने कार्यकर्ताओं, अपने विधायकों, अपने वकीलों और अपने साथियों से पूछ लेना और माननीय मुख्य मंत्रीजी को सलाह देना कि जनमत इस कानून के पूरा खिलाफ है। एक भी जनता का आदमी एक्सेप्ट डाक्टर और डाक्टर जो सरकारी डाक्टर है उनको कहां हैं इसमें रुकावट? सरकारी डाक्टर के लिए कानून बना हुआ है। सरकारी कर्मचारियों के लिए कानून बना हुआ है। आई.पी.सी. में धारा 332 का प्रोविजन है। अगर कोई भी उसकी ड्यूटी देते समय उसमें व्यवधान डालेगा तो उसको तीन साल की सज़ा होगी, कोग्नीजेबल है। एफ.आई.आर. दर्ज होने लायक है। उसमें गिरफ्तारी होगी, बिना गिरफ्तारी के वह रह नहीं सकता। जब कानून सरकारी डॉक्टरों के लिये बिना हुआ है तो वर्तमान माननीय उद्योग मंत्रीजी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्रीजी, आपको क्या आवश्यकता पड़ गयी कि उस प्राइवेट दुकान चलाने वाले डॉक्टर को भी यह अधिकार दे दो कि तू भी इन सबके खिलाफ कार्यवाही कर दे। पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक ड्यूटी करने वालों के लिये आपके पास धारा 332 बनी हुई है और यही नहीं, आपके कानून से भी अधिक सख्त, अगर अस्पताल के समय, ड्यूटी करते समय, ड्यूटी पर अपनी पालना करते समय अगर वह कुछ अधिक उग्र होकर उसका हाथ तोड़ता है, पैर तोड़ता है, फैक्चर आता है तो भी माननीय मंत्री महोदय, 10 साल की सज़ा है। इतना मजबूत कानून तो आपका यह है नहीं। जब प्रोविजन आपके पास है। सरकारी कर्मचारियों के साथ कार्य में बाधा डालने के लिये आपके पास प्रोविजन है तो उस प्रोविजन के होते हुए यह नया कानून लाकर इस राजस्थान की जनता को, उन अटेन्डेन्ट्स को, उन मरीजों के साथ जाने वाले लोगों को आप यह अत्याचार करने का नया प्रस्ताव कैसे कर रहे हैं, यह समझ के बाहर है।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी, सभी मंत्रिमण्डल के सदस्य, सभी पक्ष और विपक्ष के विधायक, इसमें कोई मतभेद की बात नहीं है। आप एक-एक आदमी से पूछ लो, उनके मन की आवाज, आत्मा की आवाज, जिस-जिसने इस विधेयक को देखा है और पढ़ा है, आप अकेले में क्योंकि यहां तो पार्टी अनुशासन के कारण कह नहीं पायेगा, लेकिन उस एक एक आदमी से पूछ लो, आज इसको पोस्टपोन करके कल की तारीख में ले लो और ईमानदारी से आप पूछ लो, गुप्त वोट डलवा लो। वह कहेगा कि यह काला कानून है, इसको हटाइये। और इसके बावजूद विधायकों की राय के विपरीत अनुशासन के डण्डे के आधार पर, पार्टी के व्हिप के आधार पर आप इस काले कानून को पास कराना चाहो तो इसमें हमको कुछ नहीं कहना। लेकिन मेरा विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है सभापति महोदय, कि जब कानून मौजूद है, सब परिस्थितियां साफ हैं, जो पब्लिक ड्यूटी पर है, जो ड्यूटी पर काम कर रहा है, उसमें कोई रुकावट डालता है तो उसके लिये कानून है तो यह प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स, प्राइवेट अस्पताल, स्टूडेन्ट्स के लिये यह कानून लाकर जनता के साथ जो दुर्गति करना चाहते हैं, इससे अधिक खेद की बात वर्तमान सरकार, वर्तमान मंत्रिमण्डल के लिये कोई दूसरी नहीं हो सकती। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप अहम भाव को त्यागें। लोकतंत्र में कुछ पीछे हटना भी आगे बढ़ने का एक कदम है। आप जन भावनाओं को समझें। जनभावनाओं के हिसाब से इस गरीब जनता पर जो यहां पर इलाज कराने के लिये आती है, उसको यह डर न बिठायें कि अगर वह इलाज के लिये मजबूती से बोलेगा तो उसको जेल के सींखचों के अन्दर रहना पड़ेगा। मैं विनम्र शब्दों के साथ माननीय सभापति महोदय, आपके माध्मय से यह कहना चाहूंगा कि इस काले कानून को यह वापस लें। वापस लेकर फिर पुनर्विचार करें और मंत्रिमण्डल के सदस्यों से भी कहना चाहता हूं कि चार महीने का हम फिर नया फैसला करने जा रहे हैं । चार महीने में नया अमेंडमैंट होगा, कौन आयेगा इस विधान सभा में और कौन नहीं आयेगा, इसको आज नहीं कहा जा सकता, लेकिन चार महीने के खातिर पूरे साढ़े चार साल या पौने पांच साल के लिये आप सत्ता का मोह नहीं छोड़ पाये, यह मेरी समझ में आता है, लेकिन चार महीने का जनता के खातिर सत्ता का मोह छोड़ने का भी अगर आपको डर है तो आप उसे निकाल दें। जन हित में अपनी बात मानें। मुख्य मंत्रीजी के सामने, कैबिनेट के सामने अपनी बात मजबूती से रखें तो

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(समय : 18.33 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जनता याद करेगी, इतिहास को याद करेगी और नहीं तो यह कहेंगे यह साफ दिखने वाले मंत्री भी माननीय मुख्य मंत्रीजी के दबाव में, कुछ लोगों के दबाव में जनता के प्रति कुठाराघात करते वक्त चुप रहे थे तो आपको भी जनता चार महीने बाद ऐसी सज़ा देगी कि दुबारा आप मंत्री बनकर सामने नहीं बैठ पाओगे। आपका भी हित इसमें है, जनता का भी हित इसी में है, हमारा हित भी इसमें है कि आप मेहरबानी करके जनहित में इस काले कानून को वापस लें और इस पर पुनर्विचार करें और पुनर्विचार करने के बाद, गम्भीरता से विचार करने के बाद जो आप फैसला करें, उसके बाद इस बिल को दुबारा लायें तो ज्यादा अधिक अच्छा होगा। जनता के हित में, आपके हित में, जनहित में और सरकार के हित में और मुख्य मंत्रीजी के हित में और फिर भी आप इस काले कानून को लाकर अगर डूबना ही चाहो और जनता को सताना ही चाहो तो मुझे कुछ नहीं कहना। आपने मुझे अवसर दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हेमाराम चौधरी (अनुपस्थित), श्री मोहम्मद माहिर आजाद (अनुपस्थित), डा. सी. पी. जोशी (अनुपस्थित), श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) विधेयक, 2008 पर चर्चा हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को लाने के उद्देश्य और कारणों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें लिखा है चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मियों को क्षति या संकट कारित करने और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थाओं की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के हिंसात्मक कार्य होते हैं जिससे राज्य चिकित्सा कर्मियों व्यवसाइयों पर विक्षोभ उत्पन्न होने के परिणामस्वरूप ऐसी सेवाओं में बाधा उत्पन्न होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे आगे की पंक्ति जिस पर मैं आपका ध्यान चाहूंगा और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपके माध्यम से। अतः उक्त अपराधों को संज्ञेय और अजमानती अपराध बनाकर ऐसे हिंसात्मक क्रिया-कलापों को प्रतिसिद्ध करना आवश्यक हो गया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत तकलीफ के साथ

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कहना पड़ रहा है। अभी हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य इस पर चर्चा करते समय यह बात कह रहे थे कि अच्छा होता राजस्थान सरकार इस विधेयक को मंत्रिमण्डल की मंजूरी से पहले कुछ कानूनी विशेषज्ञों से राय लेती। इन्होंने इस विधेयक के अन्दर धारा-3 में उल्लेख किया चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मियों के विरूद्ध हिंसा और चिकित्सा कार्य परिचर्या सेवा संस्था में सम्पत्ति का कोई भी नुकसान कारित करने वाला कोई भी कृत्य इसके द्वारा प्रतिसिद्ध किया जाता है और शास्ति में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं अधिवक्ता रहे हैं, इन्होंने तीन साल की सज़ा और पचास हजार रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आई.पी.सी. का जो जनरल एक्ट बना हुआ है, शायद इस सरकार को इसकी जानकारी नहीं कि उस आई.पी.सी. के जनरल एक्ट के अन्दर 332 और 353 में तीन साल की सज़ा का प्रावधान है और जहां तक इस अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती बनाने का सवाल है, पिछले साल 01 जून, 2007 को आई.पी.सी. की धारा-332 और 353 इसमें अमेंडमैंट लाकर, संशोधन लाकर संज्ञेय और अजमानती अपराध कर दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब 332 और 353 जो आलरेडी जनरल एक्ट में विद्यमान है, जिसमें तीन साल की सज़ा का प्रावधान है और उसको 01 जून, 2007 को आई.पी.सी. में संशोधन लाकर संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बना दिया। फिर इस नये एक्ट को लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? भगवान के लिये सरकार इस सदन में इसकी जानकारी दे। मैं इससे आगे और कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो उल्लेख किया, धारा-2 की उप धारा-4 में सारे एक्ट के अन्दर सारे अपराधों पर तीन साल की सज़ा है। इस सरकार की मंशा को भांपना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, उप धारा-4 में लिखा है - हिंसा से चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था में कर्तव्य निर्वहन करने वाले किसी चिकित्सा परिचर्या कर्मी को कोई भी अपमान कारित करने, क्षति कारित करने, उसके जीवन को संकटापन्न करने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या सरकार को पता नहीं अगर किसी सरकारी कर्मचारी के जीवन पर संकट की स्थिति पैदा करने की हालत होती है, आई.पी.सी. की धारा-332 जो 10 साल तक की सज़ा का प्रोविजन करती है। इतने सारे ठोस प्रोविजन विद्यमान होने के बाद केवल राजस्थान सरकार डॉक्टरों की हठधर्मिता की नीति और परेशानी के सबब में आम

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जनता का उनके साथ टकराव के जो हालत पैदा हो जाते उसमें सरकार अपनी जिम्मेदारी पर पर्दा डाल कर डाक्टरों को प्रोटेक्ट करने के लिए केवल उनको एक झूठी तसल्ली देने के लिए विधेयक लाना चाहती है। अन्तर क्या है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि जनरल एक्ट के प्रोविजंस और इस एक्ट के प्रोविजंस में अन्तर क्या है? जनरल एक्ट में भी तीन साल की सज़ा का प्रावधान है, जनरल एक्ट के अपराध भी संज्ञेय और जमानती अपराध है और जनरल एक्ट में जीवन पर संकट की स्थिति में धारा-333 में दस साल का प्रोविजन और जहां तक सम्पत्ति के नुकसान का मामला है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्पेशल एक्ट 3 पीपीडी एक्ट बना हुआ है जिसमें तीन साल की सज़ा का प्रावधान है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता से आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि इस एक्ट के अन्दर जो धारा-6 है, खास तौर से जो सरकार इस एक्ट को लायी, प्राइवेट हास्पिटल को प्रोटेक्शन देने के लिए धारा-6 में आपने उल्लेख किया है : 'सम्पत्ति को कारित नुकसान के लिए हानि की वसूली-(1) धारा-4 में विनिर्दिष्ट दण्ड के साथ-साथ अपराधी, अपराधी का विचारण कर रहे न्यायालय द्वारा यथा अवधारित क्षतिग्रस्त चिकित्सा उपस्करों के क्रय मूल्य और सम्पत्ति को कारित हानि रकम के दुगुने की शास्ति का दायी होगा।'

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सरकार से जानना चाहता हूं यह केवल निजी चिकित्सालयों को लाभ देने के लिए, पिछले सालों में डाक्टरों के और मरीजों के झगड़े की कई घटनाएं हुई होंगी, सैंकड़ों मुकदमे भी दर्ज हुए होंगे और राजस्थान सरकार के पास इसका मूल्यांकन है कि कितनी सरकारी सम्पत्ति का नुकसान पहुंचा दिया गया, कितने करोड़ों रुपये की प्रोपर्टी का नुकसान हो गया। केवल प्राइवेट हास्पिटल में, जहां पर मरीजों के साथ लूट की दुकानें खुली हुई हैं, आज राजस्थान सरकार को चाहिए था उन लोगों पर लगाम लगा कर, डाक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के बजाय आज जरूरत इस बात की थी, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, निजी चिकित्सालय के अन्दर उपचार करते समय आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसकी डेड बॉडी अस्पताल में तब तक पड़ी रहती है जब तक एक-एक पैसे का हिसाब नहीं हो जाता। मरने के बाद परिवार के लोग रोते-चिल्लाते हैं लेकिन

(श्री प्रहलाद गुंजल)

प्राइवेट चिकित्सक उसकी वसूली के लिए उनकी जेबों की तलाशी लेते हैं। पूरी दादागीरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। और क्या गारंटी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कह दिया वसूली की क्षति की दोगुनी राशि ली जायेगी, किसी भी प्राइवेट हास्पिटल की किसी मामूली से झगड़े पर किसी खराब एक्स-रे की मशीन, किसी खराब ईसीजी की मशीन को प्राइवेट डाक्टर यह लिखा दिया कि मेरी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया। यह सामान्य मानसिकता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य झगड़े में भी आदमी जब थाने में रिपोर्ट कराने जाता है वो अपनी चेन चोरी की घटना लिखाता है, वह अपनी घड़ी छीनने की रिपोर्ट लिखाता है, वह अपनी जेब में से पैसे छीन लेने की रिपोर्ट लिखाता है। इस प्रकार की मानसिकता को इस एक्ट के माध्यम से अगर प्रोटेक्ट किया गया तो निजी चिकित्सालय में मरीजों और डाक्टरों के बीच कोई विवाद होगा तो अपने अस्पताल की नाकारा मशीनों को नुकसान की एफ.आई.आर. डाक्टरों द्वारा दर्ज करायी जायेगी और उन मरीजों से कानून सख्ती के साथ वसूली जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या हम यह कानून आम आदमी को, गरीब को राहत देने के लिये ला रहे हैं? क्या इस सदन की जिम्मेदारी है, किसके साथ डाक्टर का टकराव टालना था, किस से डाक्टर को खतरा था, कौन आदमी डाक्टर से लड़ने जाता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अस्पताल में भाग कर वो जाता है जो दुर्घटना कारित हो जाता है, जीवन पर संकट आ जाता है, बीमारी आ जाती है और ऐसे समय के अन्दर उसके परिवारजन मानसिक रूप से इतनी तकलीफ में होते हैं, उनके सामने एक चिंताजनक संकट होता है और उस चिंताजनक संकट में जब वो डाक्टरों का आपत्तिजनक आचरण देखता है, मानवीय स्वभाव है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय टीका-टिप्पणी करना और आप उसमें उसको कुछ जोर से बोल देना और आप इस एक्ट में प्रावधान कर रहे हो, धारा-2 की उप धारा-4 में अब इतना अवरोध, प्रतिबाधा कारित करने पर, आपने डाक्टर से कुछ कह दिया, जोर से बोल गये कि आप तुरन्त पेशेंट को देखिये, मेरा मरीज मरने वाला है, आप जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं और इतना कहने मात्र से आप राजस्थान के आम आदमी के गले में इस कानून की जंजीर डाल कर उसको तीन साल की सज़ा में देना चाहते हो।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर राजस्थान के आम आदमी की भावना को देख कर राजस्थान सरकार ने इस काले कानून को वापस नहीं लिया तो चार महीने बाद, यह तो तीन साल की सज़ा का प्रावधान कर रहे हैं, राजस्थान की जनता तीसों सालों तक इनको सदन में नहीं आने देगी। मैं आज आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं।

मंशा क्या है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट हास्पिटल के अन्दर अगर सम्पत्ति का नुकसान होता है तो आई.पी.सी. में 427 का प्रावधान है। 427 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। आप यह एक्ट ला रहे हो, चुनाव का समय नजदीक है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हो, इस सदन के सब माननीय सदस्य जानते हैं कि आजकल निजी क्षेत्र के चिकित्सालय बड़े व्यावसायिक संस्थान हो गये हैं, अब वो छोटी-मोटी दुकानें नहीं बची हैं, राजस्थान में लूट चल रही है और यह सरकार जो पिछले साढ़े चार साल से भ्रष्टाचार और आम आदमी की जेब काटने और चौथ वसूली में लग रहे हैं, यह इस चुनाव का खर्चा निजी अस्पतालों से वसूल करना था, इनकी मंशा है इन निजी अस्पतालों के साथ। मैं आज बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, अगर यह सरकार राजस्थान की जनता के साथ न्याय करना चाहती है और सरकार राजस्थान के आम आदमी के हित की चिंता करना चाहती है तो हिम्मत करे, साहस करे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि जो निजी अस्पताल लूट की दुकानें बन गयीं, जो निजी अस्पताल आम आदमी की जेबें काट रहे हैं, और सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आप चलें जाएं, आप विधायक हैं, उपाध्यक्ष हैं, एक जिम्मेदार, कोई जानकार व्यक्ति है तो आपका इलाज हो सकता है, आम आदमी को सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए प्राइवेट अस्पताल की तरह फीस देनी पड़ती है और आज इसी का परिणाम है कि आम आदमी जब यह महसूस करता है, मुझे सरकारी चिकित्सालय में जाने के बाद भी अपने व्यक्ति का उपचार कराने के लिए प्राइवेट डाक्टर की तरह फीस देनी पड़ेगी, वह ठीक तरीके से डाक्टर उसको देखे इसके लिए डाक्टर की जेब में मोटी रकम रखनी पड़ेगी तो फिर मैं क्यों नहीं प्राइवेट हास्पिटल में जाकर इलाज कराऊंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आम आदमी के सामने इस तरीके के हालात पैदा हो गये। आप उसको न तो सरकारी अस्पताल में प्रोटेक्ट करना

(श्री प्रहलाद गुंजल)

चाहते हैं और अगर वो आपकी गैर-जिम्मेदाराना प्रवृत्ति के कारण, आपकी कमजोरी के कारण, सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों के व्यवहार के कारण भाग कर प्राइवेट अस्पताल में जा रहा है तो वहां भी आप उसको कानून की जंजीर में बांधना चाहते हो, वहां भी आप उसके सामने चुनौती भरी स्थितियां पैदा करना चाहते हो एक्ट ला कर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 427 का एक्ट प्राइवेट अस्पताल की सम्पत्ति के नुकसान का है, क्या उसमें मुकदमा दर्ज नहीं होता? और आई.पी.सी. की धारा 324 जो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निजी आदमी के साथ झगड़े की है, कल तक वो बेलेबल थी, एक जून, 2007 के बाद 324 को भी नोन-बेलेबल संज्ञेय और गैरजमानती अपराध बना दिया। फिर क्या मंशा है इस एक्ट को लाने के पीछे? मैं बहुत विनम्रता से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं कि 324 गैरजमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है, 333 बहुत संगीन सैशन ट्रायल है जिसमें सरकारी कर्मचारी के जीवन पर खतरा हो जाए तो दस साल की सज़ा का प्रावधान है और आज 332, 353 आई.पी.सी. के जनरल एक्ट की धारा जो नोन-बेलेबल है और तीन साल की सज़ा कारित करती है और सरकारी सम्पत्ति के नुकसान के लिए स्पेशल एक्ट 3 पीपीडी बना हुआ है तो फिर इस एक्ट में ऐसी कौनसी बात है, केवल और केवल एक कि लोगों की जेब से, आदमी के जीवन की हानि हो, मानसिक प्रताड़ना हो, उसके उपचार में उसको लूटा जावे और अगर उसके मन से दो उग्र शब्द निकल जाएं और कोई कांच भी अगर उसके हाथ रखने से टूट जाए या पैनदान भी टूट जाए तो यह सरकार भी उसके जेब काटने का कानून बनाये।

इस एक्ट को लाने के पीछे आम आदमी के साथ सरकार की अन्याय की भावना है। एक निजी चिकित्सकों के प्राइवेट माफिया को प्रोटेक्ट करने की भावना है और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी अस्पतालों की जो अव्यवस्था है और सरकार जो जिम्मेदारी पूर्वक उसको ठीक नहीं कर पा रही है और अगर कहीं सरकारी चिकित्सक और मरीज के परिजन का झगड़ा होता है तो सरकार ईमानदारी से, निष्पक्षता से प्रभावी कार्यवाही नहीं कर पा रही है। मौजूदा प्रावधान में भी प्रोटेक्शन किया जा सकता है, मौजूदा प्रावधानों में भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

(समय-समाप्त-सूचक घंटी)

सरकार अपनी कमजोरी पर भी पर्दा डालने के लिए आम आदमी के सामने यह काले कानून की जंजीर डालना चाहती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से अनुरोध करूंगा कि जब जनरल एक्ट में और स्पेशल एक्ट में पहले से इतने बने हुए हैं, उनमें इन सारी चीजों का प्रावधान है तो केवल वसूली की एक मात्र धारा के कारण, एक मात्र मंशा, जनरल एक्ट और इस एक्ट में अगर कोई अन्तर है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप अधिवक्ता रहे हैं। तो केवल मात्र धारा-6 में वसूली की प्रक्रिया का, आप आम आदमी के साथ क्या करना चाहते हो? आप सिरिंज लगाकर खून निकाल लो राजस्थान की जनता का। आपने इस राजस्थान को बेच दिया 90-बी के नाम पर, आपने सेज के नाम पर इस राजस्थान के हजारों किसानों की जमीनें लूटीं, न जाने किसानों की कौड़ियों के दाम जमीनें एक्वायर करके आपने पूंजीपतियों को दे दीं और अब आप कानून ला ला के ....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): इस राजस्थान की गरीब जनता का खून सिरिंज से पीना चाहते हो। यह काला कानून इस बात का संकेत दे रहा है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार में नैतिकता बची है तो यह सारी चीजें जनरल एक्ट में मौजूद हैं केवल उसकी जेब काटने और वसूली का स्पेशल प्रोवीजन इस एक्ट में किया है। नैतिकता है तो इसको वापस लें और राजस्थान की जनता से ऐसा काला कानून लाने का दु:साहस करने के लिए क्षमा याचना करें।

आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामचन्द्र जारोड़ा (अनुपस्थित), श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) विधेयक, 2008 में मैं अपने आपको शरीक करते हुए जिस तरह से पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात को बताया है। भाई जोगेश्वरजी और भाई प्रहलादजी ने अपनी बात को, मन की अन्त: वेदना को प्रकट किया है और इस अन्त: वेदना में जाहिर है कि किस तरह से

(श्री मांगीलाल गरासिया)
यदि मरीज जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहा होता है और ऐसी स्थिति में यदि डाक्टर उसकी सुध लेने का काम नहीं करे तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, क्रोध जागना स्वाभाविक है और ऐसी परिस्थिति में उन भाइयों पर क्या बीतेगी उसको कहने की जरुरत नहीं है और उसको काले कानून के रूप में मूर्त दिया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा अन्याय राजस्थान की जनता के साथ में किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से आज की तारीख में दूरदराज के एरिये की चिकित्सा व्यवस्था की हालत को देखा जाए और वहां पर भी डाक्टरों की कमी को लेकर के जिस तरह से चिकित्सा कर्मी अनदेखी कर रहे हैं उसमें यदि ग्रामवासियों का गुस्सा फूट जाता है, तकलीफ हो जाती है और कोई बात निकल आती है तो दण्ड का भागीदार बनाया जाता है और इस तरह की स्थिति में इस तरह का कानून लाने का काम जिस तरह से राजस्थान की सरकार कर रही है, एक दु:ख का विषय है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि आप विशेष तौर से आज जिस तरह से काले कानून के रूप में इसको प्राथमिकता मिल रही है और जो गरीब व्यक्ति जिनकी सुनवाई करने के लिए कोई हुआ नहीं करता था, गरीब व्यक्ति जब चिकित्सालय में आता है और उसमें जब कोई कमी बेशी के लिए बात निकलकर के आती है तो उन पर कहीं मुकदमेबाजी हो जाएगी, कहीं अशांति का वातावरण हो जाता है और उसके लिए वह दण्ड का भागीदारी होगा। इस तरह के काले कानून को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा इस तरह का जो विधेयक लाया जा रहा है उसको वापस लिया जाय और वापस लेते हुए मैं अनुरोध करूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इसे तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए तो उचित रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल ।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था संबंधी विधेयक को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। यह मैंने मेरा संशोधन प्रस्तुत किया है।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

इसके पक्ष में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य के सरकारी और निजी क्षेत्र के अस्पतालों में डाक्टरों को और संबंधित चिकित्सा कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने का मकसद लेकर के जो बिल पेश किया गया है, यह हमारे यहां का जो ढांचा हमने वर्तमान समय में अस्पतालों में उपलब्ध करवा रखा है, जो सुविधाएं हमने उपलब्ध करवा रखी हैं उन सब पर सबसे पहले नजर डाली जानी चाहिए थी।

आज की स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के हमारे संभागीय मुख्यालयों तक और यह कहना चाहिए कि हमारी राजधानी तक भी अस्पतालों में वह वातावरण उपलब्ध नहीं है जो सेवा भाव से वहां पर आने वाले मरीज की डाक्टर सेवा कर सकें और नर्सिंग कर्मी भी उनकी सेवा कर सकें। हर डाक्टर और नर्सिंग स्टाफ अण्डर प्रेशर काम कर रहा है। पोस्ट जितनी होनी चाहिए उससे कम पोस्ट हैं। हालत यह रहती है कि कहीं-कहीं तो आधे से भी ज्यादा पद रिक्त होते हैं। ऐसे में हम आशा करें कि एक ही डाक्टर राउंड दी क्लाक सेवा करे यह मुश्किल है। आज अगर नर्सिंग कर्मी नहीं होंगे तो जो वहां पर भर्ती मरीज हैं उसकी देखभाल कौन करेगा।

मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात को अपने-अपने तरीके से रखा। मैं सार में यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे यहां पर जब तक वैल इक्विप्ड हास्पिटल्स नहीं हैं, हमने वहां बेहतर वातावरण जब तक नहीं बनाया है तब तक हम मरीज और उसके अटेन्डैंट्स को इतना ज्यादा क्यों एजूकेट करने की सोच रख रहे हैं कि वो वहां पर वैल इन डिसिप्लीन आए। अपनी समस्या के लिए वह अपनी बात भी रखने की हिम्मत न रख सके। निश्चित रूप से आज अस्पतालों में हमने जो बारम्बार मांग की कि आप आर एम आर एस को वैल इक्विप्ड करें और क्या-क्या सुविधाएं दे रहे हैं जिसको आप अपने सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करें। वह तो कार्यवाही नहीं हुई लेकिन यह तय है कि अगर यह कानून पास होगा तो अस्पतालों में प्रवेश द्वार के ऊपर ही बहुत बड़े बड़े शब्दों में सबसे पहले यही लिखा जाएगा अगर आपने आकर के यहां पर अपनी आवाज ऊंची करने की कोशिश की तो निश्चित रूप से आपको तीन वर्ष के लिए न सिर्फ कारावास की सज़ा मिलेगी, न सिर्फ आपको पचास हजार रुपये तक आर्थिक दण्ड भुगतना पड़ सकता है बल्कि उससे भी आगे बढ़ते हुए इसके अन्दर जो आपने यह दर्शाया है कि किसी भी ऐसे अस्पताल में अगर वह प्राइवेट अस्पताल है, वहां पर अगर उसने कुछ वर्ष पहले भी कोई मशीन

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

लाकर के रख दी है तो उसके क्रय मूल्य से दुगुना मूल्य भी वह उस व्यक्ति के माथे पर मंढकर वसूल करने की स्थिति रखेगा। यह भी इसमें दर्शाया गया है।

कुल मिलाकर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अगर हम सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा की बात करते हैं तो आपके यहां पर प्रिवेंशन आफ डेमेज टू दी पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट, 1984 इसके अन्दर यह सब चीजें कवर होती है। लेकिन यह जो बिल लाये जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको पारित करने का प्रयास किया जा रहा है, यह साफ-साफ दर्शाता है कि हम उन प्राइवेट अस्पतालों को सुरक्षा प्रदान करना चाह रहे हैं जो प्राइवेट अस्पताल आज इलाज के नाम पर आम व्यक्ति को लूट रहे हैं। यह सत्य है कि आज ग्रामीण तबके का कोई भी व्यक्ति इलाज कराने जाता है जो भारी भरकम राशि उससे वसूली जाती है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले का ही एक प्रकरण आपको निवेदन करना चाहता हूं । एक ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति इलाज कराने के लिए गया, उसका आपरेशन कर दिया गया। आपरेशन करने के बाद उसको छुट्टी दे दी गयी, उसकी वो की वो तकलीफ कायम थी । दस दिन के बाद वह पुनः उसी अस्पताल में गया कि मेरी यह तकलीफ है। पता लगा कि उसका आपरेट करने के बाद एक पार्ट वहीं रह गया जिसका पेन था, दस दिन बाद वापस आपरेशन कर दिया, सत्रह हजार रुपये और उससे मांग कर वसूल लिये गये। तो हम प्रोटक्शन दे रहे हैं ऐसे लोगों को, ऐसे अस्पतालों को जो इस प्रकार की प्रक्रिया को बढ़ायेंगे।

मेरा सार में निवेदन यह है उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हम अपने आपको वैल इक्विप्ड करें, हमारे अस्पतालों की वो बेहतर स्थिति बनाएं जिससे आने वाले मरीज और उसके अटेन्डैंट को हम बेहतर वातावरण और सुविधाएं दें। आज हालत यह है उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर जो पदस्थापित हैं, हम जा रहे हैं किसी स्पेशलिस्ट के पास में, पता लगता है वहां पर स्पेशलिस्ट नहीं कोई जूनियर डाक्टर उसकी जगह पर काम कर रहा है। वह जूनियर डाक्टर निश्चित रूप से उस स्थिति का इलाज नहीं कर सकता क्योंकि वह स्पेशलिस्ट नहीं है, उससे कोई न कोई कोताही होगी। हम यह जानकारी करने के बाद कि हमारा इलाज एक गलत डाक्टर ने किया, अगर हम अपना आक्रोश भी जाहिर करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते। समय-समय पर हर जगह पर हम यह देखते हैं, बड़े-बड़े शहरों के अस्पतालों में भी आए दिन यह घटनाएं होती हैं। मरीज और

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

उनकी परिचर्या के लिए जो वहां पर उपस्थित होते हैं, आए दिन उनका विवाद इन बातों को लेकर के है।

मेरा निवेदन है कि इस बिल को पारित नहीं किया जाना चाहिए। इसको तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि यह बिल अगर पारित होता है तो यह ग्रामीण और शहरी हर तबके के आम जन के खिलाफ होगा और हम उन अस्पतालों को और उन डाक्टरों को प्रोटक्ट करेंगे जो मरीज के इलाज के अन्दर कोताही बरतते हैं । आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर श्रीगोपाल बाहेती (अनुपस्थित), श्री रघुवीर सिंह मीणा (अनुपस्थित), डाक्टर श्री चन्द्रशेखर बैद।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) विधेयक, 2008 के बारे में सदन में चर्चा चल रही है इसके बारे में मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेडिकल संस्थाओं को, अस्पतालों को, नर्सिंग होम को और उसमें काम करने वाले लोगों को समाज के अनुरूप ही देखना पड़ेगा जिस तरह समाज के अन्दर सब तरह के लोग हैं। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, पैसा खाने वाले लोग भी हैं, हिंसा करने वाले लोग भी है उसी तरह से इंजीनियरिंग डिपार्टमैंट को देखें तो वहां भी सब तरह के लोग मिलेंगे क्योंकि वह भी समाज का एक हिस्सा है। डाक्टर्स को देखें तो डाक्टर्स में अच्छे डाक्टर भी मिलेंगे। आप एस.एम.एस. अस्पताल को ही ले लें। वहां बेहतरीन से बेहतरीन डाक्टर आपको उपलब्ध हैं और कई ऐसे डाक्टर भी उपलब्ध हैं जिनके नाम से लोग घृणा करते हैं तो वह भी एक समाज का हिस्सा हैं। कोई भी संस्था को ले लें, विधायक दल को ले लें, पालिटिशियंस को ले लें, हर फील्ड के अन्दर समाज का वह प्रतिबिम्ब मिलेगा जो कि वास्तविक समाज जिस समाज के अन्दर हम रहते हैं। अब आप डाक्टर्स की बात अगर लें तो एक डाक्टर जो प्राइमरी हैल्थ सेण्टर पर या सब सेण्टर या सबसे ऊंची संस्थान सवाई मानसिंह चिकित्सालय में काम कर रहा है उस डाक्टर के साथ जो कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय में काम करने वाला डाक्टर जो एक रेजीडेंट डाक्टर है जिसके ऊपर पूरा संस्थान चलता है और जो जूनियर डाक्टर्स हैं जिनके ऊपर पूरा संस्थान चलता

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

है, कोई व्यक्ति उनके साथ दो दिन रहे तो उसको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से वह डाक्टर 24 घण्टे दिन-रात अपने परिवार को, अपने घर को, अपने गांव को छोड़कर वहां मरीजों की सेवा करता है, मैं यह नहीं कह रहा सारे डाक्टर एक जैसे होते हैं लेकिन अधिकांश डाक्टर जो इमरजेंसी में काम कर रहे हैं या ऐसे डिपार्टमैंट्स में काम कर रहे हैं जैसे आर्थोपैडिक्स है, न्यूरो सर्जरी या मेडिसिन डिपार्टमैंट है, बर्न यूनिट है, दिन-रात मानव सेवा के अन्दर लगे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। साथ में यह बात भी सत्य है कि जो मरीज वहां इलाज कराने आता है वह मानसिक रूप से व्यथित होता है। जब वह मानसिक रूप से व्यथित होगा और उसकी आशाओं के अनुरूप मरीज की बीमारी के अन्दर सुचारु रूप से लाभ नहीं होगा तो वह उत्तेजित भी हो जाता है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है उसमें वह कुछ नहीं कर सकता। वह उत्तेजित होगा और जब वह उत्तेजित होगा तो आक्रोश में आकर वह डाक्टर को अपशब्द भी कह सकता है। उसके ऊपर हमला भी कर सकता है। जो चिकित्सा कर्मी या पैरा मेडिकल स्टाफ है उनको नुकसान भी पहुंचा सकता है। वहां जो मेडिकल उपकरण हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है ऐसी स्थिति के अन्दर यह पिछले 4-5 साल के अन्दर जो यह प्रवृत्ति बढ़ी है हर 5-7 दिन के अन्दर यह देखने को मिलता है कि कुछ आक्रोशित लोगों ने डाक्टर्स पर, कम्पाउण्डर पर, नर्सिंग स्टाफ पर हमला कर दिया। हमला करने से रेजीडेंट डाक्टर और जूनियर डाक्टर स्ट्राइक पर चले गये और वह हजारों मरीज जो पूरे राजस्थान से किसी चिकित्सा संस्था से इलाज कराने आते हैं वह बिना इलाज के वहीं महरूम पड़े रह गये क्योंकि उनका री-प्लेसमेंट हो नहीं सकता क्योंकि वही स्तम्भ हैं इस संस्थान का। ऐसी स्थिति के अन्दर ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: उन्हीं परिस्थितियों को ... (व्यवधान) डा. साहब, इन्हीं परिस्थितियों को ठीक करने के लिये यह बिल लाया गया है जो आप बता रहे हैं वह बात बिलकुल सही है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): मैं क्लियर कर रहा हूं ... (व्यवधान) सही है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं-नहीं, यह उन परिस्थितियों के लिये नहीं है ... (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): बैठो तो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अगर आपका कंसेप्ट यह है कि उन परिस्थितियों के लिये है तो यह तर्कसंगत है, उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: बिल की मंशा यही है।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): यह हरिमोहनजी वक्ता और चेयर के बीच में खड़े हो जाते हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा ऐसी स्थिति के अन्दर यह आवश्यक है कि जो चिकित्साकर्मी है और जो पैरा मेडिकल स्टाफ है उनकी रक्षा की जाए। अब प्रश्न यह उठता है कि अपना जो वर्तमान कानून है आई.पी.सी. का 332 और 353 उस कानून के अन्तर्गत क्या यह प्रावधान है कि हम उनकी रक्षा कर पायें। तो उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद मालूम पड़ता है कि आलरेडी कानून एग्जिस्ट करता है। कमी कहां आ गयी कि हम उसका सही तरीके से पालन नहीं कर पाये। कानून तो एग्जिस्ट करता है। कानून यह कहता है 332 और 353 कि इस तरह की कोई घटना हो तो आप उसको उस आई.पी.सी. की धारा के अन्तर्गत दंडित कर सकते हैं। इसके लिये इतना कठोर कानून बनाने की आवश्यकता नहीं थी। अब प्रश्न यह उठता है कि सरकार की सही मंशा क्या है? वह क्यों इस कानून को लायी? तब आलरेडी एग्जिस्टिंग कानून था तो जाते-जाते साढ़े चार साल बाद उस कानून को क्या आप रिपीट करना चाहते हो कि हम इस कानून को रिपीट करना चाहते हैं दूसरे तरीके से, दूसरे दरवाजे से इसको लाकर। उसका अर्थ यह था, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो पेज नम्बर टैन डेफिनेशंस के अन्दर दो नम्बर की डेफिनेशन है उसमें पाइंट नम्बर वन जो इन्होंने मेंशन किया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 'Medicare Service Institutions' means all institutions providing Medicare to the people which are under the control of State or Central Government or Local Bodies etc., including any private hospital...'' दूसरे इन्होंने यह कहा है कि "...post-natal care in connection with child birth or anything connected therewith; and any private nursing home..." अब जो कानून बना हुआ है, आज कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी दफ्तर में चाहे छोटा सा भी दफ्तर ही हो उसके अन्दर एक चपरासी के ऊपर भी हमला करता है तो कानून यह कहता है कि राज कार्य में बाधा डालने के लिये उसको दंडित किया जा सकता है। तो यह भी सरकारी अस्पताल है। इसमें काम करने वाले लोग भी राजकर्मी ही हैं। उन राजकर्मियों के काम में बाधा डालने के कारण उनको

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

दंडित करने का प्रावधान जो एग्जिस्टिंग कानून में बना हुआ है उसके अलावा इस चीज को जोड़ने के लिये यह सारी रामायण रची गयी है कि जिसमें नर्सिंग होम और प्राइवेट हास्पिटल्स को भी इसके अन्दर इनक्लूड कर लिया गया है।

पिछले साढ़े चार साल से इसी सदन के अन्दर एक बार नहीं अनेक बार यह बात उठी कि जितनी भी यह इनवेस्टीगेटिंग लैब्स हैं उनके ऊपर सरकार किसी तरह से अंकुश लगाए। एक बार यह घनश्यामजी ने कहा था हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर किसी तरह का अंकुश लगे जिससे कि जो कीमत यह वसूल करते हैं उस कीमत के अन्दर ही जो गरीब आदमी है वह इलाज करवाने में सक्षम हो पाए और साथ में यह भी है कि उन इनवेस्टीगेटिंग लैब्स के अन्दर सही मापदंडों के आधार पर सही इनवेस्टीगेशन रिपोर्ट आ जाए यह भी सुनिश्चित किया जाए। इसी तरह का अंकुश जो छोटी-छोटी जगह बिना किसी लाइसैंस के, बिना किसी मापदंड के हर कॉलोनी के अन्दर मशरूमिंग हो रही है कि छोटा सा नर्सिंग होम खुल गया, चार कमरे खुल गये, उसके अन्दर एम टी पी भी हो रहा है, अबार्शन भी हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, इनके ऊपर भी किसी तरह से अंकुश लगाया जाए। वह तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े चार साल में वर्तमान सरकार ने किया नहीं और उसका खामियाजा आम गरीब आदमी को भुगतना पड़ रहा है कि जब सरकारी अस्पताल में सर्विसेज किसी कारणवश ठप हो जाती हैं तो उस गरीब के पास कोई रास्ता नहीं है। वह प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट हास्पिटल के अन्दर मुंह मांगे दाम देकर सही गलत जैसा भी इलाज करवाता है वह करवाता है। उसकी एवज में इस तरह का यह कानून लाना जिसके अन्तर्गत कि प्राइवेट हास्पिटल में काम करने वाले चिकित्साकर्मी, अब प्राइवेट हास्पिटल तो बिजनेस सेण्टर हैं। प्राइवेट इनवेस्टीगेटिंग लैब्स जो हैं वह बिजनेस सेण्टर हैं, मानव सेवा के लिये नहीं हैं। आप स्वयं जाकर देखें कि एक डाक्टर जो सवाई मानसिंह चिकित्सालय में या सरकारी अस्पताल में ईमानदारी से, निष्ठा से काम कर रहा है उसका रुटीन और एक जो दूसरे प्राइवेट हास्पिटल में काम कर रहा है उसकी मानसिकता और उसके काम करने का तरीका, जमीन-आसमान का फर्क मिलेगा। उसकी मानसिकता अलग है। वह व्यवसाय के रूप में वहां बैठा है और जो सरकारी अस्पताल में इस तरीके से डिग्री लेने के लिये जो मेहनत करके काम कर रहा है वह वास्तव में मानव सेवा करने के लिये काम कर रहा है इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो प्राइवेट हास्पिटल को बैनिफिट देने के लिये एक तरह का काला कानून जो सरकार लायी है उसे पास नहीं किया जाए। उसे तीन महीने, वैसे भी आपकी अवधि अब चार महीने रह गयी, हाफ लाइन करीब-करीब खतम हो गयी एक्सपायरी डेट, चार महीने बाद आने वाले हैं तो इसको काहे को लाते हो? इसको रहने दें। जो एग्जिस्टिंग कानून है उसका कड़ाई से पालन करके और आप अपना काम चलाओ। आगे जो लोग आयेंगे वह सोचेंगे उनको क्या करना है। इस तरह का कानून जो है वह जनमत जानने हेतु तीन माह के लिये परिचालित किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमराराम धोद।

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) विधेयक, 2008, पूर्ण रूप से जब आई.पी.सी. की धाराओं में इस बात के लिए प्रोविजन है, एक तरफ जो राजस्थान में जहां जो सरकारी चिकित्सा व्यवस्था है वह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है, पहले जहां चिकित्सा सेवा का माध्यम थी, जबसे यह व्यवसाय के रूप में पनपा है, जिनका इस उदारीकरण के युग में केवल पैसा कमाना ही मकसद रह गया और उसके इर्द-गिर्द जो चिकित्सालय हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए सरकार यह कानून लायी है। मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार चाहे वर्तमान हो या पूर्ववर्ती सरकार हो, उन निजी चिकित्सालयों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, कानून बनाने का आपने अखबारों में दिया है। उन निजी चिकित्सालयों के डाक्टरों ने जिस तरह से दबाव बनाया, चाहे वह पूर्ववर्ती सरकार थी, एकदम उससे सरकार बैक आउट हो गयी। जो निजी चिकित्सालय राज्य में चल रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करने की हिम्मत राजस्थान सरकार नहीं जुटा सकती है, उनको प्रोटेक्ट करने का, उनके नाजायज कृत्यों का, चाहे वह निजी चिकित्सालय हैं या निजी लैब्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यह कानून लेकर के आये हैं, मैं समझता हूं कि यह राजस्थान की आम जनता के हित में नहीं है। कुछ लोगों के लिए अपनी पैसे की हवस को पूरा करने के लिए जो निजी चिकित्सालय हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का यह कानून है। मैं समझता हूं कि किसी भी रूप में यह जन साधारण के लिए कानून नहीं है। जन साधारण को भयभीत करने के लिए चाहे वह अपनी मनमर्जी से लूट मचायें, आप देखेंगे

(श्री अमराराम)

कि किस तरह से अनचाहे में गर्भपात, जो मेल-फीमेल के रेश्यो में जो डिफरेंस है, कानून में प्रोविजन है कि कोई भी बच्चे का लिंग जांचकर नहीं बतायेगा, लेकिन आज हालत यह है कि जो रेश्यो गड़बड़ाने का काम किया है, यह उन्हीं डाक्टरों ने किया है जिसकी समाज में विकृति आने वाले समय में हमारे सामने आयेंगी। उसके लिए हम चिंतित नहीं हैं, चिंतित हैं तो उनके अवैध कारनामों के खिलाफ अगर कोई आवाज उठती है तो उस व्यक्ति पर नैतिक रूप से प्रेशर डवलप करने के लिए, एक कानून बनाकर के कि जिस तरह से वह उनके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करें। मैं समझता हूं कि यह कानून किसी भी रूप में जनता के हित में नहीं है, इसलिए कम से कम तीन महीने के लिए जनमत जानने के लिए इसको परिचालित किया जाये। अगर आवश्यकता होगी तो उसके बाद में इसको रखा जाये। इसलिए मैं इस कानून का, विधेयक का पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार यह विधेयक लेकर के आयी है।

श्री उपाध्यक्ष: डा. बुलाकीदास कल्ला।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) विधेयक, 2008 पर सदन में विचार चल रहा है। मैं इसे तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचारित करने के प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। जो सरकार ने स्टेटमैंट ऑफ आब्जेक्संस रीजन्स दिये हैं उसमें यह लिखा है कि "There had been acts of violence of causing injury or danger to life of Medicare Service Persons and damage to property of Medicare Service Institutions in the State creating unrest in Medicare Professionals resulting in hindrance of Medicare Service in the State.

Therefore, it had become necessary to prohibit such violent activities by making the offences as cognizable and non-bailable."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि राजस्थान में ऐसे कितने केस लम्बित हैं जहां इस प्रकार की हिंसा हुई है और उस पर सरकार ने कोई कार्यवाही की है।

दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में ऐसी कितनी संपत्तियों का नुकसान हुआ है जिसके कारण आपको यह एक्ट लाना पड़ा? राजस्थान में इस तरीके के कोई बहुत बड़े अपराध बढ़ गये हों या बहुत भारी संपत्तियों का नुकसान हो गया इसलिए सरकार को यह एक्ट लाना पड़ा और

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

फिर मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि इंडियन पैनल कोड के सैक्शन-332 इसमें लिखा है- "Whoever voluntarily causes heart to any person being a public servant in the discharge of his duty as such public servant or with intend to prevent or deter that person or any other public servant from discharging his duty as such public servant or in consequences of anything done or attempted to be done by that person in the lawful discharging of his duty as such public servant shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years or with fine or with both." जब आई.पी.सी. में पहले से भी प्रावधान किया हुआ है कि तीन साल तक की सज़ा और फाइन भी ऐसे व्यक्ति पर जो सरकारी कर्मचारी के कार्य में व्यवधान करता है या उसके प्रति कोई हिंसा करता है, या उसके कार्य में रूकावट करता है तो पहले से आई.पी.सी. में प्रावधान किया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां पहले से कानून बने हुए हैं, उसके लिए दुबारा नया कानून लाना, मैं समझता हूं कि यह तो एक तरीके से जनता पर बहुत बड़ा कुठाराघात है, जिस जनता के लिए हम कहते हैं For the people, by the people, for the welfare of the people. वह कंसेप्ट बिलकुल खत्म हो जाता है। आम जनता के प्रति इतनी क्रूरता सरकार की कभी भी अच्छी नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत यहां राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे और स्वायत्त शासन मंत्री माननीय भंवरलालजी शर्मा थे, उस वक्त यू.आई.टी. एक्ट, जेडीए एक्ट, म्युनिसपल एक्ट, इन सब में एक जैसा प्रावधान किया गया था कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर में इंटरनल चेंज करता है तो उसको जेल भी, फाइन भी एक लाख रुपये तक का प्रावधान किया गया था। मैंने कहा था कि यह काला कानून आप क्यों लेकर के आये हो? हमारे हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे, मैंने भी उस समय यह बात कही थी कि क्या मंत्रिमंडल में फैसला लेते वक्त मंत्रिमंडल के लोग नींद लेते हैं या उसको पढ़ते नहीं हैं। इसका कितना नुकसान है कि उसमें कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मान लो किसी ने नक्शा बनाया था, उस नक्शा बनाने वाले को भी सज़ा, जिसने ईंट सप्लाई की उसको भी सज़ा, मैंने मेडन स्पीच दिया था, वह चारों के चारों बिल सरकार ने उस समय वापिस ले लिये। मैं समझता हूं कि इतने उपयोगी सुझाव आये हैं, इसमें आप सैक्शन 333 को भी पढ़ ले, उसमें हैं कि यदि कोई बहुत ही सीरियस चोट किसी सरकारी कर्मचारी को पहुंची है तो दस साल तक की सज़ा का प्रावधान है तो आप उन सरकारी कर्मचारियों को जो दिन-रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं और उनको कोई सीरियस चोट पहुंचती है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): आदरणीय कल्ला साहब, आप यहां पर तो यह केस प्लीड कर रहे हो अलग रूप से और बीकानेर में जाकर के डाक्टरों को कहोगे कि देखो मैंने आपके लिए यह कानून बनवा दिया और मैंने आपके पक्ष में बोला है, यूं मत करना।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वह तो सब प्रोसीडिंग्स में मौजूद है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): वहां कौन पढ़ेगा? वहां कौन पढ़ता है?

श्री उपाध्यक्ष: वह चीज डिस्कशन ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप उस बिल को लेकर के आये थे, नगरपालिका का कानून, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कौनसा? आपकी सरकार लायी थी, आपको पता ही नहीं है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप लाये थे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने उसको विद्ड्रा करवाया था, मेरा मेडन स्पीच हुआ था, चालीस मिनट का, उसमें आपकी सरकार के चारों बिल विद्ड्रा हुए थे, आपको पता नहीं है। आप विराजो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपको याद ही नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मेरे को तो सारी चीजें याद हैं, आपको याद नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने दिया था ...(व्यवधान) इसलिए बिल विद्ड्रा करने पड़े आपको।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हम तो लाये ही नहीं थे, ऐसे काले कानून आप ही लाते हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): काले कानून लाने की जिम्मेवारी आपने ही ले रखी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसका परिणाम क्या होगा?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो महावीरजी यह बतायें कि यह कानून लाने लायक है क्या? आप अपनी आत्मा की आवाज बोलो, चलो।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह कानून जो है, कल्लाजी पढ़ रहे हैं ना उस किताब में से लेकर आये हैं, हम कोई ऐसा अलग से विधान नहीं बना रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कल्ला साहब, आप कब आये थे विधान सभा में पहली बार।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 1980 में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 80 में और 80 में आपने मेडन स्पीच दिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 80 में नहीं कहा मैंने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): तो, मेडन स्पीच कितने वर्षों बाद दिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह 90 से 93 के बीच की बात है, तब मैं अपोजिशन में था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 1980 में आपकी सरकार थी, हम कहां थे उसमें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा करो यदि मेरी स्पीच के ऊपर चारों बिल वापिस नहीं लिये तो आप क्या ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल वापिस नहीं लिये, मैं तो यह कह रहा हूं कि 1980 में सरकार आपकी थी ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं 90 और 93 की बात कर रहा हूं, जिस समय भैरोंसिंहजी चीफ मिनिस्टर थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उसमें मेडन स्पीच कैसे होगा, आप आये तो 1980 में थे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 90 और 93 में उस बिल पर मेरा मेडन स्पीच था, यह मैं कह रहा हूं।

श्री अमराराम (धोद): 80 से 90 तक बोले नहीं पहले ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उस बिल पर मेडन स्पीच था।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वही मैंने कहा था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): विधान सभा में नहीं था।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उस बिल पर मैंने कहा था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): हां, यह ठीक है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बिल पर कहा था, आप सुनें, ढंग से सुनें पहले। भैरोंसिहजी चीफ मिनिस्टर थे, हवामहल से उस समय जीतकर के आने वाले माननीय सदस्य स्वायत्त शासन मंत्री थे, 90 और 93 की बात है और उस बिल पर मेरा एक मेडन स्पीच हुआ था और बिल सारे के सारे धराशायी होकर के वापस ले लिये गये।

श्री अमराराम (धोद): 90 से 93 में आये ही नहीं यह ...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): आपके नाम के आगे जो डाक्टर की उपाधि लगाते हैं वह कौन से डाक्टर हैं, आप मेडिकल डाक्टर हो, वेटरिनरी हो, कौनसे हो?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इकोनोमिक्स में मैंने पी.एच.डी. की है। 'यूटिलाइजेशन पैटर्न ऑफ इन्स्टीट्यूशनल रूरल फाइनेंस बाई फार्मर्स इन राजस्थान', इस विषय पर मैंने पी.एच.डी. की है इकोनोमिक्स में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां आई.पी.सी. में पहले से सज़ा का प्रावधान है, उस सज़ा को आप और कम कर रहे हो, 10 साल तक सज़ा का प्रावधान है। अब इस बिल में जो धारा-3 दी है, हिंसा प्रतिषेध, यह हिंसा का प्रतिषेध क्या जनता के लिए है या डाक्टरों के लिए भी है?

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): दोनों के लिए है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, दोनों के लिए इसमें प्रावधान नहीं है। इसमें डाक्टर्स को भी हिंसा के प्रतिषेध के लिए जिम्मेदार समझा जाना चाहिए क्योंकि यदि आपने एक पक्ष के लिए रखा तो निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग होगा। मैं सरकारी डाक्टरों को तो यह मानकर चलता हूं कि वह एक सेवा नियमों से बंधे हुए हैं और वह निश्चित रूप से सेवा का काम कर रहे हैं, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है लेकिन प्राइवेट चिकित्सालयों को और उनको इसके दायरे में लिया है, यह निश्चित रूप से काला कानून बनने वाला है। इसमें मैं खास तौर से अभी धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा बताया था..

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कल्ला साहब, एक बात बता दो मुझे, आप तो विद्वान हो इसलिए पूछ रहा हूं। यह आई.पी.सी. में अभी 332 आपने पढ़ा, आलरेडी यह प्रावधान है, नया क्या हो रहा है इसमें? यह स्पेसीफिक है, इतनी सी ही तो बात है, प्रावधान तो आलरेडी है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप खुद मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं, जब पहले से ही एक्ट में प्रावधान किया हुआ है...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कमाल कर रहे हैं आप, आप लॉ मिनिस्टर हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह काला पहले से ही है क्या?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप लॉ मिनिस्टर हो और तर्क यह दे रहे हो? लॉ मिनिस्टर का यह तर्क बिलकुल अनुचित है कि इसमें तो हम ले आए तो क्या हो गया? यह कोई बात हुई? यह कोई तर्क नहीं हुआ, एक्ट में है, उसमें है केवल गवर्नमैंट सर्वेण्ट के लिए, आप लाए हो प्राइवेट प्रेक्टिशनर्स के लिए, वह तो गवर्नमैंट सर्वेण्ट्स का है, सरकारी कर्मचारियों का है, आप तो प्राइवेट वालों के लिए ले आए, यह अन्तर है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधि मंत्रीजी स्वयं यह कह रहे हैं कि जब पहले से आलरेडी प्रावधान है तभी तो हम कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है? जब पहले से कानून में प्रावधान है तो आपको यह उपबंध नहीं करना चाहिए, नया एक्ट नहीं लाना चाहिए।

मैं हिंसा के प्रतिषेध के बारे में जो बात कर रहा था, इसमें आम जनता के साथ-साथ कई बार चिकित्साकर्मी भी लोगों के साथ हिंसा कर लेते हैं संगठित होकर, उसको रोकने की भी आवश्यकता है। मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कई ऐसे क्लिनिक खुले हुए हैं जहां पता लगाते हैं कि प्रसूता महिला के पेट में बच्चा लड़का है या लड़की है। मुझे एक किस्सा याद है, जयपुर का है, उसमें अशोक व्यास नाम का लड़का अपनी पत्नी को लेकर आया था, उसने पता लगाया कि क्या है तो उसने कहा कि लड़की है, घर जाकर उन्होंने परिवार में फैसला किया कि भ्रूण हत्या नहीं कराएंगे, अपने तो बच्चा होने दो, लड़का हो गया और 4 लड़कियों के बाद

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

लड़का हुआ और लड़का होने के बाद उन्होंने यह कहा कि आपका टेस्ट गलत निकला तो उन्होंने कहा कि आप चुपचाप बैठ जाइए। न तो उनकी फीस वापस दी और कहा कि आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे, तब कानून बना हुआ नहीं था तब भी प्राइवेट संस्थाएं इस प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन करती थीं और अब यह कानून बन गया तो निश्चित रूप से मानिए यदि कोई विधायक भी इस प्रकार की संस्था का विरोध करेगा तो विधायक के खिलाफ भी यह संस्थाएं मुकदमा दर्ज करवा देंगी और उनके खिलाफ उनको कचहरी में खड़ा कर देंगी। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जो टेस्ट है, अभी तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ठीक कह रहे थे...

श्री उपाध्यक्ष: इन्वेस्टीगेशन होगा जी, ऐसे ही थोड़े रिपोर्ट करने से हो जाएगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो वकील हैं, जिस समय मामला दर्ज हो जाता है तो उनको वकीलों के चक्कर काटने पड़ते हैं, कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं।

मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि सरकारी लैब में जो टैस्ट दस रुपए में पचास रुपए में होता है, वही टैस्ट प्राइवेट संस्थाओं में सौ और डेढ़ सौ रुपए में होता है। इसको रेगूलराइज करने की आवश्यकता थी, इसको नियमित करने की आवश्यकता थी। इसकी जगह सरकार उन संस्थाओं में कोई जाकर खिलाफत करेगा कि टैस्ट के इतने रुपए कैसे ले रहे हो, कोई नेतागिरी करेगा उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर देंगे कि हमारी दो कुर्सियां तोड़ दीं, हमारा कम्प्यूटर तोड़ दिया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा और वह नोन बेलेबल ओफेंस होगा, तो यह सारी इस कानून के दुरुपयोग की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस कानून को तीन महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए कदम उठाना चाहिए। होना तो यह चाहिए था कि आप यह कानून लाते कि एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज जो सुपर स्पेशलिटी का एक बड़ा सेंटर बन रहा है, चण्डीगढ़ का पी.जी.आई. इसके बाद का इन्स्टीट्यूशन है, लेकिन आज पी.जी.आई. बन गया। पी.जी.आई.एस.एम.एस. को बनाते तो हम उसका स्वागत करते, हम उस एक्ट का समर्थन करते। लेकिन आप आम जनता को कटघरे में डालने का, आम जनता को प्राइवेट लोगों के द्वारा, प्राइवेट चिकित्साकर्मियों के द्वारा एक्सप्लॉयट करने का जो कानून ला रहे हैं, इसका हम घोर विरोध करते हैं।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

लॉ ऑफ टोर्ट की क्या स्थिति होगी? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज किसी डाक्टर का प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन में, प्राइवेट संस्था में किसी मरीज के पेट में कैंची रह गई, वह लॉ ऑफ टोर्ट के अन्तर्गत कानून के अन्तर्गत मुकदमा करेगा लेकिन वह डाक्टर उसको कहेगा कि तूने मेरे यहां तोड़ फोड़ कर दी, मैं तेरे ऊपर मुकदमा करता हूं तो वह लॉ ऑफ टोर्ट का जो उसको फायदा मिलना चाहिए क्षतिपूर्ति का, वह भी नहीं मिल पाएगा और लॉ ऑफ टोर्ट, सारा का सारा मिट्टी में मिल जाएगा, खतम हो जाएगा, उसका लाभ उसको नहीं मिलेगा इसलिए जनहित में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से अपील करता हूं कि आप केवल जल्दबाजी नहीं करें, आपको सोच विचार करके लाना चाहिए, इस पर आप सदन की कोई प्रवर समिति बना दें और सदन की कमेटी बनाकर, डाक्टरों से राय लेकर, विषय विशेषज्ञों से राय लेकर इस पर पुनर्विचार करें और तब तक के लिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हेमराज मीणा (अनुपस्थित), श्री रामचन्द्र सराधना (अनुपस्थित)। प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

डा. दिगम्बर सिंह (प्रभारी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) विधेयक, 2008 पर काफी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं नहीं समझता था कि इस विषय पर इतनी चर्चा की आवश्यकता होगी क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, हमने सुना था कि समाज के लोग उनको भगवान के रूप में मानते हैं, फिर क्या परिवर्तन आया कि आज हमें उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए आज यह स्थिति आई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में ऐसी कोई चीज नहीं है। कोई कह रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों से चुनाव का चंदा इकट्ठा किया जाएगा, कोई कह रहा है कि जनता पर तो यह काला कानून लादा जाएगा। जब तक चिकित्साकर्मियों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देंगे तब तक वह मानसिक रूप से बिलकुल एक तरह से ठीक नहीं होगा, फिट नहीं होगा तब तक आप उनसे क्या इलाज की उम्मीद कर सकते हो। मैं आज आपसे दावे के साथ कह सकता हूं सदन में कि दुनिया का शायद ही ऐसा कोई हॉस्पिटल हो जिसके

(डा. दिगम्बर सिंह)

अन्दर कोई डेथ नहीं हुई हो, दुनिया का शायद ही कोई ऐसा सर्जन हो जिसके सर्जरी करने में या उसके बाद कोई कभी डेथ नहीं हुई हो, चाहे कितना भी रिनाउंड सर्जन हो, कोई इमर्जेंसी आती है, किस स्थिति में इमर्जेंसी आ रही है, परिवार वालों, अटेंडेंटों को पता नहीं रहता है कि वास्तव में कितनी गम्भीर स्थिति मरीज की है। अगर एक्सीडेंट केस है तो अंदर उसकी क्या स्थिति है, उसके इन्टरनल इन्जरी कितनी है, इसका अन्दाजा घरवालों को नहीं रहता है और सीधा अगर कुछ इस तरह की दुर्घटना हो जाए तो सीधा का सीधा, चाहे नर्स हो, चाहे कम्पाउण्डर हो, चाहे डाक्टर हो, उस पर ब्लेम लगता है, उसकी लापरवाही की वजह से यह मरीज खत्म हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि क्या इस तरह का कोई राक्षस प्रवृत्ति का कोई डाक्टर आज तक पैदा हुआ है जिसने जानबूझकर किसी मरीज को नुकसान करने की कभी सोची हो कि मैं इसका ऑपरेशन करूंगा, इसको मारूंगा, ऐसा कभी सम्भव है?

डाक्टर्स बेस्ट पोसिबल एफर्ट्स करते हैं। अभी बहुत पुरानी बात नहीं हुई हमने डॉक्टर्स को ट्रोली खींचते देखा है, हमने डॉक्टर्स को कंधे पर मरीजों को उठा-उठाकर भागते देखा है, हमने डॉक्टर्स को ब्लड देते हुए देखा है। डॉ. बैद भी यहां बैठे हैं, कोई भी डॉक्टर ने अपनी लाइफ में पेशेंट के लिए ब्लड न दिया हो यह भी सम्भव नहीं है। डॉक्टर और पेंशेंट के एक रिलेशनशिप होती है। आज जिस तरीके का डिस्कसन हम कर रहे हैं इससे मैं समझता हूं जनता में एक और उल्टा मैसेज जाएगा जिससे डॉक्टर और पेशेंट की रिलेशनशिप और खराब होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इसमें हमने अलग से कुछ नहीं किया है, अलग से कोई कानून नहीं है, यह निश्चित रूप से उन लोगों की शेफ्टी सिक्योरिटी की एक फीलिंग जाए जिससे वे अपना काम बिना आतंकित हुए कर सकें। उसका प्रावधान हमने इस बिल में किया है। इसमें जो भी हमारे कानूनविद जो यहां बैठे हैं, माननीय सदस्यों ने, सबने अपनी-अपनी भावनाएं रखीं हैं, अपने विचार रखे हैं और सबने यह कहा है कि 332, 353 में यह कवर होता है। मैं कहता हूं उसमें कवर होता है और इसमें भी कोई अलग से प्रावधान नहीं है, केवल उनके सिक्योरिटी की फीलिंग हो जाए जिससे वे गरीब जनता की मदद कर सकें। आजकल तो चार लड़कों ने अगर दारू पी ली तो सबसे पहले उनके जाने की जगह अस्पताल ही होती है। नर्स को छेड़ेंगे, कम्पाउंडर को परेशान करेंगे, पेशेंट की ड्रिप गिरे, उसका कोई इंस्ट्रूमेंट है वह गिरे। आज तक किसी को इस चीज की परवाह हुई है? उसको कौन रोके? आजकल तो फिर भी सिक्योरिटी गार्ड होस्पिटल में होने लग गये।

(डा. दिगम्बर सिंह)

थोड़े दिन पहले तो सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं होते थे। परन्तु आज सिक्योरिटी गार्ड की क्यों जरूरत पड़ी? केवल इसलिए कि या तो आपको अस्पताल को ढंग से चलाना है। मैं तारीफ करना चाहूंगा एस.एम.एस. होस्पिटल का जितना भी स्टाफ है सबकी तारीफ करना चाहूंगा, सदन में तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि मैंने आंखों से देखा है,पहली बार चिकित्सा मंत्री बनने के बाद जब मैं राउंड पर गया एस.एम.एस. होस्पिटल के अन्दर उस समय करीब 200 से ज्यादा न्यूरोसर्जरी वार्ड में पेशेंट एडमिट थे। चलने को जगह नहीं थी, उसमें निकल-निकलकर पैर बचा-बचाकर कि कहीं पेशेंट पर पैर न पड़ जाए, मैंने डॉ. धारकर को पूछा, वे उस समय के यूनिट हैड थे, मैंने कहा आपके यहां पर कितने बेड की सेंक्शन है। उन्होंने कहा कि 80 बेड की सेंक्शन हमारे यहां पर है और हमारे यहां एवरेज 250 के करीब पेशेंट भर्ती रहते हैं। क्या डॉक्टर मना कर दे कि आज हमारे पास बेड नहीं है, हम भर्ती नहीं करेंगे? क्या यह पोसिबल है डॉक्टर के लिए? अगर वो भर्ती करने के लिए मना करे तो डॉक्टर पिटे। अगर उसको बेड नहीं मिले तो हम जैसे लोग उनके ऊपर दबाव लगाते हैं कि इसको बेड दो, मेरा मरीज धरती पर पड़ा है, आप बेड क्यों नहीं दे रहे हो? इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं इसमें हमने विशेष कुछ परिवर्तन नहीं किया है, पर आज समय की आवश्यकता है, अगर हम चाहें चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग अपने आपको समाज में सुरक्षित महसूस करें तो निश्चित रूप से इसको हमें जनमत जानने के लिए नहीं देना चाहिए और मैं इसमें इतना निवेदन करना चाहूंगा, एक छोटा सा अमेण्डमैंट मैं जरूर आपको निवेदन करना चाहूंगा। मैं आपकी अनुमति से इसमें एक छोटा-सा संशोधन पेश करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्षः बाद में कर लेना। प्रश्न यह है कि राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) विधेयक, 2008 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) विधेयक, 2008 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 प्रभारी मंत्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, "In sub-clause (4) of clause 2 of the Bill, after the expression 'service institution' and before the expression 'or damage', the expression 'or to patient' be inserted." हिन्दी में एक बार पढ़कर सुना दूं। ''विधेयक के खण्ड 2 के उपखण्ड 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति 'चिकित्सा परिचर्या कर्मी' के पश्चात तथा अभिव्यक्ति 'कोई अपहानि' के पूर्व अभिव्यक्ति 'या रोगी' को जोड़ा जाए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जो अमेण्डमैंट माननीय मत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है वह सर्कुलेट होना चाहिए यह परम्परा रही है।

श्री उपाध्यक्ष: छोटी सी बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मौखिक भी हो जाता है। कई बार मौखिक अमेण्डमैंट सदन में हुए हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कभी नहीं हुए। सर्कुलेट हुए हैं। यह नई परम्परा डाल रहे हो आप।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): इसमें भी आपको आपत्ति है क्या?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सर्कुलेट किया जाना चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपको यह स्वीकार है या नहीं?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मौके पर कोई अमेण्डमैंट लाये और जनहित में लाये तो इस पर भी कोई आपत्ति है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): किसी क्लॉज पर कहीं कोई गड़बड़ होती है तो ..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप नई परम्परा डाल रहे हो। हम उसकी स्टडी कर सकें और उसके ऊपर हम अपने विचार व्यक्त कर सकें। (व्यवधान) सर्कुलेट नहीं हुआ है, सर्कुलेट होना चाहिए।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): बिना सर्कुलेशन के कोई अच्छी चीज है तो उसमें भी आपको एतराज है क्या? पेशेंट की सुरक्षा हो इसमें भी तकलीफ हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

खण्ड-3 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

खण्ड-4 श्री मदन राठौड़ अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इनका प्रस्ताव आपने स्वीकार कर लिया।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि ..(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इन्होंने 4 में संशोधन नहीं दिया था, 2 के 4 में संशोधन दिया था। आपने 4 ही स्वीकार कर लिया।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-4 में जो संशोधन श्री मदन राठौड़, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है ..(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जब आपने 4 स्वीकार कर लिया और 4 में यदि सज़ा का प्रावधान कम होता तो असंज्ञेय होता। (व्यवधान) वापस लूं ना? आप तो कमाल करते हो, वापस तो लेने दो। आप यों बीच में बहुत ज्यादा बोलते हो। इतने उतावले मत हो। जो संशोधन 4 है वह वापस लेता हूं। अपने आप ही जब प्रावधान 3 वर्ष का हो गया तो संज्ञेय हो ही गया। मैं 4 को वापस लेता हूं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, वह 2 का 4 था। आपने 4 को पारित कर दिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप दुबारा करवा लो। उनसे बुलवा लो 4 पर। प्रक्रिया का तो वास्तव में बार-बार उल्लंघन हो रहा है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 4 मैंने वापस लिया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खण्ड-4 पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-4 पारित किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मत्री महोदय ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह खण्ड 2 के 4 में था, वह आपने पहले पारित कर दिया। इसलिए इनका जो संशोधन है वह पारित की स्टेज पर खण्ड 2 के क्लाज 4 में उपस्थापित किया जाए, यह है मतलब इसका। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): लेकिन खण्ड 4 में उनका संशोधन दिया गया था, उस पर वोटिंग कराये बगैर 4 को कैसे पास करा दिया ? इसका जवाब दो आप। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तिवाड़ी जी समझते हैं हमारे पास बुद्धिमान आदमी नहीं हैं क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: खण्ड 5 से 8 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 से 8 स्वीकार किए जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 से 8 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये ।

विधेयक का पारण

श्री दिगम्बर सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) विधेयक, 2008 को पारित किया जाए। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कोई बोलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष: बोल लिये काफी।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) विधेयक, 2008 को पारित किया जाए और उसमें जो मैंने संशोधन दिया था,

(डा. दिगम्बर सिंह)

खण्ड 2 के क्लाज 4 में, वह शायद उसमें कहीं, वह समाहित किया जाए। (व्यवधान) उसको समाहित किया जाए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अब दुबारा पढ़ दें ...(व्यवधान) ऐसा है, क्या संशोधन किया है वह दुबारा पढ़ दें आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बता दिया है।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने संशोधन दिया है विधेयक के खण्ड 2 के उप खण्ड 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति चिकित्सा परिचर्या कर्मी को, के पश्चात तथा अभिव्यक्ति कोई अपहानि के पूर्व अभिव्यक्ति या रोगी को जोड़ा जाए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका समय तो नहीं लूंगा लेकिन मंत्रीजी जब जवाब देने खड़े हुए थे तब जनमत जानने के लिए माननीय सदस्यों ने बोला था तो मंत्रीजी ने कहा था कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, इतना बोलने की कुछ आवश्यकता ही नहीं थी, मंत्री जी, मुझे माफ करना मुख्य मंत्रीजी वसुंधरा राजे जी को कोई राजनीतिक सलाहकार की जरूरत थी? लेकिन बना दिया न। और वह भी महाराज विश्वेन्द्र सिंहजी की जरूरत थी क्या ? बनाया न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) विधेयक, 2008 को संशोधित रूप में पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवाकर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) विधेयक, 2008 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अब क्या आ गया ?

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): अभी सुनो तो सही। आप अकेले रह गये बाकी सब कुछ तो ठीक है, आपके पीछे सब भाग गये।

(डा. दिगम्बर सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सह-चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2008 जो सदन द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2008 को पारित किया गया था जो राज्यपाल महोदय के संदेश के साथ पुनर्विचार हेतु लौटाया गया है, के संबंध में, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन में इस विधेयक पर पुनर्विचार एवं इसे पारित करने हेतु दिनांक 17 जुलाई, 2008 की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए?

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री दिगम्बर सिंह, प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है इसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 16 जुलाई, 2008 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.44 बजे बुधवार दिनांक 16 जुलाई, 2008 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

सीकर जिले में रसोई गैस आपूर्ति

03. **श्री केसरदेव बाबर** (लक्ष्मणगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों में प्रति गैस कनेक्शन के हिसाब से रसोई गैस उपलब्ध कराने हेतु मानदण्ड निर्धारित किये हुए हैं? यदि हां, तो किन नियमों के तहत व क्या ? परिपत्रों की प्रति सहित जिलेवार मानदण्ड सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला सीकर में प्रति गैस उपभोक्ता प्रतिमाह 8 किलोग्राम गैस उपलब्ध करवाई जा रही है, जबकि अन्य जिलों में यह मात्रा अधिक है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार राज्य के समस्त रसोई गैस उपभोक्ताओं को प्रति माह सामान मात्रा में गैस उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। रसोई गैस उपलब्ध कराने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं है। तेल कंपनियों द्वारा रिफिल सप्लाई पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस तरह के प्रयास किये जा रहे हैं कि असली उपभोक्ता (Genuine customer) को ही सप्लाई मिले। तेल कम्पनियों द्वारा मांग के अनुसार गैस उपलब्ध कराई जाती है।

(2) प्रत्येक जिलें में गैस का उपभोग (Consumption) भी कम या अधिक होने के कारण प्रति उपभोक्ता गैस के उपभोग में जिलेवार अन्तर आता है। सीकर जिले में भी अन्य जिलों की भांति ही मांग के अनुसार आपूर्ति की जा रही है।

(3) सभी जिलों में समान व्यवस्था लागू है। उपभोक्ता की मांग के अनुसार तेल कम्पनियों द्वारा प्राधिकृत डीलर्स के माध्यम से आपूर्ति कराई जाती है।

सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत गूंगे-बहरे व्यक्तियों को पेन्शन स्वीकृति के मानदण्ड

04. **श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):** क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामनारायण मीणा)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की पेंशन स्वीकृति हेतु मानदण्ड निर्धारित है ? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के व्यक्तियों के लिये कितनी-कितनी आय निर्धारित है ? पृथक-पृथक एवं श्रेणीवार विवरण सहित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अपाहिज, अपंग एवं अन्धे व्यक्तियों में से पेंशन स्वीकृति के पात्र व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृति की जाती है, किन्तु बहरे तथा गूंगे व्यक्तियों को ही पेंशन स्वीकृति के लिए पात्र नहीं माना जाता है ? यदि हां, तो क्यों तथा इस बाबत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कोषाधिकारी, बून्दी द्वारा विभाग के मुख्य लेखाधिकरी को पत्रांक : कोष/बू/2007-08/सीआरपी/584 दिनांक 22/23 फरवरी, 2008 लिखकर सूचित किया गया है कि बहरे एवं गूंगेपन के आधार पर पेंशन स्वीकृति हेतु सरकार के आदेश नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस श्रेणी के व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृति हेतु पात्र माने जाने के लिए कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कोषाधिकरी बून्दी के पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार पेंशन स्वीकृति में आने वाली कठिनाइयों एवं भ्रान्तियों आदि के निराकरण तथा पात्रता निर्धारण में अधिक पारदर्शिता लाने हेतु नियमों में परिवर्तन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस बाबत, कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विभिन्न प्रकार की पेंशन स्वीकृत करने हेतु प्रभावी नियमों में आय के मानदण्ड निर्धारित हैं। श्रेणीवार निर्धारित आय निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	श्रेणी	निर्धारित आय
1.	वृद्धावस्था	कोई आय नहीं हो या जीवन निर्वाह के लिये आय का कोई स्रोत न हो। आय से तात्पर्य निरन्तर आय से है।
2.	विधवा	कोई आय नहीं हो या जीवन निर्वाह के लिये आय का कोई स्रोत न हो। आय से तात्पर्य निरन्तर आय से है।
3.	विकलांग	अपाहिज, अपंग एवं अंधे हों और जिसके फलस्वरूप वे अपनी आजीविका कमाने के लिए अयोग्य अथवा असमर्थ हों तथा उनके पास जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

नियमों की प्रति संलग्नक 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। इन नियमों में बहरे तथा गूंगे व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत करने के लिये पृथक से उल्लेख नहीं है।

आयुक्त नि:शक्तजन, राजस्थान द्वारा इन नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। सरकार द्वारा नि:शक्तता की श्रेणीवार संख्या आयुक्त नि:शक्तजन से मांगी गई है, ताकि वित्तीय प्रभार की गणना कर प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जा सकें।

(3) जी हां। आयुक्त, नि:शक्तजन द्वारा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारी, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में परिभाषित नि:शक्त व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

आयुक्त, नि:शक्तजन, राजस्थान द्वारा इन नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। सरकार द्वारा नि:शक्तता की श्रेणीवार संख्या आयुक्त नि:शक्त जन से मांगी गई है, ताकि वित्तीय प्रभार की गणना कर प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत किये जा सके।

कोषाधिकारी, बूंदी के पत्रांक कोष/बू/2007-08/सीआरपी/584 दिनांक 22/23 फरवरी, 08 की प्रति संलग्नक 'ब' सदन की मेज रख दी गई है।

(4) सरकार के समक्ष प्रस्तुत पेंशन स्वीकृति में आने वाली कठिनाइयों एवं भ्रान्तियों का निराकरण प्रभावी नियमों के परिप्रेक्ष्य में तुरन्त कर दिया जाता है। इसलिये वर्तमान में सरकार का नियमों में परिवर्तन का विचार नहीं है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी।)

लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के प्रतिनियुक्त चिकित्साकर्मी

05. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर):** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के विभिन्न चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप-स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थापित चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, टैक्नीकल स्टाफ एवं मंत्रालयिक/सहायक कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा इनमें से कितने पद रिक्त हैं ? पदवार एवं चिकित्सालय/केन्द्रवार पदस्थापित कार्मिकों एवं रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों से अन्यत्र कार्यरत चिकित्सकों/नर्सिंग कर्मियों/अन्य स्टाफ का वेतन आहरित किया जा रहा है तथा यहां पदस्थापित स्टाफ भी अन्यत्र कार्यरत है? यदि हां, तो चिकित्सकों/नर्सिंग-कर्मियों/अन्य स्टाफ के नाम, पद, अन्यत्र कब से, कब तक के लिये क्यों कार्यरत है ? मूल पदस्थापन स्थान के नाम सहित दिनांक 01 जनवरी, 2004 से 30 जून, 2008 के मध्य तक का विवरण सदन की मेज पर रखते हुये यह भी बतायें कि क्या संबंधित की उसके मूल पदस्थापित स्थान पर आवश्यकता नहीं है ? यदि हां, तो उनके मूल पदस्थापित स्थान पर क्या व्यवस्था की जाती है व नहीं, तो क्या सरकार संबंधित को अन्यत्र वेतन आहरित वाले स्थान पर स्थाई करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लूणकरणसर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नापासर में बैड क्षमता ब□ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टॉफ के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार पदस्थापित कर्मचारी के नाम सहित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

जी हां। कनिष्ठि विशेषज्ञ, नर्स श्रेणी-प्रथम, वरिष्ठ लिपिक, बी.एच.एस. (मेल/फिमेल), एस.एम.पी.डब्ल्यू. एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त एवं चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पद को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

नर्स श्रेणी-द्वितीय, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, दन्त टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/वार्ड बॉय/सफाई कर्मचारी के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

संगणक के रिक्त पदों को आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के द्वारा भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जी हां। दिनांक 01 जनवरी, 2004 से 30 जून, 2008 तक मूल पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित न होकर अन्य स्थान पर कार्य सम्पादन हेतु लगा रखे हैं उन चिकित्सकों/कर्मचारियों के नामों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर प्रस्तुत है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

मूल पदस्थापित स्थान पर उक्त चिकित्सकों/कर्मचारियों की आवश्यकता तो है, परन्तु उक्त चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को कार्य की महत्वता को देखते हुए कार्य व्यवस्था हेतु लगा रखा है। मूल पदस्थापन स्थान पर शेष कार्यरत चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के द्वारा ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

डा. प्रवीण चतुर्वेदी, चिकित्सा अधिकारी का स्थानान्तरण राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय, बीकानेर में कर दिया गया है। शेष चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को कार्य सम्पादन वाले स्थान पर पदस्थापित करने का प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लूणकरणसर एवं नापासर में वर्तमान में 30-30 शैय्याएं स्वीकृत हैं। स्वीकृत शैय्याओं की वर्ष 2007 में क्रमश: मात्र 50.31 एवं 29.16 प्रतिशत उपयोगिता रही है। इसलिए उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की शैय्याओं में वृद्धि किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य में पेट्रोल रिफाइनरी की स्थापना

06. **श्री शांति लाल चपलोत (मावली):** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राज्य में पेट्रोल रिफाइनरी लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस हेतु केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) सरकार द्वारा अब तक कितने तेल कुओं में खनन प्रारम्भ किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार राज्य में रिफाइनरी स्थापित करने हेतु सकारात्मक प्रयास कर रही है। केन्द्र सरकार द्वारा रिफाइनिंग सेक्टर दिनांक 8 जून, 1998 से लाइसेंस मुक्त करने के कारण रिफाइनरी लगाने हेतु केन्द्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। परन्तु अन्य गैर तेल उत्पादक राज्यों में रिफाइनरी हेतु की गई मांग/रियायतों की तुलना में ओएनजीसी द्वारा अत्यधिक, गैर वाजिब, अस्पष्ट भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न मांगे/रियायतों प्रस्तुत कर विलम्ब किया जा रहा है।

(खनिज मंत्री)

(2) जी नहीं। सरकार द्वारा तेल कुओं से किसी प्रकार का खनन प्रारम्भ नहीं किया गया है। खनिज तेल के दोहन में उचित भागीदारी हेतु राज्य सरकार द्वारा पेट्रोलियम कोरपोरेशन का गठन किया गया है। तेल कुओं से खनन कार्य लीजधारी तेल कम्पनियों द्वारा किया जाता है। अब तक खोदे गये तेल एवं गैस कुओं की प्रगति का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। बाड़मेर क्षेत्र से वर्ष 2009 में केयर्न एनर्जी/ओएनजीसी द्वारा खनिज तेल का उत्पादन किया जाना सम्भावित है।

परिशिष्ट 'अ'

राज्य में तेल एवं गैस हेतु खोदे गए कुओं की स्थिति

	2003 से पूर्व (गत 47 वर्षों के दौरान)					2003 के बाद			
	कुल कुओं की संख्या	तेल	भारी तेल	गैस	Dry wells	कुल कुओं की संख्या	तेल	गैस	Dry wells
	123 कुएं	2 कुएं	8 कुएं	54	59 कुएं	160 कुएं	85 कुएं	15 कुएं	60 कुएं
रिजर्वस	तेल/गैस/ भारी तेल	25 मिलियन टन (शैल/ केयर्न एनर्जी)	14.60 मिलियन टन (ऑयल इंडिया)	11,790 मिलियन घन मीटर (कम गुणवत्ता गैस) (ओएनजीसी/ ऑयल इंडिया)	-	तेल/गैस	455 मिलियन टन (केयर्न एनर्जी)	9000 मिलियन घन मीटर (उच्च गुणवत्ता गैस) (केर्र्न एनर्जी एवं फोकस एनर्जी)	-

नोट:- 1998 से 2003 के मध्य मात्र 12 कुओं की खुदाई की गई, जिसमें 2 कुओं में खनिज तेल तथा 3 कुओं में कम गुणवत्ता वाली गैस के भंडार खोजे गए।

जयपुर शहर में बढ़ती आपराधिक प्रवृति पर अंकुश

07. **श्री लालचन्द कटारिया** (आमेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में गत चार वर्षों में महिलाओं के गले से चेन खींचने के कितने प्रकरण विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज हुये ? थानावार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त में से किन-किन प्रकरणों में अपराधियों को नामजद किया गया तथा उनके विरुद्ध कब-कब न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जयपुर जिले में बढ़ रही चेन खींचनें की घटनाओं पर रोकथाम हेतु कोई ठोस उपाय सुनिश्चित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में गत चार वर्षों में महिलाओं के गले से चेन खींचने के संबंध में 468 प्रकरण पुलिस थानों में दर्ज हुये हैं जिनकी थानेवार संख्या सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त प्रकरणों में अपराधियों को नामजद किया जाकर उनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये हैं, का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) चेन खींचने की घटनाओं पर रोकथाम हेतु गश्त को सुदृढ़ करने और नाकाबन्दी को अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

कठूमर विधान सभा क्षेत्र की स्वीकृत/कार्यरत पेयजल योजनाएं

08. **श्री रमेश खींची** (कठूमर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में वर्ष 1998-99 से 2003-04 तक व 2004-05 से अब तक कितने हैण्डपम्प कहां-कहां स्वीकृत किए गए? अब तक कितने हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं तथा कितने व कहां-कहां के शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में शेष हैण्डपम्पों को अब तक नहीं

(श्री रमेश खीची)

लगाये जाने के क्या कारण रहे व इन्हें कब तक लगा दिया जावेगा? क्या सरकार हैण्डपम्प नहीं लगाने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में वर्ष 1998-99 से 2003-04 तक व 2004-05 से अब तक विधायक स्थानीय विकास कोष से किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? स्वीकृत राशि व व्यय राशि का विवरण मय उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र के कार्यवार सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में वर्ष 1998-99 से 2003-04 तक व 2004-05 से अब तक कहां-कहां कौन-कौनसी पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गई तथा स्वीकृत योजनाओं में से कितनी कार्यरत/अपूर्ण हैं? स्वीकृत योजनाओं का विवरण मय स्वीकृत राशि के सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त योजनाएं चालू नहीं होने के क्या कारण रहे? क्या सरकार संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कठूमर में खारे पानी के 65 गांवों हेतु पेयजल योजना स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में वित्तीय वर्ष 1998-99 से 2003-04 तक 350 हैण्डपम्प व 2004-05 से जून, 2008 तक 865 हैण्डपम्प स्वीकृत किए हैं।

इनमें से माह जून, 2008 तक क्रमश: 350 व 637 हैण्डपम्प, कुल 987 हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं तथा 228 हैण्डपम्प लगाये जाने शेष हैं। वांछित विवरण क्रमश: परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर संलग्न है।

(2) हैण्डपम्प नहीं लगने का मुख्य कारण स्थान विवाद, रिग मशीन की पहुंच न होना, पेयजल गुणवत्ता इत्यादि रहे हैं। शेष रहे हैण्डपम्पों का निर्माण निम्नानुसार दी गई समयावधि में पूर्ण करना लक्षित है :-

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

वित्तीय वर्ष	शेष अनिर्मित हैण्डपम्प	कार्य पूर्ण करने का संभावित माह/ वर्ष
2004-05	01	माह अगस्त, 2008
2005-06	27	
2006-07	64	माह सितम्बर, 2008 तक-60 माह अक्टूबर, 2008 तक-60
2007-08	56	
2008-09 (जून, 2008 तक)	80	माह नवम्बर, 2008 तक-50 माह दिसम्बर, 2008 तक-30

(3) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में 'विधायक स्थानीय विकास कोष' कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1998-99 से 2003-04 तक 2 योजनाओं व 2004-05 से जून, 2008 तक 1 योजना के कार्यों हेतु राशि क्रमशः रुपये 4.44 लाख व 0.70 लाख की स्वीकृति जारी की जाकर इन योजनाओं के कार्य पूर्ण कर दिये गए हैं। इन कार्यों के उपयोगिता व पूर्णता प्रमाण पत्र प्रेषित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में वित्तीय वर्ष 1998-99 से 2003-04 तक 24 पेयजल योजनाएं व 2004-05 से जून, 2008 तक 43, कुल 67 पेयजल योजनाएं (हैण्डपम्प के अतिरिक्त) स्वीकृत हुई हैं। इनमें से क्रमशः 24 व 30, कुल 54 पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वर्ष 2004-05 के पश्चात की शेष रही 13 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'द' व 'य' पर उपलब्ध है।

(5) उपरोक्तानुसार शेष 13 निर्माणाधीन योजनाओं को पूर्ण करने की प्रस्तावित अवधि का विवरण निम्न प्रकार है :-

वित्तीय वर्ष	शेष प्रगतिरत योजनाएं	योजना पूर्ण करने का संभावित माह/वर्ष
2005-06	3	माह अगस्त, 2008 तक
2006-07	1	माह अगस्त, 2008 तक
2007-08	6	अक्टूबर, 2008 तक-4 नवम्बर, 2008 तक-2
2008-09	3	दिसम्बर, 2008 तक

विवरण संलग्न परिशिष्ट 'य' में समाहित है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(6) योजना विचाराधीन है। तकनीकी जांच में सही पाये जाने पर स्वीकृति के संबंध में निर्णय सम्भव होगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण प्रणाली में परिवर्तन

09. **डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जनवरी, 2004 से अब तक कितने अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई गई? जिलेवार व वर्षवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 2004 से अब तक उक्त योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि के विरुद्ध छात्रवृत्ति हेतु प्रदान की गई राशि का निम्नानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

क्र. सं.	वर्ष	भारत सरकार से प्राप्त राशि		राज्य सरकार से प्राप्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	छात्रवृत्ति हेतु प्रदान की गई राशि
		रिवेलीडेशन से गत वर्ष की अनुपयोगी राशि	नवीन प्राप्त राशि			
1	2	3	4	5	6	7

(3) क्या यह सही है कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राशि आबंटन के पैटर्न में परिवर्तन के संबंध में वर्ष 2008 में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा केन्द्र से पत्र व्यवहार किया गया है? यदि हां, तो उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि कुल उपलब्ध राशि का सम्पूर्ण सदुपयोग छात्रवृत्ति हेतु नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत जनवरी, 2004 से मई 2008 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्रमश: 481331 एवं 413363 छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध करवाई गई है। जिलेवार एवं वर्षवार संख्या सूची परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी 2004 से मई 2008 तक उक्त योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध राशि का परिशिष्ट 'स' विवरण सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राशि आबंटन के पैटर्न में परिवर्तन हेतु माननीय मुख्यमंत्री द्वारा केन्द्र को पत्र लिखे गये हैं। पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट 'द' एवं 'य' सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(4) जी नहीं। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि का सदुपयोग छात्रवृत्ति हेतु ही किया गया है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

तिजारा विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पद

10. **श्री एमादुद्दीन अहमद खान** (तिजारा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र तिजारा जिला अलवर के विभिन्न चिकित्सालयों में कहां-कहां चिकित्सकों एवं अन्य श्रेणियों के पद कब-कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र तिजारा के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के रिक्त पदों का रिक्ति अवधि सहित चिकित्सा संस्थानवार विवरण परिशिष्ट-अ पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ, नर्स श्रेणी प्रथम एवं वरिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त एवं चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को जिला स्तर पर समेकित वेतन के आधार पर/राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। वाहन चालक, वार्ड बॉय एवं सफाई कर्मचारी के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र तिजारा के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के रिक्त पदों का रिक्ति अवधि सहित चिकित्सा संस्थानवार विवरण निम्न प्रकार है।

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति अवधि
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तिजारा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी	1	5/2008
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन) (संविदा)	1	7/2007
	चिकित्सा अधिकारी (निश्चेततन)	1	5/2006
	नर्स श्रेणी प्रथम	1	7/2008
	वार्ड बॉय	1	6/2008
	सफाई कर्मचारी	1	6/2008
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भिवाड़ी	कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	1	8/2005
	वरिष्ठ लिपिक	1	2/2007
	वाहन चालक	1	5/2005
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटकासिम	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	2/2007
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इशरोदा	चिकित्सा अधिकारी	1	6/2008
	वार्ड बॉय	2	3/2006 2/2007
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झिवाना	वार्ड बॉय	2	3/1989 3/1989

बापी खनिज क्षेत्र (मकराना) में अवैध खनन

11. **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मदन राठौड़)

(1) क्या यह सही है कि सरकार को गत दो वर्षों से मकराना में ''बापी की खानों'' में अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में अनेक बार मकराना की कुछ खानों में खनन कार्य रुकवा दिया गया था? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सरकार को मकराना की बापी खानों के संबंध में अवैध खनन की एक शिकायत प्राप्त हुई है। उक्त शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि मकराना में गत दो वर्षों में 19 खानों में खनन कार्य रुकवाया गया। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां जिले का सर्वजातीय विवाह सम्मेलन

12. **श्री प्रमोद जैन ''भाया''** (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले की बड़ा बावड़ी पर हुए सर्वजातीय विवाह सम्मेलन में विवाहितों की उम्र व अन्य जांच के लिये उप जिला मजिस्ट्रेट, बारां द्वारा कराये गये सत्यापन में कितने वर वधू नाबालिग पाये गये? तहसीलदारों पटवारियों से प्राप्त रिपोर्टों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच किन नियमों के तहत कराई गई? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पटवारियों से कराई गई उक्त सत्यापन रिपोर्ट कानूनी वैधता रखती है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उप जिला मजिस्ट्रेट, बारां द्वारा सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित हुए विवाहितों की उम्र व अन्य जांच का सत्यापन नहीं कराया गया। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में नाबालिग जोडों के विवाह सम्पन्न होने की जांच हेतु जिला कलक्टर, बारां के पत्रांक 2071 दि. 22.04.2008 के द्वारा अति. जिला कलक्टर, बारां की अध्यक्षता में एक समिति

(गृह मंत्री)

का गठन किया गया, जिसमें अति. पुलिस अधीक्षक, बारां, उप खण्ड अधिकारी, बारां तथा पुलिस उप अधीक्षक, बारां सदस्य थे। उक्त जांच दल द्वारा की गयी जांच में 13 नाबालिग बच्चों की शादी होना पाया। जांच प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त उक्त सामूहिक विवाह सम्मलेन में शामिल हुए जोडों की सूचना भेजने हेतु समिति की ओर से बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (एस.डी.एम.) बारां द्वारा जिला बारां के समस्त एस.डी.एम. बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों) को पत्र क्रमांक न्याय/08/15 दि. 29.04.2008 के द्वारा लिखा, जिस पर कार्यवाही जारी है। पत्र की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) उक्त कार्यवाही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अन्तर्गत कराई जा रही है। अधिनियम की प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(3) पटवारियों से उक्त रिपोर्ट नहीं कराई गई है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

बीसलपुर-दूदू पेयजल परियोजना से फागी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति

13. **श्री बाबूलाल नागर** (दूदू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बीसलपुर-दूदू पेयजल योजना कब स्वीकृत की गई तथा इस योजना द्वारा कुल कितने गांवों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है? स्वीकृति के दौरान प्रथम फेज एवं द्वितीय फेज के गांवों को कब तक लाभान्वित करने का लक्ष्य था?

(2) इस योजना में प्रथम फेज के गांवों को कितनी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना में बांटा गया है? क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना में कितने-कितने गांव हैं? किस-किस क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना का कार्य शुरू हो गया है तथा प्रथम फेज की सभी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना का कब तक कार्य शुरू कर दिया जायेगा तथा प्रथम फेज के समस्त गांवों को कब तक पेयजल से लाभान्वित कर दिया जायेगा?

(3) क्या सरकार इस योजना की द्वितीय फेज में शामिल तहसील फागी के गांवों को पेयजल की भारी समस्या को देखते हुये प्रथम फेज में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री बाबूलाल नागर)

(4) क्या यह सही है कि जयपुर बीसलपुर पेयजल योजना की लाइन फागी होकर गुजर रही है? यदि हां, तो क्या सरकार फागी के लोगों को इस योजना से पेयजल उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बीसलपुर-दूदू पेयजल परियोजना (भाग 1) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रथम बार माह 6/2002 में रुपये 216.55 करोड़ अनुमानित लागत पर हुई थी। इसकी प्रथम संशोधित स्वीकृति अनुमानित लागत रुपये 283.77 करोड़ पर माह 11/2004 में हुई। इस योजना की द्वितीय संशोधित स्वीकृति माह 10/2007 में अनुमानित लागत रु. 678.87 करोड़ पर हुई। द्वितीय संशोधित स्वीकृति का कारण पाइप प्रकार में परिवर्तन (ए.सी. पाइप्स के स्थान पर पी.वी.सी./डी.आई. पाइप) एवं 718 गांवों (मुख्य गांव एवं उनकी [illegible]ाणियां) में भीतरी जल वितरण प्रणाली का प्रावधान (जो पूर्व में नहीं था) था। इस भाग के 718 गांवों को वर्ष 2011 तक पेयजल से लाभान्वित करने का लक्ष्य है।

उक्त स्वीकृत योजना के पूर्ण होने पर द्वितीय भाग (प्रस्तावित 7 कस्बे एवं 804 ग्राम) की स्वीकृति बाबत निर्णय एवं तदुपरांत गांवों को लाभान्वित करना सम्भव होगा।

(2) वांछित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) प्रकरण में संसाधन उपलब्धता एवं तकनीकी परीक्षण के आधार पर विचार किया जावेगा।

(4) फागी तहसील के 169 गांव (मय फागी) हेतु 'बीसलपुर-दूदू परियोजना' में प्रावधान है।

परिशिष्ट 'अ'

बीसलपुर-दूदू पेयजल परियोजना के प्रथम फेज-प्रथम भाग की स्वीकृत क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं की प्रगति एवं इनसे लाभान्वित होने वाले ग्रामों का विवरण

क्रम संख्या	क्षेत्रीय योजना का नाम	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	ऑफटेक बिन्दुओं/ मुख्य पम्पिंग स्टेशन का विवरण	कार्य की वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित लाभान्वयन लक्ष्य
1	झीराना पम्पिंग स्टेशन एवं नाथड़ी तथा बावड़ी आफ टेक से लाभान्वित ग्रामों की योजना	160	ट्रांसमिशन मेन-द्वितीय के ऑफ टेक बिन्दु– नाथडी एवं बावडी पम्पिंग स्टेशन-झीराना	कार्यादेश 07.12.2007 को जारी किये जाकर कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।	जून, 2009
2	दूदू पम्पिंग स्टेशन से लाभान्वित ग्रामों की योजना	105	ट्रांसमिशन मेन-प्रथम के दूदू पम्प हाउस से	कार्यादेश 07.12.2007 को जारी किये जाकर कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।	जून, 2009
3	मालपुरा पम्पिंग स्टेशन एवं मोर तथा पचेवर ऑफ टेक से लाभान्वित ग्रामों की योजना	153	ट्रांसमिशन मेन-प्रथम के मालपुरा पम्प हाउस से व ऑफटेक बिन्दु-मोर तथा पचेवर से	निविदा दिनांक 28.5.2008 को खोली जाकर स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।	मार्च, 2010

1	2	3	4	5	6
4	नरेना आफ टेक से लाभान्वित ग्रामों की योजना	61	ट्रांसमिशन मेन प्रथम के ऑफटेक बिन्दु-नरेना से	संशोधित तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन। मार्च, 2009 से कार्य प्रारम्भ करना प्रस्तावित।	सितम्बर, 2010
5	सांभर पम्पिंग स्टेशन से लाभान्वित ग्रामों की योजना	184	ट्रांसमिशन मेन-प्रथम के सांभर पम्प हाउस से	तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन। जून, 2009 से कार्य प्रारम्भ करना प्रस्तावित।	सितम्बर, 2011
6	टोडारायसिंह से लाभान्वित ग्रामों की योजना	55	ट्रांसमिशन मेन-द्वितीय से टोडारायसिंह तहसील के ग्राम	तकनीकी स्वीकृति प्रक्रिया में मार्च, 2009 से कार्य प्रारम्भ करना प्रस्तावित।	सितम्बर, 2010

तारांकित प्रश्न संख्या-14

(स्थगित)

बीसलपुर-दूदू पेयजल परियोजना से मालपुरा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति

15. **श्री जीतराम** (मालपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जीतराम)

(1) क्या यह सही है कि बीसलपुर-दूदू पेयजल योजना से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु दूदू एवं पीपलू में पानी की लाइन डाल दी गई एवं टंकियों का निर्माण भी प्रारम्भ कर दिया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि मालपुरा में वर्तमान में पेयजल की गम्भीर समस्या है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त पेयजल योजना में मालपुरा (टोंक) को भी सम्मिलित किया गया है? यदि हां, तो दूदू एवं पीपलू के समीप ही स्थित मालपुरा में अब तक पेयजल लाइन नहीं डालने व टंकियों का निर्माण नहीं कराये जाने के क्या कारण रहे? अब सरकार कब तक मालपुरा में पेयजल लाइन व टंकियों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पाइप लाइन डालने एवं टंकियों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

(2) जी हां। मालपुरा के 130 गांवों में से 15 गांवों हेतु कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। शेष 115 गांवों में पाइप लाइन डालने एवं टंकियों के निर्माण हेतु निविदाएं प्राप्त हो चुकी हैं तथा स्वीकृति बाबत प्रक्रियाधीन हैं। तदुपरान्त कार्य प्रारम्भ कर मार्च, 2010 तक इन्हें लाभान्वित करना लक्षित है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सिरोही जिले की विचाराधीन क्षेत्रीय पेयजल योजनाएं

01. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला सिरोही के ग्राम बादला, कानाकोलर, गोडाणा, ध्रुवाणा हेतु क्षेत्रीय पेयजल आपूर्ति योजना का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सहायक अभियंता, शिवगंज द्वारा उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया गया है? यदि हां, तो कब व उक्त योजना किस स्तर पर एवं कब से विचाराधीन है?

(2) क्या सरकार उक्त योजना का कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) सिरोही जिले की तहसील शिवगंज के ग्राम बादला, कानाकोलर, गोडाना, ध्रुबाना, कुकरीखेड़ा, एवं खेजड़िया में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु संवर्धन क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना के प्रस्ताव दिनांक 5 फरवरी, 2008 को सक्षम स्तर पर स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये। योजना सक्षम स्तर पर तकनीकी जांच में है।

(2) जांच में सही पाये जाने पर स्वीकृति बाबत निर्णय एवं तदुपरांत क्रियान्वयन सम्भव होगा।

सीकर जिले में पेयजल आपूर्ति हेतु स्वीकृत हैण्डपम्प एवं नलकूप

02. **श्री केसरदेव बाबर** (लक्ष्मणगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में वर्ष 1999 से 2003 तक व 2004 से अब तक कुल कितने ग्रामों को विभिन्न योजनान्तर्गत पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सीकर में लगाये गये नलकूपों एवं हैण्ड पम्पों का वर्ष 1999 से 2003 तक एवं 2004 से 2008 तक का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सीकर में वर्ष 1999 से वर्ष 2003 तक एवं वर्ष 2004 से

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

माह जून, 2008 तक की अवधि में 8 विधान सभा क्षेत्रों के ग्रामों में विभिन्न योजनान्तर्गत पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

(2) जिला सीकर में वर्ष 1999 से 2003 तक एवं 2004 से जून, 2008 की अवधि में लगाये गये नलकूपों एवं हैण्डपम्पों का विवरण निम्नानुसार है :-

अवधि	लगाये गये नलकूप	लगाये गये हैण्ड पम्प
वर्ष 1999 से 2003 तक	108	2219
वर्ष 2004 से जून, 2008 तक	710	4456

विधान सभा क्षेत्रवार तुलनात्मक विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ख' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां विधान सभा क्षेत्र के स्वीकृत हैण्ड पम्प

03. **श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (बारां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र, बारां में दिसम्बर, 2003 से जून, 2008 तक किस-किस ग्राम व शहर के किस-किस स्थान पर नवीन हैण्ड पम्प लगाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त हैण्ड पम्प किस-किस दिनांक को स्वीकृत हुए एवं इनका स्थापन किस-किस दिनांक को पूर्ण कराया गया? हैण्ड पम्प वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त किस-किस हैण्ड पम्प पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त हैण्ड पम्प किस-किस योजना में स्वीकृत किये गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) विधान सभा क्षेत्र बारां में किस-किस गांव व शहर के किस-किस स्थान के स्वीकृत हैण्ड पम्पों का स्थापन नहीं हुआ एवं किस-किस दिनांक तथा इनका स्थापन कार्य पूर्ण करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बारां के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में वर्णित अवधि में स्वीकृत एवं स्थापित किए गये हैण्ड पम्पों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्षेत्र	हैण्ड पम्पों का विवरण		
	कुल स्वीकृत	स्थापित	शेष
शहरी	114	104	10 (6 का वेधन कार्य पूर्ण व स्थापना कार्य शेष)
ग्रामीण	565	535	30
योग	**679**	**639**	**40**

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानवार स्वीकृत एवं स्थापित किये गये नवीन हैण्डम्पों का वर्षवार वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में समाहित है।

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) उपरोक्तानुसार।

(5) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2007-08 के शेष 11 हैण्ड पम्प एवं 2008-09 के शेष 29 हैण्ड पम्प, कुल शेष 40 हैण्ड पम्पों को स्थापित करने की कार्य योजना संबंधी वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

तहसील जायल (नागौर) में खनन के दौरान प्राप्त जल स्रोत

04. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर की तहसील जायल में लिग्नाइट खनन कार्य के दौरान जल स्त्रोत प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो क्या यह जल आमजन के पेयजल हेतु उपयुक्त है? यदि हां, तो किस प्रकार?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जल को आमजन के उपयोग हेतु बनाने के लिए शुद्धिकरण प्लांट लगाया जा रहा है? यदि हां, तो किसके द्वारा, किस विभाग की देखरेख में, कितनी लागत से एवं इसका निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखते हुए यह बताएं कि दिनांक 30 जून, 2008 तक कितनी-कितनी लागत का कौन-कौन सा कार्य करवाया जा चुका है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्य हेतु किसी निजी फर्म से अनुबंध

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

किया गया है? यदि हां, तो किन नियमों व शर्तों पर एवं कब तक के लिए? विवरण सहित अनुबंध की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जल स्त्रोत से जिला नागौर को कब तक जल आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है? क्या इस हेतु किसी सरकारी विभाग से टेक्नीकल रिपोर्ट ली गई है? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त जल को प्लांट लगाकर शुद्धिकरण के पश्चात प्रति किलो लीटर कितनी लागत आएगी तथा इसका वहन किस-किस विभाग द्वारा किया जाएगा?

उत्तर

(1) जी हां। जिला नागौर में जायल तहसील (मातासुख-कसनाऊ क्षेत्र) में लिग्नाइट खनन कार्य के दौरान जल स्त्रोत प्राप्त हुए हैं। शुद्धिकरण के पश्चात यह पेयजल आमजन हेतु उपयुक्त है।

(2) जी हां। शुद्धिकरण प्लांट (रिवर्स आसमोसिस प्लांट) 'राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड' द्वारा डी-बूट पद्धति पर लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड ने मैसर्स सी.एस.एम.सी.आर.आई. (Central Salt % Marine chemical Research institute, bhavanagar-Gujrat) को भी परियोजना की देखरेख के लिये नियुक्त किया है।

इस प्लांट को लगाने की लागत डी-बूट आपरेटर वहन करेगा परन्तु डी-बूट ऑपरेटर को पेयजल उपलब्ध कराने के पश्चात रु. 42.41 प्रति किलोलीटर की दर से प्रथम वर्ष में भुगतान किया जायेगा। जल के शुद्धिकरण पर होने वाले व्यय को वहन करने वाले विभाग के संबंध में निर्णय प्रक्रियाधीन है। दिनांक 30 जून, 2008 से सिविल कार्य प्रारम्भ हुआ है।

(3) जी हां। उक्त कार्य मैसर्स दोषीयान, अहमदाबाद को खुली निविदा द्वारा न्यूनतम दर आधार पर दिया गया है। 'लैटर ऑफ इन्टैन्ट' दिनांक 11.03.2008 की प्रति परिशिष्टि-'अ' पर संलग्न है।

(4) उक्त जल स्त्रोत में जिला नागौर की जायल तहसील के 120 गांवों को अप्रेल, 2009 तक जलापूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। तकनीकी मूल्यांकन कार्य में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रबन्ध निदेशक, आर.एस.एम.एम., उदयपुर से समन्वय कर सहायता हेतु जारी कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(5) जल शुद्धकिरण हेतु डी-बूट पद्धति पर उत्पादित जल की लागत निम्न प्रकार से होगी-

1. वाटर केपेसिटी चार्जेज –रु. 24.56 प्रति किलो लीटर
2. वाटर वेरियबल चार्जे-रु. 7.15 प्रति किलो लीटर

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

3. वेरियबल एनजी चार्जेज-रु. 10.70 प्रति किलो लीटर

कुल– रु. 42.41 प्रति किलो लीटर

जल के शुद्धिकरण पर होने वाले व्यय को वहन करने वाले विभाग के संबंध में निर्णय प्रक्रियाधीन है।

मावली विधान सभा क्षेत्र की विचाराधीन जल प्रदाय योजनाएं

05. **श्री शांति लाल चपलोत** (मावली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली की कौन-कौनसी जल प्रदाय योजनाएं कब से विचाराधीन हैं?

(2) सरकार इनकी स्वीकृति कब तक जारी करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली की 8 पेयजल योजनाओं (कुल सम्मिलित 13 ग्राम एवं 1 ाणी) के प्रस्ताव वर्तमान में सक्षम स्तर पर तकनीकी जांच अन्तर्गत प्रक्रियाधीन है। विचाराधीन पेयजल योजनाओं का वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) योजनाओं के जांच में सही पाये जाने वाले स्वीकृति बाबत निर्णय सम्भव होगा।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र मावली की विचाराधीन पेयजल योजनाओं का विवरण

क्रम संख्या	विचाराधीन पेयजल योजना का नाम	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)	सक्षम स्तर पर योजना प्रस्तुत करने की दिनांक	योजना में सम्मिलित कुल ग्राम/ ाणी	सम्मिलित ग्राम/ाणी का नाम
1	पुनर्गठित जल योजना, बड़गांव	98.17	25.5.2007	1	बडगांव
2	हैण्ड पम्प से पम्प एवं टैंक परिवर्तित योजना, मानखण्ड-भूमलावास	56.96	3.11.2007	2	मानखण्ड, भूमलावास
3	हैण्ड पम्प से पम्प एवं टैंक परिवर्तित योजना, उदाखेडा-भीलाखेडा	58.98	2.11.2007	2 ग्राम व 1 ाणी	उदाखेड़ा, भीलाखेड़ा व 1 ाणी मन्नाखेड़ा
4	हैण्ड पमप से पम्प एवं टैंक परिवर्तित योजना, चायलाखेडा	46.71	2.11.2007	1	चायलाखेड़ा

1	2	3	4	5	6
5	हैण्ड पम्प से पम्प एवं टैंक परिवर्तित योजना, बासनीकलां लदाना	68.43	3.11.2007	2	बासनीकलां, लदाना
6	हैण्ड पम्प से पम्प एवं टैंक परिवर्तितत योजना, लोपड़ा स्वरूपपुरा	63.78	3.11.2007	2	लोपड़ा, स्वरूपपुरा
7	हैण्ड पम्प से पम्प एवं टैंक परिवर्तित योजना, सवानिया भावली	57.40	3.11.2007	2	सवानिया, भावली
8	संवर्धन योजना, गुडली	77.38	8.4.2008	1	गुडली

खनन लीज स्वीकृति हेतु भूमि की किस्म के संबंध में जारी परिपत्र/निदेश

06. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खनन लीज स्वीकृत करने बाबत भू-स्वामित्व वाली तथा चरागाह एवं अन्य किस्म की भूमि आदि से संबंधित दिक्कतों को हल करने के लिए आदेश/परिपत्र जारी किये गये हैं? यदि हां, तो वर्तमान में प्रभावी ऐसे परिपत्र/आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक 3(8)राज 3/96 दिनांक 17 जनवरी, 2002 एवं शासन सचिव, खान विभाग के परिपत्र क्रमांक 7(17)खनिज/11/2002-03 दिनांक 07 फरवरी, 2002 एवं 9(11)खान ग्रुप-2/91 दिनांक 12 अगस्त, 1994, 09(11) खान/ग्रुप-2/91 दिनांक 21 सितम्बर, 2004 एवं 6(13) राज-6/92/25 दिनांक 29 दिसम्बर, 1994 जारी किये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन परिस्थितियों में किस-किस कारण से? उक्त की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(3) क्या भूमि संबंधी आने वाली समस्याओं के निस्तारण के लिए सरकार द्वारा अब और कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा खनन लीज स्वीकृत करने बाबत भू-स्वामित्व वाली तथा चरागाह एवं अन्य किस्म की भूमि आदि से सम्बन्धित दिक्कतों को हल करने के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा परिपत्र जारी किये गये हैं। ऐसे परिपत्रों/आदेशों की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। परिपत्रों/आदेशों की प्रतियां संलग्न हैं। उक्त समस्त परिपत्र राजस्व एवं चरागाह भूमि में उपलब्ध खनिज के खनन पट्टों को स्वीकृत किये जाने के दौरान जन साधारण को होने वाली कठिनाइयों असुविधाओं को दूर करने हेतु जारी किये गये हैं।

राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र 9(11)खान/ग्रुप-2/91 दिनांक 21.9.94 जारी किया गया है। (दिनांक 21.09.2004 को कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है।)

(3) जी नहीं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में डकैती की रोकथाम हेतु कार्य योजना

07. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डकैतों की संख्या के मुकाबले पुलिस बल की संख्या कम होने के कारण डकैत विरोधी अभियान पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है? यदि हां, तो इस बाबत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी? क्या डकैतों को गिरफ्तार किए जाने के लिए इनाम घोषित किया जाता है? यदि हां, तो इस प्रकार के कितने डकैतों के लिए इनाम घोषित किया हुआ है? डकैतों की जिलेवार संख्या सहित नामजद विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितनों को कितनी-कितनी राशि के इनामी डकैत घोषित किया हुआ है तथा किस-किस डकैत के ऊपर कितने-कितने इनाम की घोषणा की जाने की कार्यवाही की जा रही है? पृथक्-पृथक् नामजद विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(3) क्या सरकार के पास इनामी दस्युओं का पृथक-पृथक जातिवार विवरण उपलब्ध है? यदि हां, तो जातिवार नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में हो रही डकैती की घटनाओं की रोकथाम पर सरकार द्वारा गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो उसके नतीजे क्या रहे तथा सरकार द्वारा आगे क्या कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) यह सही है कि डकैतों की संख्या के मुकाबले के लिए पुलिस बल की संख्या कम होने के कारण डकैत विरोधी अभियान पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। यह सही है कि सक्रिय डकैतों की गिरफ्तारी हेतु इनाम घोषित किया जाता है। वर्तमान में ऐसे 97 डकैतों पर इनाम घोषित किया हुआ है। इन डकैतों की जिलेवार संख्या व नामजद विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त में से 97 डकैतों को इनामी डकैत घोषित किया हुआ है। उक्त डकैतों के ऊपर घोषित इनाम की राशि परिशिष्ट 'अ' के कॉलम ''7'' पर अंकित है एवं इनका नामजद विवरण परिशिष्ट 'अ' के कॉलम ''2'' पर अंकित है।

(3) सरकार के पास इनामी दस्युओं का पृथक-पृथक जातिवार विवरण उपलब्ध है जिनकी जातिवार नामजद सूची परिशिष्ट 'अ' के कॉलम संख्या '4' पर जाति अंकित है।

(4) दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में हो रही डकैती की घटनाओं की रोकथाम पर सरकार द्वारा गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही की जा रही है। जिसके फलस्वरूप भरतपुर संभाग के दस्यु प्रभावित क्षेत्र में वर्ष 2007 में कुल 52 दस्यु गिरफ्तार हुये जिनमें 10 इनामी थे, एक डकैत मुठभेड में मारा गया। वर्ष 2008 जून तक कुल 38 दस्यु गिरफ्तार हुये, जिनमें 16 इनामी थे, एक डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस द्वारा दस्यु उन्मूलन में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

हज का कुर्रा प्रणाली में व्याप्त असुविधाएं

08. **श्री एमादुद्दीन अहमद खान** (तिजारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

(1) क्या यह सही है कि हज का कुर्रा निकालने की तिथियां बार-बार बदली गई हैं? यदि हां, तो कब-कब एवं क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि बार-बार कुर्रे की तिथियां बदलने से नागरिकों को काफी असुविधाएं हुई हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि कई आवेदनकर्ताओं के दिनांक 1 जुलाई, 2008 तक भी कवर नम्बर नहीं पहुंचे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि कई आवेदनकर्ताओं के कवर नम्बर गलत पतों पर भेजने की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है?

(5) क्या सरकार कुर्रा पद्धति में सुधार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं क्या?

उत्तर

(1) जी हां। स्टेट हज कमेटी द्वारा हज यात्रा-2008 का कुर्रा दिनांक 23.06.2008 व 30.06.2008 को खोला जाना निश्चित किया गया था।

दिनांक 23.06.2008 को कमेटी रूम नम्बर-19 मंत्रालयिक भवन में इन्टरनेट कनैक्शन (ब्राडबैण्ड) व प्रोजेक्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण नियत तिथि बदली गई।

दिनांक 30.06.2008 को नियत तिथि को सर्वर में खराबी होने की सूचना केन्द्रीय हज कमेटी द्वारा अवगत कराने पर केन्द्रीय हज कमेटी द्वारा ही नियत तिथि को बदला गया।

(2) जी हां।

(3) हज यात्रा-2008 में प्रस्तुत समस्त आवेदनकर्ताओं को स्टेट हज कमेटी द्वारा कवर नम्बर का आबंटन कर कवर नम्बर के समस्त पत्र दिनांक 16.06.2008 तक डाक द्वारा प्रेषित किये जा चुके हैं।

(4) जी हां। कुछ कवर नम्बरों के टंकण में अशुद्धि रह जाने के कारण गलत पतों पर चले गये।

(5) हज यात्रा प्रबन्धन से संबंधित समस्त कार्य केन्द्रीय हज कमेटी के निर्देशों के अनुरूप स्टेट हज कमेटी द्वारा सम्पादित किया जाता है।

थाना क्षेत्र तिजारा, टपूकडा एवं भिवाड़ी के निलम्बित शस्त्र अनुज्ञा-पत्र

09. **श्री एमादुद्दीन अहमद खान** (तिजारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

(1) क्या यह सही है कि गुर्जर आन्दोलन के मद्देजनर थाना क्षेत्र तिजारा, टपूकड़ा एवं भिवाड़ी में हथियारों के लाइसेन्स अस्थाई रूप से निलम्बित करने के आदेश जिला कलक्टर अलवर द्वारा जारी किये गये थे? यदि हां, तो निलम्बित लाइसेन्सों के विवरण सहित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि थाना क्षेत्र तिजारा में गुर्जर एवं मेव जाति के हथियारों के लाइसेन्स निलम्बित किये गये? यदि हां, तो किन-किन के नाम एवं पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम गहणकर थाना तिजारा के अन्तर्गत किसी को लाइसेन्स निरस्त किया गया है? यदि हां, तो किसका एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि थाना क्षेत्र भिवाड़ी एवं तिजारा के गुर्जर आन्दोलन के दौरान जिला कलक्टर अलवर के आदेश क्रमांक प-21-7()न्याय/08/7702 दिनांक 28-5-2008 द्वारा थाना भिवाड़ी के 26 लाइसेन्स एवं थाना तिजारा के 33 लाइसेन्स अनुज्ञापत्र इम्पाउण्ड किये गये। सूची एवं आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) यही है कि थाना क्षेत्र तिजारा में गुर्जर एवं मेव जाति के 33 शस्त्र लाइसेन्स इम्पाउण्ड किये गये जिनमें से 28 लाइसेन्स निरस्त किये गये हैं। नाम, पते की सूची संलग्न है।

(3) हां। यह सही है कि ग्राम गहणकर थाना तिजारा के दो लाइसेन्सधारी श्री झम्मनलाल गुर्जर एवं श्री चिरंजीलाल गुर्जर के अनुज्ञापत्र निरस्त किये गये हैं। उक्त दोनों लाइसेंस पुलिस अधीक्षक अलवर की रिपोर्ट के अनुसार इम्पाउण्ड कर शस्त्र थाने में जमा कराने हेतु आदेश जारी किये गये थे। लेकिन इनके द्वारा सूचना के उपरान्त भी अपने शस्त्र थाने में जमा नहीं कराये गये, जिस पर जिला कलक्टर अलवर द्वारा आदेश संख्या 8156 दिनांक 3-6-2008 द्वारा लाइसेंस निरस्त किये गये हैं। आदेश की प्रति संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के दौरान हवाई यात्रा पर व्यय

10. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) प्रदेश में दिनांक 23 मई, 2008 से हुए गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के दौरान राज्य सरकार की ओर से कितने हेलीकाप्टर व हवाई जहाज का कितने दिन व कब-कब किस-किस के द्वारा उपयोग किया गया? उक्त हेलीकाप्टर व हवाई जहाज किस-किस संस्था से संबंधित थे? इसके लिए किस किस संस्था को कितना-कितना भुगतान किया गया एवं कितना भुगतान करना शेष है? उक्त हेलीकाप्टरों व हवाई जहाज के उपयोग पर कुल कितना व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आन्दोलन के दौरान हेलीकाप्टर व हवाई जहाज से किन किन व्यक्तियों ने यात्राएं की व उसके क्या कारण थे? प्रत्येक यात्रा का कारण व बैठने वालों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23.5.2008 से हुये गुर्जर आन्दोलन के दौरान कुल 7 हेलीकाप्टर व एक वायुयान किराये पर लिया गया था तथा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था। उक्त हेलीकॉप्टर व हवाई जहाज निम्न संस्थाओं से सम्बन्धित हैं :-

1. राजस्थान सिविल एवियेशन कारपोरेशन लि.
2. एयरफोर्स
3. मैसर्स इण्डिया इण्टरनेशनल एयरवेज
4. मैसर्स एवियेशन सर्विसेज इण्डिया
5. मैसर्स एयरमिड एवियेशन

पर्यटन विभाग द्वारा 1,20,42,676 रुपये के बिल भुगतान हेतु गृह विभाग के पास भिजवा दिये गये, पर भुगतान की कार्यवाही अभी प्रक्रियाधीन है।

(2) उक्त आन्दोलन के दौरान माननीय मुख्य मंत्री महोदया, मंत्रीगण, मुख्य सचिव, गृह सचिव, महानिदेशक पुलिस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आर्मी अधिकारियों द्वारा कानून-व्यवस्था बनाये रखने व आन्दोलन को शान्तिपूर्वक समाप्त करने के लिये यात्रायें की गयीं।

पर्यटकों की सुरक्षा हेतु पर्यटक सुरक्षा बल का गठन

11. **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मदन राठौड़)

(1) क्या यह सही है कि गत एक वर्ष में राज्य में कुछ विदेशी पर्यटकों पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमले करने की घटनाएं घटित हुई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में विदेशी पर्यटकों को सुरक्षा उपलब्ध करवाने हेतु 'पर्यटक सुरक्षा बल' गठित करने की योजना है? यदि हां, तो अब तक कहां-कहां गठित कर दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि माउंट आबू में पर्यटकों की सुरक्षा हेतु स्वीकृत पदों पर अब तक किसी की नियुक्ति नहीं हो सकी? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विदेशी पर्यटकों पर हमले की घटनाऐं जिला सीकर, सिरोही, जयपुर पूर्व, उदयपुर, कोटा शहर एवं पाली में घटित हुई हैं। इस संबंध में दर्ज प्रकरणों में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) माउण्ट आबू में पर्यटकों की सुरक्षा हेतु किसी प्रकार के कोई स्वीकृत पद पृथक से नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गंगानगर हथियार लाइसेन्स घोटाले में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

12. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा गंगानगर हथियार लाइसेन्स घोटाले में लिप्त पाये गए तत्कालीन जिला कलक्टरों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरण में दर्ज आपराधिक मामलों में अब तक क्या कार्यवाही की गई है? एफ.आई.आर. की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा उक्त प्रकरण में दर्ज मुकदमे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है? एफ.आई.आर. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्री गंगानगर हथियार प्रकरण में जिला कलक्टरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(2) श्री गंगागनर में शस्त्र अनुज्ञापत्रों के सम्बन्ध में 7 एवं नागौर में 1 कुल 8 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें अब तक की गई कार्यवाही का विवरण प्रकरणवार परिशिष्ट 'क' व एफ.आई.आर. की प्रतियां परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने हथियार लाइसेंस आबंटित करने में हुई अनियमितताओं के आरोपों पर 4 अपराध क्रमशः 202/07, 92/08, 15/08 व 160/08 पंजीबद्ध किये गये हैं। सभी अपराध अन्वेषणाधीन है। एफ.आई.आर. की प्रतियां परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

बूंदी जिले में आबंटित उचित मूल्य की दुकानें

13. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं उसके प्रभावी संचालन के लिए सरकार द्वारा बनाये गए नियमों की पालना की जा रही है? यदि हां, तो किस प्रकार से तथा नहीं तो क्यों परिपत्र/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विगत दो वर्षों में बूंदी जिले में भी उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन किया गया है एवं कतिपय स्थानों की दुकान आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? यदि हां, तो ऐसे आशार्थियों के जाति संवर्ग शिक्षा आदि के पृथक-पृथक विवरण एवं प्राथमिकता वार बनाई गई सूची सहित पत्रादि सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या दुकान आबंटन सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित प्राथमिकता धारकों में से प्रथम पात्रता रखने वाले की अनदेखी करके मात्र पात्र के पक्ष में लिए गए निर्णय वाले प्रकरणों में जिला कलक्टर द्वारा सर्वाधिक पात्रता रखने वाले आशार्थी के पक्ष में निर्णय लिया जाता है? यदि हां, तो किस प्रकार से व नहीं तो सर्वाधिक पात्रता रखने वाले के पक्ष में सरकार द्वारा किस स्तर पर निर्णय लिया जाता है? इस प्रकार के प्रकरणों में विगत दो वर्ष में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(4) क्या सरकार द्वारा ऐसे प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों को जवाब देह ठहराया जाता है? यदि हां, तो क्या विगत दो वर्ष में अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या? पृथक-पृथक नामजद विवरण सदन की मेज पर रखें व नहीं तो क्यों?

(5) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार अनियमितता एवं गलत वितरण आदि को रोकने के लिए प्रभावी ंग से समयबद्ध तरीके से जांच कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो किस प्रकार से तथा नहीं, तो सतर्कता समिति के कार्यकलापों के अतिरिक्त अब इस बाबत क्या कार्यवाही की जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अतिरिक्त राशि की वसूली की जाकर एक कोष का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो किस आदेश से तथा विगत 2 वर्ष में एकत्रित राशि तथा उसके किए गये उपयोग के पृथक-पृथक विवरण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं प्रभावी संचालन हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर आदेश एवं निर्देश जारी किये जाते रहे हैं जिनमें उचित मूल्य दुकानों के खुलने का समय निर्धारण, उचित मूल्य दुकानों पर थोक विक्रेता द्वारा पहुंचा हुई सामग्री का सतर्कता समिति के सदस्य द्वारा सत्यापन, फर्जी राशन कार्डों की चैकिंग, जिला स्तर/तहसील स्तर/उचित मूल्य दुकान स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन, उपभोक्ताओं को सामग्री सुनिश्चित करने हेतु राशन टिकिट योजना एवं प्रवर्तन स्टाफ द्वारा उचित मूल्य दुकानों का नियमित निरीक्षण आदि सम्मिलित है। प्रमुख आदेश/दिशा निर्देश परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विगत दो वर्षो में इस जिले में उचित मूल्य दुकानों का आबंटन निम्न प्रकार किया गया है- दिनांक 01.07.2007 को 10 दुकानें, 16.10.2006 को 6 दुकानें, दिनांक 06.12.2007 को 10 दुकानें, दिनांक 27.12.2007 को 14 दुकानें, 16.05.2008 को 27 एवं 19.6.2008 को 5, कुल 72 दुकानों का आबंटन किया गया है। वर्तमान में बून्दी ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत सीलोर, सुवांसा, नीम का खेड़ा नयागांव झरबालापुर, तहसील केशोरायपाटन की ग्राम पंचायत मायजा, सुनगर, तहसील हिण्डोली की ग्राम पंचायत धोवड़ा,

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)
तहसील नैनवां की ग्राम पंचायत आंतरदा एवं तहसील इन्द्रगढ़ की ग्राम पंचायत गु� की उचित मूल्य दुकानों के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विस्तृत सूचना परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। विगत दो वर्षों में जिला कलक्टरों को प्राधिकृत करने के पश्चात कलक्टर बूंदी द्वारा निस्तारित प्रकरणों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। जिला कलक्टरों को ऐसे मामलों में अधिकृत करने के पश्चात राज्य सरकार के स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(4) जी हां। किन्तु ऐसा कोई प्रकरण विभाग की जानकारी में नहीं आया है।

(5) जिले में सार्वजनिक प्रणाली के तहत वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित रखने के लिए सक्षम अधिकारी/ प्रवर्तन स्टाफ द्वारा समय-समय पर निरीक्षण/आमस्मिक जांच कार्यवाही की जाकर दोषी पाये जाने पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। जिले में विगत दो वर्षों की अवधि में तीन एफआईआर दर्ज एवं 10 प्रकरण 6 में जिनमें गेहूं 107.57 क्विंटल एवं केरोसीन 2565 लीटर जब्त सरकार किया गया। 52 प्राधिकार पत्र निरस्त, 38 प्राधिकार पत्र निलम्बित, एवं रु. 10395 प्रतिभूति राशि जब्त सरकार की गई एवं समय-समय पर जांच कार्यवाही की जाती है।

(6) राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पूरे राज्य के राशन कार्डधारकों को दिनांक 01.06.2005 से केरोसीन तेल एक समान खुदरा विक्रय दर रुपये 10/- प्रति लीटर पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से खाद्य विभाग के आदेश संख्या एफ 45 (74) खावि/नीति/कीरे./2002 दिनांक 05.02.2005 जारी किए गए, इसके लिए वित्त विभाग राज. सरकार द्वारा आई.डी. संख्या 1918/पीएस/एफ.एण्ड. पी. दिनांक 10.05.2005 द्वारा सहमति प्रदान की गयी थीं इसी सहमति के तहत केरोसिन परिवहन समानीकरण कोष स्थापित किया गया था जिसका संचालन राजस्थान उपभोक्ता कल्याण समिति द्वारा किया जाना निश्चित हुआ था।

जब केरोसिन की पूर्व लागत (मूल कीमत+परिवहन व्यय+थोक एवं खुदरा विक्रेता का कमीशन) खुदरा विक्रय दर 10 रु. से ज्यादा होती है तो अतर राशि इस कोष से थोक विक्रेताओं को पुनर्भरण कर की जाती है। इस कोष की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पूरे राज्य में केरोसिन की समान वितरण

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

दर निर्धारित करना, अधिशेष अन्तर राशि से उपभोक्ता हितों का संरक्षण, संवर्धन, उपभोक्ता कल्याण संबंधी कार्यक्रमों/परियोजनाओं/गतिविधियों आदि पर व्यय करना है। वर्ष 2006-07 में खाते में प्राप्त राशि 172551534/- रु. तथा व्यय 69857347/- रु. तथा वर्ष 2007-08 में कुल प्राप्ति 369222212/- रु. तथा व्यय 39494016/- रु. (पी.डी. एवं बैंक खाते का) था। समिति से व्यय केरोसिन समानीकरण, खाद्यान्न परिवहन समानीकरण, कार्यालय व्यय, विश्व एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आयोजन तथा उपभोक्ता जागृति संबंधी कार्यों के प्रचार-प्रसार, राशन कार्ड का मुद्रण आदि कार्यों पर किया जाता है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर जिले के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में केरोसीन वितरण में व्याप्त अनियमितताएं

14. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर):**क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बीकानेर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड कितना-कितना केरोसिन तेल दिए जाने के नियम हैं? इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से पूर्व बीकानेर शहर में प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड कितना-कितना केरोसिन तेल दिया गया तथा वर्तमान में प्रति राशन कार्ड कितना-कितना केरोसिन तेल दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखते हुये यह बताएं की इनमें बदलाव किन कारणों से व किन आदेशों से किया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि नियमों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड बराबर-बराबर केरोसिन तेल वितरण किए जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो वर्तमान में जिला बीकानेर में केरोसीन तेल के वितरण में किए जा रहे अन्तर हेतु कौन दोषी है?

(4) राशन कार्ड द्वारा वितरित किए जाने वाले राशन के गेहूं को खाद्य विभाग के गोदमों से डीपो तक पहुंचाने की क्या प्रक्रिया एवं नियम है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखते हुए यह बताएं कि वर्तमान में जिला बीकानेर में इस हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?

उत्तर

(1) जिला बीकानेर में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड केरोसिन तेल दिये जाने के नियम निम्नानुसार हैं :-

1. दो सिलेण्डर वाले राश्न कार्डधारी उपभोक्ता – शून्य

2. एक सिलेण्डर वाले राशन कार्डधारी उपभोक्ता- दो लीटर प्रतिमाह प्रति कार्ड

3. अन्य यथा एपीएल/बीपीएल कार्डधारी उपभोक्ता/अन्त्योदय-योजना में चयनित उपभोक्ता/अपने निवास से दूर अध्ययनरत छात्र – जिलों में प्राप्त आवंटन एवं उपलब्धता के आधार पर समानुपातिक मात्रा में ।

(2) दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से पूर्व बीकानेर शहर में 04 लीटर प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड केरोसीन तेल दिया गया तथा वर्तमान में माह मई 2008 से जिलों में समानुपातिक मात्रा से केरोसिन रोस्टर के आधार पर प्रति राशन कार्ड 03 लीटर केरोसिन तेल दिया जा रहा है। बीकानेर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में माह 1 अप्रैल, 2008 से पूर्व नीला केरोसिन वितरण मात्रा के अन्तर के संबंध में मुख्यत: कारण यह है कि बीकानेर शहरी क्षेत्र में ईंधन के रूप में जलाऊ लकड़ी का अभाव होने व ईधन के रूप में केरोसिन की मांग अधिक होने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में मुख्यत: जलाउ लकड़ी का उपयोग अधिक किये जाने के फलस्वरूप बीकानेर शहरी क्षेत्र में केरोसिन 04 लीटर प्रति राशनकार्ड से उपलब्ध करवाया जा रहा था।

(3) हां। यह सही है कि नियमों में बीकानेर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड बराबर केरोसिन तेल वितरण किये जाने का प्रावधान है वर्तमान में जिला बीकानेर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में केरोसिन तेल वितरण में कोई अन्तर नहीं है, इसलिए कोई दोषी नहीं है।

(4) विभागीय आदेश दिनांक 17.03.1992 के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत थोक विक्रेताओं द्वारा खाद्य निगम गोदामों से खाद्यान्न प्राप्त कर उचित मूल्य दुकानों पर पहुंचाया जाता है। बीकानेर नगर परिषद क्षेत्र में बीकानेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार बीकानेर, तहसील पूगल, खाजूवाला, लूनकरणसर, नोखा, छत्तरगढ़, श्री डूंगरगढ़ बीकानेर एवं कोलायत क्षेत्रों में क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से उचित मूल्य दुकानदारों को डोर स्टेप डिलेवरी के द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है।

मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर के अधीक्षक द्वारा दर्ज प्रकरण

15. **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जोधपुर के मथुरादास माथुर चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा जुलाई/अगस्त, 2007 में वहां के पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी? यदि हां, तो क्यों? दर्ज रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। श्री संपतसिंह चौहान, मेल नर्स श्रेणी प्रथम द्वारा कार्यवाहक नर्सिंग अधीक्षक श्रीमती शांति भाटी के साथ उनके कार्यालय में अभद्र व्यवहार किये जाने की लिखित शिकायत के आधार पर दिनांक 31.7.2007 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी। पुलिस जांच के बाद किसी प्रकार का अपराध घटित होना नहीं पाये जाने पर मामला दाखिल दफ्तर कर दिया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना, शास्त्री नगर, जोधपुर से दिनांक 9-7-2008 को प्राप्त कार्यवाही विवरण की प्रति परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सलूम्बर का क्रमोन्नयन

16. **श्री अर्जुन लाल मीणा** (सलूम्बर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अन्तर्गत भभराना पुलिया शिलान्यास कार्यक्रम में सलूम्बर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 बैड से 100 बैड में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सलूम्बर को आदेश दिनांक 18.06.2008 के द्वारा 50 से 100 शय्याओं में क्रमोन्नत करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर 22 नवीन पदों का सृजन किया गया है जिसमें चिकित्सकों के 9 तथा अन्य कर्मियों के 13 पद शामिल हैं।

गम्भीर रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के एस.के. सोनी चिकित्सालय में इलाज हेतु मुख्य मंत्री सहायता कोष से राशि की स्वीकृति

17. **श्री रमेश खींची** (कठूमर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री सहायता कोष से इलाज कराने की सुविधा एस.के. सोनी अस्पताल में प्रदान नहीं की जाने से गरीब मरीजों को इलाज कराने में असुविधा हो रही है?

(2) क्या यह सही है कि एस.के. सोनी अस्पताल में मुख्य मंत्री सहायता कोष से इलाज कराने का प्रकरण 6 महीनों से भी ज्यादा समय से सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो अब इस संबंध में कब तक कार्यवाही कर ली जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। 1 जनवरी, 2008 से 10 जुलाई, 2008 तक मुख्य मंत्री सहायता कोष से सहायता चाहने हेतु एस.के. सोनी चिकित्सलय, जयपुर से 99 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं। जिनमें से स्वीकृत, अस्वीकृत एवं विचाराधीन आवेदन पत्रों का विवरण संलग्न सूचीनुसार निम्न प्रकार है :-

प्रकरण जिनमें राशि स्वीकृत की गई।	77
वांछित दस्तावेज की पूर्ति हेतु विचाराधीन प्रकरण।	9
अस्वीकृत प्रकरण	13
कुल प्रकरण	99

अपूर्ण प्रार्थनापत्रों में वांछित दस्तावेजों/सूचनाओं की पूर्ति होते ही सहायता स्वीकृत कर दी जावेगी।

सामुदायिक चिकित्सालय सांगोद (कोटा) का नामकरण प्रकरण

18. **श्री भरत सिंह** (दीगोद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के सामुदायिक चिकित्सालय सांगोद का भवन काशीपुरी हिन्दू ट्रस्ट द्वारा नि:शुल्क दी गई भूमि पर निर्मित है व इस भूमि का बाजार मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक है?

(श्री भरत सिंह)

(2) क्या यह सही है कि इस भवन का नाम काशीपुरी महाराज के नाम करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से व इसका अभी तक नवीन नामकरण नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांगोद (कोटा) का नाम महाराज काशीपुरी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांगोद रखे जाने का प्रशासनिक निर्णय लिया जा चुका है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

सिरोही जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पद

19. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सिरोही के चिकित्सालयों में दिनांक 1 जनवरी, 2008 को चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत थे? स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने चिकित्सक कार्यरत थे एवं कितने पद रिक्त थे? प्रत्येक चिकित्सालय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सिरोही जिले में वर्ष 2008 में कितने चिकित्सकों के स्थानान्तरण किये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सिरोही जिले के चिकित्सालयों में वर्तमान में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सिरोही के चिकित्सालयों में दिनांक 01.01.2008 को स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1	वरिष्ठ विशेषज्ञ	5	2	3
2	कनिष्ठ विशेषज्ञ	32	18	14
3	वरिष्ठ चि. अ.	10	5	5
4	चिकित्सा अधिकारी	47	37	10
	कुल योग	**94**	**62**	**32**

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री

प्रत्येक चिकित्सालयवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) सिरोही जिले में वर्ष 2008 में 17 चिकित्सकों के स्थानान्तरण किये गये।

(3) सिरोही जिले के चिकित्सालयों में वर्तमान में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या सूची निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1	वरिष्ठ विशेषज्ञ	5	2	3
2	कनिष्ठ विशेषज्ञ	32	18	14
3	वरिष्ठ चि.अ.	10	5	5
4	चिकित्सा अधिकारी	47	35	12
	कुल योग	**94**	**60**	**34**

जी हां। वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना संभव हो सकेगा। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र, बड़ा गांव (झुंझुनूं) में आवश्यक चिकित्सकीय व्यवस्थाएं

20. **श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बड़ा गांव जिला झुंझुनूं में राजकीय मृत एवं शिशु कल्याण केन्द्र का भवन किसी भामाशाह द्वारा निर्मित करवाकर सरकार को सुपुर्द किया गया था? यदि हां, तो कब एवं कितनी लागत का एवं किन किन शर्तों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

(2) क्या यह सही है कि उक्त मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र को सरकार द्वारा संचालित किया गया था? यदि हां, तो कब से कब तक एवं उसमें किस-किस चिकित्साकर्मी का पदस्थापन किया गया? वर्तमान में कौन-कौन चिकित्साकर्मी पदस्थापित हैं? उक्त केन्द्र में किस-किस ग्राम की जनता लाभान्वित होती है?

(3) क्या यह सही है कि लम्बी अवधि से उक्त मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र में चिकित्साकर्मियों का पदस्थापन नहीं किया गया है? यदि हां, तो कब से व क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त मातृ शिशु कल्याण केन्द्र से लगभग 2 लाख की आबादी को चिकित्सीय सुविधा मिलती है? यदि हां, तो क्या सरकार अब वहां आवश्यक सुविधायें यथा चिकित्साकर्मी एवं अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। दानदाता श्री मदन लाल भानीरामका ने भवन निर्मित करवाकर विभाग को 12.05.1980 को सुपुर्द किया। उक्त भवन की उस समय की लागत लगभग 10 लाख रुपये थी।

दानदाता श्री मदन लाल भानीरामका को भवन निर्माण कराने की सशर्त स्वीकृति आदेश दिनांक 31 मार्च, 1980 को जारी की गई। जिसकी प्रति परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। ग्राम बडा गांव में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र 12.5.1980 से संचालित किया गया जो वर्तमान में संचालित है।

ग्राम बडा गांव में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र संचालित होने के पश्चात पदस्थापित रहे चिकित्साकर्मियों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर प्रस्तुत है।

वर्तमान में पदस्थापित स्टाफ के नामों का विवरण पद के अनुसार परिशिष्ट 'ब' पर प्रस्तुत है।

उक्त केन्द्र में ग्राम बडा गांव, हासलसर, नाटास, नगली गुजरान, भाटीवाड, बासबीसना, सीथल, बजावा, सैनीपुरा, केसरीपुरा, शिवनाथपुरा, खीवासर, रामलालपुरा, हेमतपुरा, बसन्तपुरा आदि गांवों की जनता लाभान्वित होती है।

(3) जी हां। उक्त केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी का पद स्वीकृत था।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)
चिकित्सा अधिकारी का पद विभाग के आदेश दिनांक 15.09.2004 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। जिस कारण चिकित्सा अधिकारी का पदस्थापन किया जाना सम्भव नहीं है। अन्य पद भरे हुये हैं।

(4) जी नहीं। इस गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी स्वीकृत है जिससे आसपास की लगभग 34 हजार आबादी लाभान्वित होती है प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर की सभी सुविधाएं, चिकित्साकर्मी एवं उपकरण इस संस्थान पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

साहवा-सरदार शहर वितरिका हेतु आबंटित राशि का उपयोग

21. **डा. चन्द्रशेखर बैद** (तारानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जनवरी, 2004 से अब तक इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत सुई उपशाखा, साहवा वितरिका तथा सरदारशहर वितरिका के अन्तर्गत आबंटित राशि के विरुद्ध कितनी राशि व्यय कर क्या-क्या कार्य सम्पादित किये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 2004 से अब तक उक्त शाखा/वितरिकाओं द्वारा कितनी अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त शाखा/वितरिकाओं के निर्माण हेतु आबंटित राशि में से कार्य सम्पादित नहीं होने पर कितनी राशि व्यपगत हुई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 2004 से अब तक इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत सुई उपशाखा एवं साहवा वितरिका के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 (जनवरी 2004 से मार्च 2004 तक) में 157.76 लाख वर्ष 2004-05 में 731.80 लाख, वर्ष 2005-06 में 1063.75 लाख, वर्ष 2006-07 में 187.38 लाख, वर्ष 2007-08 में 80.64 लाख, वर्ष 2008-09 (अप्रेल 2008 से जून 2008 तक) में 36.68 लाख रुपये व्यय किये गये। वितरिकावार विवरण प्रपत्र 'अ' वर्षवार कराये गये कार्यों का विवरण प्रपत्र 'ब' पर संलग्न है। सरदारशहर वितरिका के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं करवाया गया है और न ही कोई व्यय किया गया है।

(सिंचाई मंत्री)

(2) सुई सब ब्रांच की भावलदेसर माइनर एवं धानसिया माइनर में वर्ष 2006-07 (रबी) से 3756 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हेतु पानी दिया जाना प्रारम्भ किया गया। वर्षवार सूची प्रपत्र 'स' संलग्न है।

(3) आबंटित राशि का पूर्ण रूप से उपयोग किया गया है। किसी प्रकार से आवंटित राशि को व्ययगत नहीं किया गया है।

प्रपत्र 'अ'

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत सुई उपशाखा एवं साहवा वितरिका के अन्तर्गत आबंटित राशि के विरुद्ध व्यय की गई राशि का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	सुई उपशाखा	साहवा वितरिका	योग
1	2003-04 (जनवरी, 04 से मार्च, 04 तक)	78.41	79.35	157.76
2	2004-05	310.89	420.91	731.80
3	2005-06	618.81	444.94	1063.75
4	2006-07	25.48	161.90	187.38
5	2007-08	70.39	10.25	80.64
6	2008-09 (अप्रैल, 08 से जून, 08 तक)	32.58	4.10	36.68
	कुल योग	**1136.56**	**1121.45**	**2258.01**

प्रपत्र 'ब'

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत सुई उपशाखा एवं साहवा वितरिका के अन्तर्गत वर्षवार करवाये गये कार्यों का विवरण

(कि.मी. में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	Total
सुई सब ब्रांच एवं सिस्टम								
1	सुई सबब्रांच	2.18	8.25	8.85	-	-	-	17.28
2	भावलदेसर माइनर	-	2.60	-	-	-	-	2.60
3	धानसिया माइनर	-	0.05	-	-	-	-	0.05

क्र. सं.	कार्य का नाम	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	Total
4	हरिपुरा माइनर	-	1.25	1.42	1.90	1.88	-	6.45
5	जेतसेसर माइनर	-	1.25	8.93	-	-	-	10.18
	कुल योग :-	**2.18**	**11.40**	**19.20**	**1.90**	**1.88**	**-**	**36.56**
साहवा डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम								
1	साहवा डिस्ट्रीब्यूटरी	2.00	5.80	10.20	3.00	-	-	21.0
2	धीरवास माइनर	-	4.60	6.30	-	-	-	10.90
3	साहवा माइनर	-	2.00	2.90	0.10	-	-	5.00
	कुल योग	**2.00**	**12.40**	**19.40**	**3.10**	**0.00**	**-**	**36.90**
	महायोग	**4.18**	**23.80**	**38.60**	**5.00**	**1.88**	**-**	**73.46**

प्रपत्र 'स'

साहवा लिफ्ट नहर की सुई सब ब्रांच एवं साहवा डिस्ट्रीब्यूटरी के उपलब्ध कराई गई सिंचाई का वर्षवार विवरण

2004-05 जनवरी, 2004 से - NIL

2005-06 - NIL

2006-07 रबी फसल में - 3756 हैक्टेयर

2007-08 - 3756 हैक्टेयर

2008-09 खरीफ में - केवल पीने का पानी दिया जा रहा है

बूंदी जिले में सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत पेंशन स्वीकृति हेतु विचाराधीन आवेदन

22. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिनांक 1 जनवरी, 2007 से अब तक बूंदी जिले में किन-किन

(श्री हरिमोहन शर्मा)

पंचायत समितियों एवं नगरपालिका क्षेत्र से कितने-कितने आवेदन वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन के प्राप्त हुए? इनमें से किस-किस श्रेणी के कितने कितने आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये और कितने आवेदन पत्र अभी भी विचाराधीन हैं तथा किस-किस श्रेणी के कितने-कितने आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये और क्यों? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) मुख्य मंत्री सर्वजन सम्बल महाअभियान के अन्तर्गत बूंदी जिले में किस-किस ग्राम पंचायत में कितने-कितने वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन के आवेदन भरवाये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें और उन आवेदनों में से कितने लोगों को पेंशन स्वीकृत की गई तथा कितने आवेदन निरस्त किये गये तथा कितने आवेदन विचाराधीन हैं?

उत्तर

(1) दिनांक 1 जनवरी, 2007 से अब तक बूंदी जिले में वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों, उनमें से स्वीकृत, विचाराधीन आवेदन पत्रों एवं अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों की पंचायत समिति एवं नगरपालिका क्षेत्रवार तथा पेंशन की श्रेणीवार संख्या सूची परिशिष्ट-1 सदन की मेज पर रख दी गई है।

पेंशन आवेदनों को अस्वीकृत करने के निम्न कारण रहे हैं :-

(i) नियमों में दिये प्रावधानों के अनुसार पात्रता की शर्त पूर्ण न होना।

(ii) प्रार्थियों के स्तर से पूर्तियां न होना।

(iii) नई बी.पी.एल. सूची, 2002 से नाम डिलीट होना या चयनित न होना।

(2) मुख्य मंत्री सर्वजन सम्बल महाभियान के अन्तर्गत बूंदी जिले में वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन के भरवाये गये आवेदन पत्रों एवं उनमें से स्वीकृत, निरस्त किये गये तथा विचाराधीन आवेदन पत्रों का ग्राम पंचायत वार विवरण परिशिष्ट-2 सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

गरीबी रेखा से नीचे के चयनित परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु लम्बित अनुदान प्रकरण

23. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि गरीबी रेखा से नीचे के चयनित परिवारों (बी.पी.एल.) की कन्याओं की शादी के लिए अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो इन परिवारों के किस-किस वर्ग को कितनी-कितनी राशि देने का प्रावधान है?

(2) क्या यह सही है कि इन परिवारों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान हेतु आयु सीमा निर्धारित की गई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी?

(3) दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से 30 जून, 2007 तक राजस्थान के प्रत्येक जिले में कितने-कितने बीपीएल परिवारों की पुत्रियों की शादियों के समय अनुदान स्वरूप कितनी-कितनी राशि दी गई और कितनी राशि देना कब से शेष है?

उत्तर

(1) जी हां। योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवार की 18 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु की कन्या के विवाह पर राशि रुपये 5000/- का अनुदान तथा 21 वर्ष व उससे अधिक आयु की समस्त बी.पी.एल. परिवारों की कन्याओं के विवाह पर राशि रुपये 10,000/- की सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

(2) जी हां। अनुसूचित जाति के बी.पी.एल. परिवार की 18 वर्ष से 21 वर्ष की आयु की कन्या के विवाह पर राशि रुपये 5000/- का अनुदान तथा 21 वर्ष व उससे अधिक आयु की समस्त बी.पी.एल. परिवारों की कन्याओं के विवाह पर राशि रुपये 10,000/- की सहायता प्रदान की जाती है।

(3) 01 अप्रैल, 2007 से 30 जून, 2007 तक राजस्थान के प्रत्येक जिले में सहयोग योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों की पुत्रियों की शादियों के समय प्रदान की गई राशि व लाभार्थियों की संख्या का विवरण परिशिष्ट 'अ' सदन पटल पर रख दिया गया है।

01 अप्रैल, 2007 से 30 जून, 2007 तक के पात्र शेष आवेदकों को वर्ष 2007-08 में ही सहायता प्रदान कर दी गई है।

अतारांकित प्रश्न संख्या–24

(स्थगित)

परिशिष्ट 'अ'

01 अप्रैल, 2007 से 30 जून, 2007 तक सहयोग योजना के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों की पुत्रियों की शादियों के समय प्रदान की गई राशि तथा लाभार्थियों का जिलेवार वितरण

क्र.सं.	नाम जिला	प्रदान की गई राशि रुपये लाखों में	लाभार्थियों की संख्या
1	अजमेर	0	0
2	अलवर	5.50	110
3	बांसवाड़ा	0	0
4	बारां	0	0
5	बाड़मेर	0	0
6	भरतपुर	2.35	47
7	भीलवाड़ा	0	0
8	बीकानेर	0	0
9	बूंदी	0.65	13
10	चित्तौड़गढ़	0	0
11	चूरू	1.00	20
12	दौसा	0.60	12
13	धौलपुर	0.30	6
14	डूंगरपुर	0	0
15	श्रीगंगानगर	5.00	100
16	जयपुर	0	0
17	जैसलमेर	0	0
18	जालौर	0	0
19	झुन्झुनूं	0.35	7
20	जोधपुर	0	0
21	कोटा	0	0
22	नागौर	0	0
23	पाली	0	0

क्र.सं.	नाम जिला	प्रदान की गई राशि रुपये लाखों में	लाभार्थियों की संख्या
24	राजसमन्द	0	0
25	सवाईमाधोपुर	0	0
26	सीकर	0	0
27	सिरोही	0	0
28	टोंक	0	0
29	उदयपुर	0	0
30	करौली	2.90	58
31	झालावाड़	0	0
32	हनुमानगढ़	1.60	32
	कुल योग	**20.25**	**405**

परिशिष्ट-1

प□□हुए माने गये नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अव्यवस्था के सम्बन्ध में

महोदय,

राज्य में मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा बरती गई घोर लापरवाही से जिला चूरू के हजारों गरीब किसानों को उक्त योजना अन्तर्गत मिलने वाले लाभ से वंचित रहना पडा।

उक्त योजनान्तर्गत मौसम का अनुमान लगाने हेतु स्थापित किए गए यंत्र एवं निजी कम्पनी द्वारा लगवाए गए, जो कि समय पर नहीं लगाए गए तथा उक्त यंत्र बहुत ही निम्न स्तर के थे जिस कारण मौसम का वास्तविक अनुमान नहीं लग पाया। यंत्र लगाने के पूर्व समय रहते जिला प्रशासन को यथोचित सूचना दी गई थी तथा जांच यंत्र की गुणवत्ता व प्रमाणिकता परखने के लिए भी जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया था। लेकिन समय रहते प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। नतीजन इस फसल के दौरान मौसम खराब होने के बावजूद भी तापमान का सही आंकलन नहीं किया जा सका। जिससे हजारों किसान, जिन्होंने प्रीमियम देकर मौसम पर आधारित फसल बीमा करवाया था, को मुआवजा राशि से वंचित रहना पड़ा।

जिले में मौसम विभाग द्वारा किए गए तापमान आंकलन से फसल बीमा हेतु लगाए गये यंत्रों का आंकलन बिलकुल मेल नहीं खाता। जिससे यह प्रमाणित होता है कि उक्त यंत्र त्रुटिपूर्ण तरीके से लगाए गए तथा जिला प्रशासन की लापरवाही से हजारों किसान परिवारों को मौसम खराब होने के बावजूद मुआवजा नहीं मिल पाया।

राज्य सरकार का यह दायित्व बनता है कि उक्त फसल बीमा हेतु किए गए मौसम आंकलन का पुनरावलोकन कर पीड़ित किसानों को शीघ्र ही समुचित मुआवजा दिलवाये।

डा. चन्द्रशेखर बैद

(तारानगर)

जोधपुर शहर में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के क्रम में

माननीया जी

मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान जोधपुर शहर के चिकित्सा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता की और आकृष्ट करना चाहती हूं।

जोधपुर संभाग मुख्यालय होने के साथ ही पूरे पश्चिमी राजस्थान की चिकित्सकीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बढ़ते जनसंख्या दबाव को देखते हुए महिला बाग सेटेलाइट अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा पिछले वर्ष दिया गया है। अब आवश्यकता है कि जन उपयोगिता की दृष्टि से महिलाबाग जिला अस्पताल में जिला अस्पताल के अनुरूप ही विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद सृजित किये जावें तदनुरूप चिकित्सा स्टाफ एवं जांच उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। जिला अस्पताल के अनुरूप भवन निर्माण हेतु विशेष राशि उपलब्ध कराई जावे।

आप सभी वर्तमान युग में सी.टी. स्केन एवं एम.आर.आई. जांच की उपयोगिता एवं आवश्यकता से परिचत ही है। परन्तु बहुत ही खेद का विषय है कि जोधपुर में एकमात्र सी.टी. स्केन मशीन वर्ष पर्यन्त खराब ही रहती है, तथा एम आर आई मशीन की स्थापना अब तक नहीं की गई है। दोनों ही परिस्थितियों में गरीब मरीजों को अतिआवश्यक जांच हेतु निजी जांच केन्द्रों की महंगी और मनमानी कीमतों पर समझौता करना पडता है। मेरी मांग है कि जोधपुर में खराब सी.टी स्केन मशीन को तुरन्त बदला जावे तथा महात्मा गांधी चिकित्सालय में एक नई सी.टी. स्केन मशीन की स्थापना की जावें। इसी के साथ एक एम.आर.आई. मशीन की स्थापना भी तुरन्त की जावें।

मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय जोधपुर पर पूरे पश्चिमी राजस्थान की निर्भरता को देखते हुए और जन उपयोगिता हेतु मेरी उपरोक्त मांगों से सहमत होते हुए तुरन्त आवश्यक व्यवस्था करवायेंगे।

सूर्यकान्ता व्यास

(जोधपुर)

पुष्कर राज से ग्राम कडैल-बस्सी होते हुये परबतसर-बिदियाद मकराना जाने वाली सड़क को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड (एमडीआर) घोषित करवाने बाबत

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295

के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि भारत वर्षीय समस्त तीर्थों में प्रमुख कहलाये जाने वाले सब तीर्थों के राजा पुष्कर राज जहां पूरे देश ही नहीं वरन विदेशों से भी लोग दर्शनार्थ एवं भ्रमण करने हेतु आते रहते है। यहां से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर मेरा विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय परबतसर एवं 80 किमी. की दूरी पर विश्वविख्यात संगमरमर नगरी मकराना स्थित है। परबतसर शहर से मेगा हाइवे नं. 7 निकलती है जो पंजाब, हरियाणा, गंगागनर, हनुमानगढ़, किशनगढ़, अजमेर, जयपुर एवं दिल्ली को जोड़ती है एवं स्टेट हाईवे नं. 21 जो मीरा बाई की नगरी मेड़ता, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर एवं जैसलमेर को जोड़ती है। साथ ही विश्वविख्यात मार्बल नगरी मकराना से नागौर होते हुये भी स्टेट हाइवे नं. 2बी जो जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेरा एवं जैसलमेर को जोड़ती है। साथ ही मकराना का मार्बल जो पूरे विश्व में विख्यात है जहां दुनिया के कोने-कोने से व्यापारी मार्बल क्रय करने आते हैं व यहां से तीर्थ नगरी पुष्कर में दर्शनार्थ एवं भ्रमण हेतु पधारते हैं।

मैं इस सदन के माध्यम से राज्य सरकार एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि तीर्थ नगरी पुष्करराज से वाया कडैल, बस्सी, भड़सिया होते हुये पीपलाद, वीर तेजाजी की पावन धरती परबतसर जाने वाली सड़क जो अजमेर, नागौर एवं जोधपुर, बीकानेर एवं अन्य कई जिलों को सीधा जोड़ती है उसे एमडीआर (मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में) में क्रमोन्नत करवा दिया जाता है तो आने वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ देश-विदेश से आने वाले मार्बल व्यापारी एवं भ्रमण पर आने वाले देशी-विदेशी सैलानियों को जो पुष्कर के बाद मार्बल नगरी मकराना होते हुये जोधपुर, बीकानेर एवं बाड़मेर, जैसलमेर की सैर करना चाहते हैं उन्हें आने जाने में काफी सुविधा तो मिलेगी ही साथ इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा।

अतः तीर्थ नगरी पुष्करराज से वाया कडैल-बस्सी-भड़सिया होते हुये पीपलाद-वीर तेजाजी की पावन धरती परबतसर जाने वाली सड़क जो अजमेर, नागौर एवं जोधपुर, बीकानेर एवं अन्य कई जिलों को सीधा जोड़ती है उसे एमडीआर (मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड) में क्रमोन्नत करवाने की कृपा करावें।

राकेश मेघवाल
(परबतसर)

नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में खनन विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण

मान्यवर,

विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में राज्य सरकार के खान मंत्रालय द्वारा मैसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड को 624 हैक्टेयर मैसर्स इण्डिया सीमेन्ट लिमिटेड को 825.50 हैक्टर एवं मैसर्स ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को 4615.34 हैक्टेयर भूमि में अनुदान खनन पट्टा वास्ते खनिज लाईम स्टोन (सीमेन्ट ग्रेड) हैड (1) भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइन प्लान एवं क्लोजम प्लान (2) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार का एनवायरमेंट क्लीयरेंस के दस्तावेज 6 माह में प्रस्तुत करने की शर्तों पर मंशा पत्र (Letter of Intent) जारी किये थे।

राज्य सरकार द्वारा मंशा पत्र की निर्धारित शर्तें पूरी किये बिना तथा खनन पट्टा स्वीकृत किये बिना ही राज्य सरकार, उद्योग (ग्रुप-1) विभाग द्वारा उक्त कम्पनियों के लिए बहुत बड़ी कृषि उपजाऊ भूमि एवं रिहायशी गांवों की भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की जा रही है तथा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं से भयभीत किसानों एवं ग्रामीणों ने प्रशासन से इसे रोकने का आग्रह किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण किसानों के द्वारा ट्रीब्यूनल (माइन्स) भारत सरकार में अपील दायर करने पर खान मंत्रालय भारत सरकार में अपील दायर करने पर खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2008 को पुनरीक्षण संबंधी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अगले आदेशों अथवा केस का निपटान होने, इनमें से जो भी पहले हो, तक उक्त आशय पत्रों एवं अधिसूचनाओं के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा किसी अगली कार्यवाही पर अल्पकालीन स्थगन प्रदान किया था।

केन्द्र सरकार के स्थगन आदेश के पश्चात भी भूमि अधिग्रहण की लगातार कार्यवाही की जा रही है तथा अधिसूचना जारी की जा रही है जिसका किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि ट्रीब्युनल (माइन्स) भारत सरकार के स्थगन आदेश के अनुसार भूमि अधिग्रहण कार्यवाही पर रोक लगवाई जावे।

प्रतिभा सिंह

(नवलगढ़)

सीकर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत की स्वीकृति जारी करने बाबत

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये सीकर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की समस्या को ध्यान में रखते हुये निम्न सड़कें स्वीकृत करने के संबंध में निवेदन करना चाहूंगी।

1. पुलिस लाइन से उदयदास की □ाणी तक	-	2.5 किमी.
2. श्री कल्याण अस्पताल से आर.टी.ओ. कार्यालय होते हुये बाइपास तक	-	2.5 किमी.
3. सोनी धर्मशाला से धर्माणा बगीची तक	-	1.5 किमी.
4. होमियोपेथिक हास्पीटल से सूरजपोल तक	-	1.5 किमी.
5. कटराथल से पिपराली वाया समदडी जोहडी	-	5 किमी.
6. पालवास बाईपास से ईदगाह चौराहा तक	-	2 किमी.
7. पुरोहित का बास से भगडिया की □ाणी तक	-	3.5 किमी.

उपरोक्त सड़कें रास्ते में जगह-जगह से टूटी हुई हैं तथा इन सड़कों पर गहरे-गहरे खड□ हो रहे हैं। सीकर शहर में तो इन सड़कों की यह हालत है कि आम नागरिक से लेकर राहजन तक इन रास्तों पर आना ही नहीं चाहता जबकि पुलिस लाइन से उदयदास की □ाणी तक तथा श्री कल्याण अस्पताल से आर.टी.ओ. कार्यालय होते हुये बाइपास वाले रास्तों पर तो कई सरकारी कार्यालय आर.टी.ओ. आफिस, सिंचाई विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इत्यादि कार्यरत हैं जिनमें आम नागरिक को रोजाना आना जाना पड़ता है।

इसी प्रकार होमियोपेथिक हास्पीटल से सूरजपोल तक एवं पालवास बाईपास से ईदगाह चौराहा तक जाने वाला मार्ग शहर का काफी व्यस्तम मार्ग है। इन रास्तों पर सड़कें जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जगह-जगह खड□ हो गये हैं इन सड़कों पर लगातार यातायात का काफी दबाव बना रहता है इन सड़कों पर छोटे-छोटे वाहनों से लेकर भारी वाहनों का लगातार आना जाना रहता है। इन सड़कों पर बरसात के मौसम में तो आना जाना काफी दूभर होता है। खड□ों में पानी इतना भर जाता है कि लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है।

ग्राम कटराथल से पिपराली वाया समदडी जोहडी तथा पुरोहित का बास से भगडिया की □ाणी तक वाली सडकों को तो हाल बेहाल है। इन गांवों में छोटी-छोटी □ाणियों में लोग बसे हुये हैं जिनको प्राय: शहर या अन्य जगह आना जाना पड़ता है। सड़कों के अभाव में इन लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। काफी समय से इन लोगों द्वारा कई बार मुझसे यह सड़क बनाये जाने की मांग की जा रही है।

मेरे द्वारा लगातार माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री महोदय से इन सडकों के बनाये जाने हेतु लिखित व मौखिक रूप से बार-बार निवेदन किया जाता रहा है परन्तु उक्त सड़कें आज दिनांक तक नहीं बनी हैं जिससे आम नागरिक परेशान है। इन सड़कों पर यातायात का भी भारी दवाब रहता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोग आये दिन मुझसे इन सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में पूछते रहते हैं। इन सडकों के निर्माण कराये जाने से शहरवासी एवं इनसे जुडे छोटे-छोटे गांव व □ाणियां काफी लाभान्वित होंगी। अत: जनहित में इन सड़कों का बनाया जाना अति आवश्यक है।

अन्त में, मैं पुरजोर शब्दों में माननीय अध्यक्ष महोदया के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदया एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सीकर में उक्त सड़कें शीघ्र बनाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद । जय भारत।

राजकुमारी शर्मा
(सीकर)

सीकर जिला मुख्यालय पर राजकीय कृषि महाविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं राज्य सरकार एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान शिक्षा के क्षेत्र में जिला सीकर के साथ हुए भेदभाव की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि सम्पूर्ण सीकर जिला कृषि आधारित है, यहां की अधिकतर आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है एवं मुख्य रूप से खेती ही यहां के लोगों के जीवन-यापन का स्रोत है। सीकर जिला

मुख्यालय की आबादी लगभग तीन लाख है एवं सम्पूर्ण जिले की आबादी करीब पन्द्रह लाख है। सीकर जिला मुख्यालय पर राजकीय स्नानकोत्तर महाविद्यालय एवं विधि महाविद्यालय तो संचालित है परन्तु कृषि प्रधान जिला होते हुए भी यहां पर कृषि से संबंधित उच्च शिक्षा का नितांत अभाव है। जब कि यहां के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों का रूझान मुख्यतः कृषि विषयों के अध्ययन की ओर रहता है। कृषि के क्षेत्र में उच्च शिक्षा की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं होने की वजह से जिले के विद्यार्थियों को अन्य जिलों एवं राज्यों में मजबूरी में जाना पड़ता है जिससे उन्हें आर्थिक एवं मानसिक रूप से कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं।

ऐसी स्थिति में मेरा राज्य सरकार एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में आग्रह है, मेरी मांग है कि सीकर जिला मुख्यालय पर राजकीय कृषि महाविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा विधान सभा के इसी सत्र में की जाकर जिला सीकर के विद्यार्थियों एवं आम जन को राहत प्रदान करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की यह लोक कल्याणकारी सरकार करे।

धन्यवाद।

केसरदेव बाबर

(लक्ष्मणगढ़)

ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों के सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन कर राज्य कर्मचारियों के समान समस्त सुविधाएं एवं परिलाभ प्रदान करने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों के सेवा नियमों में वर्ष 2004 में जो संशोधन किया गया था उसके अन्तर्गत इन व्यवस्थापकों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाऐं दिया जाना निहित किया गया था।

इस समबन्ध में मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त सेवा नियमों में संशोधन करने के पश्चात भी ग्राम सेवा सहकारी समिति में कार्यरत व्यवस्थापकों को समय-समय पर बढ़ाया जाने वाला महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मूल वेतन में जोड़कर नहीं दिया जा रहा है। इसी प्रकार राज्य कर्मचारियों को 9, 18, 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर दिया जाने वाला चयनित वेतनमान का लाभ भी इन

व्यवस्थापकों को नहीं दिया जा रहा है जिससे इन व्यवस्थापकों में हीनभावना पैदा होने लगी है तथा जिसका सीधा असर उनकी कार्यक्षमता पर भी पड़ता है।

अतः मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों के सेवानियम, वेतनमान, अन्य सभी प्रकार की सुविधाऐं, परिलाभ आदि जो राज्य सरकार के कर्मचारी प्राप्त कर रहे हैं का स्पष्ट प्रावधान किया जाकर लागू किया जावे।

आदर सहित।

डा. सुरेश चौधरी

(भादरा)

गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में कृषि विपणन बोर्ड की क्षतिग्रस्त सड़कों को मरम्मत किये जाने बाबत

मान्यवर,

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अन्तर्गत कृषि विपणन बोर्ड की निम्न सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाने तथा पुलिया, साइड दीवार टूट जाने से आवागमन के लिए भारी समस्या उत्पन्न होती जा रही है। सरकार को पूर्व में भी अवगत कराने के बावजूद अभी तक सड़कों को ठीक नहीं किया जा रहा है। अतः मेरा आरोप है कि सरकार किसानों एवं गरीब तथा ग्रामीणवासियों के विकास, उत्थान एवं अधिकारों का हनन कर रही है। यदि सरकार थोडी बहुत भी संवेदनशील है तो निम्न कृषि विपणन बोर्ड की सड़कें तत्काल मरम्मत कराकर ठीक कराये जाने की कार्यवाही करावे :-

1. पदराडा से चित्रावास
2. काछबा से पाटिया सूरजगढ़ (मोरवाल)
3. वजाजी का वास (मादा) से छाली
4. नान्देशमा से तिरोल
5. करदा से पालछ गुन्दाली
6. तेजा का वास

मांगीलाल गरासिया

(गोगुन्दा)

नागौर के मारवाड़-मूंडवा, खेण, इनाणा, रुपासर आदि गांवों के किसानों की आवश्यकता से अधिक भूमि अवाप्त कर अबूंजा सीमेन्ट लि. को दिये जाने के संबंध में

महोदय,

निवेदन है कि मारवाड़ मूंडवा में सीमेन्ट प्लान्ट स्थापित करने के लिये के.ई.सी. इन्टरनेशनल ने वर्ष 1988 में 1001 बीघा राज रकवा भूमि महज 12 लाख रुपये में आबंटन करवाई एवं 4-5 वर्ष बाद इसे ईंडो-नेपोन स्पेशल सीमेन्ट को बेच दिया एवं आबंटन के समय लगाई गई सभी शर्तों का उल्लंघन किया। तत्पश्चात राज्य सरकार से 6500 बीघा भूमि वर्ष 1998 में ईडो-नेपोने ने माईनिंग के लिये आबंटन करवाई जिसमें किसी भी तरह का कार्य नहीं करवाया गया। फिर ईंडो-नेपोने को अम्बूजा सीमेन्ट ने खरीद लिया व इन्होंने अपने नाम से करीब 3600 बीघा की एक लीज और प्राप्त कर ली एवं प्लांट के लिये रीको के माध्यम से 1203 बीघा जमीन किसानों से कोड़ियों के भाव शहर के नजदीक अवाप्त कर ली। इसी तरह करीब 75-80 बीघा जमीन महज 24 लाख रुपये में और आबंटित करवा ली। इस प्रकार पिछले 20 वर्षों से इन कम्पनियों ने राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटन एवं अवाप्त करते समय लगाई गई सभी शर्तों की पालना नहीं की और अब पुनः माइनिंग के लिए 3200 बीघा जमीन किसानों से रीको के माध्यम से अवाप्त करवाना चाहती है। इस जमीन अवाप्ति से करीब 5000 व्यक्ति बेदखल, बेघर हो जायेंगे एवं हजारों का पशुधन भी बर्बाद हो जायेगा। इस एरिया के तालाब के केचमेन्ट क्षेत्र की अवाप्ति के कारण तालाबों में पानी सूख जायेगा। मूंडवा से खेण का आम रास्ते की अवाप्ति के कारण लोगों का आवागमन भी पिछले 4 माह से बन्द पड़ा है। एक उद्योग लगाये जाने के लिये आवश्यक भूमि से दूगनी भूमि अलग-अलग विभागों से प्राप्त कर संबंधित विभागों को गुमराह किया जा रहा है। लोगों के रिहायशी प्लॉट भी अवाप्ति में ले लिये हैं जिससे लोग बेघर हो गये हैं। पर्यावरण का नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना नीति 2007 का उल्लंघन किया जाकर भूमि अवाप्त की जा रही है। इस तरह से कम्पनी ने लगभग 8000 बीघा जमीन प्राप्त कर ली जिसका बाजार मूल्य करीब 2000 करोड़ का होता है एवं इससे लगता है कि कम्पनी सरकार को गुमराह कर उद्योग लगाने के स्थान पर भूमि का व्यवसाय कर रही है। माननीय उद्योग मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस हेतु शिष्टमण्डल

द्वारा मिलकर ज्ञापन दिये जाने तथा तथ्यों से अवगत करवाने तथा मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किसानों के हित में कार्यवाही किये जाने के आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी कम्पनी अपने प्रभाव से लोगों को बेदखल करने का प्रयास कर रही है।

अतः निवेदन है कि राज्य सरकार को अंधेरे में रखकर बेशकीमती भूमि आबंटन करवाने वाली उक्त कम्पनी द्वारा राज्य सरकार व आम किसानों को पहुंचाये जा रहे आर्थिक नुकसान तथा सिंचाई, जल एवं पर्यावरण को होने वाले नुकसान के मद्देनजर उक्त गतिविधियों पर रोक लगवाकर क्षेत्र के आमजन को राहत दिलवाई जाये।

वीरेन्द्र बेनीवाल

(लूणकरणसर)

राष्ट्रीय मरु उद्यान (डी.एन.पी.) का क्षेत्र नहीं बढ़ाने हेतु

महोदय,

उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मरूस्थलीय सीमांत बाड़मेर, जैसलमेर के 3162 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग को वर्ष 1981 में भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत राष्ट्रीय मरू उद्यान को क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं यहां के वाशिदों की आजीविका कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर होने के कारण विशेष दिशा-निर्देशों के आधार पर परिधि क्षेत्र का सीमांकन करते हुए अभयारण्य घोषित किया गया। राष्ट्रीय मरू उद्यान की सीमा में बाड़मेर जिले की शिव तहसील के 1200 वर्ग किलोमीटर के भूभाग के 39 गांव तक जैसलमेर जिले के 1962 वर्ग किलोमीटर के 34 राजस्व गांव को डी.एन.पी. परिधि क्षेत्र में शामिल करते हुए विशेष दिशा निर्देश जारी किये गये कि क्षेत्र के काश्तकारों को प्रदत्त अधिकारों एवं सुखाचारों का उपयोग यथावत किया जाता रहेगा तथा अभ्यारण्य क्षेत्र में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की गडरा रोड शाखा के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के उपनिदेशन क्षेत्र के निर्माण एवं कृषकों को भूमि आबंटन के लिए राज्य सरकार सक्षम होगी। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार भूमि आबंटन आवासीय कॉलोनी, नहर निर्माण, मंडियों एवं मूलभूत आवश्यकता वाले विकास कार्यों के निर्माण के कार्य किये जा सकेंगे। डी.एन.पी. की उद्‌घोषणा से पूर्व बनाये गये एवं वर्तमान में स्थित सार्वजनिक रास्तों, सार्वजनिक भूमियों यथा गोचर, ओरण आदि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, का उपयोग करने का

ग्रामवासियों को पूर्व की भांति पूर्ण रूप से स्वतंत्र अधिकार होगा। अभयारण्य परिधि क्षेत्र के वांशिदों को अपने मवेशियों को रखने एवं चरागाह, ओरण, सिवायचक भूमि, बंजर भूमि क्षेत्र में चराई कार्य सहित अपरिहार्य वैधानिक कार्य करने की छूट रखते हुए राष्ट्रीय मरू उद्यान की स्थापना की गई थी।

राष्ट्रीय मरू उद्यान की गयी उद्‌घोषणा में दी गई सुविधाओं के विपरीत दिनांक 14.2.2002 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय द्वारा गठित सैटल एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा किसी भी अभ्यारण्य एवं नेशनल पार्क के सीमांकन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैर वानिकी गतिविधियों पर कानूनन रोक लगाने से सीमावर्ती बाड़मेर जैसलमेर के डी.एन.पी. परिधि क्षेत्र के सरहदी 73 राजस्व गांवों एवं 200 गांवनुमा छोटी बड़ी □णियों की एक लाख की जनसंख्या एवं 2.50 लाख पशुधन के लिए अभिशाप बन गया है जिसे आजादी के छह दशक बाद भी सरहदी गांवों की आधारभूत सुविधाओं एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों में डी.एन.पी. का ग्रहण लग गया है। जिससे डी.एन.पी. क्षेत्र में आबाद लोगों में डी.एन.पी. को लेकर आक्रोश है जिसके लिए स्थानीय लोग डी.एन.पी. का क्षेत्रफल कम कर पूनर्सीमांकन करने एवं डी.एन.पी. को समाप्त करने के लिए आंदोलनरत हैं।

अब ऐसा ज्ञात होता है कि राज्य सरकार द्वारा डेजर्ट नेशनल पार्क का क्षेत्रफल 3 लाख से 5 लाख हैक्टेयर बढ़ाने हेतु बाडमेर एवं जैसलमेर जिलों में सर्वे कार्य चालू हो चुका है जिससे सीमान्त क्षेत्र के 125 गांवों में आबाद 2 लाख जनसंख्या एवं 1.50 लाख पशुधन प्रभावित होगा। जिससे पहले से ही डी.एन.पी. के चलते सभी प्रकार के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं ऐसे में क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया तो विकास की गति रुक जायेगी। अतः जन भावनाओं को मध्यनजर रखते हुए क्षेत्र को बढ़ाने के प्रस्ताव को निरस्त करने की कृपा करें तथा क्षेत्र में वन विभाग व बाड़मेर जैसलमेर प्रशासन द्वारा करवाये जा रहे सर्वे की कवायद पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जावे।

डा. जालम सिंह रावलोत

(शिव)